
20 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र (बाठवीं लोक सभा)



(संड 50 में अंक 41 से 49 तक हैं)

सोक समा सचिवालय नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 10 मई, 1989/20 वैशाख, 1911 हेंगक हैं

क्T

गुद्धि-पत्र

ਪ੍ਰਾਵਨ	पंैिक्त	शुद्धि
24	नीचे से 6	"लिरिवर" <u>के स्थान पर</u> "लिखात" प्रद <u>िये</u> ।
2 9	1 8 13 8	"हिक्हें से हुंजाहुँ" <u>दे स्था</u> त पुर "हुंकहुं से हमहुँ"
30	13 🖁	प्रिकेट
33	17	"{क्र से ्बार्" <u>के स्थान</u> पर "हेंक्र से रूघारे"
		प्रिट्टिये ।
39	23	"{ऽज्ञर्रं" के स्थान पर "{ध्यर्रं" पढ़िये ।
4	1	पैक्ति के प्रारम्भ में "≬्छां∛" पढ़िये ।
105	9	प्रान संज्या "8293" <u>के उथा</u> त <u> पर</u> "8923"
		प्राट्टिये ।
132	20	"रूबिई से रूगई" के स्थान पर "रूबिई से ४घरू"
		पढ़िये ।
136	! 4	"१ग१" <u>के स्था</u> न पर "१घं पदिये ।
163	2	शिर्षक में "लंसोधन" के स्थान पर "संगोधन"
	1	प्रिकें ।
230	4	"माध्मी रेड्ड" <u>के स्थान पर</u> "माध्म रेडडी"
		प्रिट्ये_।
232	17	"वरेंग" <u>वे स्थात पर</u> "वरेगी" प्रदिधे ।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

बच्टम ाला, संब 50,	तेरहचां सत्र, 1	989/1910-	1911 (सक)
बंक 46,	बबार, 10 मई, 1989	,20 वैशाख,	1911 (शक)
विषय			796
महनों के मौस्तिक उत्तर	•••	•••	1-24
^क तारांकित घष्न संस्था : 926 से 928, 930, 931 और 933			
अल्प सूचना प्रश्न सं स् था: 2			.,.
प्रध्नों के लिकित उत्तर	•••	•••	24 –147
त्त्वारांकित प्रश्न संस्था : 925, 929, 932, और 934 से 944			24 22
अतारांकित प्रकन संख्या : 8819 से 8969	•••		24—33 33—138
लोक समा की बैठकों बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	••••	···-	148 – 153
समा पटस पर रहे गए पत्र		••••	153-162
राज्य समा से सन्देश	****	•••	162
अध्यक्ष के निवेशों में संशोधन	••••	•••	163
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 17वां, और 18वां प्रतिवेदन	•••	••••	163
भारतीय सम्रु उद्योग विकास वैंक विश्वेयक पुर:स्यापित	•••	••••	163
नियम 377 के अधीन मामले		•••	163167
(एक) उन सभी किसानों को, जो 1975 से इन्दिन नहर से सिचाई के लिए पानी ले रहे हैं, पा की नियमित आपूर्ति किए जाने हेतु राजस्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवस्यकर	नी ं / · · · गन		
१९६- १०६ श्री बीरबस	••••	•••	163—164
(दो) केन्द्रीय सरकार के कमँचारियों की, समय प ्रमुहगाई मत्ते की अदायगी, वेतन पुनरीक्षा	बोर्ड		
का गठन और बोनस की अदायगी संबंधी म को पूरा किए जाने की आवश्यकता स्री हरीश राषठ			164
मा दूरस राग्य			164

[●]किसी सदस्य के नाम पर अंकित । चिन्हृ इस बात का द्वोतक है कि समा में उत्त प्रक्ष को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) मारत अयं मूवसं लिमिटेड का नोदक बारूद कारखाना और इजन कार्यशाला सागर में स्थापित किए जाने हेतु शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता श्री नन्दलाल चौषरी		164	746
आर गण्यताल वावरा (चार) वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का मांडला और मुंगेली होते हुए रांची (बिहार) तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता श्री एम० एल० झिकराम			
(पांच) आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष योजना के कार्यांन्वयन हेतु महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता			165
श्री शांताराम पोतदुक्षे (खः) बंकिम चन्द्र चट्टोपाघ्याय का 150वां जन्म दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की आवश्यकता	•••	•••	165
कुमारी ममता बनर्जी (सात) सिंगरेनी कोयला खानों के प्रबन्धकों को श्रमिकों की मांगों का समाघान किए जाने का निर्देश दिए जाने की आवश्यकता	•••	165	- 166
श्री जी० मूपित (आठ) वर्ष 1950 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन किये जाने हेतु एक व्यापक् विधेयक प्रस्तुत किये जाने का आवश्यकता	•••	•••	166
श्री मद्रेश्वर तांती आतंकवादी और विश्वंसक कियाकलाप (निवारण)! संज्ञोधन विषेयक और	•••	166	 167
चंडीलाइ विस्तृत्व क्षेत्र (संशोधन) विषेयक	••••	167	-177
विचार करने के लिए प्रस्ताव श्री पी० चिदम्बरम	••••	167	— 173
आतंकवादी और विष्यंसक क्रियाकसाप (निवारण) संशोधन विद्येयक,			
संडवार विचार पारित करने के लिये प्रस्ताव श्री प्री० चिदम्बरम	****	173	— 17 .7

चंडीगढ़ विझुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक			पृष्ठ
संहवार विचार			
पारित करने के लिए प्रस्ताव श्री पी० चिदम्बरम	•••		177
	•••		177
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87	•••	•••	178215
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	•••	•••	179—180
श्री गिरधारी लाल व्यास	***	••••	180-182
श्री अमल दत्ता	•••		182-184
डा० फूलरेणु गुहा	••••	••••	184-186
श्रीतम्पन थामस	•••	•••	186 - 188
डा ० गौरी शंकर राजहंस	••••	•••	188 - 191
श्री राम मगत पासवान	•••	•••	191-194
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	•••	•••	194195
श्री हरीश रावत	••••	•••	195—197
श्री एन ≉ टोम्बी सिंह	••••	••••	197—199
श्रीजी० एम∙ बनातवासा	***	•••	199-202
कु मारी ममता ब नर्जी	••••	•••	202-203
श्री अजीज कुरेशी	•••	•••	203—209
धी आर० जीवरस्नम	••••	•••	209 - 210
डा॰ दत्ता स ।मंत	•••	•••	210-212
श्रीबी० के० गढ़वी	•••	•••	212-215
बिनियोग (संस्थांक 3) विषेयक 1989	•••	•••	215217
पुर : स्थापित			
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री बी० के० गढ़वी	•••	•••	215
संडवार वि चार			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्रीर्बा० के० गढ़वी	•••		216
संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक			
और			
ब्रितिरक्त करपाद शुरूक (वितेष महत्व का माल)	••••	•••	217-233
संझोधन विचेयक			
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
स्तीबी० के० गड़वी	••••	•••	217-218
श्री सी॰ माचव रेड्डी	•••	••	218-220
श्री योगेस्वर प्रसाद यो पेच	•••	***	220-221
			_

23ts			पृष ्ठ
श्री अमन दत्ता	. ••••	,	221-225
श्री श्रीबल्लम पाणिचही	***	••• , ,	225-227
श्री तम्यन यामस	•••	•••	227—228
संच इत्पाद गुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक			
! :- चंडकर विचार			73714.7
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री बी॰ कें॰ गढ़वी		••••	228-232
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विश्वेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक			
संडवार विचार	••••	•••	232-233
पारित करने के लिए प्रस्ताव	•••	•••	232233
श्री की • के • गढ़बी	•••	••••	

लोक सभा

बुषवार, 10 मई, 1989/20 बैज्ञास, 1911 (ज्ञक) स्रोक समा 11 बजे म० पूर्व पर समबेत हुई। (उपाष्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर शिशु मृत्यु दर में वृद्धि

[अनुवाव]

*926, श्री जी॰ भूपति : स्था स्वास्थ्य और परिवार कस्यान मंत्री यह बताने की क्रपा करेंबे कि:

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान जिलु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है; और

(स) यदि हां. तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का शिशु मृश्यु दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याच मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कुमारी सरोज सापर्डे): (क) श्रीर (स) एक विवरच समापटल पर रस दिया गया है।

विवरण

किंघु मृत्यु दर के आंकड़े मारत के महावंबीयक से नमूना पंजीयन पढ़ित के आधार पर प्राप्त किये जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम अनन्तिम अनुगन वर्ष 1987 के हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले पांच वर्षों के शिशु मृत्यु दर के अनुमान नीचे दिए गए हैं:

1983 प्रति हवार जीवित जन्मों पर 105
1984 प्रति हवार जीवित जन्मों पर 104
1985 प्रति हवार जीवित जन्मों पर 97
1986 प्रति हवार जीवित जन्मों पर 96
1987 95 (अनन्तिम) — तदेव—

शिशु मृत्यु वर में कमी साने के लिए सरकार ने प्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं की स्थापना करने, चिकित्सा और परा चिकित्सा और कामिकों (पुरुष कौर महिसा दोन्)) को प्रशिक्षित करने, परम्परागत जन्म परिचारिकाओं को प्रशिक्षित और उन्हें डिलवरी किटें सप्लाई करने के लिए राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र योजनाओं के एक अंग के रूप में लया केन्द्रीय प्रायोचित स्कीमों के रूप में कार्यकलायों ने पैकेज को कार्यान्वित करने हेतु उपाय किए हैं। प्रस्वपूर्व, प्रसव के बीरान और प्रसव के बाद की परिचर्या प्रदान करने के लिए खतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र खोले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर क्या नया है और उन्हें सलाइ दो गई है कि वे खतरे वाले रोगियों का वता लगाएं और उन्हें सलम चिकित्सा कार्मिकों के पास बचवा संस्थाओं में भेजें। बतिश्वार के मामलों में डिहाइड्रेशन के कारण होने वाली क्लाता और मौतों पर कांद्र पाने के लिए बौरस रिहाइड्रेशन थिरेपी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

बी जी॰ भूपति : महोदया, यह प्रस्तः

[अनुवाद]

प्रो॰ मधु दण्डवते । वे व्लती के मन्त्री को अध्यक्षपीठ समझ रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब बराबर कर रहे हैं न, सारा काम ।

श्री जी॰ भूपित : यह सवात शिशु की मृत्यु के बारे में है, यह सवात ऐसा है विसमें बहुभव से बोमना पड़ेगा लेकिन मण्त्री महोदया कुमारी हैं, शिशुओं के बारे में नहीं जानतीं इसिमए किसी धनु-भवसाली मन्त्री इसका उत्तर दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि फीमनी प्लाविच के बारे में तो बहुत प्रचार होता है, बसों पर सिसते हैं, हर जगह इसका प्रचार होता है मगर शिशु मृत्यु पर शोक लगाने के सिद्ध बरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

कुसारी सरोज लापडें: सर, माननीय सबस्य महोदय ने नमी अपने बयान में कहा कि जो मैंने अपने स्टेटमैंट में कहा है उस पर वह विषयात करने के लिए राजी नहीं हैं वा रखना नहीं चाहते हैं लेकिन हम जब किसी बयान को सबन के सामने रखते हैं तब हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसे सही कप में सदन के सामने रखा जाय। मैं माननीय सबस्य को कहना चाहूंगी कि अगर वह देखें तो उन्हें पता चलेगा कि देहातों में भी जो प्राथमिक विकित्सा केन्द्र हैं, वहां पर जो प्रीगनेंट विवेश्त होती हैं, हम भोग उनको सुविधाय उपसब्ध कराने की कोशिश करते हैं और साथ-साथ बच्चों की बाहरी विजिज से किस उरीके से रखा कर सकते हैं, यह भी उवको मालूम हो कि किस तरह से उनको उससे बचाया चा सकता है। इतना ही नहीं, हम लोग गांव-गांव में वाइयों को ट्रेंड करते हैं, प्राइमरी हैल्य स्टाफ को ट्रेंड करते हैं और उनके माल्यम से इस चीज को लोगों तक पहुंचाने की हमारी सरकार की कोशिश रही है।

की की० मूपित: अध्यक्त महोबय, मैंने प्रश्न किया था, 1988 में बच्चों का डैव रेट क्या है? इस बारे में उन्होंने नहीं बताया। रूप कोत्र में काफी सुबीबत है। गर्सवती महिसाओं के पैट में ही कमी-कमी बच्चों की मृश्यु हो जाती है और इस झालत में उनको 20-30 मील तक बेलगाड़ी में हैश्य सैन्टर्स तक ले जाना पड़ता है। इसके अलावा, कभी कभी कोटे बच्चों को एनिमिया सेल-न्यूट्री सन की वजह से और डग्यरिया बाबि विजित्न भी होते रहते हैं। इस स्थिति में रूरस एरियाज में उनको नहीं देखते हैं, बनट्रेंड बाया और वर्क्स को कुछ मालूम वहीं होता है। वे कोई ट्रेंड नहीं होते हैं। इसके अलावा मैं यह भी जाववा जाहता हूं, एन्टी टेटनेस इम्जेक्शन जो कि कम्पलसरी इन्लेक्शन है, प्राइमरी

हैक्य सेन्टर में कितने प्रेगनेन्ट लेक्षीय को दिया है, इस बारे में मधी महोदय ने कोई व्यक्तिका नहीं दिया है, इत्या यह मी बताएं?

कुमारी सरोज खापडें: सरकार का प्रयास है कि 1990 तक अपने देश के सारे बिकों को इम्यूनाइबेखन प्रोग्नाम के अन्तर्वत करर करें, ताकि बच्चों का बाहरी रोगों से बचान हो कि कि। सवास यह है कि आपने कितने इन्जेन्शन्स प्रोनाइड किए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जन-जन भी राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार के पास मांच बाती है, चाहे वह टैटबस या डिपवीरिया और जो इम्युनाइजेस के बन्तर्गत टीके होते हैं, जैसे ही मांग आती है, उस मांग को पूरा करने की हमारी कोशिश रही है कि राज्य सरकार को वह प्रोनाइड करें।

[अनुवाद]

श्री सी॰ पी॰ ठाकुर: बघ्यक्ष महोदय, शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारण क्या हैं? सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों में प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम को अनिवायं रूप थे कार्यान्वित नहीं किया जाता
है। क्या सरकार यह सुनिद्वित करने के लिए कार्यवाही करने पर विचार कर रही है कि मेडिकल कालेज अस्पतालों, जिला मुख्यालय अस्पतालों अथवा अन्य अस्पतालों में वैदा हुए बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रतिरक्षित किया जाये? हाल हो में बिहार में दो महामारियां—दिक्षण विहार में मैनिनजाइटिस और उत्तरी विहार में कालाजार महामारी फैली हैं। कालाजार महामारी अब मी फैल रही
है। बौर ऐसे अधिकांश बच्चे, जिनके जीवित रहने के अवसरों में कुछ सुवार हुआ या, कुपोषण के कारण मर रहे हैं। क्या सरकार स्थिति में सुवार करने के लिए इस दिक्षा में कुछ कार्य करने का प्रयास करेगी?

[हिग्बी]

कुमारी सरोज सापर्वे : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी उत्तर में बताया था कि जिस वक्त हमारे पाब राज्य सरकार से ऐसी खबर आती है, तो हम उनको प्रोवादव करते हैं। जैसा अभी आपने निवेदन किया मैनिनजादिस के बारे में, तो जब भी राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार के भास उसकी सबर आती है और जिस मात्रा में उनको वैकसीन दवाद्वयों की जकरत पड़ती है, उस मात्रा में हम सोग राज्य सरकार को पहुंचाने की कोशिय करते हैं जहां तक एजूकेट करने का सवास हैं, हम दौ० बी० के माध्यम से सोगों को एजूकेट करने की कोशिश वरावर करते रहते हैं।

भी पी॰ सी॰ ठाकुर। सस्पतास में जो बच्चा पैवा हो, उसके लिए यह कम्पससरी कर दीजिए कि उसको टोका बबस्य दिया बाब। ऐसा कोई प्रावधान काप सोच रही हैं ?

कुमारी सरोज सापडें: जहां तक येरा क्यांस है कि जब ब्रस्पतास में बच्चा पैदा होता है; तो स्वामायिक है कि बास्टर उसको टीका वें लेकिस बास्टर उसको कम्पलसरी के रूप में नहीं कर पाते होंगे बीर हमारी कोस्टिस यह होगी कि उसको यह कम्पससरी करें ताकि मां-बाप को इस बारे में सक न रहे कि हमारे बच्चे को इमूनाईच नहीं किया गया है।

की राम सगत वासवान: माननीय मन्त्री महोदया ने यह बवाया है कि स्टेट गवनंसेंट से बो विमान्त बातो है, उसको वे पूरा करती हैं। मैं यह बवाना चाहता हूं कि बिहार में करीब करीब 30 जिलों में कासा-बाजार फैसा हुबा है और बहुत से बच्चे और लोग बीमार हैं। उसके सिए सेबो-बित नाम की एक सुई बाती है, जिसकी कीमत 2200 रुपये है और वह वहां पर नहीं वहुंच रही है। इस बीच कितने ही लोग मर रहे हैं। ये मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि 1887-88 में कितनी इतमान्ड रही और बापने कितनी पूर्ति की है। मुझे मालूम हुआ है कि बिहार में दबाई वहुंच नहीं रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कितना आपने पूर्ति की है।

कुमारी सरोज खापडें: मुझे लगता है कि माननीय सदस्य काला-बाखार के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। इसके लिए मुझे बलग नोटिस चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके निए कालिंग एटेंशन कर दिया था।

श्री सी॰ पी॰ ठाकुर: दवाई नहीं पहुंच रही है और अभी जो माननीय सदस्य ने कहा है , वह सही है।

कुमारी सरोज खापडें: माननीय सदस्य जो यह बात नजर में नाप हैं, तो हम लोग इस पर स्थान देंगे और काश्विश करेंगे कि दवाई वहां पहुंचे, अगर वह पहुंच नहीं रही है।

वनो के सर्वेक्षण हेतु नया अधिनियम

[अनुवाद]

- *927. श्री बनवारी लाल पुरोहित[†] } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा डा॰ ए॰ के॰ पटेल करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार का देख में वनों के संरक्षण हेतु एक नया अधिनियम बनाने का विचार है; जीर
 - (स) यदि हां, तो प्रस्ताचित विधेयक की रूपरेसा क्या है?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) बौर (ख) सरकार मारतीय वन अधिनियम, 1927 में संप्रोधन करने पर विचार कर रही है। बस्ताबित कार्यक्रम की रूप-रेखा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिम्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि जंगस बहुत तेजी स हम।रे देश में खत्म हो रहे हैं और मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि मर्ज अलग है और उसकी दवाई दूसरी हो रही है । मतसब यह कि छोटे छोटे प्रोजेक्टस को खंगल बचाने के बहान से रोक रहे हैं और यहां पर केन्द्र में सब को आना पड़ता है । नागपुर का ही एक सेस था । 0.4 हेक्टेयर बमीन के लिए दो सान किलग्रेरेंस में यहां पर लगे पानी की लाइन के लिए और लोगों को पानी नहीं मिला । मतलब यह कि कायदा बराबर नहीं है । असल में जंगल गलत तरीके से कट रहे हैं और लकड़ी की चोरी हो रही है । ठेकेदारों के माध्यम से जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं । जो एसेंखियल प्रोजेक्ट्र हैं, उनकी चजह से जंगल कटते से उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना कि जंगलों में सकड़ी की चोरी से होता है और आज हामत यह है कि चारों तरफ जंगल बोसते हैं और बीच में टोपी रह गई है । मतसब यह कि बोच में जंगल साफ हैं और बाहर से आवको जंगल बिलोंगे। मेरा कहना यह है कि चो एसेंखियल बड़ी बड़ी सकड़ी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आप टाप प्रायरटी पर किसबरें से जो जंगल-चोर हैं; उब को ऐसी सजा देनी चाहिए, जिससे जंगलों में गतत तरीके से चोरी व हो सके । यह जो तथा कायदा बन रहा है, इसके लिए आपने एक किटी बनाई है। मुक्ते से चोरी व हो सके । यह जो तथा कायदा बन रहा है, इसके लिए आपने एक किटी बनाई है । मुक्ते

दु:स इस बात का है कि बाइडलाइन क्या हैं, यह पता नहीं हैं. खापने गाइडलाइन्स ही कुछ नहीं दिये हैं और अभी तक खाउटलाइन तैयार नहीं है, तो यह कमेटी क्या करेगी। आप इस में संकोच क्यों करते हैं और जो गाइडलाइन्स खापने दी हैं, उनको सबन को जानना का हक है। आप यह बताएं कि कौन सी गाइडलाइन्स आपने कमेटी को दी हैं और वह कमेटी खपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी क्योंकि यह बहुत महस्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं यह पूछ रहा हूं और इसको आप टालिये मत, जरा जबाब दीजिए।

श्री जियाउर्हमान अंसारी: जनावे नामा, दो बीजों और दो एक्टों के बीच में माननीय सदस्य कन्क्यूज कर रहे हैं। एक तो इन्डियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 का है, जो एक काम्भीहेंसिब लेक्सिलेशन हैं फोरेस्ट्स के प्रिजर्वेशन का, फोरेस्टस के कम्ट्रोन का, फोरेस्ट्स के मैनेक्सेंट का और एक दूसरा एक्ट है, फोरेस्ट्स कन्जवेशन एक्ट, 1980, जिसका परपज बहुत हो लिबिटेड है कि नान-फोरेस्टरी यूच के लिए जो फौरेसट लेंड की जरूरत है, वह बगर बाइवर्ट की जाए नान-फौरेस्टरयूज के लिए, तो बजाए इसके कि वे इसको वगर किसी ओचित्य के करें, फौरेस्ट कन्जवेशन एक्ट को ब्यान में रखते हुए; उसका किसवेरेन्स सेन्ट्रल गवनंबेंट से लेना चाहिए। पालियामेंट ने उस कानून को बास क्या है और दोनों एक्ट्स का स्कोप अलग अलग है। सवाल है इण्डियन फोरेस्ट एक्ट का जो कि 1927 का है और वह 60 साल पुराना एक्ट है। साठ साल में बहुत तक्वीलियां हो गयी हैं. इसकिए उसके कप्रीहेंबिड लेजिस्लेशन को जरूरत है बौर वह बण्डर कसीड़ शन भी है। इस कानून का पूरा मसविदा तैयाद बी हो बया, इन पर राय-मश्विरा भी हो गया था लेकिन उसके बाद इसिनए क्य गया कि फोरेस्ट पालिसी कमाऊ स हो बाए। फोरेस्ट पालिसी के बनाऊ स होने के बाद पूरे तौर पर क्यीहेंसिव बमेंडमेंट ला कर के एक नया एक्ट लाया जाए, इसिलए वह कक गया। वह प्रोक्षेस में है और माननीय सदस्य को हम यकीन विलाते हैं कि फोरेस्ट पालिसी बनाऊ स होने के बाद हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि क्या इंडियन फोरेस्ट एक्ट साया जाए जो कि 1927 के एक्ट से नये तरीके पर लाया जाए।

दूमरा सवाल है फोरेस्ट कंजन्वेशन एक्ट के सिलसिले में बौर डाइवर्शन आफ फोरेस्ट लैंड के सिलसिले में जनावेवाला, इस सवाल पर कई बार वर्षा हो चुकी है, कई बार वहस हो चुकी है। यह बात बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत कठिनाइयां होती हैं। लेकिय यह कहना सही नहीं है कि हमारे पास बो-दो, चार-चार साल प्रोजेक्ट पड़े रहते हैं। यह बात सही नहीं है।

एक माननीय सदस्य । यह बात सही है ।

अध्यक्ष महोदय: आप इनको खबाब देने दीजिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी: अध्यक्ष जो, मैं जो जबाब दे रहा हूं वह अपनी जामकारी के आबार पर दे रहा हूं। मेरो जो जानकारी है वह यह है कि प्रोजेक्ट इस वबह से पड़ें रहते हैं कि जो उनमें किया होती हैं और उनके बारे में यहां से जो इंफर्मेशन सांगी जाती है वह इंफर्मेशन हमें रिसीच नहीं होती। हमने कोशिश की है कि इस प्रोसीचर को स्ट्रीमलाईन करें। इस यह स्टेप्स खेने जा रहे हैं कि पाईप साईन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमीशन साईन जो जाए उसके लिए देर नहीं सगनी चाहिए। (आवधान)

सी बनवारी लाल पुरोहित। अध्यक्ष जी, महस्वपूर्ण प्रथन है बंगलात बचाने का पूरी कंट्री में को हमारा ज्योग्नाफिकल एरिया है, रिकार्ड के हिसाब से उसमें कितना जंगल एरिया है, एवजुडाब सर्वे को किया है उसके मुताबिक कितना जंगल एरिया है और हमारा टारगेट क्या है कि टोटब सेंड स्त्र कितना परसेंट जंगल होना चाहिए ? बगर स्टेटनाईब फिगर हैं तो वे वे दीविए, वहीं तो पूरी संदी का परसेंट जंगल होना चाहिए। कितने परसेंट की बापको एक्सपर्टम ने राय वी है ? तीनों चीजें बता बीजिए, रिकार्ड में कितना है, एक्चुबल वेरीफिकेसम में कितना है बौर आपका टारगेट क्या है कि कितना होना चाहिए ? आपने जो टारवेट बताया है उस टारमेट को आप कब तक पूरा करेंने ?

स्री जियाजरहमान संसारी: कई बार यह बात इस सदन में बतायो जा चुकी है और मैं फिर उसको दोहराता हूं कि दो चीज़े हैं। रिकाविड फोरेस्ड 22.7 परसेंट टोटल खेड मास एरिया का है। इसारी जो फोरेस्ट पामिसी है जो कि 1957 में बनाऊ स हुई बी, उसके मुताबिक और जो 1988 में खबी बनाऊ स हुई है उसमें हमने 30 परसेंट का टारगेट रखा है। टोटल लैंड मास एरिया में 30 परसेंट फोरेस्ट होवा चाहिए। लेकिन जिसको हम ट्री कबर कहते हैं वह 15 कुछ परबेंट है और दूसचा 19 कुछ परसेंट है।

[अनुवाद]

हा. ए. के. पटेल: में माननीय मंत्री के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री ने एक विसा विटा उत्तर दिया है कि यह अधिनियम विचाराधीन है। सांप निकल जाये तो लाठी चलाने से क्या फायदा है? जंगलों को दिन प्रति दिन नष्ट किया जा रहा है। हम पर्यादरण के बारे में विन्तित हैं। मैं गुजरात का उदाहरण देता हूं। वर्ष 1975 में वहां 9.2 प्रतिस्त भाग में खंगल थे, परन्तु सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आंजकल वहां केवल 3-4 प्रतिशत मांग में ही जंगल बयवा पेड़ हैं। मिनस्य में खंगलों को नियति क्या होगी? सम्पूर्ण शृकरात में ऐसी घटनायें चटित हो रही हैं हाल ही में *** कै (अयववान) *

अञ्चल महोदय: बहुमित नहीं है। कोई नारोप वहीं लगाया जावेगा। (व्यवचान)

डा. ए. के. पटेल: मैं मंत्री महोदय से एक स्वष्ट उत्तर वाहता हूं। गुजरात में ऐसा पटित हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: बाप ऐसा नहीं कर सकते। जाप ऐसी कैसा कर सकते है ? (व्यवधान)

डा॰ ए. के. पटेल । वे इस मामले के बारे में पहले से ही जानते हैं।

अध्यक्ष महोवय । हो सकता है। बाहे जो भी है परम्तु यहां हम नियमों के अनुसार हो कार्य-बाही करने जा रहे हैं।

एक माननीय सबस्य : परन्तु वे कोई बारोप नहीं सगा रहे हैं।

हा. ए. के. पटेल : मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्ट उत्तर बाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : वे धपश अनुभव बता रहे हैं।

प्रो. मधु बंडवते : को लकड़ी काटी वाती है, उप्ते वे निकास लेते हैं।

डा॰ ए. के. पटेल : मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वे किस समय तक अधि-नियम बनाने का रहे हैं ताकि हम वंग्लों को नष्ट होने से बचा सकें तथा इस देख में अध्यक्षा और वेहतर पर्यावरण बन सके।

कार्यबाही कृतान्त में सम्मिसित नहीं किया पया ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी: मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि विधेयक का प्रारूप तैयार था। परन्तु यह निषंध सिया बया था कि सदन में एक नई वन नीति लाई जा रही है जिसके बारे में विद्यले सन में घोषणा की गई थी। बन नीति की घोषणा के बाद ही हमें एक व्यापक विधान सामने छाने के बारे में यह कायंवाही करनी चाहिए। अब, नई नीति के अनुसार, हमें एक व्यापक विधान के बारे में नये सिरे से सोचना है। में माननीय सवस्य की इस बात से सहमत हूं कि मारतीय बन विधानयम को बौर बिचक सस्त बनाने की नितान्त आवश्यकता है नाकि गमत कायं करने वाले अवध्य रूप से बनों को काटने शोले और बन संसाधवों को नष्ट करने वाले व्यक्तियों के विश्व निवारक कायंशही की खा सके।

[हिन्दी]

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : मंत्री महीदय ने बताया है कि फारेस्ट पालिसी बनाने जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थित क्या है। मैं राजस्थान का उदाहरण पेश करना बाहती हूं। आपने बताया कि सगमग 19 परसेंट फारेस्ट होना चाहिए, लेकिन क्यावहारिक रूप में 2-3 परसेट फारेस्ट बचा है। कासतौर से अरावली रेजेज हैं, किसी जमाने में ये हरी-मरी थीं, आज नेकेट हो गई हैं। आप यह नई पालिसी कव तक बनाए गें, कव व्यवंद्वमेंट करेंगे, यह समझ में वहीं आ रहा है। दूसरी बात में निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिजर्व फारेस्ट है, नेम सेंक्च्रीज हैं वे भी साफ हो रही हैं। इसके खिए आप राज्य सरकार को कोई आदेश देंगे या नहीं, इसमें कोई संशोधन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। ((अयववान)

अध्यक्ष महोदय: मैडम, आप यले से यह उतार दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो॰ निर्मेला कुमारी शक्तावतः मुक्ते लेदःहै। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी: मैं मानता हूं कि फारेस्ट का कटाव बहुत तेजी से हुआ है और इस बजह से बरकार कदम उठा रहा है, जियसे कि फारेस्ट का कटाव को । इसी वजह से नई पासिसी के तहर एक्ट बाना च'हरे हैं, इस में लिए डिटरेंट पनिशमेंट रखा जाए । इसका हल यही है कि जस्बी से जस्बी कंदी हैंसिव बा, 1927 के एक्ट को अभेड करके हम लाएं

अज्ञात रोग से मृत्यु

[अनुवाद]

- *928. भी बी० कृष्ण राव† } : क्या स्वास्त्र्य और परिवार कल्याच मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार का घ्यान 26 मार्च 1989 के 'डेक्कन हेराल्ड' में 'अवनीत डिबीच' क्लेम्स 16 लाइक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर विकास गया है;
 - (ख) यदि हां, तो क्या देश के बन्य भाषों से भी ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं;
 - (ग) यवि हो, तो तत्सस्यन्त्री स्थीरा क्या है; और
 - (व) इत रोव की रोकवान के किए क्या कदम उठाए थए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज कावडें): (क) से (म) एक विवरन समा पटल पर रख दिवा गया है।

विवरण

सरकार ने 26 मार्च, 1989 को डेकन हरस्ड में ''अज्ञात बीमारी ने 16 जानें सी, के वीवंक से प्रकाशित इस समाचार को देखा है।

विहार से रहस्यमयी बीमारी के फैयने की सूचना मिसने पर राष्ट्रीय संचारी रोत संस्थान के दसों को प्रमायित कों त्रों का दौरा करने के लिए भेबा गया। इस रोग का मेनियोकोकोस मेनित्जाइ- टिस सोरो — ग्रुप ए० के रूप में निदान किया गया। 1989 के दौरान, खात राज्यों/संघ राज्य को त्रों, वामतः विहार. उड़ीसा, बांझ पदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली ने मेनियोकोकोस विनिजाइटिस के रोगियों के साथ-साथ इस रोग से मौतों होने की सुचवा दी है। रोगियों खौर मौतों की संस्था इस प्रक'र है:—

राक्य	रोगी	मौतें
बिहार	अनुपस ब् ष	263 (28-4-89 বৰ)
उड़ीसा	2951	344 (2-4-89 तक)
बाद्य प्रदेश	792	136 (23-12-88 से 31-3-89 तक)
मध्य प्रदेश	1620	158 (३-4-89 त ਙ):
गुजरात	586	102 (3-4-89 तक)
महार दू	584	109 (4-3-89 तक)
विस्ली	329	58

मेनियोकोकोस मेनिनजा इटस के लिए किए गए रोकयाम सर्वेषी उपायों में निम्निस्तिस्त सामिल हैं:---

- अर्थ विकित्सा स्वास्थ्य कायिकों द्वारा रोगियों की शुरू में ही सुचना देना ताकि सभी संदिश्य रोगियों का अस्पतालों में इलाज किया जा सके;
- रोगियों का पता लगाने और उनका निवान करने के लिए श्वमावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए चिकित्सा दलों का गठन करना;
- उपयुक्त बीषधें बर्यात् ऋत्टेलइन बेन्जिल पेनिसिलिन बीर क्लोरेम्केनिकोल प्रवान करके शोगियों का उपवार;
- अस्पतालों और आकृश्मिकता विमाणों में रोगियों को देखने वाले चिकित्सा कीर अर्थ चिकित्सा कार्मिकों को टीका लगाना;
- रोथियों को सल्फाडायजीन देकर उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना को रोगियों के सम्पक्त में का सकते हैं।

श्री बी॰ कृष्ण राव: महोदय, एक श्रश्तात बीमारी के कारण बिहार, उड़ीसा, आन्छ प्रदेश सध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिन्सी में लगभग 1200 व्यक्ति मर चुके हैं। क्या में सरकार से यह जान सकता हूं कि यह श्रश्तात बीमारी क्या है, यह कैसे बाई है, कहां से क्षाई है, क्या यह बीमारी हमारे देश से बाई है अथवा किसी विदेश से बाई है, और क्या आपने इस बारे में कोई बनुसन्वान किया है ?

कुमारी सरोज सापर्डे : महोदय, हमने इस बारे में अनुसन्धान नहीं किया है । परन्तु वैसा कि माननीय सबस्य न अभा-अभी उल्लेख किया है, विभिन्न राज्यों असे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और विल्ली ने यह सुबना दो है कि इस बीमारी के विभिन्न कारण हैं और उन कारणों से इन राज्यों में जैनिनवार्डटिस नामक यह विशेष बीमारी पाई जाती है ।

स्त्री वी॰ कृष्ण राव: क्या सरकार ने इस बारे में कोई एहतियाती कायंबाही की है? क्या सरकार ने इस बीमारी के उन्मूलन के लिए कोई कायंक्रम आरम्म किया है?

कुमारी सरोज सापर्डे। महोदय, देश से मैनिनजाइटिस के उन्मूसन के बारे में कुछ कहना बार्यन्त क केन है। पश्नु सरकार देश में मैनिनजाइटिस वामक इस बीमारी को नियन्त्रित करने के सिए कुछ निवारक कार्यवाही करने के लिए उत्सुक है।

महोदय, इस बारे में सावधानी पूर्वक िगरानी पर वस विया जाना चाहिए जिसमें सावधानीपूर्वक रिपोर्ट देना और प्रयोगसाला संवधो निगरानी भी सम्मिलित है। हम सदैव इस बीमारी के
बारे में लोगों को शिक्षित करने का प्रयान करते है। हमारा एक सुनियोजित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
है जिससे ऐमे मामलों को शेकने और विशेष रूप से मैनिनजा इटिस के कारण मृत्यु को रोकने में काफी
सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिसत जनसंख्या को मैनिनजाइटिस, इसके चिन्ह
और सकाणों के बारे में शिक्षित करना और जानकारी देना, और किसी व्यक्ति में इस बीमारी के
सवाणों का पता लगने पर उपवारात्मक कार्यवाही करना है।

हा० बी॰ बेंकटेका : बहावय, इस देश में प्रतिवर्ण चातक बीमारिया फैलतो हैं विशेष रूप से मेरे राज्य कर्नाटक में मत्नाद के अविक वर्षा वाले क्षेत्रों में के० एफ० डी॰ अवाँत काशानीर फोरेस्ट विश्वय केनती है। दूसरी बोर, मेरे चुनाव क्षेत्र कोलार में जापानी इस्सिफार्सिटिस के कारण प्रति-वर्ष हुवारों व्यक्ति सर रहे हैं और अतिवर्ष हुजारों व्यक्ति चारीरिक और मानसिक रूप से विक्तांय वन रहे हैं और उनकी संस्था वह रही है। मैंने सरकार से बार-बार इस समस्या का समाधान दूं इने के लिए कहा है। बौर गत वर्ष उन्होंने यह कहा था कि वे कुछ टीकों का बायात और उनका उत्पादन करने भी चा रहे हैं। परन्तु उन्होंने बभी तक इस बारे में कुछ मी नहीं किया है। बत: मैं दो महत्वपूर्ण एवं साधारण प्रक्त पूछना चाइता हूं। क्या सरकार टीकों का निर्माण करने जा रही है? मैं मन्त्री महोदय से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। इसरे मेरे चुनाव क्षेत्र में वाशीरिक बोर मानसिक रूप से विकतांग व्यक्तियों की संस्था वढ़ रही है मैं यह जाना चाहूंगा कि क्या मारत सरकार वहां कोई कल्याच कार्य बारस्म करने जा रही है क्योंक इससे समाज का मविष्य हुड़ा हुआ है।

कुमारी सरोक सापडें: माननीय सवस्य ने मुझ से देश में टीके के उत्पादन के बारे में प्रश्न किया है। मैं यहां इस सदन में यह उल्लेख करना चाहूंगी कि हमारे देश में मैनिनवाइटिस के लिए टीके का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसे बिदेश से बायात करना पड़ता है। सुक्यत: टीके की सिकारिश विकित्सा कमंबारियों, बडें विकित्सा कमंबारियों और रोगियों की देखवान करने वासे ध्यक्तियों के लिए की गई है।

डा॰ बी॰ बेंकटेश : उन्होंने मेरे प्रथम की नहीं समझा है।

कुसारी सरोज ज्ञापडें. मैंने आपके प्रथम को समक्षा है और मैं उस बाख पर आ रही हूं। इत्या योड़ा वैर्य रिक्षिये।

चूं कि मैं टोके के बारे में बात कर रही यो बत: मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगी कि में निगंकाल मैं निगंका इटिस टोके का उत्पादन हसारे देख में नहीं किया चाता है। टीका खगाने के बाद संरक्षात्मक प्रतिरक्षा विकसित करने में समय लगता है। उपरोक्त बातों की ज्यान में रखते हुए इस विशेष बीमारी में टोके की सीमित भूमिका के कारण सारे लोगों को एक साथ टीके सगाने की निकारिस नहीं की गई है बौर यह निजय एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सिया गया वा विसकी बैठक 24-3-1988 को हुई बी।

बा॰ बी॰ बेंकटेश: उन्होंने मेरे प्रश्न को नहीं समधा है। मैं काशानोर फोरेस्ट विशेष और जापानी बन्वेपिबटिस के बारे में प्रश्न कर रहा था। इस प्रश्न का सम्बन्ध वैनिकोकाल से विल्कुल मी नहीं है।

कुमारी सरोज कापडें: मैं समझठी हूं कि मैंने प्रश्न के उपभाग को नहीं सुना था। (अध्यवधान) डा॰ चौ॰ चेंकटेश: ये दोनों वातक बीमारियां हैं। (अध्यवधान) मुझे इस वारे में खेद है।

कुमारी सरोज सापडें: बापको बफसीस जाहिर करने की बरूरत नहीं है। बाप इस प्रश्न के निष्मुक्तें अलग सुबना वे सकते हैं बीर इसमें कुछ हुवा तो मैं उसकी जानकारी बापको दे हुं नी।

का० वी० वेंकटेस : उस खेंत्र में ये दो मयंकत्र बीमारियां हैं कोर सह उनमें से एक है। (काकवान)

का० ए० कलानिथि : यह वस्यन्त दुर्माग्यपूर्ण है कि मानगीय मंत्री ने कहा है कि मेनिनजाइटिस का निवान नहीं हो सकता। मेनिनजिस्म का निवान नहीं हो सकता ने किन मुद्धा वहीं हो सकता कि मैनिनजाइटिस का विदान नहीं हो। ये मामजे जोगाणिक और वामरन के हैं जिनका आसानी से जता नमाया जा सकता है। यदि एक 'सन्वर पंचर' किया चाए और शिविचेतो स्पाइनस पहुड' निवान आए सो साम निवान करने के निए इसके कारण का परीक्षण कर सकते हैं में समाप्ता हूं कि मंत्री महीवय आसटों का वपमान कर रही हैं। में यह कहना चाईना कि इस्केन्द्रोन माइकोस्कोप के बाने से सब वब कुछ संभव है वौर निवान करना बहुत सरस हो यया है। माननीय मंत्री नसत निवान कर सही है। मेनितजिस्स का निवान नहीं है बनकि नेनिनजाइटिस का विदान है।

कुमारी सरोज सापडें: मैं माननीय सथस्य के विचारों को नहीं जानती। उन्हें बवस्य ही तकनीकी ज्ञान होना, मुमें नहीं है। भेरा यह अभिशय नहीं का कि मेनिनवाइटिस का निवान नहीं हो सकता या यह निवान न हो सकने वाली बीमारी है। यदि यह किसी वचह से गसत सुना गया हो तो उसके सिए मुमे बेद है। डास्टरों हारा इस बीमारी का निवान अवस्य ही किया जाता है। (अयवदान)

बा॰ ए॰ कलानिथि : मैं जानका हूं कि मेनिनबाइटिस बोमारी का नियान है लेकिन मेनिन। बिस्म का निदान नहीं है।

क्रुमारी सरोज जापडें : मुझे कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है । इसकिए इकड़ा उत्तर देना सेट्रे खिए बरयन्त कठिन है ।

भी हरीस रावत: मंत्री महोदव से तक्षणीकी साम स्थाने की अनेस्या सूझी की जा सकती।

कुमारी सरोज लापडें: मैं माननीय सदस्य को यह सुबित करना बाहूंनी कि वर्ष 1989 के वीरान मेनिनबाइटिस के विभिन्न राज्यों, विशेषकर विहार में फैलने की सुबना मिली है। यह सुबना मिलने पर तथा समावार पत्रों में इन खबरों के प्रकाशित होने पर विहार की स्वास्त्य सेवाओं के निवेशक ने एक बिकित्सा दल मेजा या उन्होंने बिकित्सा दल से इस बीमारी की बाब करने के लिए कहा था। ऐसा समझा गया था कि यह मस्तिष्क ज्वर के कारण हुई है। लेकिन बाद में कुछ सबय के वाब रोजी सिकित्स कालेज के विशेषकों ने विवनवाइटिस की पुष्टि की।

उत्तर प्रवेश में नई चीनी मिलें

[हिम्बी]

- 930. श्री हरीश रावतः क्या साख और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की क्रपा करेंगे
 कि ;
- (क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में नई कीनी मिन्नें शोनने एवं वर्तमान चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि करने का कोई पुस्ताव है; बौर
- (क) यदि हाँ, तो तत्त्तम्बन्धी स्योरा न्या है ? [अनुवाद]

साम्र और नागरिक पूर्ति मंगालय के राज्य मंत्री (श्री सुस राम): (क) बौर (श्र) चीनी वर्ष 1988-89 के कौराब, बल बक उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक 2500 दी॰ सी॰ डी॰ नई चीनी व्हें क्ट्रियाँ स्थापित करने के सिए 3 बास्य पत्र धीर मौजूदा चीनी यूबिटों में पर्याप्त किस्तार करते हैं सिए 14 बास्य पत्र धारी किया गए हैं, जिनका क्योरा संसग्न विवस्त्र-1 में दिया बया है। इसके जलावा, वई चीनी कैक्ट्रियों स्थापित करने के सिए 9 बाबेबन पत्र बरेर मौजूदा चीनी कैक्ट्रियों की प्रति दिन गम्ना पैराई समता में वृद्धि करने के सिए 4 बाबेबन पत्र सरकार के विचारार्क सम्बत्त पढ़े हुए हैं जिनका ब्यौरा संस्था विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

उत्तर प्रदेश में 1988-89 चीनी वर्ष के दौरान नई चीनी खैबिट्रयों की स्थापका करने के सिए और मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार करने के सिए जारी किये गये आस्य पत्रों के ब्योरे।

नई चीनी फेक्ट्रियां

कस सं०	पार्टी का नाम और पता	आशय पत्र पत्र करने की तारील
1. यु० पी	कोबापरेटिव सुगर फैक्ट्रीज फेस्रोशन सि॰,	≢ाक उषीं.
	गोदाबादार (बास गांव) विसा गोरसपुर	18-11-1988
2. यू॰ पी	कोबापरेटिव बुगर छैक्ट्ररीज छेटरेशन नि	•,
	रेया, जिसा बहुराइच	20-3-1989
3. यू॰ पी	कोबापरेटिव गुगर फैक्ट्ररीज छेडरेशन सि	٥,
	गरवनी, तहसीय शाहबाद, विका हरदोई	20-3-1988

सीचरा	यनिटों	¥	विस्तार
71741	Suce	••	

कम सं॰ पार्टी का नाम और पता	विस्तार, जिसकी स्वीकृति वी गई है
1. अवस सुगर मिस्स सि ।,	
हरबोब, जिसा सीतापुर	26:0 ਵੇਂ 5000 ਟੀ∘ ਵੀ• ਵੀ
g. मू. पी॰ स्टेट घुगर कारपरेशन सि॰ मोहिनहीनपुर	
विला मेरठ	1500 से 2500 टी• सी॰ सी
3. सरांया शुनर निह्म लि०,	
पी० ओ॰ सरदारनगर, जिला गोरसपुर,	3200 ਦੇ 4000 ਟੀ॰ ਦੀ॰ ਵੀ
4. बस्ती घुगर मिस्स 🕏 लि०,	
विसा बस्ती	1500 से 2500 टी॰ सी॰ सी
 बाबपुर कोबापरेटिब शुगर फैक्ट्री लि॰, 	2000
पी॰ बो॰ तथा रेलवे स्टेशन बाजपुर, नैनीतास	3000 ਵੈਂ 4000 ਟੀ੦ ਚੀ੦ ਵੀ
6. किसान सहकारी चीनी मिल्स सि o, पोस्ट नकटपूरा,	2000 - 4000
तहमील सितारगण, जिला नैनीताल	1250 ਦੇ 2500 ਟੀ॰ ਚਾੈ॰ ਭੀ
7. 🚁 पी० स्टेट शुगर कारपोरेश्वन लि ,	
रोहनाक्सां, जिला मुखप्करमन्द	1676 ਦੇ 2500 ਟੀ॰ ਚੀ• ਵੀ
8. तुलसीपुर सुगर कम्यनी सि .,	
तुमसोपुर, बिला मींडा	1700 से 2500 टी॰ सी• डी
9. किसान सहकारी चीनी मिल्ब सि०,	
विमीचेड़ा, पो० बा० दैवरनिया,	
तहसील बहेडी जिला बरेली	1250 ਦੇ 2500 ਈ॰ ਥੀ॰ ਫੀ
10. सरस्वनी किसान सहकारी चीनी मिल्स नि०,	
द्राम बन्हा. पोस्ट नानपा ड़ा, तहसी ल नान गड़ा	
विमा बहराइच	1250 ਦੇ 2500 ਟੀ॰ ਦੀ॰ ਵੀ
11. किमान सहकारी चीनी मिल्स लि॰,	
वदरपुर, ब्राम बड़ाखेड़ा,	
तहमीम और पोस्ट गदरपुर, जिला नैनीताल	1250 🖢 2500 ਟੀ• ਚੀ• ਵੀ
12. बागपत कोबापरेटिव धुगर मिल्स,	
पो० बा० बागपत रेशवे स्टेशन, बागपत रोड ,	
विना मेरठ	1800 है 2500 टो• सी• सी
13. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰,	
बनूपबहर, पो॰ आ।० चीनी मिल्स,	
जहांगीराबाद, तहतील ० नूपग्रहर, जिला कुमन्दग्रहर	2000 से 3000 टी॰ सी॰ क्रो
14. यू० पी॰ स्टेट शुगर कारपारेशन मि०,	
यूक्टि-मार्डरा, तह्वीस सलेमपुर,	
जिसा वेवरिया	1016 से 2500 हो। सी। पी

विवरण-2

उत्तर प्रदेख से प्राप्त बावेदन पत्र पर को विचार करने के किए सम्बद्ध पड़े हुए हैं नई चीनी फैक्ट्रियाँ

क्षम सं०

पार्टी का नाम

- यू० पी० कोबापरेटिव बुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि० वहसीस और जिला सहारतपुर
- यू० पी० कोबापरेटिव शुगर फीन्ट्रीच फेडरेसच सि०, तहसील विमोनी, जिला बदायू
- 3 वृत पीत को धापरेटिव घुगर खैन्ट्रीय खेंडरेसन सिन, बेडर, तहसीस खुर्जा, जिला बुलन्ससहर
- 4. यू॰ पी॰ कोबापरेटिय सुगर फैस्ट्रीय खेडरेसन सि॰, मार्च सासं, तहसीस मयाना, जिसा बेरठ
- 5. बू॰ पी॰ कोबापरेटिक शुनर खेनड्रीय फेडरेसन सि॰, नवाबगंत्र, तहसील नवाबगंत्र, जिला बरेली
- व ० पी० को बापरेटिव बुवर फैक्ट्रीव फेडरेसन सि०, मीरगंज तहसीस बौर जिला वरेनी
- 7. यू॰ पी॰ कोबापरेटिक सुगर खेक्ट्रीय फेंडरेशन बि॰, स्थान और तहसीम खुनपूर, जिला दलाहाबाद
- बूठ पीठ को बापरेटिंब गुगर फैक्टरीय फेडरेशन सिठ, बहेड़ी-बाह्मणन, तहतीस ठाड्डर बारा, जिसा मुरादाबाद
- यू० पी० कोबापरैटिव खुगर छैन्द्रीय छैबरेशन लि०, नैनपुरी, जिला भैवपुरी

विस्तार सम्बन्धी मामले

- यू० पी० स्टेट घुगर कारवोरेसन सि०, स्वान, तहसील बौर जिसा बुनम्बसहर (1524 वे 2500 टी० सी० डी०)
- 2. यू॰ पी॰ स्टेट शुगर कारपोरेशन सि॰, स्थान बुद्धाम, तहसीम फतेहपुर. चिसा बाराबंकी (813 से 2500 टी॰ सी॰ डी॰)
- 3. बू॰ पी॰ स्टेट सुमर कारपोरेखन सि॰, महोसी, तहसीस मिश्वरीख, विसा सीतापुर (1524 सै 2500 टी॰ सी॰ बी॰)
- 4. स्त ता सुनर कम्पनी चि॰ तहसील स्नाता, विसा मचुरा (1250 से 2500 टी॰ सी॰ डी॰)
- मै॰ त्रिवेणी पंचीनियरिंग वक्तं सि॰, यूबिट—स्पर इष्टिया शुपर मिस्स, खतौसी, तद्दसीस वनसङ, जिला मुजफ्डरनगर (3600 से 5000 टी॰ सी॰ शि॰)

[हिन्दी]

श्री हरीस रावत : मध्यक्ष को, माननीय मंत्री को ने उत्तर में बताया कि ऐसी 9 स्प्लीकेशन कमी इनके मत्रालय में पेडिंग हैं जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंडर लॉक इंटेंड दिए जाने के लिए बावेदन किया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना बाहना हूं कि वे एप्लीकेशन्स कब से पैन्डिंग हैं और कब तक उन पर भारत तरकार की स्वीकृति जिल बाने की बाशा है कब तक नाइसँस उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान कर दिये जायेंगे।

श्री सुल राम: अध्यक्ष जी, एक्जैक्ट डेट तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि कीन सा एप्लीकेशन कब से वेडिन है, मगर ज्यों हो स्टेट गवनंमेंट से हुमारें पास बांक्षित इन्फामेंबन बा बाती है, सुचना मिल जाती है, उसके बाद उसे स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा जाता है। इस काम में यहां देर लगने का प्रवन ही पैदा नहीं होता। फिर भी में इसमें देख्ंगा कि जो बावेदन पत्र सारी कंडोशन्स को पूरा करते हैं. उन पर आमामी स्क्रीनिंग कमेटी में विचार किया जाये।

श्री हरीश रावत : उत्तर प्रदेश में कुछ चीनी मिनों के मौडर्नाइजेशन का प्लान मी उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सविविद्य किया है बीच उसके वियो विशेष ऋष दिवे जाने का निवेदन भी किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपसे मक्क मांकी है, विद इस सम्बन्ध में मान-नीय मंत्री जी के पास कोई बानकारी हो तो अपया स्पष्ट करें कि उस बादे में आपके मंत्रालय का क्या दृष्टिकोण है।

श्री सुल राम : जैसा मैंने पहले कहा, कुछ मामलों में तो एक्सपैंशन हम वे रहे हैं कौर मौड-मौद्देशन के बारे में हमारी जो नीति है उसके तहत कितनी एप्लीकेशन्स हमारे पास मौदनौद्देशन के लिये आयी हैं, वह सूचना मेरे पास इस समय उपक्रम्झ नहीं है, इतना अवस्य है कि जो मिस मौद-नौद्देशन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करेगी, उस प्रोजैक्ट पर हम जल्दी से जल्दी विचार करेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष थी, मैं माननीय मंत्री थी से चानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी चीनो मिलें हैं जिनकी समता 1200 टी॰ सी॰ खी॰ कि कम है और 1200 टी॰ सी॰ ढी॰ से कम समता वालो कितनी चीनो मिलें घाटे में जा रही हैं। हमारे देवरिया जनपद में कुल 14 मिलें हैं, जिनमें से अधिकांश 800 और 1200 टी॰ सी॰ खी॰ अमता के बीच खी हैं। कहां बन्धा ही मुख्य फसल है। मैं माननोय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1200 टी॰ सी॰ डी॰ से कम समता वाली मिलों को प्रोत्साहन देने के लिये, इाई हजार टन सी॰ डी॰ खनता बनाने के सिये, सरकार ने कितनी चीनी मिलों को रिकर्मेंड किया है, सस्तुति की है।

श्री सुल राम: अध्यक की, इस कावय को साबने रखते हुए कि 1250 टी॰ सी॰ बी॰ से कम श्रमता वाली जीनी कियें दकॉनोंमिकल नहीं है, मारत सरकार ने अपनी नीति को बदला है और उसे कम से कम 2500 टो॰ सी॰ बी॰ की किने रखा है। अब उत्तर प्रदेश में कितवी चीनी मिखें 1250 टो॰ सी॰ दी॰ से कम श्रमता की हैं, कितनी चाटे में चम रही हैं, उसको सुचना बरे कस इस समय उपसम्ब नहीं है, यि माननीय सदस्य काहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं, परन्तु उत्तर अदेश सरकार से 4 मिलों के बारे में हमारे पास दरस्वास्त आयी थी, उन्हें वह एक्वायर करना चाहतीं की, क्योंकि वे बनदकॉनोमिकल थीं, घाटे में चम रही भीं उसमें हमने दोग मिनिस्ट्री को अपनी कंसेंट वे दी भी और दही से मी वह मंजूर हो गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को इसको एक्कायर करना है। बाकी 1250 की कितनी हैं, यह सुचना इस समय बरें पास नहीं है।

श्री राम न्यारे प्रिका : कम्बस महोदय, साहगंत्र चीती मिल को जीतपुर बिस्ट्रिक्ट में है वह कई वर्षों से बन्द पड़ी है। वहां के श्रीमकों और किसानों की मांग को देखते हुए मारत सरकार ने चाहा है कि उसको पुन: चासू करने की इबाजत दी जाए और उसके लिए साधन दिए जाएं, तो क्या मंत्री महोदय, पुवधित उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए जो चीनी मिल बन्द है और उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहा है, उसको श्री जातियों अध्यासनों की न्याबस्था करेंगे ?

श्री सुल राम: अध्यक्ष भी, जैसा मैंने कहा, अगर यह चीनी मिल इन चारों में आफ्लि है, तो हमने उसकी मंजूरी है जो है और मूल्बील सरकार को अब अपने कन्दे में घनाने के लिए लेनी है। जित चार मिलों को प्रपोजल मूल्पील सरकार से आई बी, उसको हमने बंजूरी दे ही है।

श्री मदन पांडे: बध्यक्ष महोदय, यंत्री जी ने बड़ा विस्तृत उत्तर विया है, लेकिन हम सोगों को संतोष इसिक्य नहीं हो रहा है कि उस विस्तृत उत्तर में जो काम की 'सूचनाएं हैं, वे प्राप्त नहीं हो सकी हैं। उत्तर प्रदेश सुगर कार्योरेसन द्वारा कुछ जावेदन-पन्न भारत सरकार के पास में जे गए हैं जिनमें कुछ नई चीनी मिस स्थापित करने की बात है और कुछ विस्तार करने की बात है। जैसे सुगर कार्योरेसन ने पिपराइच यूनिट के सिए वहा है, उसका इस उत्तर में कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से विचरीस में शुगर कार्योरेशन की एक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इन दीनों के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी इतनी सुबना देंने देने की कुषा करेंगे साकि हम सोग अपने क्षेत्रों में आकर इस बात की जानकारी करा सकें?

श्री सुक्तरामः अध्यक्ष जी, प्रस्त यह है कि

[महुवाद]

क्या वर्ष 1988-89 के बौराण उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिर्ने सोलने एवं वर्तमान चीनी भिक्तों की समता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

तो वह मैंने उत्तर दे दिया है। तीन के बारे में लैटर आप इटेंट इस्यू कर दिया है बीर डाकी एक्सपेंसन दिया कितना है, वह भी बता दिया है और इसका डिटेन भी दे दिया है। वह जो चार बूक्सिक के बारे में बाप जाकना साह रहे वे वे हैं—देवरिया शुकर जिब, एक सीतहराम शुगर मिल, एकचा जुयर निम्न बीर बोजी नवाबयंग जुयर मिल है किन को संख्री हमने दे वी है।

भी बोरेन्द्र सिंह: अञ्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह खानना चाहूंगा कि को नेबी की छुगर सिफ्ट की बाती है, गवनमेंट डिस्ट्रोनयूजन के लिए, बहुत से राज्यों में उसकी कीमत का बन्दर 100 क्वए से लेकर 150 क्यें तक है। जैसे बिहार की बीनी सिफ्ट करेंगे उसमें जितना पैसा देवा पढ़ेगा उससे 103 क्वए का फर्क हरियाचा से बीनी लिफ्ट करने में बाता है। व्या मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा त्यों है बौर इसके बारे में क्या कोई ऐसी पॉलिसी बवाएंगे जिससे इतना फर्क न रहे बौर किसान को हर राज्य में हर स्वर पर पूरा पैसा मिल सके ?

श्री सुन राम : नम्बाह बी, में सगर मानवीय सबस्य का सवाल ठीक से समझा हूं तो वहां तक लेवी सुगर का ताल्सुक है, उसमें तो सारे बारत वर्ष में दर समान हो है। उसमें कहीं कोई बन्तर नहीं है। सबर साप शुगर कैन की कीमत के बारे में माबूम करना काहते हैं, तो वह ससय-असग है।

बी औरेस बिंहू : शेषी ब्रुगर का हर स्टेट में विकरेंस है ?

भी सुक्त राज: लेवा सुनर का जहां तक ताल्लुक है, वह सारे देश में समान है। राज वीरेन्द्र सिंह: नहीं, वे विस्ट्रीव्यूसन में सेनी जो वे करते हैं, उसकी पूछ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : नैश्स्ट क्वश्चन ।

दिल्ली में औद्योगिक विवादों का निपदान

[अनुवाद]

*931. डा॰ दत्ता सामंत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 1987 और 1988 के बौरान दिल्ली में बीखोविक न्यायाधिक रजों/अस न्यायाक्षयाँ कितने बौखोगिक विवाद निषटावे; बौर
 - (स) औद्योगिक दिवाद शोल निपटाने के सिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तचा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (भी राय किशन मालवीय):

- (क) वर्ष 1987 बीर 1988 के दौरान दिल्लो प्रशायन के श्रम न्यायानयों तथा बोद्योगिक अधिकरणों द्वारा निपटाए गए बोद्योगिक विवादों की संख्या ऋमश्च: 2256 और 2054 थी।
- (स) दिल्नी प्रसासन के अनुसार, औद्योगिक विवादों का चीझ निपटान करने के सिष् कवम उठाये जाते हैं: —
 - (i) मामलों के निपटान के शिए औद्योगिक अधिकरणों और श्राम न्यायालयों द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं;
 - (ii) बोबोगिक अधिकरणों तथा अम न्यायालयों में संवित मामनों की सामयिक पुनरीक्षा की जानो है, तथा पीठाश्चीन अधिकारियों को कहा जाता है कि वे पुराने मामनों को अग्रता है;
 - (iii) अविक मामले संवित्र होने वाले न्यायालयों के मामलों को उन न्यायालयों में स्थाबाः न्तरित किया जाता है वहां कम मामले सबित होते हैं; और
 - (iv) न्यायामयों से बनुरोब किया नया है कि वे मामनों का की झ निपटान करें।

बा० बला सामंत: महोवय यह मृद्दा सिफं बिस्मी ही नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। महोवय, 11 करोड़ में से लगमग 98% असंगठित अधिक इस देश में स्वापित बोद्यागिक न्यायासयों में कभी भी नहीं जाते। संगित क्षेत्र के लगमग 33% अभिक न्यायासय में जाते हैं सगमग 212 न्यायासयों में 2,3,000 मामले लिस्त पड़े हैं। इससे पता सगता है कि इस देश में वर्तमान अधिक तन्य किस प्रकार लगमग 20 करोड अभिकों की सहायता कर रह है। मामलों में देरी इसिलए होती है क्योंकि औद्योगिक विवाद अधि-यम या ठेका अभिक अधिनयम पर्याप्त नहीं है। नियोक्ता के साम में अभिकों के हिम्से के बारे में किशे विद्वांत का पालन नहीं होता है। न्यायाधीस अपहाय हैं। काम अपने के कोर्ट अविकार को मान्यता नहीं है और इस संबंध में कोई कानून नहीं है। मिनक को स्वाई करने के लिए ठेके में कोई अथवस्या नहीं है। महोदय, बुनियादी तौर पर इस देश के सम्पूर्ण औद्योगिक कानूनों को बदलने की वकरत है। इस देश में ये कानून अधि में निया वे और पिछले 40 वर्षों से इनका जन्नुसरण किया जा रहा है। लेकिन इन वर्षों के बौरान, बौद्योगिकरण में 15 बुणा वृद्धि हुई है। अभिकों के सबंध में कोई नीति नहीं है। वर्तमान अभिक कानून पुराने हैं और उन्ने पूर्ण परिवर्त की वावस्यकता है। इसिलप मेरा यह कहना है कि इन बौद्यागिक न्यायासवों और अस्य परिवर्त की वावस्यकता है। इसिलप मेरा यह कहना है कि इन बौद्यागिक न्यायासवों और अस्य परिवर्त की वावस्यकता है। इसिलप मेरा यह कहना है कि इन बौद्यागिक न्यायासवों और अस्य

कानूनों की बात करने की बजाय श्रमिक कानूनों म पित्वतन होने चाहिए इन न्यायासयों से कोई भी श्रमिक संतुष्ट नहीं है। इसके विपरीत, न्यायासयों में देरी का श्रमिश्राय नियोवता की सदद करना है। श्रमिकों को बहाल करने या श्रमिकों के साथ साथ बाटने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कुछ भी नहीं किया गया है। श्रमिक कष्ट सह रहे हैं। इससिए मेरा प्रश्न है कि पुराने हो चुके श्रमिक कानूनों के मावले में क्या सरकार जनमें सशोधन करने पर विचार कर रही है वाकि इव मामर्कों में तेजी साई बा सके बीद श्रमिकों के साथ अच्छा ध्यवहार हो।

[हिन्दी]

श्री राषा किशव मालवीय । मान्यवर, सम कानून के महत्व हैं जैसा माननीय सदस्य ने बताया । माननीय सदस्य ने कहा कि इनमें कुछ रिवाइज किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए श्रह तो आज इंडिया का वर्षश्वन है, इसका सैंग्रेट नोटिस दें। आपने सिर्फ दिस्सी एडमिनिस्ट्रेशन के माभसे में पुछा है। या तो आप आल इंडिया का नोटिस दें या जिस्सी के बारे में पूछा में।

डा० इता सामन्त : इसमें दिल्ली भी आता है।

भी राघा किशन मालवीय : दिल्ली में लेबर कोर्ट्स हैं, 3 हमारे इंडस्ट्रियस ट्रिक्यनल्स हैं बीर एक सेंट्रल गवनंमेंट इंडस्ट्रियल 'ट्रक्यनल-कम-लेबर कोर्ट है ! 1981 तक 13929 केसेज पैंडिंग हैं और 18713 एप्लीकेशन्ज पैंडिंग हैं इनमें से 1988 तक 2054 केसेज को निपटा दिये गये हैं। लेबर कोर्ट में जुड़िश्चरी का मामला आ जाता है। अगर कोई केस कोर्ट में जला गया तो हम इंटरफीयर नहीं कर मकते क्योंकि वहां जुड़िश्चरी आ जाती है। बीर कुछ न कुछ बकीस सोग कोई एप्लीकेशन वे वेते हैं उससे केम लम्बा जलता है एवं पैंडिंग हो जाना है। मगर हमारी तरफ से यह प्रयास रहता है कि मजदूरों के केस जहदी से अहदी निपटाये जायें। हम समय-समय पर दिल्ली एडिमिनस्ट्रेशन से बी बड़ते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि मजदूरों के जो केस ट्रिक्यूनल और नेबर कोर्ट मैं पैंडिंग हैं उनको जलदी से निपटाया जाये।

[अनुवाव]

डा॰ बत्ता सामतः शहीवय, 1987 जीर 1988 के दौरान निपटाए गए 2056 तथा 2054 मामजों में हे 50 प्रतिशत मामजों में फैनला नियोक्ताओं के पक्ष में दिया गया क्योंकि श्रांसक म्यायः क्य के सम्भूज उपस्थित नहीं हुए थे। दिल्लों के न्यायालय में 31 दिसम्बर, 1988 तक लम्बित मामजों में से 2,837 मामले 3 साल से खिक समय से जम्बित पड़े हैं। इनमें से कुछ तो 10 या 12 वर्षों के लम्बित पड़े हैं। बन एक खिनक को हटा दिया जाए तो क्या यह न्यायालय में उपस्थित होगा? जाम में श्रमिकों का हिस्सा लेने के लिए जयवा मजदूरी बहवाने के लिए क्या सभी श्रमिक 7 या 8 वर्षों तक प्रतीक्षा करेंगे? सभी मामलों के फैनले नियोक्ताओं के पक्ष में एकतरफा होते हैं। मैं समझता हूं कि हमें देश में सभी बोक्षित न्यायालयों को बन्द कर देना चाहिए। अब अमजीबी वर्ग हतोत्साहित हो रहा है। बना बाव इस व्यवस्था को बदलकर यह सुनिष्यत करेंगे कि फैनले शोध विवे वाएं? यदि एक श्रमिक 3 या 4 वर्षों तक जपने कार्य से हटा रहे तो वह न्यायलय में उपस्थित होना जारी नहीं रख सकता। ऐसे में फेसला सदैव नियोक्ताओं के एक में होता है। वे सभी मामले इसी प्रकार लम्बत पड़े हैं। इसबिए तकनीकी उत्तर देने की बजाय क्या बाप इन मामलों के बीध निपटाने के खिए समय सीमा निर्वारित करेंगे?

[हिन्दी]

श्री राजा किशन मालवीय : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि इनको जस्दी से निय-टाया जाये उसके लिए मैं उन्हें बताना चाहुंगा कि इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कहाँ हो रहा है ? 10-10 साम के बेस पेडिंग हैं।

भी राषा किशन मालवीय: बाप पहुंसे मेरी बात सुनिए । बैसार्क मैंने बताया वा कि 13,929 केस पेंडिंग हैं और उनको अतिशोध निवटाने के लिए हमेशा कहते रहते हैं कि इनको बहुबी निपटाया जाये। इन के साथ हमने नामंस रिवाइब करने के लिये बिल्बी एडमिनिस्टेशन से कहा है कि केसों के नामंस फिक्स करके इसको बल्बी से निपडाये। इसी के साथ सेवर कोट और बाबक करने के लिये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि वह सेवर कोट स्थापित करें बीर वो पेंडिंग केस है उनको बल्बी से निपटाया बाये।

[अनुवाद]

श्री तस्यन यामस: महोदय, श्रीमकों के मामकों का फैसबा करने में बेरी होती है। मामकों का फैसबा करने में बरयिक देरी जो होती है. जैसाकि इस प्रश्न के उत्तर से बता सगता है। दिल्ली में ये सम्बत्त मामके अस्यिक हैं। मैं यह बताना बाहूंगा कि केरस में मौजूदा श्रम कानूनों में यह संशोधन निया गया या कि जब श्रीमकों के खिलाफ मामले सम्बत हो तो प्रतिपूर्ति मत्ता जयाँत् निवाह बत्ता देना होगा और मामले पर कार्यवाही के सिए बावस्थक श्रयस्था करनी होगी। मैं माननीय मन्त्री से जानना बाहूंगा कि इस प्रकार कितनो देरो हुई है। इसके कारण श्रीमक कष्ट सह रहे हैं। इसलिए क्या सरकार देश मर में इस तिद्धान्त को सागू करेगी कि ऐसे न्यायाधिक रखों में सम्बत मामलों के कारण रोजनावहीन श्रीमकों को मुनतान किया जाएगा?

[हिन्दी]

श्री राघा किञान मालबीय । महोदय, जब किसी का केस कोर्ट में बाता है तो पहले जैस को देखा जाता है कि वह किस प्रकार का है। मेने नमेंट या मालिक को तरफ है जगर किसी मजदूर की पे के पैसे बाकी होते हैं तो उन्नमें से 50 परसेंट उसको दिलाने की व्यवस्था होती है। इसके बाद जैसे हो केस सेटल होता है जौर जो कोर्ट डिसिजन देशा है उसके आचार पर पूरा फंड उसको दिया जाता है।

राजस्थान में छोटे और मझौले शहरों का विकास

[अनुवाद]

- *933. भी वृद्धि चन्द्र जैन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) छोटे और मधीले शहरों की समन्तित विकास योजना के अन्तर्यंत राजस्थान में अब तक कितने शहरों का थयन किया गया है तथा अब तक कितनी प्रचित हुई है:
- (ल) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान राजस्थान में, विशेष कप से मक्सूमि क्षेत्रों में हुस और शहरों का चयन करने का विशार है; और
 - (ग) यदि हां, तो तस्तम्बन्धी न्योरा क्या है ?
- शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना क्रिडवर्ड) : (क) वे (ग) एक विवरण समा पटल पर रखा हुआ है।

विवरण

खोटे तथा मध्यम दर्जे के करशें की एकीकृत विकास के अन्तर्गत राजस्थान में छठी योजना के बौरान 11 करजों तथा सातवीं योजना के दौरान 5 करबों को शामिल किया गया था। करजों के नाम, विरयोजनाओं की कुल सागत, केन्द्रीय सहायता का अंशदान तथा आज तक रिक्षीय की पई निविया नीचे दी गई हैं:

क्र.स. कस्वेकानाम	के वि	ोय सहायता केन्द्रीय सहायता तए अनुमोदित के सिद्ध पात्र हों की सागत	31.3.89 तक दिशीय की गई निषियाँ
		(लाख रुपये में)	
स्रठी योजना के कस्बे			
1. पासी	127.51	समान आवार पर कम सामत की	50.1\$
2. बारां	129.18	स्वण्यता के असावा अन्य घटकों	48.14
3. भीववाड़ा	117.50	के निए 40 साम रुपये तथा कय	47.77
4. सीकर	120.11	नागत स्वच्छता के लिए 15.00	4932
5. चु रू	130.97	साम्ब इपये बद्धते राज्य सरकार	49.46
6. सुबेरपुर	119.47	कम से कम 12 लाक रुपये का	47.11
7. नायद्वारा	130.11	मंखदान दे।	
8. बाहमेर	96.36		47 10
9. गंगानगर	146.50		49.32
10. जेसमयेर	101.00		47.77
11. चित्तीड़गढ़	115.42		50.31
सातवीं योजना के कस्बे			
12. जामीर	174.72	कम सागत स्वन्छता 🗣 सिष्	54.40
13. सिरोही	153.73	14.00 साल रुपये सहित	48.27
14. माउच्टबाक्	150.17	सामान अधिर पर 50.00	24.76
15. बोखवाड्रा	158.39	साब रुपए	49.33
16. भीमत	155.90		55,80
17. इ'गरपुर	107,62		24.00

रिहायची योजनाओं के लिए मुनि अधिश्रहण तथा विकास, यातायात तथा परिवहन मार्किट एवं मण्डियां, कम लागत स्वच्छता इत्यादि जैसी योजवाओं को बारम्म किया गया है।

सातवी पंचवर्षीय योजवा के बौरान इस योजना के अन्तर्गत रावस्थान से किसी और कस्वे को सामिल करने का फिलहास कोई प्रस्ताव नहीं है। [हिन्दी]

श्री बृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, इण्णेयेटेड उदलपमेंट बाँफ स्मान एष्ड मीडियम टाउँ सं की योजना वनी हुई है और उस योजना के जन्तगंत विकास कार्यों के लिए राजस्थान को भी खापने राशि प्रस्तुत की है, मेजी है. मैंने कीगसं देखे हैं, उनसे यह पता चलता है कि जो मैंचिंग ग्राण्ट मिस्ननी चाहिए, वह मेचिंग ग्राण्ट किसी भी टाउन को वहीं मिली है और इसके कारण जितने भी इचलपमेंट के लिए टाउ स में काम दिये हैं, वह सब काम अनकस्पलीट हैं और उसका कोई भी साम नहीं मिल रहा है। मेरे बाड़मेर नगर के लिए भी राशि छठी योजना के बन्तगंत दी गई थी परन्तु उस राखि का भी जिस प्रकार से उपयोग हुआ है उससे काम अनकस्पलीट पड़े हुए है। यह योजना स्माल एष्ड यीडियम टाउँ स के लिए है लेकिन इसकी सार्यकता में बहुत क्काबट का रही है, इस सम्बन्ध में खाप क्या करने जा रहे हैं, क्या अप मैंचिंग ग्राष्ट देंगे ? यह जितने अनकस्पलीट काम हैं, उनके खिए सेंट्रच गवर्नमैंट कोई प्रोवीजन करेगी ?

श्रीमती मोहसिना किववई: अब्दक्ष भी, स्माल और मीडियम टाउ स के डवलपर्मेंट की स्कीम 5 फाइव इंयर प्लान के बाबिर में गुरू की गई थी, इनको देखते हुए कि जो स्माल और मीडियम टाउ स हैं, विनकी बावादी एक लाख तक की है, उनको अकरत है कि कुछ पैसे सैच्ट्रल भवनंमेंट से देकर मैंबिग ग्राच्ट राज्य सरकार खर्ष करें। यह योजना ऐसी है कि 40 लाख बगर सैच्ट्रल गवनंमेंट हैती है तो इतना ही स्टेट गवनेमेंट को सगाना पहता है लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेखानी यह पढ़ रही है कि स्टेट गवनेमेंट्रल अपनी मैंबिग ग्राच्ट नहीं बगाती हैं। सैच्टर से पैसा बला जाता है और हुय किवतों में उनको देते हैं, नतीजा यह होता है कि काम अधूरे रह जाते हैं, स्टेट गवनमेंट से मैंबिग ग्रांट न सिमने से । पहले यह किया गया था कि जो स्माल टाउन एरियाज हैं या म्यूनिसिपल बोर् स हैं या स्माल टाउ स हैं से एक वायबल यूनिट बनें, उनको मण्डो के लिए, शाप्स के लिए, शाप्य काम्यलेश्स के लिए, सेंड एश्वीजीशन के लिए इन हमाम शीओं के लिए पैसा बिया गया था बौर 1983 में हमने इनक, बहुत बड़ी जरूर होती हैं लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, एक तो यह है कि मैंबिग ग्राच्ट स्टेट गवनेमेंट्स नहीं सगाती है और सैच्ड एश्वीजीशन में बड़ी मारी बाबा बाती है जिसकी वजह से यह काम अधूरे रह जाते हैं। आप किसी एक में बतायें कि हमारी तरफ से पूरी कमी रही है, हमारी तरफ से पूरी ग्राच्ट जाती है लेकिन स्टेट गवनमैंट की बरेशानी है।

श्री बृद्धि चन्त्र जैन : बन्धिस महोदय, यह तो स्पष्ट हो गया कि केन्द्र सरकार राशि देती है सेकिन राज्य सरकार मिंचग एमाचण्ट नहीं सब करती हैं, जवाब से यह स्पष्ट हो गया। इस सम्बन्ध में झावका क्या भोनेटरिंग सिस्टम है जिससे बाप मोनिटर करके स्टेट गवनमैंट को मैंचिंग बाण्ट देने के लिए बाध्य करें जिससे वह भी मैंचिंग एमाचण्ट स्पैंड करके लखूरे कामों को, बनकम्पसीट कामों को कम्बनीट कर सकें। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार क्या स्टैप्स से रही है ?

श्रीमती मोहसिना किववई : अध्यक्ष जी, मेरे स्थाल से स्टेट गवनमेंट बाध्य हो, इसके सिए तो माननीय मंग्वर काफी है, उनसे बहा बात करने के सिए। हम अवसर उनको सिखते रहते हैं, बताते हैं कि इतना काम बापके यहां नहीं हुआ। जो स्टेट्स मैक्षित ग्राष्ट पूरी कर लेती हैं उनके यहां बहुत बच्छे काम हुए हैं और लगभग 10.5 परसेंट सर्वन पोपुलेशन है, जिन स्टेटों को दिये वये हैं, जिन स्काम बाउ को बिवा वया है वह 235 सिक्स्य प्लान में -िलवे गये थे और इस बार 124 लिये वार्षें, पहले इसमें 102 वे लेकिन बाव 22 और बढ़ाने जा रहे हैं।

भी राम सिंह यादव : माननीय बध्यन जी, बहुमव यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 11 खहर बापने चून थे, उनमे माननीय बध्यन जी छा टाउन शीकर भी है और इसके अलावा प्रवनकर्ती का टाउन बाबमेर भी उसमें धामिल या लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में जो व्यया इसके लिए रखा गया, एखाट किया गया, वह भी खर्च नहीं हुआ, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो धनराधि आपने थी, वह भी पूरी बच्चं नहीं हुई आप स्वयं कह रही है कि ऐसी स्टेट्स जिनमें डैफिसिट फाइनेंनिंग हैं, वे मैंबिंग पान्ट नहीं से सकती है। आप यह महसूस करती हैं कि वे कस्बे जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, खास तौर से राजस्थान के कस्बे, उनके बारे में आप अपने बनुभव के आधार पर और स्या वित्तीय व्यवस्था करने की सोच रही हैं ?

श्रीमती मोहसिना किववर्दः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही रहा है कि छोटे टाउ स के ख्वेलपः मेंड की जिम्मेदारो स्टंट गवनंमेट्स की है। यह तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से उनकी एसिस्टेंस बी कि 50 परसेंट खाप इस से लीजिए और 50 प्रविश्वत आप अपना समाइए और उनका डवेलपरेंट की जिए। मैं समझती हूं कि छारो स्टेट्स में स्मान और बोडियम टाइन्स की यक्स। हाबत है, न कहीं अच्छी है और न बहुत कराब है। वब स्टंट गवनेमेंट दिलचस्पी लेती हैं, तमी हो सकता है। 100 परसेंट सहायता केन्द्रीय सरकार नहीं से सकती है।

[अनुवाद]

अञ्चल महोदय : समा वर् बल्प सूचवा प्रस्त सेवी ।

भी तुलसीराम । उपस्थित नहीं हैं।

बी बासासाहिब विश्वे पाटिश्व ।

(व्यवदान)

भी बालासाहिब विश्वे पाटिस । बल्प सुपना प्रश्ने संस्था 2

भी राम प्यार पनिका: कैवन महाकाम्य ही क्यों ? यह सामान्य की बजाय केवल महाकाम्यों से सम्बन्धित है। क्यों ? (क्यववान)

[हिंबी]

अध्यक्ष महोदय : उनको बात तो करने दो ।

12 00 मध्याह्न

बल्प सूचना श्रश्न

महाकाम्य पर आधारित टी॰वी० धारावाहिक वेकने से मांकों पर बुरा प्रमाव

[अनुवाद]

ब॰सू॰प्र॰-२. श्री बालासाहिब बिले पाटिल श्री बी॰ तुलसीराम : स्था सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की इन्स इट्टेंगे कि :

(क) क्या संस्कार को कोई ऐसी खबर/विकश्यत मिली है कि महाकाओं पर बाधारित टी॰ वी॰ वारावाहिक वेकने वालों को बांकों पर बुरा प्रशाब पश है:

- (स) यदि हां, तो तस्सम्बन्धी न्योरा क्या हं; और
- (ग) महाकाव्य पर आधारित टी०वी० घारावाहिकों को देखते समय आंखों की सुरक्षा हेतु आम जनता के लिए सरकार ने क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी : (क) टेलीविजन पर महाकाम्य धारावाहिकों या किसी बन्य कार्यक्रम के टेलीकास्ट को देखने से बाबों को किसी विशिष्ट हानि पहुंचने के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। सरकार को भी इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(स्त) बीर (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विले पाटिल : अध्यक्ष महोदय, किसी की मावना को दुल: देने का मेरा इरादा नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा, सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है ण विदेशों में ऐसा सर्वेक्षण किया है ण विदेशों में ऐसा सर्वेक्षण किया है कि ब्लेक-एंड ब्वाइट और कलर टी॰वी॰ देखने से खास कर बच्चों की बांसो पर ज्यादा असर होता है जिसके कारण उनकी बांस सराब हो जाती है? दिल्ली में को टावर लगाया है, उससे टी॰वी॰ बच्चा नहीं दिख रहा है। मैगजीन में बाया है कि कलर टी॰ वी॰ देखने से ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। कुछ देशों में कलर टी॰वी॰ देखने पर पावन्दी लगी है। इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं और क्या आप कोई सर्वेक्षण करके ऐसी कोई याइडलाइन्स इक्षू करेंगे, जिससे बच्चों की बांखों पर क्यादा बसर न हो?

प्रो॰ के॰ के॰ तिवारी: महोवय, जहां तक मेरी जानकारी है, टी॰ बी॰ प्रोप्राम देखने से बच्चे हों या बुजुर्ग हों, आंखों में चाट या इन्जरी नहीं होती है। जहां तक इसकी सम्मावना का प्रस्त है, टी॰ बी॰ को देखने वाखों को कुछ डिसटेंस से देखना चाहिए....(अधवयान)

[अनुवाद]

यह दूरी टी.वी. की स्कीन के आकार की नौ मुणा होनी चाहिए। [हिन्दी]

महोदय, इस मुद्दे पर मैं सदन को सुचित करना चाहूंग। कि समय-समय पर टी.बी. पर इस तरह की बातें विशेष कर वहां नए टी.बी. ट्रांसमीटसं लगते हैं, उन क्षेत्रों में इस तरह की बातें टी.बी. पर बताई जाती हैं कि कितवी धूरी से टा.बी. को देखना चाहिए।

[अनुवाद]

यह दूरी टी.बी. की स्कीन के बाकार की वी गुणा होनी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : दश यह स्कीत की परिवि या अध्यास अववा व्यास है।

प्रो. के. के. तिवारी : यह परिधि है।

[हिन्दी]

इससिए मैं कहना चाहूंगा कि हम इस तरह का सबें नहीं करा पाए हैं, लेकिन यह बात माबी हुई है कि डी.बी. देखने से, हमारे जो महाभारत वा शामायण या अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे बोखों को कोई हुकसान वहीं पहुंचता है। श्री बालासाहिब विसे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, जो स्ट्रंडयो में कार्यक्रम बनते हैं, वहां खाइट बीर बाइट में स ज्यादा इस्तेमास करते हैं, उसके कारण आंखो को तुकसान होता है। इसलिए मैं आप खें खानकारी चाहूंगा, इसमें कोई अपने मर्वेक्षण किया है ? हम लोग जापान से कलर टी. वी. के टैनगॅ-साबी इस्पोर्ट करने जा रहे हैं। जापान ने इस बारे में काफ़ी सर्वेक्षण किया है, वे कहते हैं कि ज्यादा बाइट कलर टी.वी. वेखने से आंखों को बड़ा मारी नुकसान होता है। कलर टी.वी. मैं कखर हो आता है, ज्यादा कलर बाइट नेप वेखने से आंखों को ज्यादा नुकसान होता है।

प्रो. के. के. तिवारी: महोदय. इस पर हमारे यहां विचार हुण है। जो टी.वी. टैक्नॉलाओं हमारे पास है, व हे बनेक-एंड-फाइट या कलर टी.वी. की हो, जो जानकारी हमको है, उस बाबार पर हमारे विभाग से, टी.वी. ये उमको वार्तिंग और कॉगत मुनना देते हैं। वेकिन इसके बारे में काफो अनुनकारी हैक्स मिनिस्ट्री से दो जा सकती है। "" ब्यवचान ""

राव बोरेन्द्र सिंह : मुहनरम स्रीकर साहब, मैं बापकी मार्फत वहने तो मिनिस्टर साहब से यह मासूप करना चाहता हूं कि ये जो धार्मिक भीरियलम दिखाए जाते हैं, क्या इनके लिए बेहतरीन वक्त सुबह का नहीं हो सकता, जब पूजा-पाठ होता है। 10 बजे का वक्त महामारत' को दिलाने का रख दिया। क्या यह हकीकत नहीं है कि इसके इत्वार का दिन पूरी कौम का बरबाद हो जाता है। 10 बजे शुरू करने का ऐलान होता है और मुक्रंद बक्त से 15 20 मिनट बाद यह शुरू होता है और मजबूरन लोगों को कमियल एक्षवरटाइजमेंट्रम दिखाए जाते हैं बीर लोग इन्तजार करके बैठ कर बांखें गाढ़े रखते हैं। क्या यह सुबह नहीं हो सकता 7 बजे ताकि बाकी का सारा दिन यटीलाइज हो सके। अब कोई प्र'दरी बा से 12 रजे और 1 दर्ज में पहले निकल नहीं सकता और उसके बाद इयों कि यह गर्मी का मौसम है, दोपहर में कोई बादमी क'म नहीं कर सकता। शाम का ही योडा सा वबत लोगों की मिलता है। उसमें फोचर फिल्प दिखाई जाती है। इससे न सिर्फ बच्चों की बांखें हराब होती हैं बस्कि उनकी सेहत पर भी बहुत बूरा बसर पहला है । इतवार का दिन खेल-कद और सैर तफरीह का होता है। उम दिन बजाए बच्चे मैदान में जाएं और नौजवान लोग मैचेज करें, वे 'महाभारत' के इन्तजार में सारे दिन घर के सन्दर ही बैठे रहते हैं। क्या तुक है इसकी इस समय विसान की और वर्गर मोचे-मणने टो.ची. के मीरियल्स ऐसे वक्त पर रखे जात हैं, जिससे कीम का बक्त संशब होना है। कुछ टाइम तो दुनिया भर में हो रहे क्रिकेट मैंचेज देखने में सर्च हो जाता है बीर कपर रह गई, तो इतवार का दिन भी इन सीरियल्स की ऐसे समय पर विखाने पर खराब कर दिया जाता है क्या मिनिस्टर साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे ?

प्रो० के. के तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी सफता से कहना काहूंगा कि 'रामायण' और 'महामारत' का शीरियल जो देखते याले हैं, में नहीं समक्षता कि ये उस समय को बरबाद समय मानदे हैं। वे इसको बड़ी पवित्र मावना से ""(क्यवचान) अोर चाव से देखते हैं।

जहां तक समय का सवाल है, 50 निनट का 'महाभारत' का एक एपीशोड होता है, जिसमें पूरा विम नहीं क्षगता और लोगों को इसकी पहले सूचना होती है। बापको अगर समय के बारे में एतराज है, तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है लेकिन इस बात को मानना सम्भव नहीं है कि 50 मिनट के सीरियल को देखने में पूरा दिन बरबाद हो जाता है। '' (व्यवधान) ''में समझता हूं कि इतबार के दिन लोगों को समय रहता है। टी.बी. पर और को सीरियल दिखाए बाते हैं, तो काफी सोग हैं, में यह नहीं कहता कि सेन्ट पर सेन्ट कीग टी.बी. देखते हैं, बो टी.बी. पर को कार्यक्रम

चलते हैं, उनको वेचना पमन्य करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं को व्यन समय को अन्य कप में, दूतरे रूप में उपयोग करते हैं। इससिए को माननीय सबस्य का स्थान समय के बारे में है, उस पर हम विचार कर सकते हैं लेकिन 8 बजे करना मुहिक्स है, स्योधि 8 वने समाचार का समय है। (स्यवचान)

कुमारी ममता बनर्जी: समाचार का समय साइ सात बने का है। ••• (व्यवधान) •••

प्रो. के. के तिवारी : मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सवस्य का जो समय के बारे में क्यास है, उस पर हम पुनिश्चार कर सकते हैं।

[अनुवाद]

स्री एस. जयपास रेड्डी: बन्धम महोदय, मैं समझना हूं कि प्रक्त का उत्तर कुछ और हो दिया गया है। सुचना संत्री को अपने विसाग के बारे में पूरी सूचना का ही नहीं पता है। उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि दूरवर्गन द्वारा इस बारे में ठेनीविजन देशने वालों को सावधान करता है कि उन्हें टी.वी. कितनी पूरी से देखना चाहिए। मैं टी.वी. का एक नियमित वसंक हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने असी तक इस दूरी के बारे में टी.वी. पर एक बार सी नहीं सुना है। (अववधान) ऐसा मेरे साथ ही नहीं है। टी.वी. ने ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि टी.वी. को देखने के तरीके के बारे में टी.बी. ने पर्याप्त और बराबर चेतावनी नहीं दी। क्या मन्त्री महोदय इस पर स्थान हैंगे और इस दिशा में जाववयक कायवाही करेंगे?

[हिंबी]

भी बालकवि बैरागी: बाप यह बना दीजिए कि क्लिंग पार्टी के लोग कितने डिस्टेंस से देखें और अपोजिशन वाले कितने डिस्टेंस से देखें ?

[अमुबाद]

प्रो. के. के. तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की रेड्डी ने मुक्त पर कारोप लगाया है लेकिन मैंने प्रथम का गमत उत्तर देने का प्रयास वहीं किया है। मैं इस समा के माननीय सदस्यों द्वारा मुक्त से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। दूसरे, हमने नए ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने वाले क्षेत्रों में विशेष रूप में इस प्रकार की वेतावनियां प्रसारित की हैं। इसांसप हमने ऐसा किया है। मैं समा को यह भी सूचित करता हूं कि अध्येषन का इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में ऐसी एवंसियों हैं जो इस बारे में जन चेतना जागृत करने के लिए कार्य कर रही है। हम अपनी तरफ से तथा त्रपने मंत्रालय की तरफ से इस सावकार्य को डी.बी. पर दे रहे हैं और हम क्षित्र से ऐसा करेंगे।

प्रश्नों के लिखिर उत्तर

दमन तथा दीव में आरक्षित वन

(अनुवार]

+925. बी गोपल के डेंबेल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृषा करेंबे कि प्रमन तथा दीव संघ राज्य खेत्र के जिलों में, जिला-बार, कितने वब-क्षत्र को बारक्षित घोषित किया यया है? पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : दमन तथा दीव जिसों में ऋमशः 186.72 हेक्टयर और 516.70 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र है।

नर्सरियों को प्रोत्साहन

- *929 श्री रावाकांत डिगाल : निया पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार गैर-सरकारी नर्सिरयों को प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठा रही है, बौर यदि हो, तो स्टसंबंधी क्योरा क्या है;
 - (स) राज्यों को इस प्रयोजनायं कितनी वित्तीय सहायता प्रवान की गई है; बीर
- (ग) इत योजना को कार्यान्वित करने है सिये पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को कितनी बनराधि प्रदान की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउरंहमान अन्सारी) : (क) जीर (स) राष्ट्रीय परती सूमि विकास बोडं द्वारा 1986-87 में बारम्म की गई विकेन्द्रित जन पौषशासाओं के लिए केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत जन पौषशासाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य खोटे तथा सीमान्त किसानों. स्कूलों, महिष्म मण्डलों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्राम स्तर पर पौषशासाएं स्थापित करके बनोकरण के लिए एक जन आन्दोसन विकसित करना है। इसके लिए राज्य सरकारों के माध्यम से प्रति पौष 45 पैसे तक केन्द्रीय सहायता के कप में दिये जाते हैं। सातवीं योजनावधि (1988-89 तक) के दौरान इस परियोजना के जन्दर्गत राज्य-सरकारों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सह।यता समग्न विवरण में दी गयी है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के सामाजिक वानिको कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास विमाग की ब्रामीण रोजगार परियोजनाओं तथा स्वैच्छिक ए जेंसियों के लिए राष्ट्रीय परती मुन्नि विकास बोडें की अनुदान सहायता परियोजना के अन्तर्गत जन पीवसालाओं को प्रोत्साहन विया जा रहा है।

(ग) विकेन्द्रित जन पौषशालाओं की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गत 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार का प्रदान की गई वर्षवार धनराशि नीचे दी गई है:—

वर्ष	वनराशि (सास रपयों में)	
1986-87	60.00	
1987-88	27.23	
1988-89	50 00	
	विव रण	
राज्यों के नाम	1986-87 से 1988-89 तक दी ग केन्द्रीय सहायता (लाख क्ययों में)	
1	2	
माग्न प्रदेश	60.00	

1	2
■सम	40.00
विद्वार	45.0€
बुबरात	585.75
हरियाणा	167.68
हिवादम प्रदेश	76.41
बम्मू और कदमीर	20.00
चर्नाटच	742.36
● रम	50.00
मध्य प्रदेश	631.50
महाराष्ट्र	483.81
मं नि पूर	10.00
मे षास्य	40.00
मिबीरम	37.20
नागालेंड	20.00
उड़ीसा	137.23
पंजाब	78.00
राजस्वान	155.00
सि न्कि म	1.00
त निलनाडु	117.50
निपुरा	25.00
परिचम बंबास	246.39

केरम में ताड़ तेल वृक्ष रोपण योजमा को पर्यावरण की वृद्धि से मंजूरी

*932. प्रो० पी० के० कुरियन : समा पर्यावरण और बन सन्त्री मह बताने की कृपा करेंचे कि । (क) क्या केरल में बन क्षेत्रों में ताड़ तेल वृक्ष लगाने के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना को उनके मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दो है; और

(क) यदि नहीं, तो योवना को किन कारणों से स्वीकृति नहीं दी गयी ?

पर्यावरण और जन मंत्री (जी जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (का) ताड़ तेण के बृक्ष लगाने को जिन स्कीमों में वन सूमि को उपयोग में लाना होता है, उनके संबंध में वन (संरक्षण) खिवियम, 1980 के ज्ञानकार ताड़ के की वावदयकता होती है। वैसर्स वायल पाम हं जिया जिमिटेड, कोट्टायम द्वारा के रल राज्य के विवसीन जिसे में वन (संरक्षण) खिवियम, 1980 के ज्ञाम होने के पहले 2924.52 हेक्टेयर बन क्षेत्र पर ताड़ तेल के वृक्ष लगा लिए गय थे। यह निगम सरकारों के ज्ञाम एक स्वक्रम है। केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) खिवियम, 1980 के जंतर्गत मई, 1982 बीर फरवरी, 1983 में मैससं ज्ञायल पाम हं ज्ञिया लिमिटेड, केरल को ताड़ तेल के बृक्ष लगाने के लिए 1282.58 हेक्टेयर विदिश्त वन खुमि को स्वयोग में खाते की जन्मति देशी थी। वेकिन इसमें से 349.2 हेक्टेयर लोग को राज्य अस्कार ज्ञारा वन खेत्रों

में पूर्व काटाई को रोकने के अपने निर्वय के कारम संदित नहीं किया का सका। केश्स सरनार ने वन (सरक्षम) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 349.2 हैक्टेयर वैकल्पिक बन मूमि वेटित करने के लिए बढ़ैत, 1984 में एक प्रस्ताव मेवा था। बाद में केश्स तरकार ने सितम्बर, 1987 में इस प्रस्ताव की बापत ने सिना।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण में सुधार करने के उपाय

•934. डा॰ बी॰ वेंकडेस : क्या वरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंबे कि :

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम सिमिटेड तथा इसकी सहायक कल्वनियों के कार्य-करन में सुवार साने के सिये हाल में किन्हीं उपायों पर विचार किया है;
 - (स) यदि हो, तो तरसंबंधी स्थीरा क्या है; और
 - (य) परिचामों के मूल्यांकन के लिये क्या उपाय किये वये हैं ?

बस्त्र संत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक कालम): (क) से (य) राष्ट्रीय बस्क निगम के बन्तगंत बस्त्र मिसों के कायनिक्यादन में सुकार लाना एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे उपायों के प्रमाय की ममीक्षा सरकार एन टी सी द्वारा की वाती है और उपयुक्त उपाय किए बाते हैं। एन टी सी ने चुनिन्दा बाधुनिकोकरण, स्वैञ्चिक छेवानिवृत्ति के वरिए श्रम सुव्यवस्थीकरण, वेहतर क्षमता उपयोग कन्तत उरकाद मित्रच, बादि पर काकारित एक पूर्ण उप से वरिकारत नीतिः बनामी है।

प्रामीन क्षेत्रों में ईंपन के प्रयोजनार्थ बुकों का लगाया जाना

*935. भी राम पूजन पटेल : न्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंबे कि :

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजक्त प्रामीन और सहशी क्षेत्रों में हैं धन की भारी कमी है;
- (स) यदि हो, तो नया सरकार प्रामीण क्षेत्रों में ई वन के प्रयोजनार्व ऐसे वृक्ष सगाने की क्षेत्रना सुक करने का विचार कर रही है, जिन्हें काटने के लिये सागों को कोई सरकारी अञ्चलति न सेनी पड़े; बौर
 - (ग) यदि हां, तो तस्तंबंधी व्योरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (भी जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) देख के ईंबन बकड़ी का सामान्य रूप से जमाव है।

(स) और (व) वनीकरण के चल रहें कार्यक्रमों के अन्तर्गत ई चन सकड़ी और चारा प्रधा-तियों को उवाने पर कोर विया बया है। आध्याधिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तगत किसानों को सनकी अपनी मुमि पर ई अव सकड़ी के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निजी मुमि पर वृक्षों की कटाई तथा उत्पाद का परिवहन विभिन्न राज्यों में लायू कानूमों तथा विनियमों के हारा स्वसित्त होता है चारत सरकार, राज्यों को ऐसी व्यवस्थाओं, जो कार्य वानिकी को बढ़ाने के हित में वहीं है, को पुनरीक्षा करने की समाह देती रही है। वर्ष 1988 में बोबित राष्ट्रीय वन नीति में, बहां कहीं बावस्थक हो, मुनि कानूनों को संद्योधित किए वाने की आवस्थकता पर बी वस दिया मया है ताबि व्यक्तियों छवा संस्थाओं को सुविवादुर्वक अपनी निकी मुन्म पर वृक्ष समाने के लिए प्रेरित किथा बा सके।

"लैंड सीलिंग रूल्सबीहंग सिम्पलीफाइड" शीर्षक से समाचार

*936. त्रो॰ राम कृष्ण मोरे: स्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का व्यान 11 अप्रैल, 1989 के "वी हिन्दुम्तान टाइस्स" में "सैंड सीसिय, कस्त बीइंग सिम्पलीफाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की बोर दिलाया गया है, जिसमें बम्य बातों के बलावा भूमि की अविकतम सीमा अधिनियम सबधी प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता वालिज्यिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जा रहे आवासीय भवनों को नियमित करने एवं दिस्सी के विभिन्न यागों में बनिवकृत कालोनियों को मजूरी प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है;
 - (क) यदि हा, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये इस कार्य के क्या परिणाम निकले हैं; बौर
 - (ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) श्री, हो।

(स) और (") दिस्सी प्रशासन ने सुचित किया है कि यह प्रक्रिया सभी पूर्व नहीं हुई है। निर्वनों हेत स्वास्थ्य योजनाओं के सिये फील्ड सर्वेक्षण युनिट

*937. श्री महोदवर तांती : स्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) स्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु दूरस्य क्षेत्रों म कील्ड सर्वेक्षण यूनिट स्यापित करने के लिये कोई उपाय किये हैं कि स्वास्थ्य योजनाओं के लाम निघनतम स्रोगो तक पहुंच सके;
 - (स) यदि हां, तो तस्सम्बंधी न्योरा क्या है; और
- (न) क्या इस योजना को सफल बनाने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावदान किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापडें): (क) और (स) विशिष्ट भुद्दों का बध्ययन करने के लिए और आंकड़ों की गुणवत्ता में सुमारा का सुमाद देने के लिए सह क्षेत्रीय प्रविदेश यूनिटें स्थापित की सा चुकी हैं। ये क्षेत्रीय यूनिटें वगसीर, भूवनश्वर, सोपास, सवपुर, सवनक और पटना में स्थित हैं।

(न) बी, हां।

पोलिस्टर विस्कोस मिश्रित यार्न का निर्वात'

- 938. जी रामाखय प्रसाद सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
- (क) क्या भारत इस समय ऐसी स्थिति में है कि देख से पोलिन्टर विस्कोम मिश्रित यान बीड कपड़ों का पर्याप्त मात्रा में विर्यात कर सके और स्वदेशी बाखार पर मी उसका कोई प्रतिकृत प्रसास न पढ़े;
- (व) क्या इन मदों के निर्यात में अपनाई जाने वाली धक्रिया के कारन उत्पन्न धड़कां के बारे में खिकायतें की गई हैं; बौर
- (ग) यदि हां, तो निर्यात नीति उदार बनाने और प्रक्रिया सम्बन्धी अङ्घर्वों को दूर करने के सम्बन्ध में स्था कदम उठाने का विचार है ?

बस्ता मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी रफीक आलम): (क) में (व) पोलिएस्टर विस्कोस क्लेंडिड यानं बीर फींबक्स के निर्यात की अनुमति ओ॰जी॰एल॰ के बाघार पर थी चाती है तथा इन मदों के निर्यात के लिए निर्यात नीति सम्बन्धी कोई खड़चन नहीं है। सिथेटिक व रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिवर्ष द्वारा रखे गये बांकड़ों के अनुसार पोलिस्टर विस्कोस क्लेंबिड फींबक्स के निर्यात वर्ष 1986-87 में 1.91 करोड़ रु॰ के हुए वे जी 1988-89 के दौरान वढ़कर 8.32 करोड़ रु॰ के हो गये तथा क्लेंडिड यानं (पोस्टिर विस्कोस सहित) के निर्यात वर्ष 1986-87 में 1.35 करोड़ रु॰ के थे जो 1988-89 में बढ़कर 48.79 करोड़ रु॰ के हो गये। क्रिया विधियों को पहले से ही काफी सरख बना दिया गया है सवा सतत आचार पर क्रिया विधियों से बीर सुधार किये जा रहे हैं।

सेवों में कीटनाञकों के अंश का पाया जाना

[अनुवाद]

- 939. भी के॰ रामचन्त्र रेड्डी: वया स्थास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कवा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका और मैंनिसको में सेव कीटना-सकों से बृष्टित हो जाते हैं जिन्हें बोने से साफ नहीं किया जा सकता और इसके कारण यह मानव के स्वास्त्य, विशेषकर बच्चों के स्वास्त्य के सिए गीरम रूप से खतरवाक हैं;
- (स) क्या भारतीय कृषि अतुसंबान परिषद द्वारा गत दस-पन्द्रह वर्षों के दौरान धेवों में कीट-नाश्वक बंधों का पता लगाने के बारे में किये यये अध्ययकों के भी ऐसे ही निष्कषं निकले हैं और यदि हां, तो तसंबंधी व्योरा क्या है;
- (व) क्या काच अपियाण निवारण अधिनियम, 1954 की दनायक अधिनियम, 1968 अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मारत में कहीं भी किसी वर कीटवासकों का अंस अनुश्चिय मात्रा से अधिक पाने जाने के लिए कोई मुकदमा चलाया गया है; और
 - (च) यदि हा, तो तस्तवंषी व्योश क्या है ?

स्वास्त्य और परिवार कल्यान मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापडें): (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें यह खारोप खगाया गया है कि यू॰ एस॰ ए॰ और विक्षी में सेव कीट नासक बीवर्षों से अत्यिक दूषित हो जाते हैं।

- (स) मास्तीय कृषि अनुसंधान परिषद् हारा पिछले 10 से 15 वर्षों के दौरान सेवों में कीटनाशक औषधों के सर्वाविष्ट अंशों का पता सगाने के बारे में किए गए अध्ययनों के दिखामों से यह वता चलता है कि अधिकतर नमूत्रों में कीटनाशक औषधों के अवधिष्ट अंशों का स्तर आधिकतम निर्धारित सीमा से कम है।
- (ग) और (घ) कीटनासक बौवयों के बबसिन्ट बंधों की मोब्दगी का बता लगाने के लिये 1984 और 1987 की बबिंद के दौरान जसम के जलावा सभी राज्यों द्वारा किए गए नमूनों से विदले यम से बता बला कि उनमें कीटनासक बौवयों के अवसिन्ट जंग निर्वारित सीमा के बन्दर ही ये बौर इससिये बाद बयमिश्रव विवारण विवित्यम 1954 के तहत कोई मुकदमा बायर नहीं किया नया

है। अपम राज्य मे नेहूं के बीजो के बार नमूने अविमिश्चित पाए गये और वसव सरकार झारा उपयुक्त सुवारात्मक उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिविश्त किया जा सके कि इसका स्पयोग मानव हारा व किया जाए।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 या उपमोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिशोवन की कोई सुकना नहीं है।

रही जन से तैयार कम्बलों का निर्यात

- *940. डा॰ टी॰ कस्पना देवी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या पिछले कुछ वर्षों में श्ही ऊन से तैयार कम्बलों का निर्यात 12 करोड़ रुपये से बटकर 2 करोड़ रुपये रह गया है;
 - (स) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; बौर
- (ग) रहो ऊन से बने कम्बलों का नियाँत बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा नया कदम उठाये आ रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (क) शाही ऊनी कम्बलों का निर्यात, 1985-86 के 4 करोड़ रुपयों से घटकर 1986-87 में 1.40 करोड़ रुपये रह गया । किन्तु इसमें 1988-89 में किर वृद्धि हुई और इस वर्ष यह निर्यात 3.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गया । बाड़ी ऊनी कम्बलों के निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार ने बनेक उपाय किए हैं जैसे निर्यात पर नक्द मुबा-वक्षा सहायता की मंजूरी, बो. जो. एल. के अधीन कच्ची ऊन और सिथेटिक/इलेन रेंग्स के आयात की बनुयति, वूलेन मशीनरी के लिए रियायकी शुक्क पर आयात की अनुमित देना, बन्तर्राबद्दीय मेलों में मांग लेकर निर्यात का संवर्षन और ऊन और ऊनी निर्यात सवधन परिषद द्वारा आयोजित विक्रय सह-बम्बयन बोरे आदि ।

मैम्बर आफ रॉयल सोसायटी ऑफ हास्पिटस्स सन्दन डिपी की बान्यता

- •941. प्रो॰ पराग चालिहा : स्था स्वास्थ्य और परिवार कस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या मैम्बर बॉक रॉबल सोसाइटी बॉफ हास्पिटल सन्दन (एम. बार. एस. एस.) हिसी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सारत में एलोवेंची पद्धति सं विकश्ता व्यवसाय करने के लिए मान्यता वी गई है; बोर
- (ख) यदि नहीं, तो एम. बार. एस. एच. (सन्दन) डिम्मे मारकों को देश में विकित्सा व्यव-साय की प्रीवटस करने की अनुम ति प्रदान करने के क्या कारण दें दे

स्वास्म्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : क्र मध्ये सरोच सामडें) : (क) की ।

(स) मारतीय बायुविज्ञान परिवद विश्वितयम, 1956 के क्रक्काओं के अन्तर्गत किसी राज्य है चिकित्सा रिवस्टर में दर्व विकित्सक को छोड़कड़ अन्य को " क्रिसी मी राज्य में चिकित्सा म्यक्साच नहीं कर स्क्का। इस उपबन्ध का उल्लंध्य करने दाने व्यक्ति को इस चिवित्यम के उपनंत्रों के बहुसार दण्ड दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा) लिमिटेड के कर्मचारियों को कर्मचारी मविष्य निषि

*942 श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : स्या श्रम मंत्री यह बताने की क्रपा करेंगे कि :

- (क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (प. बंगास. असम, विहार, उडीसा) सिमिटेड, के प्रबंध के स्वीत विभिन्न मिलों के मजदरों और कमंबारियों की मिवच्य निथि की काफी बनराबि बकाया है और उसे संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं कराया गया है;
 - (स) यदि हो, तो तत्सवंधी न्योरा क्या है; बोर
 - (ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री तथा संसवीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राषा किञ्चन मासवीय): (क) और (ख) एन० टो० सी० से उन्लब्ध सूचना के बन्नसार; 31-3-89 की स्थिति के बनुवार नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (डक्ट्यू. थी. ए. बो. औ.) सि०, कसकता के बचीन 18 मिलों की बोर नियोक्ता हिस्से के रूप में 366.61 लाख रुपये की देव राशि के बसावा, कमंद्रारों तथा स्टाफ के अविषय निधि बंधदान की 277.70 लाख रुपये की वकाया राशि थी।

(गं) इस मामले को कपड़ा मंत्रालय के व्यान में सा दिया गया है ताकि इव देय राशियों के मृगतान के लिए प्रयास किए जा सकें।

होम्योपेची मेडिकल कालेख

- 943. श्री मुल्लापल्ली रामचन्त्रम । स्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की
 इया करेंगे कि ।
 - (क) देश में, राज्य-वार होम्योपेयी मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है;
- (स) क्या केन्द्रीय सरकार होस्योपैयी सेश्विक्स कालेकों को विसीय सहायता प्रदान करती है, यदि हो, तो तस्सवंधी क्योरा क्या है;
- (ग) क्या गत पांच वर्षों के दौरान द्वम बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि क्या केरल में चल रहे होक्यो पैयो में डिकल कालेज उन न्यूनतम मानदण्डों और मानकों के अनुक्रय हैं जो शिक्षकों, उपकरण, भवन, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विनियमों में निविध्ट हैं; और
 - (च) यदि हां, नो इस बांच से प्राप्त विष्कवों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्म्य और परिवार कत्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापडें) : (क) से .(म) एक विवरन सलग्न है।

विवरण

बपेक्षित सूचना क्रमवार नीचे वी गई है :--

(क) बसम ---3 बान्ध्र प्रदेश ----4 विहार -----11

दिल्खी	2	
गुजगत	2 5	
कर्नाटक	 7	
ए रस	7 6	
मध्य प्रदेश	— \$	
महाराष्ट्र	—13	
पंजाब	—13 —3	
उड़ीसा	 6	
राजस्यान	-2	
तमिलनाडू	2	
उत्तर प्रदेश	-10	
पश्चिम बंगाम	- 12	
योग:	94	

- (स) केन्द्रीय सरकार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे या राज्य र कार्री संच राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने अधिकार में लिए माश्तीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्यों वी के स्वातकार्वं कालेजों को खरीर िज्ञान बौर विकृति विज्ञान विभागों के लिए [चिनिविष्ट प्रकार के प्रथानकाला उपकृत्व करीदने तथा कुक बेंक कोलने के लिए 1.60 माख व्यक् तक की विसीय सहायता देती है।
- (ग) और (भ) जी, हाँ। कैन्द्रीय होस्योपैयी पश्चित को कि कैन्द्रीय होस्योपैयी परिवद अिक्ष विस्ता, 1973 के जनगंत स्थापित की गई बी, ने जून, 1987 तथा मार्च, 1984 में किरल के होस्यो-पैची मेडिकल काले जों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण रिपोटों के बनुसार केरल स्थित होस्योपैशी मेडिकल काले जों में अभी होस्योपैची (जिल्ला के न्युनतम सानक) विनियम 1983 के अनुरूप स्थान, जिल्ला स्टाफ, उपकरण तथा प्रशिक्षण की बन्य सुविधाओं के बारे में न्यूनतम सानदण्ड, नानक तथा दूसरी अपेक्षाएं पूरी की जानी हैं।

"बी० बी० ए० शिफ्टस प्रायोरिटी फाम स्लम्स टू गोल्फ सिक्स" शीवंक से सामाचार

[हिन्दी]

*944. श्री बलवन्तर्सिह रामूबालिया } : क्या शहरी विकास मध्त्री यह बताने की कृपा श्री दिनेश गोस्वामी } : क्या शहरी विकास मध्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का क्यान 15 अप्रैज, 1989 के "इण्डियन एक्पप्रेस" में "डी॰ डी॰ ए॰ सिफ्टस बायोरिटी क्रांन स्त्रमस टू गोस्फॉसक्स" सीर्वक से प्रकासित समाचार की जोर जाकवित क्या गया है;
- (स) यदि हो, तो इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे कितने गोल्फ मैदानों एवं स्पोर्टस काम्पलेक्सों और होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और
- (4) चालू विसीय वर्ष के दौरान किएने मकानों के निर्माण का सक्य निर्वारित किया गया है, यत वर्ष का सक्य क्या था और मार्च, 1989 तक कितने मकानों का वास्तव में निर्माण किया नया ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किरवई) : (क) श्री, हां।

- (स) दिल्ली विकास ब्राधिक गण ने एक खेल परिसर के मान के रूप में सीरी फीट में एक नील्फ रेंज का निर्माण किया है। एक खेल परिसर का विकास यमुनापार क्षेत्र में किए जाने का प्रस्ताच है जिसके लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा निधियां बुटाई बा रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा किसी होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है।
- (ग) 1988-89 के लिए लक्ष्य 33,500 मकानों का था जिसकी तुलना में मार्च, 89 तक 32,188 मकान पूरे किए गए। 1989-90 के लिए यह लक्ष्य 32,000 मकानों का है।

पुरानी दिल्ली में कटरों में सुधार

[अनुवाद]

- 8819. डा॰ ए॰ के॰ पटेस : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :
- (क) क्या नई विस्त्री में माता सुन्दरी रोड और माता सुन्दरी लेन में कटरों में सुघार लाने के उद्देव्य से पुरानी विस्त्री के कटरानिवासियों के किए भूमि आरक्षित की गई वी;
- (स) यदि हो, तो ऐसे कर्रों की संक्या किसनी हैं और इनमें किसने परिवार रहते हैं बीर प्रत्येक परिवार को किसनी मूमि उपसब्ध कराने का विचार है;
 - (ग) इटरा सुधार पश्योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और
 - (घ) इन परिवारों के कब तक पुनर्वास किए जाने की सम्मावना है;

इत्तरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववई ।: (क) से (ख) गन्दे कटरों से हटावे गए। क्यिक्तयों को पून: बसान के किए कामक 15:0 रिहायशी एककों के निर्माण का सैंघान्तिक निर्णय लिया गया है। दिल्ली प्रशासन से अभी तक विस्तृत योजवा प्राप्त नहीं हुई है।

कलकत्ता के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

- 8820. श्री सनत कुमार मंडल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:
- (क) पविषम बंगाम सरकार ने कैन्द्रीय सरकार से कलकत्ता को राष्ट्रीय नगर घोषित करने और इसके विकास के लिए 1827 करोड़ व्यये मंजूर करने के लिए अनुरोध किया था;
 - (क) यदि हां तो तत्सम्बन्धी क्योरा क्या है; कीर
 - (ग) इम संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिकिया है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किवर्क्ड): (क्र) से (ग) श्री, नहीं। तयापि, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास को राष्ट्रीय शहर के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को राज्य सर-कारों/संघ राज्य सेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मन्त्रालगों/विमागों बादि को उवस्थी टिप्पची के सिए परिचालित किया गया है।

जहां तक कलकत्ता के विकासार्य 1827 करोड़ रुपये की मांग का स∓बन्ध है, इस बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नेशनल आर्गेनोफास्फेट पेरिटबाइड सेन्टर

- 8821. अभिनती गीता मुखर्जी: क्या स्थास्थ्य और परिवार कस्यान सन्त्री यह बताने की कुपा करेंगे कि:
- (क) क्या ब्रेडिकल कालेज मद्रास जो एक नेशनल आगेंनोफास्फेट पैरिटसाइड खेल्टर है, सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है और यहि हां, तो तत्सम्बन्धी स्थोरा क्या है; और
 - (स) इस केन्द्र के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा उन्हें कहा तक पूरा किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज काषडें): (क) विम्मनाह सरकार ने सूचित किया है कि इस समय मद्रास मेडिकल कालेज एक आर्गेनोफास्फोरस और कार्बामेंट से जिथ्यस्त रोगियों के नपचार के केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। यह केन्द्र सभी विद्यासत रोगियों, विशेषत: अर्गेनोफास्फोरस कीटनाशों के रोगियों का उपचार करता है। पिजाले हो वर्षों के दौरान मर्ती किए गए रोगियों की संवर्ष एवं हुई मौतों की संवर्ष इस प्रकार है:

ं वर्षे मर्नी किए गए रोगियों की संख्या		मोतों की संक्या
1987	150	9
1988	156	9

(स) इन केन्द्र के मुख्य सक्ष्य इस प्रकार है: — जीवीएक टाक्सिकों से पीड़ितों का तत्काल उपचार करने के लिए विव उपचार गहन परिकर्यों वार्ड शुरू करना, श्रीक्षीलक टाक्सिकों के परिणाम का पता लगाने में और पीड़िकों की लागतकालीन परिचर्या के लिए आवश्यक टाक्सिकों की माचा निर्धारण में विकित्सकों की महायता करने के लिए एक क्लीनिकलटाविसकातानी यूनिट सुक करना जीर सभी रोगियों का रिकार्ड रखने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत डेटा बैच बनाना।

विल्ली में हैजा फैलना

[हिन्दी]

8822. भी सरफराज अहमव: स्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष दिल्ली में हैजा फैनने के लिए दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्य-बाही का व्योगा क्या है ?

स्वास्म्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मनती (कुमारी सरोच कापडें): सूचना एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दी काएगी।

कपड़ा मिलें

[अनुचाद]

- 88.23. सी परसराम मारहाब : स्या बस्त्र मंत्री यह बताने की हुवा करेंचे कि :
- (क) 31 मार्च 1989 की स्थिति के अनुसार मारत में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत कितनी कपड़ा मिलें हुँ;
- (स) वर्ष 1988-89 के दौरान इन मिलों की कुल अविष्ठानित समता कितनी है और उन्होंने कितना उत्पादन किया था;

20 वैद्याख, 1911 (शक)

सिखित उत्तर

- (ग) भारत में गैर-सरकारी रूग्ण कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं; और
- (घ) क्या सरकार का कुछ रूग्ण कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार है और यदि हाँ तो उनके क्या नाम हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1989 की स्थिति के बनुसार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 124 वस्त्र मिलें थीं ।

- (स) दिनांक 31-12-1988 को 122 मिलों की स्थापित क्षमता, जो चालू हैं, 39.5 साल तकुनों व्या 51000 करघों की थी। वर्ष 1988-89 के दौरान कपड़ा तथा याने का उत्पादन कमशः 688,35 मिलियन मीटर तथा 36.49 मिलियन किया के करीब था।
 - (ग) पूरी सूची प्रस्तुत करना कठिन है न्यों कि स्थिति में परिवर्तन होता रहता है।
 - (घ) ची, नहीं।

हृदय रोग के उपचार में तुलसी के पत्तों का प्रमाव

- 8824. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अर्थ ल, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रका-शित उस समाचार की बोद दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हृदय रोग के उपचार में, विश्लेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बाबुनिक विकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तुससी के पत्तों से चारी लास हो सकता है;
 - (स) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई सुमाव प्राप्त हुए हैं;
 - (ग) यदि हां, तो तस्सम्बन्धी स्वीरा क्या है; और
 - (च) इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कस्याम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज लापडें): (क) जी, हां।

(स) से (घ) ची, नहीं । तथापि, यह प्रदक्षित करने का कोई प्रमाण नहीं है कि तुससी की पित्तयों का हृदय रोगों के इसाज में काफी प्रमाय होगा। हुछ ऐसा प्रमाण है कि तुससी कनावरोधी कीषय के कप में उपयोगी हो सकती है। बायुवेंद के ग्रन्थों से संकेत मिलता है कि तुससी एक म्वर-रोधी और हृदय को बस प्रदान करने वाली औषध है और प्लूरिसी एवं बंग्य विकारों में उपयोगी है।

उचित दर दुकानों के लिए उड़ीसा को आसान शर्तों पर ऋण

8825. श्री जिन्तामणि जेना : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंचे कि:

- (क) उड़ीसा सरकार को गत तीन वधों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु उचित वर दुकानों सोलने के लिए आसान शतों पर ऋष तथा अन्य अनुदानों के रूप में कितनी अनराधि अदान की गई;
- (छ) इस प्रयोखन हेतु बन तक कितनी बनराधि ध्यय की गई है और उपयुंक्त अविध के बौरान उचित दर की कितनी दुकानें खोसी गई हैं;

- (म) क्या अवश्यक वस्तुओं के वितरण में गैंश-सरकारी क्षेत्र के अधिपत्य के कारण निधंन सोगों को ये वस्तुएं नहीं मिल रहीं हैं और विचौलिए अनुधित लाभ उठा रहे हैं। बौर
- (घ) यदि हाँ, तो सहकारी क्षेत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में समीं स्तरों पर और अधिक जोर देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विधार है ?

साख और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में मंत्री (श्री दी एल० बैठा): (क) और (स) नागरिक पूर्ति विमाग का राज्यो/सध राज्य क्षेत्रों जिसमे उद्दीसा भी शामिस है, को उचित दर की दुकाने बोनने के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

तथापि, नागरिक पूर्ति विभाग, दूरस्थ, दूर तक फ्रीने, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के रूप में चलाने के लिए वाहन कय करने हेतु राज्यों/सच राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना स्कीम चलाता है। 1986-87 से 1988-89 की अविध के बौरान उड़ीसा सरकार को चलते-फिरते वाहन खरीदने के लिए 27.50 साख दपए की राधि दी गई है।

(ग) और (व) निश्ची क्षेत्र के हाथ में अधिक उत्तित दर की दुकाने होने से यह अवस्थक नहीं है कि गरीब लोगों को बावस्थक वस्तुए प्राप्त न हों और विश्वीलयों को सावंजनिक वि०रण प्रणाती से लास पहुंचे। राज्य सरकार को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे कदावारों को रोकने तथा उनके लिए वण्ड देने के वास्ते प्रयंवेक्षण को मजबूत करें और कानून के उपबन्धों का लागू करे।

राज्यों/संघ राज्य को तों को सलाह हो गई है कि वे खुदरा ज्यापार में सहकारी को त्र को प्रोत्साहन देने के सिए नई उखित दर की दुकानें कोलने में सहकारी सामतियों को प्राथमिकता हैं। नागरिक पूर्ति विमाग भी (1) बहरी क्षेत्रों में उपमोक्ता सहकारी समितियों के विकास और (2) साम स्नर की समितियों को प्राथीण को तो में उपमोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य करने के लिए उपान्त धन सहायका देने की दो याजना स्कीमें चला रहा है; 1986-87 से 1988-89 की अवाध के दौरान उड़ीसा सरकार को (1) व (2) पर उल्लिखित योजनाओं के तहत क्रमधः 11.93 लाख दपए व 56-10 साख दपए की राश्चिती गई।

विल्ली शहरी विकास आयोग की सिफारिशें

- 8826. श्री बी॰ निवास प्रसाव } : बया शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :
- (क) विल्ली खहरी विकास आयोग द्वारा अपने 12वें प्रतिवेदन (1987-88) में की नई सिफारिक्षों की मुक्ब विशेषताएं क्या हूँ;
 - (स) इन सिफारिक्षों पर क्या बनुवर्ती कार्यवाही की गई है! बीर
- (ग) पर्यावरण और वातावरण को और सुन्दर बनाने के लिए बायोग के कार्यकलापों का विस्तार करके इसके बाधार को और व्यापक बनाने हेतु और क्या कदम बठाने का विचार है ?

इाहरी विकास मंत्री (जीमती मोहसिना किववई) : (क) और (ख) आयोग की बारहवीं रिपोर्ट इसके कार्यक सापों तथा वर्ष 1987-88 के दौरान किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट है तथा इसे 5 अप्रैल, 1989 को सोक समा पटल पर रक्षा गया था। इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा समझे गए महत्वपूर्ण मामले सुचीबद्ध हैं एवं इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर इसकी टिप्पणियों हैं। मविष्य में इसी प्रकार के मामलों की खांच करते समय बायोग की टिप्पणियों का स्थानीय निकायों द्वारा अनु-पाल किया खाना अपेक्षित है, ये टिप्पणियों एक ही समय में बहुपालन के सिए सिफारिश की प्रकृति में नहीं बाती हैं तथा इस प्रकार वे सरकार की ओर से किसी प्रकार की विशिष्ट अनुवर्गी कारंवाई की अपेक्षा नहीं रखते हैं।

(ग) आयोग के कार्य और कार्यकलाय का विस्तार विस्ती नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 में विए गए हैं। यह अध्यन्त व्यापक है तथा इसमें किसी परिवर्तन की आवस्यकता नहीं है।

जापान के साथ वाणिज्यिक समझौता

8827. श्री एन॰ डेनिस : स्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बापान स्थित फर्मों ने तमिलनाडु में 'मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन' में संयुक्त खरपादन के लिए तमिलनाडु हैम्डसूम निर्णतकों/सिले-सिलाये बस्त्रों के निर्माताओं के खाय किसी बाणिज्यक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; बौर

(भ) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी व्योश क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रकीक आलम): (क) और (क्ष) मैससँ आक इण्डिया हैंडलूप खें जिक मार्केटिंग को आपरेटिंग सोसायटी, मद्रास ने आपान के मैससँ सुनितोमों कारपोरेशन तथा मैससं शुनो अपरेस्स के सहयोग से सिनेसिलाए परिधान बनाने के लिए मद्रास निर्यात संसाधन जोन में एक एक की स्थापना की है। परियोजना में मितवणं परिधानों के 8.5 लाख नग बनाने की व्यवस्था है जिसका मूल्य तीसरे वयं और उसके बाद से 467.50 खाख द० होगा। एक के दिसम्बर, 1988 में उत्पादन शुरू कर दिवा है तथा आपान को 15 04 लाख द० मूल्य का निर्यात कर चुका है। पार्टी के विदेशी महयोग करार की खतों के अनुसार जापान कम्पनियां इंक्विटी में भाग लेंगी तथा तकनीकी जानकारी और विपणन-सहयोग प्रदान करेंगी।

केन्द्रीय सोक निर्माण विमाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति के मामले

8828 श्री पूर्ण चन्द्र मिलक श्रीमती पटेल रमाबेन रामकीमाई माचणि } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि ।

- (क) क्या केन्द्रीय स्रोक निर्माण विमास में कनिष्ठ इन्सीनियरों के पर्दों में गरपावरोच को कम करने के लिए मुक्य इन्जीनियरों सौर सविद्यासी इन्जीनियरों को अन्य विमागों के संवर्ग बाह्य पद्दों से कनिष्ठ इन्मीनियरों के नाम मेसने के सम्बन्ध में आवश्यक अनुवेश जारी किए गए थे;
 - (ख) यदि हां, तो अब तक कितने विभागों से सम्बर्ध किया गया है; और
 - (ग) संबंधित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में न्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहिसना किववई) : (क) से (ग) जो, हां। केन्द्रीय लोक विमांग विभाग के मुख्य अभियन्ताओं तथा अधीक्षक अभियन्ताओं को बावध्यक निदेश बारी किए यए हैं कि वे अन्य विभागों/सगठनों से इम आध्य की मांग प्राप्त होते ही उदारतापूर्वक किनक अभियन्ताओं के नाम भेजें। अन्य विभागों से मांग आने पर ही नाम भेजे जाने होते हैं। इस सम्बन्ध में अन्य विभागों से सम्पन्न किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपमोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्षेत्रा के अन्तर्गत टेलीफोन सेबाएं

8829. प्रो॰ नारायण चन्द पराज्ञर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंके कि :

- (क) क्या दूर संचार विमाग बीर वो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (विस्त्री और बम्बई) द्वारा टेसीफोन सेवाओं में कोई व्यवचान अथवा गड़बड़ी उत्पन्त न होने देन के लिए इन्हें उपभोक्ता संरक्षण बिचित्रम, 1986 के अन्तरमंत लागा गया है;
- (स) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 19.89 तक उपमोक्ता संरक्षण अधिनियम, के अन्तर्गत गठित राज्य आयोग/जिला मंच को दोषपूर्ण दूर संचार सेवाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ग) यदि हां, तो तस्सम्बन्धो व्योरा क्या है और विमाग/निगम ने शिकायतकर्तांकों को कितनो वनदाशि के मुजाबजे का भुगतान किया है;
- (घ) यदि नहीं, तो क्या दूर-संचार सेवाओं को इस अविनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत काया चाएगा; और
 - (क) यदि हां, तो इसे कब तक इसके बन्तगंत साया जाएगा ?

साम्र और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰ एल॰ बंठा)। (क), (घ) और (इ) उममोक्ता सरक्षण त्रधिनियम, 1986 में, जब तक कि विकाध्य रूप से छूट न दी गई हो उस्त अधि-नियम में परिमाधित सभी सेवाएं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपकव्य की जाने वासी सेवाएं सामिल हैं, आ बाती हैं।

(ख) बीर (ग) सूचना एक त्र को जा रही है और समायटल पर रख दी आराएगी।

सर्वेप्रिय विहार में प्लाटों/पलैटों का आवंटन

- 8830. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : क्या शहरी विकास मंत्री यह बढाने की कृपा करेंपे कि:
- (क) क्या सर्वेषिय विहार नई दिल्ली में प्लाटों और पर्लंटों का आवंटन दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1972 के अनुसार किया गया है;
 - गत शीन वर्षों के दौरान इसकी प्रबन्ध समितियों के चुनावों का क्यौरा क्या है;
- (ग) क्या चुनाव इसके विधान में बनाये गए मानदण्डों के अनुसार बौर पीकासीव अधिकारी के पूर्व पर्यवेक्षण में आयोजित किए गए थे; और
 - (म) यदि वहीं, वो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिमा किदबई) : (क) बी. हां।

- (का) पिछले तीन चुनाव 23-2-86, 10-10-87 तथा 18-9-x8 को हुए थे।
- (ग) और (घ) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 में निर्धारित मापदण्ड तथा प्रक्रिया के अनुभार चुनाव हुए हैं। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की घारा 31 (1) की घारों में सहकारी समितियों के पंत्रीयक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी की देख रख में सहकारी बावास समितियों के चुनाव कराये जाने अपेक्षित नहीं हैं।

कपास का निर्यात

- 8831. श्री प्रकाश बी॰ पाटिल : क्या वस्त्रा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या महाराष्ट्र कीर गुजरात के क्यास सत्यादकों को पर्याप्त सहायता देने के लिए कपास के निर्मात में विद्वा की गई है;
- (ल) यदि हां तो ६न दोनों राज्यों में से प्रत्येक राज्य से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्षे कपास की कितनो मात्रा का निर्धान किया गया;
 - (ग) प्रत्येक वर्ष कितमी निर्यात योग्य कपास का निर्यात नहीं किया जा सका; बीर
 - (घ) निर्यात बढ़ाने हेनु क्या कार्यशाही की गई है ?
- वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (की रफीक आलम): (क) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक तथा विपणन सघ की अधिक लम्बे रेशे की कपास की 20000 गांठों का निर्णत कोटा आवटित किया है। किसी राज्य को कोई निश्चित निर्णत कोटा आवटित नहीं किया गया है। कपास को चानु बाजार की मर्ते न्यूनतम सहायता स्तरों से काफी ऊपर है और इस प्रकार उत्पादकों को पर्याप्त साम प्रदान करती हैं।
- (न) और (ग) गुजरात तथा महायाद्य फेश्रेशनों को आवंदित निर्यात कोटा तथा गत तीय वर्षों के दौरान भेजी गई मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।
- (स) निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू की मतो पर तथा निर्यात योग्य वेशी मास पर निर्मर करते हैं।

				विवरण	Т	(गांठों	की सं≢या)	
	19	86 87		198	7 - ×8		1988-8	9
महत्रा	वार्बाटत	भेशे गई	मात्रा	बाबंदित	भोजी गई	मात्रा	था≠ टित	मेजी पई
महाराष	<u> </u>							
15500	00 — (43 6 000	555000	शून् य	_	शून्य	_	2000	बृत्य
	1985 86 6	रे फसल						
	तथा							
	119000							
	1986-87 🕏	कस स)						
गुजरात								
3000	00	47000	श्रम	_	ज्ञस्य	शुन्य	_	शृन्य
	(17000		-		•	-		•
	1985-86 新	फसल						
	तथा							
	1986-87	ीफसस्त)						

गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

- 8832. श्री मोहन भाई पटेल: न्या लाख और नागरिक पूर्ति मंत्री यह नताने की इत्या करेंगे कि:
- (क) गुबरात में, विशेष रूप से शौराष्ट्र क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं, वहाँ भारतीय खाद निगम के गोदाम नहीं हूँ;
- (स) क्या गुत्ररात सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के 10,000 मिट्रिक टन की क्षापता वाले गोदामों के निर्माण के लिए डगरपुर गांव के निकट जुनागढ़ में भूमि देने का बस्ताव किया था, यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध मण्डल ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;
- (ग) क्या मारतीय खाच निगम का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राजन्व जिले में गोदामों का निर्माण करने की अपनी नौति के अन्तर्गत गुजरात राज्य में जूनागढ़ में गोदामों का निर्माण करने का विचार है;
- (व) क्या देश में निरन्तर पड़ने वाले सुखे की स्थिति को देखते हुए वर्ष 1987 में गोदामों के निर्माण पर पूंजी के व्यय पर लगाया गया प्रतिबन्ध अब भी लागू है; और
 - (ह) यदि नहीं, तो जूनागढ़ में गोबामों का निर्माण न किये बाने 🗣 नया कारण हैं ?

साझ और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰एल॰ बैठा) : (क) इस समय गुजरात के 19 राजस्व जिलों में से 13 राजस्व जिलों में मारतीय साझ निगम के अपने गोदाम हैं। मारतीय साझ निगम के जिन सः राजस्व जिलों में इस समय अपने गोदाम नहीं हैं वे सावरकंठा, अहाँ व, सूरत, बससाड, इंग और बमरेली हैं। इन जिलों की आवश्यकताएं पड़ौसी जिलों में स्थित निगम के डिपुबॉं से पूरी की जाती हैं।

- (स) (घ) और (ङ) गुजरात सरकार ने अंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को जुनागढ़ जिले में भूमि देने की पेशकश की थी। सरकार द्वारा पहली अगस्त, 1987 से नए निर्माण करने पर लगाए गए प्रतिबन्ध तथा संशोधनों की तंगी के कारण निगम द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। यह प्रतिबन्ध अब हटा लिया गया है।
- (ग) निगम का बब बाठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जूनागढ़ में 10,000 मीटरी टन समता का निर्माण करने का विवार है। स्थापि, प्रत्येक राजस्व जिले में गोदामों का निर्माण करने की निगम की नीति नहीं है। यह कतियय नोडस स्थानों पर मंडारण समता का निर्माण करता है। निगम अपनी आवस्यकता और परिचालन सम्बन्धी जरूरतों को वृष्टि में रखते हुए नोडम स्थानों का चयन करता है।

पान मसाले का प्रभाव

- 8833. डा॰ बी॰एल॰ शैलेश है: स्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या बह्मदाबाद में केंतर पर कोवकर्ताओं ने हास ही में इस बात की पुष्टि की है कि पान मसासा विकोटोकिसक है और इसके अधिक उपयोग करने के अति स्रवरे की बेतावनी बी है;

यदि हो, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का इस बारणा को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विश्वार है कि पान मसाला का अयोग सामान्यतया बहानिकारक है?

स्वास्त्य और परिवार कस्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज कायडें): (क) मे (ग) पान मसाले के अनुकूल प्रमानों पर गुजरात केंसर और अनुक्षान मंस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए जा रहे अध्ययक बमी पूरे होने शेव हैं। सरकार ने मारनीय जाय्विज्ञान अनुक्षान परिवद, नई विस्ली से परामर्ख किया है, जिसका मत है कि जब तक मावधानीपूर्वक नियन्त्रित जानपदिकरोग वैज्ञानिक बध्ययक नहीं किया जाता, तबं तक कान मसाले के केंसरजनक परिणाम को सिद्ध करना बहुत मृश्कित है।

कुटलेहार जागीर वन, हिमाचल प्रवेश

- 8834. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री कुटलेकार जागीर वन के बारै में 10 दिसम्बर, 1987 के तारांकित प्रदन सक्या 511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) कुटलेहार जागीर वन, हिमाचल प्रदेश के प्रबन्ध के बारे में शर्तों पर सहमति सरकार और भी शिप चैन्क के नच्य किस तारील को हुई और यह समफ्रीता कितनी अविध के लिए किया गया था;
- (स) नया सरकार ने कुटनेहार क्षेत्र (उना जिसा) के जमीन के मासिकों कोर गैर-मासिकों समेत वहां के लोगों की इस मांग पर विचाद किया है कि इन बनों का प्रवन्य सीधे ही राज्य सरकार द्वारा किया बाए; बौर
- (ग) यवि हां. तो इस सम्बन्ध में सचकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, सन्कार द्वारा वनों का प्रवन्य का अधिग्रह्य किस तारील तक किया आएना और इस सम्बन्ध में वेरी के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्री (भी जियाजर्रहमान अन्सारी) : (क) सै (ग) स्थोरे एकत्र किए का रहे हैं और समा पटस पर रक्त विए जायेंगे।

पांचवीं स्व-वित्त पोषित योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को बन सौटाना

- 8835, श्री पी॰एम॰ सईव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बढाने की क्रुया करेंगे कि :
- (क) दिस्सी विकास प्राधिकरण की पांचवीं स्त-वित्त पोवित योजना, 1982 के लिए अंगी वार कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था;
- (स) ऐसे कितने वंजीकृत व्यक्तियों ने बाद में अपना पंजीकरण रह् करने तथा समा सनराधि को वापिस सौटाने का सनुरोध किया या, जिसे इस योजना के अन्तर्गत लौटाये साने की अनुमति यो;
- (ग) ऐसे फितने मामले हैं जिनमें पंजीकृत व्यक्तियों से बाद में दस्तावेकों की प्रतिया प्रस्तुत करने को कहा गया वा जिल्हें दे जपने आवेदन पत्रों के साथ पहले ही प्रस्तुत कर चुके थे;
 - (म) कितने मामलों में रकम लौटा दी वई है; और

(ङ) कितने मामले अभी तक सम्बत पड़े हैं, इसके कारण क्या है और ये मामले कितने समय सै सम्बत पड़े हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री श्रीमती मोहसिना किदबई) : (क्)

के जी-!! बेजी-!!!

15**3**90

योब: 34631

- (有) 4293
- (ग) यदि रिकार्ड में दस्तावेत्र उपसभ्य होते तो पंजीकृत व्यक्तियों को दुवारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के सिए नहीं कहा जाता ।
 - (T)4232
- (ङ) रकम सौटाने के सिए 61 पंजीकृत व्यक्तियों के मामले सम्बत पड़े हुए हैं क्योंकि पंजीकृत व्यक्तियों ने वरेकित वस्तावेज मुक्यतः मूल एक डी. बार., चालान की चीची प्रति क्रतिपूर्ति बाक्ड बीर बावंटन पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

अल्कोहल वाली आयुर्वेदिक औविधियों पर प्रतिबंध

[हिन्दी]

8836. श्री एस०डी० सिंह : वया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की छुपा करेंगे कि :

- (क) क्का 20 प्रतिसत से अधिक अल्कोह्न वाली आयुर्वेदिक वौषधियों के निर्माण, वितरण कोर व्यापार के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है।
 - (स) विदिश्हों, तो तश्संबंधी व्योश क्या है;
- (न) क्या सरकार का विचार ऐसे उत्पादकों, वितरकों बीर व्यापारियों के विचद कार्यवाही करने का है जो इस को ज में विना वैच लाइसेंस के कार्य कर रहे हैं; बौर
 - (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थीरा क्या है ?

स्वास्त्व और परिवार कस्थाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज आपडें):(क) और (स) विकी के प्रयोजन के लिए निमित की जाने वात्री सभी अायुर्वेदिक शौषवों का उत्पादन राज्य बौषय साइसेंसिन प्राथिकारियों हारा जारी जीवन नाइपेंत के जन्तर्गत किया जाना होता है। बहुरहाल, 20 प्रतिचात से जविक जनकोहन वाली जापुर्वेदिक जीवचों के वितरण तथा विकी संबंधी नियम राज्य/संव राज्य सेत्र उत्पादन शुक्क अधिनियम के अन्तर्गत एक राज्य से बुसरे राज्य में मिनन-

(न) और (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य स्नेत्र प्रशासनों को उन निर्मातायों, वितरकों तचा व्यापारियों के विषद्ध कारवाई करने की शनित्यां दी गई हैं जो बिना वैष साइबंस के तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिनियमों तथा नियमों का उक्संघन घर इत स्नेत्र में अधिसाय कर रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों/ कियोरकों का निर्माण

\$837. श्री मोती लाल सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि !

(क) दिल्ली दिकास प्राविकरण ने दिल्ली में पन तक कुस कितने विश्वन केन्द्रों का निर्माण किया है;

(ब) वे कहा-कहा स्थित हैं;

- (ग) प्रत्येक विवणन केन्द्र में वृषक्-पृथक् कुल किननी दुकानों/कियोहकों चबूतरों/रेस्टोरेंटों का निर्माण किया गया है; बौर
- (च) उनमें से कुल कितनी दुकानें बेची गई/बाबंटित की गर्यों और प्रत्येक विपणन केन्द्र में पृथक्-पृथक् अभी कुल कितनी दुकानें/कियोस्क/बबूतरा रेस्टोरेंट बेचे चाने/बाबंटित किए जाने शेष हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किंववई) । (क) 44 स्थानीय विपवनों केन्द्रों और 187 सुविधाजनक विपवन कैन्द्रों को मिलाकद 231 विषणन परिसर।

(4)	निमित विषयन परिसरों की संस्था	
उत्तरी अंचल		
(वजीरपुर, घालीमार बाग, लारेंस		
रोड तथा बीतमपुरा)	41	
दक्षिणी अंचल		
(सफदरबंग एम्क्लेब, ईस्ट बाफ कैलास,		
बसन्त विहार, दक्षिणपुरी, शेख सराय		
तया चित्तरवन पार्क	88	
पश्चिमी व चल		
(जनकपुरी, टैगोर गार्डन, पश्चिमपुरी,		
कीर्ति नगर, मादीपुर तथा प्रसाद नगर	52	
यमुनापार श्रेत्र		
(विवेक विहार, शिलमिन, मयुर		
विहार, दिसवाद गाउँन,		
यमुना पूरी तथा नन्दनगरी)	40	

⁽ग) सुविधाजनक विषयन कैन्द्रों में बौसतन 30 वुकानें तथा स्थानीय पिषयन केन्द्र में 70 हुकानें बनी हैं। कुछ मिलाकर लगधन 8700 दुकानें तथा 940 प्लेटफार्म बने हुए हैं।

⁽च) बिना बारो के बाबार पर 37 हुकानें बावंदित की वई हैं। उन हुकानों/किवोस्कों/ प्लेटफार्मों/रेस्तरां विन्हें सभी बेचवा/बावंटित किया जाना है, के स्थोरे संवान विवरण में विष् गए हैं।

विवरणं दूकानों/स्टालों/कियोस्को/खलपान गृहों की सूची

फ. सं.	यो ब ना	दुशन	स्टाब/ कियोस्क	प्सेटफार्म /	जसशन वृह
1	2	3	4	5	6 .
	त कुंब धेक्टर सी पाकेट 8 में सी.एस.सी.	2	4	_	
2. मु ¹ नर	का (स्ववित्त पोवित योजना) जे.एन.पू.				
₹ स	मीप में सी.एस.भी.	2			1
	त के समीप सैंदलजैव में सी एस.सी.	18	_		
	प्लेस में दिस्सी प्राविकरण भवन				
	गट सं. 2-5, 7-11 तथा 20	3	_	_	
	लामें फल तथास#त्रीमार्किट	15	_	_	_
	यणा औद्योगिक क्षेत्र पर प्लाट सं. 7 तवा 8				
	ो.सी.	1	_		_
	यणा आताक एमे एल.एस.सी.	1	_		_
8. राह	णो चरण-1 सेक्टर-11 में सी.एस.सी. नं.2	16	_	_	
	णी चरचा सेक्टर-6 में सी.एस.सी. न . 3	1	_		
	मी चरण-। संक्टर-3 में सी.एस.सी. न. 3	11	_	_	_
	वी बरण-ा धेक्टर-7 में सी.एस.सी. नं. 8	1	_	-	_
	मी चरम-I सेक्टर-3 सी.एस.सी. न [°] . 5	40	_	_	_
	णो चरण-। सेक्टर-5 में सी.एस.सी. नं. 2	42	_	_	_
	नी चरण-। सेक्टर-2 में सी.एस.सी. नं. 3	33	_	-	_
	विहार पाकेट-4 में सी.एस.सी.	15	8	12	1
	बिहार वाकट-2 में सी.एस.सी.				
	गा नं . 5 65	2	_	_	_
	गर कालोनी सी.एव.बी.एस. मेंबी एस.सी.	2	_	_	
	नी चरन _ा सेक्टर.7 में सी.एस.सी. वं. 5	40	_	_	_
	णी चरण ा से क्डर-4 में सी.ए त .सी. नं. 3	28			_
	ापुरी चरण-2 में सुविधा केन्द्र	6	_	-	_
	पुरी चरण-1 में एस.बी.	_		1	_
	ना विहार में सी.एस.सी.	28	_	_	_
	कपुरी (मयूर बिहार) पाकेट-1 में				
	स.ची.	4	_	_	
24 मयूर	विद्वार पाकेट-2 में सी एस.सी.	1	_	_	
	पुरी बीचागिक केन्द्र	64	_	-	_
26. सार्श	ोगार बाद व्याक ए.एस.	-	_	_	1

1 2	3	4	5	- 6
27. सरस्वती बिहार व्लाक ए में सी.एस.ची.	16			
28. पिष्वम बिहार विस्तार में सी.एस.पी.	1		_	1
29. परिचम विहार ए-1 जनता में सी.एस.सी.	2	_	_	_
30. राजेन्द्र प्लैस में दिल्ली विकास प्राधिकरण				
मबन	6			
31. नारेंस रोड सी. 7 में एन.एस.सी.	49	_		=======================================
32. सरिता बिहार पाकेट-सी में सी.एस.सी	16		_	
33. ऋलमिल चरण-2 में सी.एस.सी,	1	_	_	
34. झण्डेवालान घरण-1 में विषणन केन्द्र	7	-		_
35. सरिता विहार पाकेट-एन में सी.एस.सी.	10	4	_	_
36. ईस्ट अन्तर कैवाश (एम.एस.एफ.एस.) में				
सी.एम.सी.	8	7	_	_
37. एशियाई खेल गांव परिसर में सी.एस.सी.	6	1	_	<u> </u>
38. सरीता विहार, सेक्टर-1 पाकेट-ए में सी.एस. सी.	1	_	_	
39. लाको सराय में सी.एस.सी.	15	6	_	
40. सिद्धार्थं एनक्लेव में वाजिष्यिक परिसर	4	_	_	_
41. बसकनन्दा, पाकेट ''की'' में सी.एस.सी.	14	-	_	_
42. अलकनन्दा, पाकेट 'ए" में सी.एस.सी.	14	_	_	
43. बाजावपुर में वाणिज्यिक एवं कार्यासय परिसर	2	_	_	_
44. सराय जुलियाना में सी.सी.ए.	29	_	_	_
45- जीका जी का मा प्लेस में डी.डी. ए. मदन	45	_	_	_
46. रोहिजी चरण-1 में सी.एस.सी. नं 1	51	_		
47. सरीता विहार पाकेट ''बी' में सी.एस.सी.	18	<u>·</u>	_	_
48· — वही — ,, ''के'' तथा ''एल'' में				
सी.एस.सी.	17	6	_	
49. परिष्वमपुरी, स्ताक 1, ए-3 में सी.एस.सी.	22	_	6	_
50. मायापुरी ब्लाक एक में सी.एस.सी.	3	_	_	_
51. बोडेसा स्लाक "बी" में सी.एव.ची.	1	—	_	_
52. कीति नषर में एल.एस.सी.	_	3	_	-
53. बी-4 जनकपुरी में सी.एस.सी.	_	1	_	_
54. रिवाड़ी नाइन चरण-1 में सी.एस.सी.	1	_	-	
55. ए-1, पश्चिम विद्वाद में एल.एस.सी.	1	_	-	2
56. गांव रामपुरा में समाज सदन	1	_		_
57. यमुना विद्वार ब्लाक सी-12 में सी.एस.सी.	2	_	_	_
58. यमुना विद्वार व्लाक बी-3 में सी.एव.सी.	3			_
59. निर्माण विद्वार में सी.एस.सी.	1	_	_	
60. स्वास्थ्य विहार में सी.एस.सी.	3	_		.

1	2	3	4	5	
61- मधुबन में	सी एस सी.	1		_	_
62. पीतमपुरा	पाकेट के/बू में सी.एस.सी.	1			-
	बाय व्याक बी/ए में सी.एस.सी.	1			,
64. सरिता विश	हार पाकेट-वो.सी.एस.सी.	21		_	_
65- विदार्च ए	स्तरेंचन पाकेट वो में सी.एस.सी-	19	9		
66. बदरपुर में	सी.एस.सी.	12	6	—	_
67. aftar fa	ह ार पा केट-एम. में सो.एस.सी.	8	4	_	
68, बार-बी.ब	ाई. कासोनी 🗣 निकट परिचम विद्वार में				
सी.एस.सी	•	10	9	11	
69. सेक्टर-3	रोहिणी बरण-1 में सी.एस.सी. नं. 10	16	_	_	_
70. वेक्टर-8	रोहिनी चरब-1 में सी.एस.सी, नं. 5	14	_	_	_
71. हेक्टर-2	रोडिमी चरण-1 में सी.एन.सी. नं. 4	14			-
72. वेक्टर-7	रोहिणी चरभ-1 में सी.एस.सी. नं. 8	24	_	_	_
73. सी.सी. फ	िण्डस कालोशी में सामुदिक केन्द्र		_	_	
	गा उंन, जी 8 को त्र में 976 जनता मकाने	f			
के लिए वं 75. न्यू फेंडस	ा.एस.सा. कालोनी स्वल नं. 5 में सी.एस.सी.	_	2	_	_

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वसन्त क्रुंज में पसंदों का निर्माण

[बनुवाद]

8838. भी मानकू राम सोडी : न्या दाहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) स्या विस्ती विकास प्राधिकरण स्विति योजना के अन्तर्गत विस्ती में सरिता विद्वार तथा वसन्त कुंव में पर्वटों का निर्माण कर रहा है;
- (ख) क्या दिल्ली विकास प्राविकरण ने दोनों हाउँ हिंग काम्यसँवसों के सदस्यों से एक-एक बाब स्पर्व की किस्त अदा करने को कहा है;
- (ग) क्या सरकारी कर्मचारी सदस्यों को इतनी मारी राक्षि एक मुक्त देने में कठिनाई होती है; और
- (प) यदि हां, तो इतनी भारी राशि एक मुस्त बदा करने के लिए अनुरोध करने के स्था कारण हैं तथा सदस्थों की बदायनी क्षमता को व्यान में रखते हुए किस्तों की राशि को कम करने के लिए क्यां कदम उठाये था रहे हैं?

बहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववई): (क) जी, ही।

(स) से (प) आवटितियों को जारी किए अनन्तिम मांग पत्र में आवंटितियों को प्राप्त होने काले क्याब तथा अन्य अदायियों को प्यान में नहीं रखा गया था अब बिल्ली विकास प्राधिकरण ने समस्त सावत का पुनरीक्षण करने तथा सभी बावश्यक समायोबन के पश्चात अन्तिम मांग पत्र जारी करने का निर्णय सिया है। ब्रन्तिन मांग पत्र झानामी कुछ सप्ताह में जारी किए जाएंगे।

तमिलनाडु को गेहूं की सप्लाई

8839. श्री एस० सिंगरावडीवेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की ज्ञा करेंगे कि :

- (क) पिछले छह महीनों के दौरान तमिलनाडु में गेहूं की माँग, बावंटन बौर प्राप्ति का बाह-बार स्पीरा क्या है; बौर
- (स्र) तमिलनाडुको चावल और गेहूं के लिये प्रति किलोग्राम कितनी रा**डसहायता दी** गई है?

लाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री डी.एल. बैठा): (क) बपैक्षित सूचवा देने बासा एक विवरण मंतरन है।

(स) केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के निगंमों पर 1989-90 के लिए सब्सिंडि की सबूब मानित एकीकृत अखित अस्ति असे कितोग्रस वरें निम्नानुसार हैं:—

(र॰ प्रति किसी/अनुमानित)

		,
	चावस	गेहूं
सावं अतिक वितरण		
प्रणाली	0.72	0.90
समन्वित अविवासी		
विकास परियोजना	1.79	1-55

नोट :--समिन्दत अविवासी विकास परियोजना के लिए चावल के सामले में वास्था यह है कि सभी निगंग साधारण चावल में हैं।

विवरण

विद्यते द्यः महीनों के बौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल से तमिलनाडु के संबंध में गेहं की मांग, आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

र्माग	अवटन	বঠাৰ
30.0	30.0	20.2
30.0	30.0	20.8
30.0	30 0	15.2
30.0	31.5	23.0
30.0	31.5	22.2
30.0	30.0	उ∙न०
	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 31.5 30.0 31.5

उ०म०== उपसम्ब नहीं।

पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व

8840. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री पुगनी विल्ली है ऐतिहासिक महस्य के बारे में दिनांक 19 बर्ग ल, 1989 है बतारांकित प्रक्त संक्या 6098 के उत्तर के संदर्भ में यह बहाने की हुपा करेंबे कि:

- (क) दिस्सी के लिए बृहत योजना (मास्टर प्लान) को अन्तिम रूप कब दिया गया वा;
- (स) पुरानी दिल्ली को नियंत्रित संरक्षण क्षेत्र कव घोषित किया गया;
- (ग) क्या विक्ली विकास प्राधिकरण ने पुरानी दिल्ली के संरक्षण और सुधार के सिए विशेष विकास योजनाएं तैयार की हैं; और
- (घ) यदि हां, तो उन योजनायों का स्योरा क्या है और उनके कार्यास्वयम में कितनी प्रगति हुई है;

क्षहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किरवई): (क) और (स) दिल्ली बृहद् योजना 1 सितम्बर, 1962 को प्रवारित की गई थी। दिल्ली संदर्श 2001 की बृहद् योजना का संगोधित नसीदा, जिसमें पुरानी दिल्ली को नियंत्रित संरक्षण क्षेत्र के रूप में श्रीमकल्पित किया गया था, को दिल्ली विकास प्राविकरण द्वारा 30 जून, 1987 को रूपान्तरित किया गया था।

(ग) बौर (घ) घारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिन ऐतिहामिक स्मारकों/परिसरों को 1973 में ब्राजिन्न समझा या, का विक्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण किया गया है तथा ऐसे स्मारकों के चारों जोर के क्षेत्रों को जागे खौर नियंत्रणों को कार्यान्वित किया जाना है।

दक्षिण दिल्ली में भूमि पर अनिधकृत कम्जा

[हिन्दी]

- 8841. भी डाल चन्द्र जैन : क्या जहरी विकास मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार को दक्षिण दिल्ली में सरकारी मूमि पर अनिधकृत कन्जे की बढ़ती हुई वहनाओं को जानकारी है;
- (ल) क्या बिल्मी के विभिन्न बाजारों में, विशेष रूप से रामकृष्ण पुरम मार्किट, नई बिल्मी में दुकानबारों ने बाये की बोर अपनी दुकानें काफी बढ़ा सी है और एक दुकान की दो दुकानें बनानी है, बाबार के निकट पूरी मूझि पर अनिककृत कन्या कर रक्षा है और उस पर गोदामों का निर्माण कर किया है विश्वके कारण वहां के निवासियों को मारी कठिनाई हो रही है; और
 - (य) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;
 - शहरी विकास मन्त्री (बीमती मोहसिना किववई) : (क) जो, हां।
 - (स) बोर (ग) सुबना एकत्र की वा रही है तथा सभा पटल पर रख दी आएगी !

होनियोपंची के लिए केन्द्रीय रजिस्टर

[बनुवाद]

- 8842. कुमारी कमला कुमारी : क्या स्थास्क्य और परिवार मंत्री यह बतावे की कृपा करेंवे कि:
 - (क) क्या होमियोपैकी के लिये केन्द्रीय राजिस्टर का इस बीक संकलन किया का चुका है;

- (ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं बीर उसे की झ दूर करने के सिए क्या कदम उठाये नये हैं; बोर
 - (ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापर्डे) : (क) होम्योपैयो क केन्द्रीय रजिस्टर को तैयार करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

- (ल) होम्योपैयी के केन्द्रीय रिजस्टर बनाने के लिए 13 राज्यों के होम्योपैयी के राज्य रिब-स्टरों में दर्ज होम्योपैयी चिकित्सकों की वर्णानुक्रम सूची तैयार करने हेतु इंदेक्स कार्ड तैयार किए बा चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय के बारे में यह कार्य चल रहा है। पिक्चम बंगाल के राज्य रिबस्टर की केन्द्रीय होम्योपैयी परिषद हारा बभी प्रतीक्षा की जा रही। विद्वार और राजस्थान के बारे में पूरी सूचना मांगी गई है।
- (ग) हो म्योपयी के केन्द्रीय रिक्टर की तैयार करने का कार्य 1989 के अन्त तक पूरा कर सिए जाने की आशा है।

सरकारी आवासों के आवंटियों द्वारा अनिधकृत निर्माण

- 8843. श्रीमती ऊषा ठक्कर : नया शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृषा करेंबे कि :
- (क) क्या सराजिनी नगर, नई दिल्ली में विशेषत: 'गए", "वी" और "सी" एवेन्यू के सरकारी बावामों के कुछ बावंटियों ने अपने परिसर के बाहर जनोपयोगी मार्गों पर वनविद्धत रूप से कबरे बना विए हैं जिसके फलस्वरूप वहां से गुजरने वासे व्यक्तियों तथा पड़ौस के अन्य निवासियों को मादी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;
- (स) क्या इस प्रकार के निर्माण से सरकारी जावास आवंटन नियमों का उझ्सेंचन होता है; और
- (ग) यदि हां, तो सरोजिनी नगर तथा अध्य सरकारी कालोनियों में सरकारी आवास के अवंदियों द्वारा किए जाने वाले अनिवक्त निर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्यम उठावे गए है अध्या उठाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववई) : (क) बौर (स) बी, हां !

(ग) अनिधिकृत निर्माण की सूचना मिलने पर सम्पदा निवेतालय द्वारा आवंटन नियमों और स्रोक परिसर (अनिधिकृत दखलकारों की बेदलकी) अधिनियम, 1971 के उपवन्थों के अन्तर्वत आवं-टनों को रह करने तथा वेदलकी की आवदयक कारंवाई की खाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की समान दर पर सप्लाई

- 8844- श्री आनन्द पाठक : क्या आध और मागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की क्या करेंने
- (क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रचाची के माध्यम से बस्यविक जावस् क्र बस्सुजों को सभी राज्यों के उपभोक्ताओं को समाव दर पर उपसब्ध कराने का विचार है; बौद
 - (च) यदि हो, दो तस्सम्बन्धी भ्यौरा स्या 🕻 ?

काच और नागरिक पूर्ति संवालय में उपमंत्री (भी डी० एन० बैठा): (क) और (क) राज्यों/संव राज्य सेत्रों को सार्वजनिक वितरण त्रणासी के जिरए सप्ताई करने के लिए गेहूं, चाक्स, नेवी चीती, आयासित खाच पैन, मिट्टी का सेन, कंट्रोन का कपड़ा जैसी वावस्थक बस्तुएं केन्द्रीय सरकार द्वारा नियस मूल्यों पर उपनब्ध की जाती हैं। तथापि, साधान्त्रों, बायातित साच सेनों आदि बन्तिम कुदरा मूल्य, दुनाई की लागत, मंडारण त्रमारों तथा बन्य प्राविषक चर्चों को व्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/संच राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वियत किए जाते हैं।

आंध्र प्रवेश में हैजे की रोक्याम

- 8845. भी श्रीहरि राव । क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की क्रपा करेंगे कि :
 - (क) क्या बाँघ प्रदेश में हैं को रोकवाम के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किये गए हैं;
- (स) यदि हाँ, तो क्या रोग से बचाव के लिए राज्य को पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपसब्ध कदाई जा रही हैं; बोर
- (ग) बांध्र प्रदेश में हैं की रोकयाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध करायों जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खायडें): (क) बौर (क) बौद्य प्रदेश में वर्ष 1987 बौर 1988 के दौरान हैवा नहीं फंसा है। वालू वर्ष में 15 खप्र म, 1989 तक बांद्र प्रदेश में केवल 16 व्यक्तियों को हैवा होने उससे एक भी मौत न होने की सूचना मिली है। जो सामान्य रोग निवारक उपाय किए गए उनमें रोगियों का पता लगाने के लिए जिमरानी कौर मानिटरिंग करना, सीद्र उपचार शुरू करना, बोरल रिहाइड्रेसन उपचार को बढ़ावा देना, बंभोर कप से विहाइड्रेसन से पीड़ित रोगियों को वाड़ियों के जरिए तरल पदायं बादि देने के सिए स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजना, सुरक्षित पैय जल सप्लाई करना, पर्यावर्शिक सफाई में सुवार करना, बाद्य की स्वच्छता बौर व्यक्तिगत सफाई खानिल है। उपचार के बिए बावश्यक सभी बौयघों का राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में मण्डारण किया वा रहा है।

(ग) बोरस रिहाइड्रेंशन थिरेशी कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोखित बोबना बांध्र प्रदेश में सरसबढ़ रूप से क्रियान्वित की जा रही है जिसमें गंभीर बतिसार रोग, बोरस रिहाइड्रेशन सास्ट की सप्लाई, बोरस रिहाइड्रेशन उपचार को बढ़ाबा देना तथा स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है।

अध्य प्रदेश में क्षय रोग से हुई मौतें

- 8846. भी एस॰ पसाकोंड्रायुद् : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
 - (क) नत तीन वर्षों के बीराम बांध्र प्रदेश में क्षयरीय से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;
 - (स) अांघ्र प्रदेश में इस रोग की रोकवाम हेतु नया कार्यवाही की गई है; और
- (ग) गृत तीन वर्षों के दौरान नेन्द्रीय सरकार द्वारा खयरोग की रोक्याम हेतु राज्य सरकार को कितनी बनराधि प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्र्यसम् में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापडें): (क) बाझ बवेश सरकार द्वारा दी गई सुबना के अनुसार विश्वते तीय वर्षों के दोरान अयरोन के कारण हुई मोतों की संस्था इस प्रकार है।—

वर्ष	क्षयरोग के कारव हुई मौतें
1986	536
1987	1182
1988	1288

- (स) निम्नसिक्ति कदम उठाये मए हैं :---
- (i) बांघ्र प्रदेश के सभी 23 जिसों में जिल खयरोग केन्द्र स्वापित किए गए हैं।
- (ii) बड़े शहरों में 26 क्षयरोन क्लीनिक भी कार्य कर रहे हैं।
- (iii) बम्भीर रूप से बीमार और उन रोगियों की बा॰ स्यकताओं को पूरा करने के सिए सिन्हें शल्य चिकिस्सा की बावस्यकता है, राज्य में 2559 क्षयरोग विस्तर उपसम्ब हैं।
- (iv) राष्ट्रीय खयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के सन्तर्गत राज्य सरकार को क्षयरोन रोची सीच-विया, एक्स-रे मशीनें/फिल्म रोस और उपकरण सप्लाई किए जाते हैं।
- (v) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सन्तर्गत बचाय कार्य के रूप में बी० सी० ची० वैक्सीन दी चारही है!
- (vi) बन-साबारण को क्षयरोग सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए दूरवर्धन स्पॉट्, रेकियो स्पॉट, तमाबार पत्रों में विकापनों और पुस्तिकाओं व पैम्पलेटों की मक्द से स्वास्थ्य विकापर बस दिया गया है।
- (ग) दृष्टिहीनता नियंत्रक के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के बौरान निर्धारित किए गए सहायता-डांचे के अनुसार 50:50 के हिस्से के आधार पर राज्य सरकारों डारा बखाए जा रहे क्षय रोग केन्द्रों को क्षय रोग रोधी बौबध/सामग्री, उपकरण सप्लाई दिए जाते हैं। राज्यों को कोई नकद सहायता नहीं दी जातीं। तबापि, खांझ प्रदेश सरकार को खेजी गई क्षय रोग-हिरोबी भीचधों, सामजी बौर उपकरबों का मूल्य बोचे दिया गया है:—

वर्ष े	सास स्पये		
1986-87	42.14		
1987-88	61.24		
1988-89	52.43		

"हॉली-डे-होम"

- 8847. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक: क्या शहरी विकास मंत्री यह बदाने की इत्रा करेंगे
 - (क) देश में किन-किन स्थानों पर कूल कितने ''हाँली-डें-होन'' हैं;
- (ख) "हॉली-डे-होम" बुक कराने की प्रक्रिया का क्योरा क्या है मीर इसके लिए किस दर से प्रमार जिया जाता है।

- (न) वे कितने विन के लिए बुक !कए वाते हैं;
- (व) निर्माणावीन "हाँबी-बे-होमों" का स्थाव सहित व्योश क्या है; बौर
- (क) ये कद तक बन कर तैयार हो जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्री (भीमती मोहसिना किववई) ! (क) से (ग) इस समय शिमला, मसूरी त्या क्याकृमारी में "हॉकी-डे-हाम" उपलब्ध हैं। इन हॉला-डे हाम्स में बावास के बारक्षण हेतु, विवारित प्राफार्मा में बावेदन-थन भरना बावदयक है तथा बारक्षण "पहले बाबो, पहले पाबो" के बावार पर किया जाता है। विनों की अधिकतम सस्या बिसके लिए आवास बारक्षित किया जा सकता है तथा उसके लिए, सिये जाने नासे शुरूक संसम्म विवरण में विकाए गए हैं।

(ष) और (ङ) निम्निसिक्त स्थानों पर भी "हाँली-डे-होम" के निर्माण के प्रस्ताव शिद्धांत क्य में सरकार हारा बनुमोदित कर दिए गए हैं। (i) मसूरी (मौजूदा हॉली-डे होम", जिसे गिरा दिया खाएगा, के स्थान पर), (ш) कन्याकुमारी (मौजूदा हॉली-डे होम, जिसे सरकार हारा पट्टे पर से तिया गया है, के स्थान पर), (iii) गोजा (iv) पुरी (v) वार्डिस्ग (vi) कलिम्पोंग (vii) बाराचसी (viii) औनगर (ix) नैनीतान (x) वंगतोक (xi) दिल्ली (xii) उटाकमड (xiii) मदुरे (xiv) मैसूर (xv) कहाईकनास (xvl) उमरकटक इनमें से किसी भी स्थान पर हॉली-ड होम का निर्माण बर्मी सुरू नहीं हुना है। तथा इस स्थित में वह समय बताना संभव नहीं है, जिसमें इन स्थानों पर हॉबी-डे होम तैयार हो वार्षने।

विवरण

4. 4.	हाली ट होय का नाम	वियों की अधिकतम संक्या जिनके निष् बाबास आरक्षित किया जा सकता है	केन्द्र सरकार के कर्मकारियों से प्रतिदिन स्थिया जाने वासा किराया
1.	चिमला	सीजन के दौरान 7 दिन तथा बाफ सीजन सब्धि के दौरान 15 दिन	सिंगस वेड रूम 10/- रुपये डबल वेडरूम 15/-रुपए चार वेडरूम 20 रुपए
2. ঘ	सूरी	सीवन अवधि के दौराझ 7 दिन तथा आरफ सीवन अवधि के दौरान 10 दिन	4.50 रुपए प्रति विस्तर
3. ♥	था क्वनारी	7 दिन	डबल बेडकम 10 रुपये च्यो-बेड डीलक्स कम 25/- रुपए

उत्तर प्रदेश में नसबन्दी

8848. डा॰ चन्द्र शेकर त्रिपाठी : क्या स्वास्क्य और परिवार कस्यान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उत्तर प्रदेश में गढ़ तीन वर्षों के वौरान प्रवास वर्ष से भी खिवक उन्न की कितवी महि-साबों की नसबन्दी की गई है; और
 - (स) इसका क्या जीवत्य है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (कुमारी सरोज कापडें) : (क) क्षीर (ख, सुबना उपलब्ध नहीं है और राज्य से एकत्र की जा रही है।

स्वास्च्य सेवाओं में डिप्लोमाधारी

[हिन्दी]

8849. डा॰ प्रमात कुमार मिश्रः क्या स्वास्म्य और परिवार कस्याच मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विभिन्न स्थानों के शोग केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा क्यूरों से स्वास्य सेवाबों में किप्लोमा शाप्त करते हैं;
- (स) क्या इन्हें विभिन्न राज्यों में ग्रामीण सोमों को नए रोगों के बारे में जानकारी देने एवं प्रक्रिक्तित करने हेतु मेजा जाता है;
- (ग) क्या इनकी नियुक्ति के पश्चात् इन्हें कोई वेतन-वृद्धि नहीं दी जानी है तो इसका क्या कारच है;
- (च) क्या मेडिकस कालेजों में कतिएय ऐसे पद हैं जहां इनकी सेवाओं का लोगों को बावदयक जानकारी देने हेतु उपयोग किया जा सकता है; बौर
 - (ङ) यदि डी, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यबाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज लापडें) : (क) और (स) राज्य क्षेत्रों के स्नातक बहुँता बाने सेवारत विकिश्वा अधिकारियों बीर स्वास्थ्य कायकर्ताओं को केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिक्षा विष्कोमा पाठ्यक्रम में दाखिला विया बाता है।

- (ग) इन चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य स्रोत्र प्रचासन को सेवा छतें सागू होती हैं।
- (भ) और (ङ) सभी मेडिकल कालेओं में स्वास्थ्य शिक्षा के लेक्चरर का एक एक पद है जहां नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा शास्त्र को तस्वीह दो जाती है उनके कार्य प्रस्पेक मेडिकल कालेज द्वारा, जहां के कार्य करते हैं, निर्धारित किए गए जनूसार हैं।

सरकार ययासम्भव विविक से विविक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है।

पप्पनकलां में निर्मित कोत्रों का अधिप्रहण

[अनुवाद]

8850. डा॰ गौरीशंकर राजहंस : क्या तहरी विकास मन्त्री यह बताने की क्रया करेंगे कि :

(क) क्या दिल्सी में भूमि का अधिग्रहण करते समय निर्मित क्षेत्रों/कालोनियों को छोड़ देने के बारे में नीति निष्य विया नया है;

- (स) यदि हो, तो तस्सम्बन्धी न्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार प्रस्पतक्कलां (सेवा पार्क) में सड़कों के लिए ऐसे निर्मित क्षेत्र का अधिग्रहण करने का है जिनके समाज के कमजोर वर्गों के घरों से होकर गुजरने की सम्माववा है; और
 - (म) यदि हो, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किववई) : (क) से (व) सूचना एकत्र की बा रही हैं तथा समा पटन पर रखवी जावनी।

प्रदूषच नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

8851 श्री बालस्वरिहब विश्वे पाटिल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि :

- (क) क्या महाराष्ट्र देश में सर्वाधिक प्रदूषित राज्य है;
- (ख) यदि हो, तो बन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में प्रदूषण का अनुवात कितना है;
- (व) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई विस्तीय सहा-यसा प्रदान की है;
- (व) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योधवा के दौरान, वर्ष-वार, इस प्रयोजनार्थ कितनी वयराधि प्रदान की गई तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी वनराधि का उपयोग किया गया; जौर
- (ङ) उपर्युक्त अविधि के दौरान, वर्ष-वार, राज्य में किस सीमा तक प्रदूषण पर नियंत्रच पाया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों के प्रदूषण मार का कोई तुलनात्मक वैद्यानक मात्रात्मक अध्ययन नहीं किया गया है। यव।पि, बनसंक्या के धनत्व और औद्योगिकीकरण के कारण महाराष्ट्र को अस्यिषक प्रदूषित राज्य माना जा सकताहै।

- (ग) और (घ) भी, ही। सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र प्रकृष नियंत्रण बोर्ड को 51.09 लास स्वए दिए वए। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र प्रदुवस नियंत्रण बोर्ड को 1986-87 में 2.65 सास रुपये, 1987-88 में 12.94 लास स्वए और 1988-89 में 9.20 सास स्वये दिए गए। वर्ष 1985-86 में परिज्य की कोई पासि नहीं दो वई थी। दो गई बनराशि का बांशिक रूप से उपयोग किया गया है।
- (ह) गत तीन वर्षों के बौरान बम्बई में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बूल कमों की वार्षिक औसत में कमी हुई है, परन्तु नाइट्रोजन और सहफर डाई अनक्साइड के बावसाइडों में हुस वृद्धि हुई है।

व्यविन्धिरित 810 बड़ी और मकौली इकाइयों में से 651 इकाइयों ने बहिसाब सोयस संबंध स्थापित कर लिए हैं।

आंध्र प्रदेश को प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता

8852. भी वी॰ तुससी राम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे !

- (क) आन्त्र प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, केन्द्रीय सरकार डारा राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का क्योरा क्या है;
- (स) उपयुंक्त अविध के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराणि का उपयोग किया गया;
 - (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है; और
 - (घ) राज्य में किस सीमा तक प्रदूषण पर नियंत्रण पाया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (भी नियाउर्रहमान अंसारी): (क) जान्झ बदेश सरकार और जान्झ प्रदेश प्रदूषण नियत्रण बाब को 1987-88 में 26.05 साख द० और 1988 89 में 6.40 लाख रुपए दिए गए। जिन स्कीमों के तहत इस प्रकार की सहाबता दी बाती है वे 1987-88 से ही चालू हुई और 1986-87 के वौरान इस प्रकार के प्रयोजन के लिए कोई विधि बंटित नहीं की गई।

- (स) राज्य सरकार ने सुचित किया है कि वर्ष 1987-88 के दौरान बंदित समूची निधि का उपयोग किया जा जुना है किन्तु 1988-89 में उपयोग में साई राशि के क्यौरों की सूचना नहीं दी गई है।
- (ग) राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सत्।यता दी जाती है, जो राज्य सरकार /केन्द्र शास्ति प्रदेश द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों और निधियों की उपसब्धता पर निर्मेद करती है। विस्तृत प्रस्ताव अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं और फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी।
- (च) राज्य में समिनिर्घारित 340 वड़ी और मधीली इनाइयों में से 105 इनाइयों ने बहि-स्नाव शोपन सुविधाएं लगा भी हैं।

परिवेशी बागु गुजबस्ता के विश्लेषण ने पता चलता है कि सत्कर डाई आक्साइड और घूल कण दोनों में कमी होती जा रही है। नाइट्रोजन के आवसःइडों के स्तर अधिसृचित मानकों की सीमा के मीतर हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर न्ययं व्यय

- 8853. श्री सोडे रमेया: नया स्थास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) परिवार करनाण कार्यकर्मों के लिए निर्धारित राशि में सै कितने प्रतिशत राशि प्रशास-निक कार्यों और विज्ञापनों पर खर्च की वा रही है; और
- (श्र) इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में किए था पहे व्यर्थ व्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और वरिवार कस्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरीच कापर्डे): (क). परिवार कस्याण कार्यक्रम के बन्दगंत प्रशासनिक खर्च तथा विज्ञापनो के लिए बावटित बनराखि इस प्रकार है:---

		(भाषा रुपये)		
	1987-88	1988-89	1989	
(i) प्रशासनिक सर्व	2405.00	2997.47	3,60 00	
(ii) कुन सर्व में प्रशासनिक सर्व के निए बावंटन का प्रतिशत	4.11	4.99%	4.83%	
(iii) विज्ञापन	1700.00	1700-00	1850.00	
(iv) कुल खर्व में विज्ञापन सर्व के लिए खाबंटन	2.90%	2-83%	2.83%	

(स) राज्य अनुमोदित मानवण्डों के अनुसार स्वीइत योजनाओं पर व्यय करते हैं इन सर्वों की सम्बन्धित राज्य सरकारों के महालेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की खाती है केवल उसी खर्च की अनुमवि वी जाती है जो अनुमोदित पैटनं के अनुरूप हो।

सम्पदा निवेशालय द्वारा चबूतरों/बुकानों का आवंटन

8854. श्री एस० एम० गुरब्डी । क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सम्पदा निदेशालय ने लाइसेंस शुक्क के बाधार पर चतुनरों/दुकानों का आवंटन किया है;
- (स) क्या क्राविटती की मृत्यु होने पर उक्त चबूतरा/दुकानें मृत आवटितियों की विवाहित पुत्रियों को यदि प्रत्यक्ष वारिस वे ही हों हस्तांतरित किए जा सकते हैं;
- (ग) दिल्लो में, विद्योष रूप से नई दिल्ली में आई ०एन० ए० मार्किट में ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं;
- (घ) यदि हां तो कानूनी वारिस के नाम पर चाहे वह आवंटिती की विवाहित पुत्री ही क्यों न हों दुकानें/चदूतरा कियोस्क इस्तांतरित करने के लिए क्या कदम उठावे गए हैं; और
- (ङ) आई० एन॰ ए० मार्किट नई दिल्ली में अनुसूचित धातियों/अनुसूचित धववातियों के ध्यक्तियों से सम्बन्धित विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है;

क्षहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववई) : (क) जी हां।

- (इत) जी, नहीं।
- (ग) जून्य
- (ঘ) और (ङ) उपयुंक्त माग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उडते।

बुकानों/चबूतरों सम्बन्धी विशानिर्देश

8855. श्री विच्लु मोदी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

- (क) नई दिस्ती में सम्बद्धा निदेशासय द्वारा बार्बटित चबुतरों/दुकानों के नियमन/स्थानांतरण के लिए क्या दिशानिर्देश/नियम वपनाये वाते हैं;
- (स) उन व्यक्तियों का व्योग क्या है को युकान/बद्गतरा के मृत बावंटितों के "उत्तराविकारी" की परिभावा के अन्तर्गत बाते हैं बौर अपने नाम में दुकान/बद्गतरा के नियमन/स्वानातरक के सिय् हरुवार हैं; बौर

(ग) क्या के व्यक्ति की जो इस चबूत में | युकानों की साकी दार कर्मचारियों के कप में चमा रहे हैं, इन चबूत रों/दुकानों के नियमन/स्थानांतरण के किए पान है, और यदि हां, तो किन नियमों के विधीन;

सहरी किकास मन्त्री (बीमती मोहसिना किवबई): (क) मून वार्विती के कानूनी वारिस, सामेदारों, उप किरावेदारों के नाम में कोटफार्मी/दुकानों के नियम्किश्व/बन्तरक के खिए अपनाने गए सामान्य मार्गनिर्देशनों की मुख्य-मुख्य विशेषताये संसन्त विवश्व में दी गई है।

- (स) बाबंटिती की मृत्यु पर, प्राची के नाम पर दुकान का नियमितिकरण किया का सकता है यदि वह विदुर/विषया हो, पुत्र (गोड लिए पुत्र सहित) या मृत कावंटी की विषयाहित पुत्री हो, बचर्ते कि शेव कानूनी वारिसों के इस बाश्य का एक छएय पत्र बायर किया बाता है कि इस प्रकार के बाबंटन/नियमितिकरण से उन्हें कोई बायित नहीं है।
- (ग) सम्हर्तेस की करों के अनुसार सम्होबारी अनुसेय नहीं है। सूस अन्दंटी के कर्मवारी को व्लेटकमं/दुकान को बचा रहे के, पात्र नहीं है। तथापि, उन मामलों में जिनमें 6.5.75 से पूर्व सामेदारी आरी रही, फिर भी उनके नामों के नियमितिकरण पर विचार किया गया है।

विवरण मार्ग निर्वेज

- 1. नीचे दिए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर :---
 - 1. कानुनी वारिस के लिए
 - (i) मृत्यु प्रमाण पत्र ।
 - (ii) शेष कानूनी बारिसों से बनापत्ति प्रमाण पण ।
 - (iii) व्यक्तिगत सपन पन ।
 - (iv) उस कानूनी बारिस के नाम में दुकान का पंबीकरण को स वेदन करता है।
 - 2. साझेबार/साझेबारों के लिए
 - (i) इस प्रकार के दस्तावेजी प्रमाण सन्तुष करना कि 6.5.75 से पूर्व सासेवाची हुई हो।
 - (॥) मूल बाबंटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
 - 3. उप-किरायेबार के लिए
- सरकार की इस बाख्य की सम्बुष्टि कि कोई बतिक्रमन ; वनिकृत निर्मान/उद-किर्मेक दारी नहीं है।
- उन मानलों में यहां वितिक्रमण/वनिधकृत निर्माण/उप-किरायेदारी है, उद्दे निर्वामिकश्य का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा हटा निया नया है।
- 4. बकाया सहित सची बकायों का भूनतान ।

उपयुक्त वर्षकाओं की पूर्ति पर बाबंटन की वेशकश की बाती है बिसे देशकश किए वस् अवस्ति की स्वीकार किया बाता है और बावश्यकताओं के बनुसार नकद वरोहर बादि का भूक्ताव करना होता है।

पंजाब, दिल्ली और घण्डीगढ़ से कामगारों का रोजगार के लिए खाड़ी के देशों में जाना

8856. श्री कमल चौषरी : नया श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पजान और संघ राज्य कों त्र दिल्ली और चण्डीगढ़ से गत दो वर्षों के दौरान खाड़ी के विज्ञिन्न देशों को वर्ष-वार तथा देश वार असग-असग जाने वाले व्यक्तियों की संस्था कितनी है;
- (स) उक्त अविधि के दौरान खाड़ी के देशों में भारतीय दुतावासों के पास अपसी समस्याओं के समाधान के लिए कितने कामगारों ने शिकायतें दर्जकी है;
 - (ग) कितनी शिकायतों का समाधान किया गया; और
- (च) कितनी शिकायतें बब मी लिम्बत पड़ी हैं तथा इसके क्या कारण हैं और इनके सीध्र समाचान के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राषािकशन मालवीय) र (♥) थी गई उत्तवास अनुमित के बांकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं ।

(स) से (घ) सुवना एक ज को जा रही है और समापटस पर रख दो जाएगी।

सरकारी आवासों में परिवर्धन/परिवर्तन

8857. श्री शांति वारीवाल । निया शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सरकारी जावासों में रहोबदल करने सम्बन्धी मार्गनिव्यों/नियमों में संशोधन किया है;
 - (स) यदि हो, तो तस्सम्बन्धी व्योरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने पुरानी विमानियों को हटाने अथवा रसोई में क्सैब लगवाने सिंहत परिच वर्षन/परिवर्तन वेंसे निर्माण कार्यों के लिए आवंटियों से इन कार्यों की लागत के 10 प्रतिश्वत लाम का मुखतान करने की मांग की हैं; और
 - (व) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या हैं;

बाहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववई): (क) बी, इां।

- (स) गैर-संरचनात्मक प्रकृति के परिवर्षन/परिवर्तन, जो सुविधाओं के रूप में हैं, केन्द्रीय सोक किमाँच विमाग द्वारा निधियों की उपसन्धता की शर्त पर चरणबद्ध तरीके से किये जाने हैं। जो सुविधायें उपलब्ध की जानी हैं वे विमिन्न टाइपों के क्वार्टरों के ब्रमुमोदित स्तरों तथा विधिष्टियों के अनुस्प होनी चाहिए। यदि कोई बावंटी इस प्रकार के चरिवर्षन/परिवर्तन प्राथमिकता आधार पर कराना चाहता है तो उसे ऐसे कार्य की लागत का 10 प्रतिशत बहुन करना होता है जिसका अग्रिम स्प से मुगतान करना होता है। उक्त महान के ऐसे आवंटी या बाद वाले किसी आवंटी से बीर कोई राशि बसून नहीं की बानी होती है।
- (ग) परिवर्तन/परिवर्षन की 10 प्रतिशत लागत कैवस तभी देव है यदि बावंटी परिवर्षन/ परिवर्तन का कार्य प्राथितकता आधार पर कराना चाहता है। यदि ऐसा कार्य एक ही टाइप के निवासों में घरणबद्ध रूप में किया जाता है तो आवंटी द्वारा कोई लागत नहीं दी जानी दोती है।

(व) चतुर्च वेतन आयोग की सिफारिकों के आधार पर साइसेंस कीस की एक समान (फ्लैट) रैट विश्वीरित करने से पहले, सरकारी क्वाटंरों के आवंटियों को अपने निवासों में किए गए परिवर्षनों/परिवर्तनों के खिए अतिरिक्त साइसेंस कीस देनी पड़वी थी। बूकि लाइसेंस कीस की फलैट दर के निर्धारित किये जाने के बाद, कोई अतिरिक्त कीस किसी आवंटी द्वारा देय नहीं है, इसलिए को आवंटी ऐसे कार्य को प्राथमिकता आधार पर कराना चाहते हैं उनसे ही ऐसे परिवर्तनों/परिवर्षनों की सागल का 10 प्रतिशत वसून करने का प्रावपाव किया गया है।

भीनिवासन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आघार पर लिये गए निर्णयों का कार्यान्वयन

8858. भी एम० वी॰ चन्द्र शेखर मूर्ति भी अतीश चन्द्र सिन्हा डा॰ वी॰ वेंकटेंश भी वी॰ श्रीनिवास प्रसाद भी एच० एन० नन्त्रे गौडा

; नया वस्त्रा मंत्री यह बताने की क्रप

करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 1986 में श्रीनिवासन समिति द्वारा की गई सिफारिखों के आचार पर लिए गए निर्णयों को उसके पश्चात् लागू किया था;
 - (स) यदि हो, तो तस्सम्बन्धी व्योरा क्यां है;
 - (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
 - (घ) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) से (प) श्रीनिवास समिति ने एन० टी० सी० के घोटी के प्रबन्धकों के, उनकी योग्यतानुसार कम निर्धारण के बारे में केवल सिफारियों ही की थीं। यह निर्धय किया थया था कि "िक्क्ट" ग्रेड वाले अधिकारियों के स्थान पर उपयुक्त उम्मीदवार रखे आएं। श्रीनिवासन समिति ने जिन पांच निदेशकों को "निक्क्ट" माना था उनमें से चार को उनके पदों से पदमुक्त कर दिया थया है। एक अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य को नहीं रखने का कारण है उसके स्थान पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिसना। लेकिन इस अधिकारी के भी, 31.5.1989 को उसकी सेवावधि समान्त होने पर, पदमुक्त हो जाने की सम्मावना है।

कपड़ा मशीनरी का आयात

8859. श्री बाई० एस० महाजन: क्या वस्त्रा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने कपड़ा मशीनरी निर्माताओं को इटली की एक विश्वेष कम्पनी से "टिवस्टर डब्लर्स" का आयात करने का आदेश विया वा जबकि इस वस्तु को सुन्ना सामान्य नाइवेंस के अन्तर्गत रक्षा गया है;
 - (च) इस प्रकार की पावन्दी लवाने के पीछे सरकार का क्या अयोजन रहा है:
- (ग) क्या कपड़ा मधीनरी निर्माताओं ने सरकार के पास अम्यावेदन सेवा है तथा यह अनु-रोघ किया है कि सुना सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तुओं की सुन्नी में केवन किसी बस्तु-विदेश का उक्लेख किया बाना चाहिए तथा इसे प्राप्त करने के स्रोत का उक्लेख नहीं किया बाबा चाहिए। बौर

(व) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

बहुन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (स्त्री रफीक आलम) : (क) वे (घ) वस्त्र निर्धात को बहुन के मिए नर्थातको से प्राप्त बाधवरना के अधार पर शरकार ने रियायती शुक्क पर सुते सामान्य बादसैंस पर टिक्स्टर उस्तर्स के बायात की सनुमति देने का सरकार का काई इरादा नहीं है। सामान्य सुने साइसैंस की नायावसी में तदनुमार उपयुक्त सकोवन किया जा रहा है।

फेंब्राबाद, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

[हिन्दी]

8860- श्रीराय प्यारे सुमन : क्या साझ और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (६) क्या उत्तर प्रदेश के फैबाबाद जिले में 12 वर्ष पूर्व एक बीनी सिख की स्थापना हेतु बंबूरी प्रवान की गई बी, परन्तु उसे अभी तक स्थ पित नहीं किया क्या है;
 - (स) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और
- (व) इस मिल की स्वापना हेतु किसानों के बंशदाव को किस सीवं के अन्तर्गत बमा किया बबा बा बीर कुल जमा राधि कितनी है?

सास और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (बी डी॰ एल॰ बैठा): (क) और (स) आक्रसरपुर, जिसा फेजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सहकारी संत्र में नई बीनी फेक्ट्री स्थापित करने के लिए सी प्रियदर्शी बेतली, सेटाकू स, सक्तरपुर जिसा फेजाबाद को 20.4.1974 को एक बौधोगिक साइमेंस मसूर किया नया था। यू कि साइसेंन्यारी बढ़ायी गई सीमा सन्दर चीनी फैक्ट्री स्था-पित करने में सक्तफ्त रहा, इससिए विनांक 20 4-1974 के लाइसेंस की 19.3-1978 को रह कर दिया गया था। बत: उत साइसेंन के बाघार पर उद्या सोत्र में नई बीनी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रदन नहीं उठता। इस सोन में बीनी फैक्ट्रो स्थापित करने के लिए कोई नया खाइसेंस जारी नहीं किया बता है।

(व) अंस पूंजी को एकत्रित करने और इसका इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी प्रोरसाहक (i) की होती है। केन्द्रीय सरकार का इस मामले से कोई सम्बन्ध वहीं है।

मैसूर में "होसी डे होम"

[अनुवाद]

8861, भी बी॰ प्रस॰ कुम्ब अस्पर : क्या सहरी विकास मंत्री यह बताने की क्रूपा करेंगे कि :

- (क) क्या मैसूर और कटी में कन्द्रीय सरकारी कर्नवारियों के विष कोई "होसी हे होम" हैं;
 - (स) विद हो, तो तस्सम्बन्दी व्यीरा क्या है; बीर
- (ग) यदि नहीं तो तरकार का उस्त स्थानों पर कुछ होती है होन का निर्माण करने के खिए क्या क्यम उठाने का विचार है;

कहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किड्यई) : (क) और (ख) थी, नहीं । इस सबय मैसूर क्या कटी में केबीन सरकारी क्वेचारियों के सिए कोई होशी वे होम नहीं है। (ग) उपयुक्त भूमि का चयन/बिधग्रहण करने के पहलात ही मैसूर और इस्टी में होली हे होत्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कार्रवाई सुरू कर दी गई है।

जनसंस्या का प्राकृतिक वृद्धि दर

- 8862. डा॰ दिग्विक्य सिंह: स्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जनसंस्था नियंत्रण है उपायों के बारे में 29 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न सक्या 402 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) वर्ष 1979 के बाद से जनसंस्था की बाकृतिक दृद्धि दर में वृद्धि के स्था कार्य है सबकि वर्ष 1975 से 1978 की अवधि के दौरान इसमें कमी माई थी; और
 - (का) इस वृद्धि दर को वर्ष 1977 के स्तर तक कब तक साने की बाखा है?

स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज कापर्डे): (६) जनसंक्या की सहज वृद्धि वर जन्मवर बौर मृत्युवर दोनों पर निमंद करती है। वृद्धि वर 1979 से सनातार उच्चतर रही है। इसका कारच मृत्युवर में कमी होना तथा जन्मदर का मायः स्थिर बवा रह्या है।

(स) सातनी पंचनवींय योजना वस्तानेज में 1986-91 तक 1.90 प्रतिशत और 1991-96 तक 1.74 प्रसिक्त जनसम्या मृश्चि दर होने का जनुमान है।

वनस्पति घी का उत्पादन करने के लिए महाराष्ट्र को बारी किया गया आशय पत्र

8863. भी अनुप चन्द शाहः क्या लाख और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या महाराष्ट्र को पिछसे तीव वर्षों के दोरान सहकारी क्षेत्र में एक वनस्पति इकाई स्वापित करने हेतु बाह्य-पत्र जारी किया गया है;
 - (ब) यदि हां, तो तश्सम्बन्धी स्थीरा स्था है;
 - (ग) स्था इन सहकारी वनस्पति इकाइयों ने ववस्पति उत्पादन गुरू कर दिया है; बीर
 - (व) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम छठाए गए हैं ?

सास और नामरिक पूर्ति संमालय में उप मंत्री (भी डो॰ एस॰ बैठा): (क) मेर (स) में विष स्रवित बादि सादिवासी एवं मयास्वर्गीय आयलसीव्स स्रोवसं को आपरेटिव को साइटी को ससकापुर, बुलडावा (बिसा) सङ्काराष्ट्र में 30000 मी॰ टत वाविक स्वयता का एक वनस्पति एकक स्वापित करने के सिए एक बासय पत्र जारी किया यया है।

(ग) और (व) संयंत्र की स्थापना की जा रही है :

केरल में उचित दर दुकानें

8864- भी के॰ कुन्मस्तु मी बी॰ युस॰ विजयराज्यन : स्या साच और नागरिक पूर्ति संती यह बताने की इन्द्रा करेंगे कि:

(७) वत दो सभों के दौरान किरब में उन्तित दर की क्रुस कितवी युकानें सोखी गई हैं;

- (स) केन्द्र द्वारा केरल की लाखान्त की कितनी प्रतिश्वत मांग पूरी की वाती है; और
- ं(ग) क्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केरल को खाद्यान्नों, मिट्ठी के तेल और की नी की सम्लाई में बृद्धि करने का विचार है ?

साद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा): (क) कैरल सरकार ने कहा है कि 1987 और 1988 के दौरान 130 डिचित दर की दुकानें खोशी गई हैं।

(स) और (म) \$रल सरकार की मांग को केन्द्रीय पूल से वर्ष 1987 के दौरान लगभग \$6% बौर 1988 में लगभग 65% पूरा किया गया। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्तों का बाबंटन, केन्द्रीय पूल में मौजूद मण्डार, विभिन्त राज्यों की खापेक्षिक मांगों, वाचार में उपबब्ध मात्रा और अन्य सम्बन्धित वातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह बाधार पर किया खाता है। ये बावंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

लेबी चीनी का बावंटन, 1.10 1986 की बनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपसब्ध कराने के मानक पर बाधारित है। केरन सरकार को भी लेबी चीनी का बावंटन इसी मानक के बनुसार किया जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का निर्धारण, पिछले वर्ष की उस! अवस्थि के दौरान किए गए आवंडन पर उचित बढ़ोतरी करके किया जाता है। बाढ़, शुखा अयव। एल ० पै० मैस की कमी आदि जैसी विशेष स्थितियों से निवटने के वास्ते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोद पर अितरिक्त/तदर्ष आवंटन मी किए जाते हैं।

कर्नाटक और तमिलनाड्ड में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

8865- श्री श्रीकांत बत्त नर्रासहराज वाडियर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याच मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के बन्तर्गत कर्नाटक और तमिलनाडु में राष्ट्रीय कुष्ठ रोन उन्मूलन कार्यकर का कार्यान्वयन किया जा रहा है;
- (स) यदि हो, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों में यत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उम्मूसन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;
 - (ग) कितने कुष्ठ रोगियों का इसाज किया गया है; और
- (व) उपरोक्त खबिष के दौरान इन राज्यों में कौन से विशिक्त्ट पुनर्वात कार्यक्रम आरम्म किए गए है?

स्वास्त्र्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरीज सापडें): (क). बीहां।

(ख) यह सूचना नोचे दी गई है:---

(सास रुपए)

	कर्नाटक				तमिननाडु	
वर्ष	नकद	सामग्री	योग	नकद	सामग्री	योग
1986-87	70.00	30.00	100.00	86-00	65.0	1:10
1987-88	70.00	25.00	95.00	97.50	60.0	157.5
1988-89	80.08	30.00	110.00	105.00	65.0	1 70 .0

(ग) बोर (घ) ठीक हो गए कुछ रोगियों की सस्या तमिसनाधु में 828396 सीर कर्नाटक में 135319 है। इन राज्यों में मत्यचिकिस्सा पुनंवास के लिए पुनरंबनात्मक सस्य विकित्सा यूनिटें स्थापित कर ही गई हैं सौर कुछ पुनर्वास उन्तयन यूनिटें भी शल्य चिकित्सा पुनर्वास तथा ब्याबसायिक प्रशिक्षण के लिए स्वापित की जा चुकी हैं।

स्तान परियोजनाओं को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्रवान करना

8866. श्रीमती जयन्ती ज्यन्ती पटनायक: स्या पर्यावरण जुँऔर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

- (क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार पिछने तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, जिन स्नान परियोजनाओं को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की गई, उनका ब्योरा क्या है;
- (स) राज्यबार, जो खान परियोजनाएं स्वीकृति के मिए सम्बित हैं, उनका स्वीरा क्या है; बौर
- (ग) इन परियोजनाओं को बावदयक स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) पिछले तीन वर्षों के पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूर खनन परियोजनाकों को संलग्न विवरण-1 में वर्धाया गया है।

- (व) 31 मार्च, 1989 तक लम्बित खनन परियोजनाओं की एक राज्यवार सूची संसन्त विवरण-2 में दो गई है।
- (ग) ऐसे मामलों के की झा निषटान के लिए अब यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे सभी प्रस्ताव जिनके बारे में पूर्ण स्वना उपलब्ध कराई गई है, प्रस्ताव के प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के मीतर मंजूरी दे देनी चाहिए। जहां प्रस्ताव अपूर्ण पाए जाते हैं, तो मूचना की कमियों को परिशोजना प्रस्तावकों के व्यान में तुरन्त लाया जाता है, जिन्हें अपेक्षित सूचना मेजने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है। यदि सूचना निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे मामलों को पूर्ण सूचना न भेजे जाने के बाधार पर रह कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया यह सुविध्यत करने के लिए बारम्म की गई है ताकि परियोजना प्रस्तावक अपेक्षित सूचना शीझ मेजें।

विवरण---1

1986-87, 1987-88 और 1988-89 के वौरान पर्यावरणीय वृष्टि से मंजूर सनन परियोजनाओं की तालिका

वान्त्र प्रदेश

- 1. रामागृद्धंम खुली खदान-2 परियोचना, एस० ई ० सी० एस
- 2. गोदावरी सानी संस्था-10 इन्स्साइन परियोजना, एस० ई० सी० एस०
- 3. मानुगुद में को त्रीय कार्यकाला, एस० सी की oए ले o
- 4. रामागुंडम खुनी खदान-3 परियोजना एस०सी क्षी एस०

बिहार

- 5. जीतपुर कोयसासान पूर्ण निर्माण परियोजना, इण्डियन आयरन एण्ड स्टीस कम्पनी ।
- 6. माइयन सेंड परियोजना, बी०सी•सी•एस०

- 7. पायेरडीह वासरी बाबुनिकीकरण परियोजना, बी॰सी॰सी०एस०
- ह. मधुबन्व बारारी परियोजना, बी०सी०सी०एसo
- 9. राषरप्या बाबरी परियोजना सी वर्गे कर्मक
- 10. नरवापहाड भूमिगत सनन परियोजना, यूरेनियम कारपोरेखन बाफ इण्डिया ।
- 11. तूरामडीह मुमिगत सनन परियोबना, यू सी अवाई । एस
- 12. पुटकी वाखरी परियोजना, को•सी•सी•एन•

सम्य प्रवेश

- 13. भाटगांव भूमिगत परियोचना डब्ल्य ० सी ० एल ०
- 14. कृश्मदा खुली खदान (विस्तार) परियोजना, स्वस्यु ती •एल ०
- 15. शिवपुरी सूली खदान (विस्तार) परियोजना, हम्स्यू०सी०एव०
- 16. निगाही खुनी खबान परियोजना, एन०सी०एम०
- 17. घानपूरी खुली खबान परियोजना, डब्स्यू श्सी ०एल०

उडीसा

18. गंधमदेन बानसाइट परियोजना, बाल्को

महाराष्ट्र

19. नीसवाद खुनी सदान परियोजना, डब्स्यू ब्री व्एस व

पश्चिमी बंगाल

- 20. सारपी ब्लाक मुमिगत परियोजना, ई०की०एल०
- 21. बर्धवाम मुनिगत परियोजना, (अधिम कार्यवाही) ६०सी०एक•
- 22. जामबाद भूमिगत परियोजना ई०मी०एस०
- 23. जुमारबीह बुनगंठन परियोजना, ई०सी०एम०
- 24. कुनुस्तोरिया--- श्रामरासोता ब्लाक परियोजना, ६०सी०एस०
- 25. थोरा ब्लाक मुमिनत परियोजना, ई०सी •एम०
- 26. कोटाकीह खुली खदान परियोजना, ई०सी०एस०
- 27. अमृतनागर भूमियत परियोखना, इं०सी०एस०
- 28. बोबोहा भूमिगत परियोजना, ई०सी०एस०

तमिलनाडु

29. सान-1 (विस्तार) परियोजना, विवेकी निग्नाइट कारपोरेखव निमिटेंड ।

विवरण-2

31 मार्च, 1989 तक (राज्यवार) सम्बद्ध सनन परियोजनाओं की शुकी

वांध्र प्रदेश

- 1. रविन्द्र सानी (वई तकनीक) एस न्सी न्सी व्याव
- 2. बदाहर खानी संस्था 5 इन्नलाइन, एस०सी०सी०एस०
- ३. रदमावती सानी, एस श्वी०सी व्यन
- 4. चिन्तूर बाई० ए० व । इल्बाइन, एस०बी०बी०एस७

- 5. की बो की ब कि ब हम्बलाइन, एस बसी बसे बएस ब
- 6. मानुग्रक खुली खदान संस्या 3, एस∘सी०सी०एल●
- 7. बांझ बाक्साइट परियोजना, नेश्नमन एम्युमीनियम करपनी सिमिटेड ।
- 8. माइमस्टोन खनन परियोजना सोमेस्वारा सीमेंट एण्ड कैमिकस्स लिमिटेड ।
- 9. साइमस्टोन सन्त परियोजना, यशेषु टसा शीमेंट फेक्ट्री है सन्बद्ध, सीवनीवसाईक
- 10. तहर सीमेंट फेंबड़ी, भारतीय सीमेट निमम से सम्बद्ध साइमस्टोन सनन परियोजना ।

असम

11. बारागोलाई कोयमाखान परियोजना, उत्तरी पूर्वी कोसफील्ब्स लिमिटेड।

विहार

- 12. रायबाखरा (पुनर्गठन) परियो जना, सैंट्रल कोल-फील्ड्स लिमिटेड।
- 13. के बी हेंसलांग खुमी सदान (विस्तार) परियोजना, सी बी ब्ह्रा
- 14. पृक्रन्द सुनी खँदान परियोजना, मारत को किंग कोल निमिटेड ।
- 15. सिरका खुली खदान परियोजना, सी०सी ●एस०
- 16. डाकरा बुकबुका सली खबान परियोजना, सी०सी०एल०
- 17. राजरप्ता खुनी खदान परियोजना, सी०सी०एस०
- 18. पिपरवार कुली सवान परियोजना, सी०सी०एल०
- 19 चावानाला अपर सीम्स कोलियरी परियोजना, इण्डियन काश्रत एवड स्टीस कन्पनी लिमिटेट ।
- 20. करीमारी खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०
- 21. सिलेक्टेड बोरी, सी॰सी॰एस॰
- 22. तोपा पुनर्गंडन, सी०सी० एन०
- 23. कारो-1 खुलीखदाव परियोजना, सी०सी०एस०
- 24. भौंदा ही खुनी खदान परियोजना, सी०सी०एन०
- 25. इन्दगोर खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०
- 26 ब्लाक-2 की किंग कोस परियोचना, बी०सी०सी०एस०
- 27. कटरास परियोजना, बी०सी०सी०एल०
- 28. घोरी पहिचम (शामलो) खुलो खदान परियोजना, सी०सी०एल•
- 29. कारकाटा सुन्नी खदान परियोजना, सी०सी०एव०
- 30. झारखण्ड खुली खदान परियोजना, सी०सी०एस०
- 31. आधारा खान, इस्टनं कोल फील्ड्स लिमिटेड।
- 32. पुटकी बुलिबारी खान, बी०सी०सी०एम०
- 33. मगध सूली सदान (अप्रिम कारंबाई) सी॰सी॰एन•
- 34. राष्ट्रमहत्त का बार०सी •ई० खुली खदान परियोजना, इ ०सी ०एल०
- 35. पीपरवार खुली खदान परियोजना, (अधिम कार्रवाई) सी बी व्यक्त
- 36. राजमहून खुली खदान परियोजना (विस्तार) परियोजना, सी ब्ली ब्रह्म
- 37. मेथाहातुनुरू सीह खयस्क परियोजना (संशोधित सागत बनुमान) बोकारी ६स्पात सर्वत्र स्टील खबारिटी खाफ इन्हिया लिमिटेड ।
- 38. सामजोर सनन परियोचना, पाइराइट्स फास्फेट एंड कैमिक्स्स निमिटेड।

मध्य प्रदेश

- 39. जमुना कोवसाचान, डब्ल्यू०सी०एस०
- 40. नन्दन कोयलासान का वुनर्गठन, डब्ल्यू०सी०एस०
- 41. तांडसी कोयलासान, डब्स्यू०सी०एन०
- 42. चुर्वा पश्चिम कोयनासाय, बस्त्यू०सी०एस०
- 43. साविया सूलो सवाव परियोजना, उत्तरी कोलफील्ड्स सिमिटेड ।
- 44. दुरना (माटगांव) खुली बदान परियोजना, बब्ल्यू०सी०एस०
- 45. सेंद्रम वकंसाप (जयत), सिनरीले, एन०सी०एल०
- 46. बैलाडिला डिपाजिट 14 परियोजना, राष्ट्रीय स्निज विकास विगम लिमिटेड
- 47. राववाट सोह सबस्क परियोजना, जिलाई दस्पात छवत्र ।
- 48. बैलाडिसा डिपोजिट-5 के लिए साइन और हैडलिंग स्कीम, एन •एम डी व्सी •
- 49. बैसाहिला 11-सी वियोजिट परियोजना, एन एम ही सी •

उद्योसा

- 50. समसेदवरी खुली सदान परियोजना, एस व्हं व्सी व्यव
- 51. **मरतपुर खुनी खदान** परियोजना, सीं०सी •एस०
- 52. व्यान्नाव सुसी सदान (विस्तार) परियोजना, सी०सी०एव०
- 53. क्रिंग सुली खदान परियोजना, एम क्रें ब्री व्यव
- 54. अनन्त सुनी खदान परियोजना, एस०ई ० सी०एन०
- 55. सिंगराज सुसी सदान परियोजना, एस०ई ०सी०एस०
- 56. माटीकालो बीच सैंड डिपोजिट प्रोजेक्ट, इण्डियन रैकर वर्ष सिमिटेड ।

महाराष्ट्र

- 57. उकनी सुनी खदान परियोजना, इव्ह्यू० सी व्एन०
- 58. कोलार पिब्परी सुसी सवान परियोजना, डब्ल्यू ० छी० एस०

पश्चिम बंगास

- 59. जामबाद खुली खदान परियोजना, इं०सी०एव०
- 60. शेनाई मगलपूर सुसी सदान परियोधना, इंब्सी ब्एब
- 61 बाक्लिया भूमिगत परियोजना, इं०सी०एस०
- 62. बुसिक भूमिगढ कोयला परियोजना, ६ ०सी०एल०

उत्तर प्रदेश

- 63. दूबीचुमा खुकी स्रवान परियोजना, एन०सी०एस०
- 64. मासवेदता सान, पी०पी० सी०एन०
- 65. बस्मीर मैक्नेसाइट मिमिटेड का श्विरोत्ती मैक्नेसाइट साम ।

, गुजरात

66. जनदम्बा सीमेंट निमिटेड का चूना पत्यर साम परियोधना ।

म्बं 1989-90 के बौरात मलेरिया उत्मूलन हेतु राज्यों के किए निर्वारित राज्ञि

8867. भी के॰ प्रचानी : म्या स्वास्म्य और परिवार कस्थाण मंत्री यह ज्ञाने की कृपा करेंगे

- (क) क्या खंडुचे देख में मलेरिया पुनः खैल गया है;
- 🔳 म्या इस नार जो मनेरियाः कैना है मह इस दे पहले चीने मनेरियक कि पिन्न प्रचाति बीर प्रकार का है;
- (ग) यदि हो, तो सरकार मलेरिया की रोक्तयाम के निष्ट् क्या कदम उठा रही 🎙 ।
- (व) क्या मलेरियारोग से निपटने के राज्य सरकारों को पर्यन्ति महायतानहीं की बारही
- (ङ) यिव हो, तो वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया निवंत्रण कार्यक्रम के जिय् फितमो राखि निर्मारित की नई है ?

स्वास्त्य और परिवार कत्याच मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापक्र) : (क) बी, मनीरया के रोगियों की सुचना दी गई है। वैसे, बांझ प्रदेश, बोबा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिबोरम, राजस्वान, तमिसनाडू, उत्तर प्रदेश राज्य बोर जन्धमात एवं विकोबार द्वीपसमुद्ध, दादरा व सागर हुवेसी, दिस्सी और पांडिचेरी सप राज्य खेत्र में मलेरिया के रोगिकों में बृद्धि होने की सुपका दी गई है। महीं। 1987 के मौरान 1663284 मलेशिया के रोगिकों के मुकाकते 19 के झौरान 1472059

- (a) मञ्चारों की प्रवाति और देश में हो रहे मलेरिया के प्रकास में कोई परिवर्तन व्हिया मया 🌓 ।
- (ग) केख में मलेरिया की रोक्षाम करने के निय्निमिसित विधिष्ट क्याब किए गए हैं। किए बा रहे हैं :-
- (1) मलेरिया के खंबरण की रोकने के लिए उन सेत्रों में अवसेषी कीटनासी सिङ्गकाब किया बा रहा है जहां वार्षिक परबोदी बटना हो सबबा हो से ब्रायिक हों
 - केश के सभी मनेरिया प्रस्त क्षेत्रों में हर पखताड़े नियमित रूप के नियशनी करने पर जोर विम बया 🕽 - $\overline{3}$
- निए प्राथमिक स्वास्त्य केन्द्र में प्रयोगखाला धेवाबों को विकेन्द्रोक्कि कर दिया गया की बीझ जांच और विनाकोई समय लिए सरकाल उपवार करने के रक्त स्मीयरों (3)
- जबर के रोजियों की मलेरिया-रोबी जीव बें उपलब्ध कराने के बिष्ः केंब में बुर-दराब के क्षेत्रों में जीवन वितरण केन्द्र और न्वर उनकार दियो कार्य कर रहे हैं। Ī
- की । फाल्डीयेरम प्रवासि की रोक्याम करने के लिए देख के समस्था प्रस्त बेनों में एक पी . फाल्सीपेरम मियंत्रण कायंत्रम कायं कर रहा है। (3)
- (प) राष्ट्रीय मसेरिया उपमुखन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोखित को बार्जना 13 उम्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोधित क्षेत्री-11

सनुसार कीटनास सौवर्षे भीर सार्वानासक प्रदान किए वा रहे है। इसके सर्तिरिक्त, इस कायंक्रम के कारवर कार्यांश्वयन के सिंध नकद सहायता भी वी जा रही है।

(क) काला बाजार बीर जापानी एन्छैफंलाइएटस निर्मंत्रण संबंधी कार्यकलापों समेत राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 1989-90 के बबट अनुसान में 89.00 करोड़ स्पये की धनराधि प्रदान की गई है।

यमुना-पार की कालोनियों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

8868. डा॰ औ॰ विजय रामा रावः क्या शहरी विकास मंत्री यह वताने की क्रपा करेंगे

- (क) क्या सरकार को यमुना-पार की कालोनियों में आंत्रशोध की बोमारी के पुन: फैलने की बानकारी है जैसा कि 15 मार्च, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समावार प्रकाशित हुवा है;
- (क) क्या संक्रामक रोगों से प्रमावित क्षेत्रों में शुद्ध/स्वच्छ पेय वस की आपूर्ति तथा जस-मज्ञ व्यवक के सिए कोई व्यवस्था की गई है; और
 - (ग) यदि हां, तो तत्सबंधी स्थीरा क्या है;

सहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) विस्ती नगर निगम ने सुवित किया है कि ऐसे माम ों की संस्था में काई बस्वामाविक बृग्द नहीं हुई है।

- (क) और (ग) साफ-सुवरा पीने के पानी की आपूर्ति तथा मलनिर्वास व्यवस्था इस प्रकार है:--
 - (i) पुनर्वास कालोनियां :--- 44 पुनर्वास कालोनियों में अब गोधित जल की आपूर्ति उपलब्ध है यमुनापार की 13 कालोनियों में 84500 व्यैक्तिक कनेक्शन दिये गये हैं।
 - (ii) अनिष्कृत नियमित कालोनियां :--- 543 नियमित कालोनियों में से 459 कालोसियों में अब आधात बढ़ाई नई है। 18 कालोनियों में कार्य प्रवित पर है। बन्य 18 कालोनियों में नार्य प्रवित पर है। बन्य 18 कालोनियों में नार्य अवार्य किया गया है तथा नियों में विकास प्रमार प्राप्त होने की प्रत्याक्षा में काय अवार्य किया गया है तथा आधानियों से राखि प्राप्त होने पर निष्पादन कार्य आरम्भ किया आयेगा तथा शेष 48 कालोनियों में यहरे हैण्ड पम्पों नहरे नसकूपों के साध्यम से पेयजब उपसम्भ कराने के सियं उपाय किये जा रहे हैं।
 - (Hi) बेहाती गांव: -20-सूत्री कार्यक्रम के बन्तगंत 219 सभी बेहाती गांवों में स्वच्छ पेय बस बहुत ही उपलब्ध करा दिया गया है।
 - (1v) हरिकान बस्ती:---413 समी हरिकान बस्तियों में नलकों का पानी उपलब्ध करावा गया है।
 - (४) शुष्पी-सोंपड़ी समृह:—खोधित बल बापूर्ति की कमी के कारण, इन समृहों में गहरे हैण्डपम्प सवाने का निबंब लिया गया है। यदि बावक्यक हुबा तो नजदोक की वानी की मुक्य लाइव से सार्वजनिक नल लगाये वावेंगे। यमुनापार को त्र के 76 फुरगी-खोंपड़ी समृहों में सार्वजनिक नल पहले ही लगा दिये गये हैं।
 - (vi) अनिषक्त कालोनियां :--इन 235 कालोनियों वो कि विद्युतीकरण के लिए पहले ही अनुमोदित कर दी गई हैं, के निवासियों को गहरे हैंण्डवस्यों/गहरे नसक्यों के माध्यम से स्वच्छ पेयवस उपसम्ब कराने का निवंग सिया गया है।

रोगों के कारण बच्चों की मौते

- 8869. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या जल से उत्पन्न रोगों, हुपोवण और प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अमाव के कारण प्रतिवर्ष मरने वासे बच्चों की संस्था का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;
 - (स) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कषं क्या है; और
- (ग) सरकार ने बच्चों का श्रीवन वशाने के लिए क्षव तक क्या एहतियाती उदाय किए हैं जयवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापडें): (क) है (ग) 1985 के दौरान स्वास्थ्य सवा महानिदेशालय ने 5 वब से कम बायु के बच्चों में बतिसारीय रोगों के सर्वेक्षण किये थे। ये सर्वेक्षण भारत के विभिन्य राज्यों में फैले 11 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए थे। इस अध्ययन में कुल मिलाकर 2,94,214 बच्चों को कदर किया गया था खिलार से संबद्ध रोगों से हुई मौतों की हरें प्रति हजार जनसङ्या के पोछे 0.2 से लेकर 4.2 तक भिन्य-धिन्न हैं।

राज्य सरकार इस रोग को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त निवासक उपाय करती है जिनमें सुरक्षित पीने के पानी की बापूर्ति, मानव मल-मूत्र और कूड़े-कचरे का सुरक्षित निपटान, वैयक्तिक बीर मोजन सफाई में सुघार, पीने के पानी को क्लोरीनोयुक्त करना और स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृष्ट करना शौर स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृष्ट करना शौर स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृष्ट करना शामिल हैं।

सरकार ने कमजोर वर्गों अर्थात् स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों और गर्मवती सीर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पौषणिक स्तर में सुवार करने के लिए विभिन्न कदम उठाने शुक्र किए हैं। चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

- 1. विटामिन "ए" की कथी से होने वाली दुब्टिहीनता के बचाव के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम
- 2. माताओं और बस्कों में पीवाणक स्वतात्पता की रोवधाम के लिए प्रतिस्क्षण कार्यक्रम ।
- 3. गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम ।
- 4. एकीकृत वास विकास सेवा स्कीम।
- 5. विशेष कोवण कार्यक्रम ।
- बासवाड़ी पोषण कार्यक्रम ।
- 7. मध्याह्व मोजन कार्यक्रम ।

उपयुं बत कार्यक्रमों के अशावा दीर्घकासिक प्रयास में साध उत्पादन, बोबण सिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों की कय शक्ति में वृद्धि करने के सिए निधनता-रोधी कार्यक्रमों पर बख दिया गया है।

आठवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

- 8870 श्री हुसैन दलवाई: न्या स्वास्थ्य और परिवार कस्याण मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार का बाठवीं पंचवर्षीय योजनाविष के दौरान प्रति दस हजार वनसंक्या के किए प्रावमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वावित करने का विचार है;

- (स) यदि नहीं, तो बाठवीं पचवर्षीय क्षेत्रवार्काय के दौरान प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्य्य केन्द्रीं का क्या ढांचा होगा;
- (ग) स्या सरकार का परिवार कस्यान कार्य को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से वसग करने का विचार है और परिवार कस्यान कार्य के लिए स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है। और
- (घ) यदि नहीं, तो इस केन्द्रों में परिवाद कल्याण कार्य को सक्षम बनाने के सिए कीय के सबस उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कस्याम मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज जापडें): (क) से (व) योजना जायोग द्वारा अभी तक आठवी योजना के वस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया वया है।

राज्यों की राजधानियों में सबमा उपचार केन्द्रों की स्थापना की योजना

- 8871. श्रीमती किसोरी सिंह : न्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्री यह बताने की झ्या करेंबे कि :
- (क) क्या सरकार का विल्वी में हाल ही में कोले मए सदमा उपकार केन्द्र के समान राज्य की रावधानियों में ऐसे उपवार केन्द्र लोलने में राज्य सरकारों की सहायता करने का धस्ताव है; बौर
 - (स) यदि हो, तो तत्संबंधी व्यौरा प्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री: (कुमारी सरोज सापर्डे) ! (क) बीर (स) दिस्तों में दुवंडनायस्त व्यादेतयों की तःक स विकित्सा सुदिवासुनि देवत करने के लिए वयी न,1988 में केन्द्रीय दुवंडना एवं विभिन्नत सेवाएं नामक एक स्कीम प्रारंग की गई थी। इस स्कीम के देश के क्षण्य मार्गों के सिए विशेषकर विभिन्न राज्यों के महानगरों के सिए, एक वादर्श स्कीम के कप में कार्य करने की संभावना है। अब यह संबंधित राज्य सरकारों पर है कि वे इस स्कीम को वपने राज्यों के विश्वासन सहरों में कियान्वित करने के सिए अपनाएं।

उदयपुर में पर्यावरणीय वृष्टि से क्षति पहुंचाने वासी फैक्ट्रियां

- 8872. डा॰ जी॰ विजय रामा राव : न्या पर्यावरण और वन मंत्री यह वताने की हुपा इन्हें कि :
- (क) क्या सरकार को निर्यात के निष् एष० एसिड का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों है उदयपुर के बास-पास पर्यावरकीय सित के सर्वथ में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो सरसंबंधी व्योरा क्या है तथा एवं एसिड का तकनीको विवरण क्या है;
- (स) क्या मामले की जांच करने, क्षति का बायबा लेने तचा ऐसे बतरनाक कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने कोई केन्द्रीय दस मेजा है; बीर
 - (ग) यदि हो, तो तस्तवंधी व्योरा स्था है और इसके निए स्था कदम उठाए नए हैं ?

पर्याचरच और वन मन्त्री (भी जियाउर्रहमान अन्तारी) : (क) थी, हां । उथवपूर के बासपास एच० एति इ उत्पादन करने वाले दो मृनिट हैं । ये मैससे सिल्यर केमिकस्स जीर मेससे ज्योति सैमिक्ष हैं । वे एच० एतिक तैयार करते हैं जो नेष्याकीन के सस्कोनेसन कोर नाइट्रेशन से उत्पान्त होता है और 1-एमिनो 8-नेष्योस 3, 6-दाइसस्कोनिक एतिक सास्यनिक के क्य में ज्याना वाता है ।

- (स) बीर (ग) मामले की बाच करने के लिए कोई केन्द्रीय दस नहीं मेजा गया था। त्यापि, राकस्थान प्रवृत्तन नियमण बोर्ड ने मामले की जांच की है। इन यूनिटों से उत्पन्न बदुवन के विए स्टाए नए कदम निम्नसिखित हैं:—
 - 1. राषस्यान प्रदूष क नियंत्रण बीर ने इन यूजिटों की उनके तरम बहिसावों के सिए संगुषित सोधन प्रणासियां स्वाधित करने और पैसीय उश्मर्जनों के नियत्रण के विए कौस्टिक साफ करने की पुनिष्ठ स्वाधित करने का निदेश दिया है।
 - 2. राज्स्यान बोडं ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की बारा 33, 43 और 44 के तहत मैसर्स सिल्बर कैमिकस्स के सिलाफ मामला दायर किया है।
 - 3. राज्य बोर्ड ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की बारा-5 के तहत राज्य सरकार से इसे बन्द करने के निदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है।
 - 4. जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 144 के तहन मैसर्ख सिस्वर कैनिकस्त को दो माह के लिए बन्द कर दिया है जिसकी नविध 2 मार्च, 1989 को समाप्त हो गई। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहन न्यायास्य में कार्रवाई मी सब्बित है।

कीटनाशकों का विषजन्य/जानलेवा होना

8873. श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलमः क्या स्थाध्न्य और परिवार कल्याण सन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का व्यान वेलन्टरी हैल्य एसोम्पिकन माफ इंबिया (बो०एच०ए० आई०) द्वारा हाल ही में आयोजित कोर ग्रुप वैंक में की गई सिफान्शों की ओर आकर्ष किया गया है और यदि हो, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (स) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि सभी राज्यों तथा संव राज्य क्षेत्रों द्वारा कीटनाग्चक विधिनयम वयवा इसके वन्तगंत बनाए यए वन्य संवंधित विधिनयमों/कानूनों/विनियमों के अन्तगंत कीटनाशकों के विध्यन्य/वानलेवा होने के बारे में विधिनुवना जारी की जाए?

स्वास्थ्य और परिवार कत्यान मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज श्वापडें) : कृषि बीर सहकारिता विभाग से प्राप्त सुचना के बनुसार कृषि मत्रालय का उत्तर इस प्रकार है:—

(क) कीटनाश्चक समस्याओं खौर विकश्यों पर मारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य संब द्वारा गठित राष्ट्रीय कोर युप के संबंध में इस विमान के पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है।

सरकार ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 बनाया है। उस्त अधिनियम के प्राचवाकों के अध्यगंत देश में कोई कीटनाशी उस समय तक बागात अयम निर्माण करने की अनुमति नहीं है वन तक
वह इस प्रयोजन के लिए पंजीकृत नहीं हो जाता। किसी कीटनाशी को उसकी प्रशावकारिता और
वैज्ञानिक मूल्यांकन पर बाधारित सुरक्षा के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही पंजीकृत किया जाता है।
इस्तेमास के लिए विफारिश की गई कीटनाश्चे औषम्यें जीवाणुओं को निर्माचन करने में प्रशावशासी हैं
विद्यासास स्थान इस्तेमास निर्मार्थत इस्तेमास के तरी हों के बनुसार किया जाता है। उद्यापि, कुछ मामसों
में बहां कहीं कीटनाशो औषध के सतत इस्तेमास में नासीजीव में प्रतिरोच स्थित/पुनस्थान स्थित
वैद्या हो जाती है तो बैकल्पिक कीटनाशक औषधों सहित वाधीजीवों के नियंत्रण के सिए दूसरे तरी की
की सिकारिश की जाती है।

(व) कीटनाशी बिधिनयम, 1968 के बनुक्छेद 26 के सन्तर्गत राज्य सरकारों को, कीट-नाशों के कारण होने वाले विखेन प्रभाव की सुचना देने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को अधिसृचित करने के लिए, प≩ले ही शक्तियां प्रदान की गई हैं।

स्ववेशी पालिटैक्स लिमिटेड में घाटा

- 8874. भी एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।
- (क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्वदेशी पासिटेक्स लिमिटेड के अधियहण के बाद इसकी विचीय हानि हो रही है;
 - (स) यदि हां, तो तत्संबंध क्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; कीर
 - (ग) स्वदेशी पालिट इस लिमिटेड के कार्यं करण में सुघार साने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्रा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आसम): (क) और (क) सरकार राष्ट्रीय बस्त्र विगम ने स्वदेशी पौलोटें वस सिम्टिंड का प्रवध हाथ में नहीं सिया है। यह एक सरकारी कम्पनी नहीं है और इस सिए सरकार के पास कम्पनी के प्रकाशित बस्तावेजों के बखावा कोई और जानकारी वहीं है।

(ग) प्रवन नहीं उठता।

कंगसबाती सिंचाई परियोजना

- 8875. डा॰ सुधीर राग : नया पर्यावरण और वन मन्त्री गह बताने की कुपा करेंगे कि ।
- (क) क्या कंगसदाती सिचाई परियोजना के आधुनिकीकरण की योजना को योजना आयोग ने मंजूरी प्रदान कर दी है;
 - (स) यदि हा तो इसके परिधामस्वरूप कृषि योग्य क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है
 - (ग) परियोजना को आवष्यक पर्यावरणीय मंखूरी कब तक विये जाने का अनुमान है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) ! (क) और (स) योजना आयोग ने सिंचाई परियोजना के अधुनिकीकरण की योबना को अंजुरी प्रदान नहीं की है। यदि कभी परियोजना कार्यान्वित की गई तो कृषि योग्य क्षेत्र में ओर 1.09 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र शामिस किए जाने का समुमान है।

(ग) बाबस्यक वर्यावरणोय योधनाओं को न मेजने के कारण इस प्रस्ताव को अस्तूबर, 1987 में पर्यावरण की दृष्टि से नामंत्रूर कर दिया गया था। पूर्ण पर्यावरणीय प्रवाध योखनाएं मेखने पर परियोखना को मंजूरी देने के लिए पुनः विचार किया जा सकता है।

राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या

[हिन्दी]

- 8876. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या सहरी विकास मन्त्री यह बताने की क्रुपा करेंबे कि :---
- (क) क्या राजस्थान सरकार ने शाज्य के ग्रहरी क्षेत्रों में पेयवल की समस्था की इस करने हेल केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया है;
 - (स) यवि हां, तो तस्सम्बन्धी व्योरा स्या है; बोर

(ग) नया कैन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई सहायता दी गई है अवना देने का विचार है:

शहरी विकास मंत्री (भीमती मोहसिना किववई) : (क) बी, हा ।

- (क) राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों में सूखे जैसी स्थितियों के कारण राज्य में पेयजल की कमी के लिए 54.07 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगते हुए एक ज्ञापन मेजा है।
- (ग) स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय वस मेजा गया है। इसके पेश्वजल के लिए केन्द्रीय सहायता के अञ्चलकि आसामी कार्रवाई केन्द्रीय वस की रिपोर्ट और इसके प्रोसेलिंग पर निर्मेर दरेगी।

स्टेट बेंक आफ इंदौर, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में दर्ज किये गये मामले

[अनुवाद]

8877. श्री राज कुमार राय: स्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अगस्त, 1988 है 31 मार्च, 1989 तक की अविध के दौरान स्टेट बैंक आफ इंदौर की दिल्ली वाका के स्टाफ वदस्यों ने सहायक थम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के न्यायालय में कितने मामले दर्ज किये हैं;
 - (स) इन मामलों का व्योरा क्या है तथा इनके परिणाम क्या निकले हैं; और
- (ग) क्या सरकार को इस संबंध में असफलता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अस मंद्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राषा किशन माल-वीय) : (क) दो।

(स) एक विवाद लिपिक, श्री राजिन्द्र सिंह की बर्लास्तगी के बारे में उठाया था, और दूसरा विवाद अ शकालिक स्वीपर, श्रीमती विमना बाई को पूर्णकालिक अधीनस्य कर्मचारी के रूप में सपाये जाने से संबंधित है। इस दोनों मानलों में संराधन कार्यवाही के प्रयास असफन रहे चूं कि कोई सम-झौता नहीं हो सका।

(ग) की, हारे।

भुवनेश्वर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन निवेशालय के कार्यालय और मेडिकल स्टोर के लिए मवन

8878. आर्थी अनेवल्लम पाणिप्रहीं : क्या अस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने मुबनेदवर में कर्मकारी राज्य बीमा योजना के बाधीक निवेशालय कार्या-लय और सेंट्रल मेडिकस स्टोर के लिए अवन निर्माण हेतु कदम उठाये है;
- (ख) यदि हो, तो इसके लिए चुने गए स्थान का नाम नया है बीर इसके लिए राज्य सरकार ने कुल कितनी भूमि उपलब्ध कराई है; और
- (न) कार्यां वय सबस के निर्माण पर अनुमानत कितनी सागत आएगी और इसके सिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी अनराधि स्वीकृत की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राषा किशन माल-बीय): (क) जी हां।

- (ल) आवे एकड़ का एक भूखन्ड नवा पाली, मुवनेश्वर में खरीदा गया है।
- (ग) मदन के निर्माण के लिए योजना और अनुमानों की राज्य सरकार से प्रतीका की जा रही है।

बम निरीक्षक

8879. डा॰ कृपासिन्धु मोई : क्या अस मंत्री यह बताने की कृपा करेंचे कि :

- (क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में फेन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अस निरीक्षकों के अप्तिरिक्त पद मुजित करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। और
 - (स) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने वण कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (राषा किशन मास-वीय): (क) जी, हो।

(स) इस समय इस योजना के अन्तर्गत श्रम निरीक्षकों के स्नतिरिक्त पद सृज्ञित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन मूमि में झूम खेती करने वाले किसानों का पुनर्वास

8880. डा॰ फूलरेणु गुहा: बया पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वन भूनि में रह रहे झून खेती करने वाले फिसानों के पुनर्वास के खिए विशेष योजनायें बनाई गई हैं;
 - (स) यदि हां, तो तस्तंबंधी ग्योरा क्या है; और
 - (ग) अब तक राज्यवार, कितने परिवारों को बसाया गया है?

पर्याकरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) अन्य प्रदेश अक्षणाचन प्रदेश, सन्म मेवाजय. निजोरम, नागालंग्ड, उड़ोसा और त्रिपुरा में भूम कृषि के नियंत्रण के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 1987-88 में एक स्कीम आरम्भ की गई थी। इस स्कीम में वन और गैर-वन दोनों क्षेत्र शामिल हैं।

- (स) इस स्कीम की मुक्य विशेषताएं संसग्न विवरण-1 में दी गई हैं।
- (ग) सुम कुषकों के 76241 परिवारों को 1987-88 से 1991-92 तक बसाने का झस्ताव है। पुनर्वास के निए चुने गए परिवारों का ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-ा

झूम कृषि नियंत्राण स्कीम की मुख्य विशेषताएं

- 1. बेंब टरेसिंग, बडिंग बादि के जरिए स्थायी कृषि के लिए भूमि का विकास;
- 2. जहां संमव हो वहां सिचाई सुविधाएं;
- 3. कृषि/शगवानी और पौषरोपण फसलों को उगाने के लिए आवस्यक निवेश;
- 4. ग्रामीण लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ई घन की सकड़ी के पीघें और चारा जगाना;

- 5. सुअर पालव, मुर्गी-पालन, मस्स्य-पालन, रेखन उत्तादन आदि जैसे गोव व्यवसाय;
- 6. उपयुक्त मू और जस संरक्षण उपायों द्वारा जस सम्मर की सुरक्षा; और
- 7. कार्बक्रम को लाग् करने के लिए बावश्यक बाधारभूत ढांचा।

विवरण-2

1987-88 से 1991-92 तक झून कुवकों के परिवारों को बसाए जाने का राज्यकार ब्यौरा

क॰सं०	राज्य का नाम	चुने गए	परिवारों की संस्था
1.	बान्ध्र प्रवेश	1	509
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	199
3.	असम	2	2564
4.	मणिपुर	2	992
5.	मेषालय	2	252
6.	मिजोरम	1	982
7.	नागा र्वण ्ड	4	800
8.	उड़ीसा	6	323
9.	त्रिपुरा	18	100
		5 ल	26421

स्व-विस्तवीवित योजना के अन्तर्गत फ्लंटों का आवंटन

- 8881. श्री कनला असाव सिंह: क्या कहरी विकास मंत्री स्व-वित्तपीवित योजना के बन्तर्गत पत्ते के बावंटव के बारे में दिनांक 19 अब स, 1989 के बतारांकित प्रश्न संस्था 6112 के बत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की क्रपा करेंगे कि:—
- (क) क्या दिस्ली विकास प्राधिक रण द्वारा सभी श्रीणयों में वर्ष 1985-86 के दौरान निर्माण किए गए पन्नैटों की तुसना में वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान कम संक्या में फर्नैटों का निर्माण किया गया था;
- (ब) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान पलैटों के निर्माण पर किये गये व्यय की सुलना में वर्ष 1986-87 में अधिक भक्तराशि व्यय की गई; यदि हो, तो उसके क्या कारण थे;
- (ग) वर्ष 1988-89 के बौरान स्व-विस पोषित योजना तथा हुक्को योजना के बन्तगंत, श्रेणी-बार, पिछले तीन वर्षों के दौरान यूनिट सायत मृत्य की तुसना में प्रति पनेट कितनी धनराश्चि व्यय की गई तथा इसमें बृद्धि के स्था कारण हैं;
 - (घ) हुडको योजना के बन्तवंत प्रतीका सुनी में कितने व्यक्ति शामिश हैं; बौर
- (ङ) मञ्चम बाय वर्ग (हुडडो) तथा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रवीकृत व्यक्तियों को कब तक तथा किन क्षेत्रों में पर्श्वट बाबंटित किये आयेंगे;

सहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किववई): (क) विल्ली विकास प्राविकरण डारा विभिन्न पसंटों की कुस संस्था नीचे वी गई है:---

> 1985-86 ···· 16519 1986 87 ··· 8828 1887-88 ··· 18758

(क) दो वर्षों के दौरान किया गया क्यय इस प्रकार है :---

1985-86 192.14 करोड़ रुपवे 1986-87 --- 197.79 करोड़ रुपये

(ग) 1986-87 के दौरान बधिक व्यय के कारणों की बांच की जाएबी, जबकि कम संक्या में मकानों का निर्माण विद्या गया था।

वर्ष	मध्यम श्राय	विस्त जाय	स्ब-बिक्तपीबित योजना	
	वर्ग	वर्य	श्रेणी×II	श्रेणी-III
1986	1,19 600	67,800	1,25.200	1.76,100
	से	से	è	से
	1 48 400	7 7,200	1,80,500	2,64,700
1987	1,35,300	77,100	1,71,300	2,55,000
	से	₹	से	से
	1,66,900	1,03,000	2,44,000	2,81,000
1988	1,34,600	81,400	1,57,900	2,53,000
	•	€	₹	से
	1,63,000	95,700	2,85,700	3,73,100
सागत र	में बढ़ोतरी सामग्री व	र मजदूरी में वृद्धि	के कारण है।	
(च) म	च्यम बाय वर्ग	27	718	
` '	निम्न बाय वर्ग	41	651	
,	वनता	25	5244	

⁽ड्रॉ) मध्यम बाय वर्ग के 4137 तका स्व-वित्त पोवित योबना के 4566 कोट 2 वर्षों के श्रीतर पूर्ण हा बाने की सम्भावना है। बौर बिषक फ्लैंट बनाने के प्रथास किए जा रहे हैं।

पीतमपुरा में सरकारी मूमि पर अतिकमच

- 8882. भी गंगा राम : क्या शहरी विकास मंत्री यह क्ताने की इया करेंगे कि :
- (क) क्या विस्त्री के पीतमपुरा माथ में ससरा नम्बर 328, 330, 331, 332, 335 के अन्तर्वत सगमग 6000 वर्ग गव सरकारी भूमि पर अविक्रमण किया गया है:
- (क) क्या यह मुनि वहत समय पूर्व दुनि सविम्रहण समाहती द्वारा बन्दिमहीत की नई वी बीर इवे दिस्सी विकास प्रापिकरण को हस्तौतरित किया वा;

- (ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वास्तव में इस भूमि का कब्जा सिया या और इसके चारों कोर बाढ़ सगाई थी; और
- (म) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस भूमि का वास्तविक कव्या कव तक निया कायेगा;

सहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववई): (क) विस्ती विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रकाशीन सूचि का उपयोग पीतमपुरा गांव के निवासियों द्वारा अवैधानिक कप से नोवर रखने के लिये किया जा रहा है। तथापि इस सूचि पर कोई संरचना नहीं है।

- (ख) बी, हां।
- (ग) की, हो।
- (घ) उपयुक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रक्त ही नहीं उठता।

वसन्त कुंब में मकानों का निर्माण

[हिन्बी]

- 8883. भी राम रतन राम : न्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की क्रूपा करेंगे कि :
- (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का वसन्त कुंब, नई दिल्ली में कितने मकानों का निर्माण करने का विचार है;
- (स) अन्य तक कितने मकानों का विर्माण किया नया है तथा कितने मकानों को आवंटितं किया जा चुका है;
- (त) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को अब तक मकाव आर्थ-टित किये गये हैं तथा कितने मकान अभी आदटित किये चाने हैं;
- (भ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न योजनाओं के जतगत एम० जाई० की० तथा एस० बाई० की० के अन्या जलग कितने मकानों का विभाग किया है और जब तक कितने मखाव बावंटित किये हैं तथा अभी कितने मकान आवंटित किये जाने छैप हैं; और
- (ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को असय-असव कुस कितने मकान आवंटित किये गये हैं;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववर्ष): (०) से (ङ) सुवना एकत्र की वा रही है तथा समा पटन पर रख दी जायेगी।

जातिबंधन के बिना आवास समितियों का गठन

- 8884. भी राम स्वरूप राम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की छ्या करेंने कि:
- (क) मूजि के बावंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुल कितनी मुप नावास समितियों पंजीकृत हैं;

- (च) क्या सरकार ने वातिबंधन के बिना जावास समितियों के गठन और इनमें अनुस्चित चाति/अनुस्चित जनजाति से सम्बद्ध 15 प्रतिधत जोगों को सम्मितित करने संबंधी कुछ अनुदेख वर्ष 1988 के दौरान बिस्सी विकास प्राधिकरण को जारी किए थे;
- (व) यदि हो, तो जारी किए गए अनुदेशों का स्वीरा क्या है सीर क्या दिस्सी विकास श्राधि-इरण ने इन अनुदेशों को लागू करना सारम्म कर दिया है;
 - (व) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई प्रस्ताय पारित किया है। बीर
 - (ङ) यदि हो, तो इस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववाई)। (क) सहकारी समितियों के पंजीयक के पास भूमि के बाबटन के लिए 1982 से 1420 सहकारी सामृहिक बावास समितियों पंजीकृत की वई हैं। सहकारी समितियों से पंजीयक द्वारा भूमि के बावंटन के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण को 1285 सहकारी सामृहिक बावास समितियों प्रवित्त की गई हैं।

- (चा) जी, नहीं।
- (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।
- (व) वी, नहीं।
- (इ) बदन ही नहीं उठता।

होम्योपैयिक बवा के आयात एवं विपणन के लिए भारत के औषध नियंत्रक की स्वीकृति

[अनुकार]

8885. श्री मेवा सिंह गिल: वया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि !

- (क) नपा अन्य देशों में निनित्त होमियोपैथिक दवा, जिसमें भारत, अमरीका और अमंनी के होमियोपैथिक फार्म कोपिया में सुवीबद्ध एक या अधिक होमियोपैथिक बना शामिल हैं, का देश में असवात और विपयन करने के भिये मारत के औषध नियंत्रक की स्वीकृति प्राप्त करना असिवाय है;
 - (स) यदि हां, तो इन दवाओं का प्रमाणीकरण करने के लिए कौन प्राविकारी सक्षम है;
 - (ग) ऐसी सिफारिशों किन मानदंडों के आधार पर की जाती हैं; और
- (च) स्था ऐकी सिफारिशें करने से पहले होमियोपैथिक फार्मास्युटिकल्स अथवा लेबोरैटरियो कि किसी विशेषज्ञ की राय ली जाती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योर क्या है ?

स्वास्म्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (क्ष्माद्यी सरीज लापडें) : (क) में (घ) अपेक्षित सूचना एक व की जा रही है और सभा पटल पर रश की जायनी।

जिला मंचों/राज्य आयोगों के सदव्य

8886. श्री सी॰ **संगारेड्डी: प्यासाध औ**र नागरिव प्रिंद अर्थती यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:

(क) उपमोक्ता संरक्षण बिधिनयम, 1986 के बन्तर्गत ^{ति}ब्द किए गए प्रत्येक ऐसे बिला मंच बीर राज्य आयोग का व्योरा क्या है, विद्यंत कार्य बादम्भ कर ^{विद्या} है और इनके अधिकार क्षेत्र कीन-कीन से हैं;

- (स) जिला मंच/राज्य आयोग के उन सदस्यों का स्वीरा क्या है जिल्हें शिक्षीय सरकार द्वार स्वीकृति दी जा चुकी है; और
- (ग) उपभोक्ता संरक्षण व्यविनियम, 1986 के बन्तर्गत बभी नक जिन प्रयोगशालाओं को मान्यता वी गई है उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक प्रयोगशाला में किन-किन पदावों की जांच की बा सकती है?

साद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰ एस॰ बैठा) । (क) और (स) सुचना एकत्र की बारही है और समा-पटन पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार ने उपमोकता संरक्षण अधिनियम, 1986 की बारा 2 (1) (क) के तकत किसी प्रयोगशासा को मान्यता प्रदान नहीं की है। तथापि. इस समय सानू किसी भी कानूम के द्वारा अच्या उसके तहत स्थापित प्रयोगशालाएं, जैसाकि उक्त बारा में परिमाषित है, "उपयुक्त प्रयोगसाखा" की परिमाषा में शामिल है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को प्रोत्साहन

8887. श्री गोपाल कृष्ण योटा : न्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :

- (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारियों बीर कर्म-वारियों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं;
 - (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी घनराशि बदा की गई है;
- (ग) प्रोग्साहन मंजूर करने के मानदण्ड क्या हैं और उसके लिये क्या कर्ते निर्कारित की गई हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या इस संस्थान के कार्यकरण और इसकी स्थायन संस्था की भूमिका की बांच करायी गयी है यदि हां, तो झांच निष्कंष दश हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

भ्रहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाष प्रशिक्षण सस्यान के कंदन उन्हीं अधिकारियों तथा कर्मवारियों की प्रोत्साहन दिए आते हैं जिन्हें भ्राक्ष्यायक सदस्य पाया जाता है तथा जिनका कार्य प्रशिक्षण/शिक्षण देवा है। ये प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:—

- (i) मूल वेतन के 30 प्रतिश्वत की दर पर प्रशिक्षण मस्ता;
- (ii) प्रशिक्षण संस्थान के स्थान के अप्तिपिक्त अन्य किसी स्थान पर शिक्ष्या अहम कर रहे प्रत्येक बच्चे को वर्ष में दो बार यात्रा रियायक;
- (iii) संस्थान के प्रमुख को 250 रुपये प्रति माह की दर से व्यय मस्ता ।
- (स) पिछले तीन वर्षों के शौरान प्रशिक्षण मत्ते तथा व्यय मत्ते के रूप में श्रुवतान की गई राश्चिनीचे दी मई है:—

1986-87		1,78,876.00 हवये
1987-88	••••	2,73,268.00 रुपये
1988-39	•••	2,32,656.00 रुपवे

- (ग) प्रशिक्षण संस्थान के केवल उन्हीं अधिकारियों और कर्मं वारियों के लिये प्रोत्साहन देय है जिन्हें प्राध्यापक सदस्य पाया जाता है तथा जिनका कार्य प्रशिक्षण/शिक्षण देना है।
- (भ) संस्थान में कोई स्थायी प्राध्यायक वर्ग नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची को पूर्ववती व्रश्किलण कार्यक्रमों से पुनिनिवेशन तथा कर्वचारियों की विभिन्न को शियों की बढ़ती हुई प्रशिक्षण बाव-स्यकतार्वों के पुनर्सोकन के बाद बन्तिम रूप दिया जाता है।

मिलावटी शराब की बिकी

8888. श्री सलाउब्दीन । स्या खाद्य जीर नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि:

- (क) उन कम्पनियों का क्योराक्या है जो दिल्ली लघुउद्योग विकास निगम के फुटकर के रिटेस डिपुझों के माध्यम से दाराव वेचने के लिए अधिकृत है;
- (स) क्या इन कम्पनियों द्वारा बनाई जाने वाश्वी शराब की गुणबत्ता के बारे में कोई जॉन की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्योरा क्या है;
- (ग) यत तीन वर्षों के बौरान इन कम्पनियों द्वारा सप्लाई की गई शराब में कितनी बार मिसाबट पाई गई बीध और
- (घ) दिल्ली सघुउद्योग विकास विगम ने शराव में मिलावट को रोकने के सिए वया कदम उठाए हैं ?

स्ताच और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल० बैठा): (क) से (व) अपे-स्तित सुचना एकत्र की जारही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी निवेशालय द्वारा लिए गए चीनी के नमूने

- 8889. श्री मोहम्मद महरू असी लां: स्या लाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की
- (क) चीनी निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत शुगर इन्सपेनशन विवोधन और चीनी प्रवर्तन एवं सतकंता केल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार चीनी के कितने नमून लिये गये और चीकी के कितने नमूने निर्वारित विनिदिष्टियों से निम्न स्तर के पाये गए; और
- (स) उक्त खबिष के दौरान यदि संबंधित चीनी मिलों के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा चलावा गया है तो इसका राज्य-बार क्यौरा क्या है ?

साझ और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी एल. बैठा): (क) विवरण-1 संलक्ष्म है जिसमें छकंरा निदेशालय के अधीन शकरा निरीक्षण प्रमाग और प्रवर्तन तथा सन्कता सैल द्वारा 10छले तीन वयों के दौरान एकत्रिन किए गए चीनी के नमूनों की बचवार सच्या और विनिधिड्टयों से नोचे पाए वए नमूनों की संक्या दी वई है।

(स) केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों में सीधी अभ्योजन कार्यवाही शुरू नहीं करती है। यूक-कर्तों फेक्ट्रियों के विषय अधियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए मामलों की संबंधित राज्य सरकारों को सिफारिस की खाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकारों को जिल मामलों की सिफारिस की पई थी उनकी वर्षवार स्थित संसन्त विवरण-2 में दी गई है।

विवरण I

शकरा निदेशालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्रित किए गए चीनी के नमूनों की संख्या और विनिदिष्टियों से नीचे पाए गए नमूनों की संख्या

वर्ष	शक्रंग निदेशालय में एकश्रित किए गए चीनी के नमूनों की संस्या	विनिविध्टियों से नीचे पाए गए नमूनों की सक्या
1986	5117	195
1987	6542	288
1988	6160	326

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान चूककर्ता जीनी फैक्ट्रियों के विषद्ध अमि-योजन कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को जिन मामलों की सिफारिश की गई, उनकी संख्या

वर्ष	चूककर्ता चीनो फैक्टियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवादियां शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को जिन मामलों की सिफारिश्च की गई, उनकी सक्या
1986	19
1987	26
1988	06

विकासपुरी में सामूहिक आवास समितियों के लिए नागरिक सुविधाएं

8890. श्री जगदीश अवस्थी । क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

- (क) क्या विकासपुरी में सामूहिक आवास सामतियों के लिए नियारित क्षेत्र में सड़कें, मझ अययन और विजली जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है;
 - (स) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र के विकास का समयबद्ध कार्यक्रम प्रारम्म करने का विचार है; और
 - (च) यदि हो, तो तत्संबंधी व्योरा वया है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

- (स) प्रश्न ही नहीं उठता।
- (ग) और (व) विकासपुरी के समिति क्षेत्र को दो परणों में विकसित किया जा रहा है।

समिति क्षेत्र घरण-I में 15 सामूहिक आवास समितियां हैं, जबकि समिति क्षेत्र घरण-II में 24 सामू-हिक बादास समितियां है। मल-निर्यात और सड़कों के बारे में घरण-! क्षेत्र का विकास पूरा हो गया है।

चरण-II में विकास के कार्य प्रगति पर हैं। संविदात्मक समस्याओं और ठेकेदारों द्वारा कार्यों को छोड़ देने के कारण चरण-II में सड़क कार्यों को पूरा करने में विलम्ब हुआ है जिन्हें अब सुमझा सिया गया है और सड़क का कार्य अन्य ठेकेदारों को पून: सोंपे जा रहे हैं।

चरण-11 में मल-निर्यात कार्यको खास्यगित करना पड़ा क्यों कि हस्तसाल क्षेत्र से मल-निर्यात हिस्चार्यको समायोजित करने के लिए दिल्ली नगर जिगम से योजना की मंजूरियों को संघोषित कराना पड़ा। अब, कार्यप्रगति पर है और इसके मार्च, 1990 तक पूर्णहो जाने की सम्मावना है।

खलग-अलग सामृहिक खावास समितियों को बिजली के कमेक्शन देने के बारे में, समिति के बनुरोध पर बिजली का कनेक्शन दिल्ली विख्त प्रदाय संस्थान (इसू) द्वारा सीधे ही दिया जाता है। तथापि, इस कॉम्प्लेक्स में परिधीय उच्च बोलटेता केबिल (एच० टी० केबिल) मुहैया करने का उत्तरवायित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण का है। ये परिधीय केबिल दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (इसू) द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में भी बिछाई और ऊजित की जाती है। परिधीय केबिल बिछाने और स्विचिंग सब-स्टेशन उपकरणों को स्थापित करने और चालू करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (इसू) द्वारा अक्तूबर, 1987 में की गई मांग के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपेजित राशिजमा करा दी है। उच्च बोल्डता केबिल (एच०टी० केबिल) मुहैया करने का कार्य प्रगति पर है।

बिल्ली विकास प्राधिकरण का सामूहिक आवास समिति क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सभी विकास कार्यों को पूरा करने का विचार है। चरण-II समितियों में सड़कों पर तारकोल बिछाने का कार्य 31.12.89 तक पूरा किया आएगा। चरण-II समिति क्षेत्र में मल-नियात लाइनों का कार्य 31.3.90 तक पूरा किया आएगा।

वन्त शल्य चिकित्सकों और वन्त चिकित्सा कालेओं की कमी

- 8891. श्री वीरेन्द्र सिंह राव: स्थास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:
- (क) प्रत्येक राज्य में कितने दन्त विकित्सा कालेज चल रहे हैं तथा प्रत्येक कालेख में बी० डी॰ एस० डिथी हेतु कितने स्थान हैं:
- (स) देश में एम० बी० एस० एन० और उच्चयोग्यता प्राप्त चिकित्सकों के संबंध में चिकिर त्सक और जनसंख्या के बीच अनुपात की तुलना में दन्त शत्य चिकित्सक और जनसंख्या के बीच क्या अनुपात है;
- (ग) क्या दश्त शह्य चिकित्तकों की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, ो तत्संबंधी क्योरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का विचार और दस्त चिकित्सा कालेज स्रोलने अथवा स्वयंसेवी संगठनों की ऐसे कालेज की अतुमति देने का विचार है ताकि दन्त शहर चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जा सके?

स्वास्म्य और परिवार करुयाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुनारी सरोज सापडें): (क) कार्य

करं रहे कालेओं की संस्था और प्रत्येक कालेज में बी० डी० एस • डिप्री के लिए उपलब्ध सीटों की संस्था के बारे में राज्यवार व्योग संलग्न विवरण में दिया गया है।

- (स्त) उपस्रव्य सूचना के अनुसार दन्तचिकित्सक—जनसंख्या का अनुपात सगमग 1:69000 और डाक्टर जनसंख्या का अनुपात सगमग 1:2450 वैठवा है।
- (ग) मोर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ दन्त चिकिरसक अनसंस्था के बादग्रं अनुपाल अर्थात 1:4000 की सिफारिश की थी।
- (घ) मारवीय दन्तचिकित्सा परिषद् ने प्रशिक्षित दन्तचिकित्सकों की कमी को पूरा करने के सिए उस प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक दन्तिचिकित्सा कालेज कोसने की सिकारिश की यो जिसमें एक मी दन्तिचिकित्सा कालेज नहीं है।

विवरण

राज्य	काले अर्घनाम	बी०डी०एस० पाठ्यकम में प्रवेश क्षमता
।. जान्छ प्रदेश	राजकीय दन्त कालेज एवं बस्पताम, हैदराबाद	38
2. बसम	क्षेत्रीय दन्त कालेज, गुवाहाटी	33
3. बिहार	1. पटना दन्त कालेज एवं अस्पताल,पटना	15
	2. बुद्धा दन्त विश्वा र संस्थान, पटना	40
	3. सरजुग दन्त कालेज, दरमंगा	40
. गो दा	गोबा दन्त कालेज एवं अस्पताल बोम्बोरि	तम 25
5. गुजरात	राजकीय दन्त कालेज एवं अस्पतास,	
-	वहमदानाद	52
. हरिया णा	1. दन्त कालेज, रोहतक	20
	2. डी. ए. बी. सेम्टेनरी दन्त कालेज यमुना न	गर 40
7. अम्मू व क श्मीर	राजकीय दन्त कालेब, श्रीनगर	13
3. कर्नाटक	1. राजकीय दन्त कालेज, बंगलीर	40
	2. डेम्टल सर्वरी कालेज, कस्तुरवा मेडिकल	
	कालेज, मनिपाल	100
	3. बाबुजी दन्त कालेज व अस्पतास,	
	दावनगेरे	100
	4. के॰ एल० ई० सोसा इ टीज, डॅटल	
	कालेज, जवाहरलास नेहरू मेडिकस कार्	लेज,
	क्रेम्पस ,बैलगांव	60
	 ए०बी० घेट्टी मनोरियल इन्स्टीट्यूटी 	
	ऑफ डेंटन सोइसिज, संगलीर	100
	 बगदगुरु श्री शिवराधरेश्वरा डेंटल 	
	श ालेज, मैसूर	30

1	2	}
	7. एतं व्ही ० एम० कालज आफ बेंटल साइधिक भवनगरी, भारबाह	40
	 एस० जे० एम० डेंटल कालेज, एण्ड अस्पताल, चित्रदुर्मा 	44
	9. एच ॰ के ०ई० सोसाइटोज डेंटल कालेज, गुसबर्गा	40 40
	10. इंटल कालेज, के एम असी० मंगलीर	100
	11. बी॰एस० बेंटल कालेज, बगलीर	40
	12. एम०बार∙ए० डॅ टल काले ज, बंगसी र	62
9. के रल	1. डॅंटल कालेज, कालीकट	21
	2. डेंटल विंग, मेडिकल कालेण, त्रिवेन्द्रम	40
10. मध्य प्रदेश	कालेज ऑफ डेन्टिस्ट्री, इन्दौर	22
11. महाराष्ट्र	1. नायर बस्पताल, एण्ड डेंटल कालेज, बम्बई	46
	2. राजकीय इंटम कालेज, एण्ड अस्यताल, बम्बई	80
	3. राजकीय दन्त कालेज एण्ड अस्पताम, नागपुर	26
	4. राजकीय दन्त कालेज एवं अस्पताल, सौरगावाद	30
12. पंजाब	 पंचाब सरकार दन्त कालेज एण्ड अस्पतास, 	
	बम्तसर	35
	 वन्त सब्द राजकीय चिकित्सा कालेज, पटियाला दन्त कालेज, एस० एम० एस० चिकित्सा कालेज 	
13. रा इस्थान	वयपुर	15
14. तमिलनाडु	1. मद्रास दन्त कालेज, मद्रास	38
14. 0.4444	2. राजा मुणिया दन्त कालेज, एवं अस्पतास,	
	ब्रम्नामलाई नगर	47
	3. विनायक मिशन्स शंकराचार्य दन्त कासेज, सेलग	-
	4. जे० के ने नटराज इन्त कालेंब कोमादापस्तवा	
	5. राजाज दन्त कालेज, वदांकगुक्षम	40
	6. राजाज दन्त कालेज, महास	40
	7. सबीया बन्त कालेब, मद्रास	40
15. उत्तर प्रदेश	दन्त कालेज एवं बस्पताल, 🗣० औ० मेडिकल	
	कःसेज, सस्रव्य	60
16. पश्चिम बंगाल	डा० बार० अहमद दन्त काले च एवं अस्पतास 	
	कलकत्ता	50
17. दिस्ली	दन्त संह, मोलाना वाचाद मेडिकन कालेज, 	
	नई दिल्ली	20
18. उड़ीसा	दन्त संड, एस० सी • बी० मेडिकस कार्सेज, कटक	18

विल्ली विकास प्राधिकरण में कम्प्यूटर

की स्थापना

- 8892. श्रीमती डी॰के॰ भंडारी: न्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि:
- (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यू पैटने हुडको स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को, उनकी वरीयता संस्था की जान कारी उपसब्ध कराने में सहायता करने के लिये क्र्य्यूटर स्वापित किया है;
- (स) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक एकल पटल प्रणाली "सिंगम काउन्टर सिस्टम" लागू की है ताकि आवंटितियों को एक दिन में ही कब्जा पत्र प्राप्त हो सके; यदि हां, तो तरसंबंधी क्योरा क्या है; बोर
- (ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार रोहिणी बावास योजना के अन्तर्गत बादासीय मूखण्डों के लिये पत्रीकृत व्यक्तियों के लाशार्व भी इसी प्रकार के उपाय करने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

- (स) सेवानिबृत सरकारी कर्मवारी योजना के बावटितियों को एकस पटल पद्धति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगभग 175 कब्जा पत्र जारी किए गए थे, जिसे फरवरी, 1989 के माह में केवस एक माह के लिए सोला गया था। जनवरी. 1989 में केवस एक सप्ताह के लिए सोले गए पटस के माह्यम से वसंत कुंज के आवटितियों को सगभग 1000 कब्जा पत्र सीरे गए थे।
- (ग) क्षेत्र पंजीकृत व्यक्तियों के बारे में संगणक कस द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार की सृष्ट्री है। दिस्ती विकास प्राधिकरण, विकास सदन के फार्म बिकी पटल पर प्राथमिकता सक्या वाली पुस्तिकाएं बेची जा रही हैं। जलग-अलग पंजीकृत व्यक्तियों को भी पत्रों के माध्यम से प्राथमिकता संक्या सूचित की जा रही है। जहां तक कब्जा पत्रों का सम्बन्ध है, जैसे ही आवंटितियों द्वारा निर्धारित खीवचारिकताएं पूरी कर दो जाती हैं, तो उन्हें कब्जा पत्र जारी कर दिए जाते हैं।

राजधानी के लिए स्वास्थ्य सुविधा योजना हेतु धनराशि का नियतन

- 8893. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी: न्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंचे कि:
- (क) क्या चामू वर्ष के लिए राजधानी में स्वास्थ्य सुविधा योखनाओं के लिए योजवा आयोग के कार्य-दन ने 8.12 करोड़ रुपये की सिकारिश की है; खैसाकि 29 मार्च, 1989 के इध्डियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुना है और यदि हो तो तक्सक्वन्यों क्योरा क्या है;
- (स) क्या सरकार दिल्ली के बस्पतालों के रोगियों के सिए विस्तरों की संस्या में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और
 - (ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?
- स्वास्थ्य और परिवार कस्याण मंत्रासय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोच चापडें) : (क) विवरण-1 संस्थित है।

- (स) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अभ्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के अस्पतालों में पसंगों की संक्या में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है।
 - (ग) विवरब-2 संसरन है।

विवरण-1

योजना जायोग के कार्यकारी वल ने संच राज्य क्षेत्र विल्ली में स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के खिए 1989-90 की वार्षिक योजना के लिए 48 करोड़ क्यये की सिफारिश को है। इन 48 करोड़ रूपयों में से 35 करोड़ रूपये बिल्ली प्रशासन के लिए 1175 करोड़ रूपये बिल्ली नगर निगम के लिए बीर 1.25 करोड़ रूपये नई दिल्ली नगर पालिका के लिए हैं।

दिल्ली प्रशासन के लिए रखे गए 35 करोड़ रुग्यों में से 30.97 करोड़ रुपये दिस्सी प्रशासन के अपनेत अस्पताओं और औषधालयों के लिए रखे गए हैं जिसमें से 8.12 करोड़ रुपये अस्पताल एवं औषधालय शीवं के अपोन पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

इस परिव्यय (48 करोड़ रुपये) में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित अस्पताल और औष-बासय, आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसन्धान, संचारी रोगों का नियन्त्रण, मारतीय विकिरसा पद्धतियां बीर होम्योपैयी तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम कवर होते हैं।

विवरण-2

सातवीं योजना के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में पसंगों की संख्या में प्रस्तावित वृद्धि का भ्योरा

हिस्सी प्रशासन

- 1. हरिनगर में 500 पलगों वाले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की स्थापना।
- 2. शाहबरा में 500 पलंगों वाले गुरु तेग बहादुर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना।
- 3. रोहिणी कम्पलैक्स में 500 पलंगों वाले अस्पताल का निर्माण।
- 4. दिस्सी प्रशासन और मैसर्स अपोलो अस्पताल इन्टरप्राइज निमिटेड द्वारा 600 पर्सगों (शामान्य जनता के लिए 200 निःशुस्क पक्षंग) वाले संयुक्त कोत्र के एक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू है।
- 5. मंगोसपुर (संजय गांधी मेमोरियल) बस्पताल, 100 पर्लगों वाला ।
- 6. सिवड़ीपुर बस्पतान, 100 पलंगों बाला।
- 7. चाफरपुर बस्पताल, 100 पलंगों वाला।
- 8. जहांगीरपुरी अस्पताल, 100 पलंगों वाला ।
- 9. पूठ सुर्दे बस्पताल, 100 प**न**गों वाला ।
- 10. नीगमी पूना वस्यताल, 100 पलगों वाला ।
- 11. मैदानगढ़ी बस्पताल, 100 पर्सगों वाला ।

दिल्ली नगर निगम

12. पटपडगंब में 100 पसंगों वाला अन्तरंग क्यरोग क्सीनिक।

ì

١

ř

13. पश्चिम (ग्रामीण) दिल्ली में 250 प्रमंगों वाला क्षयरां व अस्पताल ।

पटसन का आयात करने के लिए अतिरिक्त लाइसेंसिंग सुविधा

8894. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वक्ता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार कच्चे पटसन का आयात करने के लिए पटसन उद्योग के निर्यात कायदे के विरुद्ध अतिश्वित लाइसेंस सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो स्वदेशी बाजार में कुल्चे पटसन के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;
- (ग) वंगमादेश से आयातित कच्चे पटसन की अवतरण लागत तथा स्वदेशी बाधार में इसका मूल्य में कितना अन्तर है; और
- (घ) स्वदेशी कञ्चे पटमन के उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात की मूस्य की दृष्टि से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए पटमन उद्योग के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां कीन-कीन सी हैं?

वस्त्रा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) हाल ही में सरकार ने अग्निम लाइमेंसिंग योजना के अन्तर्गत पटसन मदों के निर्यात के बदले कच्बी पटसन के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है। इससे घरेलू बाजार में कच्ची पटसन की कीमतों को फिलहास स्थिर रखने में सहायता मिली है।

- (ग) पटसन की कनरनों और कच्ची पटसन के घटिया ग्रेडों को छोड़कर बंगलादेश से आयात किए जाने बाले मध्या और बढ़िया क्वालिटी के कच्ची पटसन की वर्तमान पहुंच लागत, (जिसमें परिवहन खर्च शामिल है) घरेलू बाजार की प्रचलित की मतों से अधिक है।
- (घ) देशी कच्ची पटसन का उग्योग करके निर्मात उत्पादन को अग्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने में पटसन उद्योग की राह में आ रही मुख्य कठिनाइयां हैं —अपेक्षाकृत ऊंची मजदूरी लागत के कारण उत्पादन की अधिक लागत, देशी कच्चे पटसन की ऊंची कीमतें बौर कलकत्त' दश्र-गाह से मास मेंजने का असुविवादनक माल-माहा।

मारत में पारिस्थिति की व्यवस्था

8895. श्री चिंतामणि जेना : क्या पर्यावरण और वन मंत्रां यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत-अमरीका सहयोग के अतगंत संरक्षण और प्रवन्धन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पारिस्थिति की अवस्थाओं का पता लगाने के लिए इस वर्ष 4 से 7 जनवरी, 1989 के बौरान चार दिन की एक भारत-अमरीकी कार्यशाला का आयोजन किया था;
- (स) यदि हां, तो क्या उडीसा में भिटारकनिका-कुअंगा गरान (मैन्युव) पारिस्तिकी अपवस्था को मारत-अमरीको सहयोग के एक स्थान के रूप में चुना गया है; और
 - (ग) यदि हा, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए वया कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) औ, हां। चुनी हुई उड़ीसा के अिटारक जिका कच्छ बनस्रति क्षेत्र सिंहत नमभूमि, इच्छ बनस्र्पति थें और जीवनण्डस रिजवीं के संग्राण के लिए सहयोग के सम्मावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में 4 से 7 जनवरी, 1989 तक एक भारत-वमरीकी कार्यशासा का आयोजन किया गया। (ग) महयोग के लिए स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है जिसमें आगे विकार करने और संयुक्त राज्य अमेरीका में अनुसंघान संस्थानों का पता लगाना अपेक्षित होगा।

"माइकोटोक्सिन" से दूषित गेहूं से आन्त्र शोध

8896 श्री कें रामचन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का व्यान राष्ट्रीय पोबाहार संस्थान, हैदराबाद की रिपोर्ट की "यूट्री-सन-यूज" के बंक जनवरी, 1987 में सपी है के अनुसार जम्भू व कदमीर में 1987 में फैकी बाजकोच की भहामारी का कारण "माइकोटोक्सिन" से दूषित गेहूं बताया गया है की बोर दिलाया गया है;
- (ख) राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा पहले पहल अध्ययन कव किया गया था और सरकार को खेले गए तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं और यदि हां, तो इस प्रकार की महामहारी को भविष्य में फुलने से रोकने हेतु क्या कारंबाई की गई है; और
- (ग) दरा राष्ट्रीय पोषाहार सम्यान की सिफारिशों के अनुमार मण्डारण की समस्याओं को सुलझाने के लिए सम्बन्धित एर्जेन्थियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया यया है, यदि हां, तो सस्सम्बन्धी क्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापडें): (क) खी, हो।

- (स) इस समस्या के कारच का पता लगाने के लिए अन्तू व कश्मीर सरकार के अनुगेष पर को 9 अक्तूबर, 1987 को प्राप्त हुआ था, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा एक अध्ययन किया गया था। एक अतिरम रिपोर्ट अक्तूबर, 1987 में सच्युत की गई थी जिसमें यह बसाया गया था कि अकोप फफ़द से सतिग्रस्त गेहूं उरपादो का उपयोग करने से हुआ था और इसके लिए नियंत्रण उपायों का सुमाव दिया गया था।
- (ग) राष्ट्रीय पोषण सस्यान, हैदराबाद खाद्य विपानताओं का पता लगाने की क्रियाविधि पर साच निरोक्षकों के निए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

लाद्य तेलों में मिलावट की दोषी कम्पनियां

8897. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र : नया खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा

- (क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान खास तेलों के अनेक निर्माताओं /वितरकों पर मिलावट करने का आरोप लगाया गया था;
 - (ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्योरा क्या है; बौर
- (व) लाख तेलों में मिटावट/मंदूषण का पता लगाने हेतु क्या तन्त्र बनाया गया है और इसकी वियमित जांच किस प्रकार की जा रही है ?

लाख और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (की डी० एल० बैठा): /क) और (क) वर्ष 1988-89 के बारे में सूबना उपलब्ध नहीं है। तयापि, 1987 के दौरान देश में (हरियाणा को छोड़कर) खाद अपनिश्रम निवारक अधिनियम, 1954 के तहत बनस्पति तेलों/बसा के सनभग

2131 नपूने अपनिश्चित पाए गए से, परन्तु विनिर्माताओं/वितरकों के बारे में स्थीरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्यों/पंच राज्य झेंचों के साध वयित्र म निवंदण प्रवर्तन प्राधिकारी विनिमीताओं/ स्रोक विकेशाओं तथा सुदरा विकेशाओं का बिना पूर्व सूचना के निरोक्षण करते हैं तथा नियमित बाधार पर साख पदायों, जिन्में साख तेल शामिल है, के नमूने लेते हैं और अपमित्रण गमामला होने पर राज्यों/संच राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद अपिन प्रण निवारण अधिवियम, 1954 के तहत न्यायालयों में अमियोजन चलाए जाते हैं।

केरल और उत्तर प्रवेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम

8898. श्री मुल्लापल्ली रामचन्त्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की केरल और उत्तर प्रदेश स्थित प्रत्येक मिल में हुए लाम हानि का क्योरा क्या है; और
- (स) सरकार चा केरस और उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधु-निकीकरण और उन्नयन्त पर किननी धनराशि ध्यय कप्ने का विचार है?

बस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) एक विवरण संलग्न है जियमें वर्ष 1988-89 के दौरान केरल और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को हुए साम/हानि का विश्व-वार ब्योरा दिया गया है।

(स) राष्ट्रीय कपड़ा निगम का प्रश्नाव है कि वह केरल और उत्तर प्रदेश में स्थित अपनी भिनों के बाधुनिकी धरण के लिए फामल: 20.62 करोड़ चपए और 10.36 करोड़ चपए निवेश करेगा।

विवरण

वर्ष 1988-89 के वौरान केरल और उत्तर प्रवेश स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों को हुए लाम/ हानि (मिल-बार)

ऋ.सं∙	मिल का नाम	वर्ष 1988-89 के दौरान हुआ लाम/हानि (बनस्तिम) (नास रुपए में)
केरल		
1. कन्नान	र स्थितिग एंड विविग मिस्स, कन्नानोर	+ 3.89
2, केरस	सङ्गी भिस् स	— 2 7.14
3. विजय ग	रोहिनी निक्स	— 34.03
4. ब लग्	वा बस्त्र मिल्स	28.49
5. पार्वती	वि श् व	188.76

1	2	3
उत्तर प्र	देश	
ा∴श्रीविक	म काटन मिल	—167.99
2. विजली	काटन मिम	141.20
3. स्वरेशी	काटन मिल, मउनाय मजन	— 44.8 8
4. गयबरे	नी वस्त्र मिल्स, रायबरेकी	— 39.63
5. स्व दे शी	काटन मिल्स, नैनी	—173.98
6. मुख्य वि	ाल् स	—55 5.5 8
7. न्यू विक	टोरिया मिल्स	-811.03
8. सार क	ल्णावस्त्र मिल्स	—399.1 7
9. स्वदेशी	काटन मिल्ड	900.59
0. लक्ष्मीर	तन काटन मिल्ड	1458.28
📭. बचटंन	पश्चिमी मिल्स	906.28

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के ठेकेबार

8899 श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या वस्त्र मंत्री राष्ट्रीय इत्यहा विगम के ठेकेदार के बारे में 12 चप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न सं० 5784 की उत्तर के संबंध में यह बताने का कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अधुनिकी करण योजनाओं में देरी की वजह से सिविस डेकेशारों को ठेका कार्यों के पूरा न होने के कारण हानि उठानी पड़ी थी;
- (स) क्या सरकार का ऐसे अनुवन्धित ठेकेदारों को मुखावजा देने का प्रस्ताव है; और
 - (ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी न्योरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) आधुनिकीकरण योजनाओं में देरी की बबह से किसी ठेकेदार को नुकसान होने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय दस्त्र निगम के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"टैक दि पीपुल एलांग" शोर्वक प्रकाशित समाचार

8900 प्रो॰ नारायण चन्द्र पराझर: क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का घ्यान इस समाचार की खोर विलाया गया है कि वर्ष 1972-75 के 46 4? मिलियन हेक्टेयर सचन वन क्षेत्र घटकर वर्ष 1980-82 में 35-77 निलियन हेक्टेयर रह गया है और जैसाकि राब्ट्रीय कृषि खायोग ने बताया है कि चन विभागों द्वारा घोषित 75 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र और सरकारी कार्य उपयोग हेतु दर्ज 66 मिलियन हेक्टेयर सूमि में विसंगति को

बनी तक दूर नहीं किया गया है;

- (स) यदि हो, तो इस पर सरकारी प्रतिक्रिया क्या है;
- (ग) क्या सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष और आठवीं योजना के दौरान वनों की रक्षा करने और पौषों को अधिक अनुपात में जीवित रखने के कार्य में सोगों की मागोदारी के लिए कोई तरका-सिक और दीपंकालिक कदम उठाए वाएंगे; और
 - (व) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्वीरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (भी नियाजरंहमान जन्सारी): (क) नौर (न) राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 1972 से 1975 तक 46.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में और 1980 से 1982 तक 36.02 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वन ये। 1981-83 में राष्ट्रीय सुदूर सवेदी एजेंसी नौर भारतीय वन सर्वेक्षण के नीच समाधान स्थापित कोत्र 35.77 मिलियन हेक्टेयर सघन वन क्षेत्र के जन्तगंत है। देश में 75 मिलियन हेक्टेयर दर्ज वन क्षेत्र हैं जोर 64 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वनों से उका है। जतः समाधान स्थापित करने की व्यावश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) वनों की रक्षा के कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिविचत करने के लिए सोगों को उचित विक्षा केने और उनमें जागरूकता लाने का कार्य किया का रहा है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोड ने पोघों की अधिकतम उत्तरजीविता वर सुनिविचत करने के उद्देश्य से कार्यान्ययम कर्ता अभिकरणों को उचित प्रजातियों, रोगण तकनोक, रागण के पश्चात देख-रेख, मोगों की मागीदारी को प्रोक्साहन देने और विशेष सुरक्षा उपाय आदि पर विशेष व्यान देने का सुमाव दिया है।

परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिये जीवमण्डल क्षेत्र (बायोस्फेयर रिजर्मा)

8901. प्रो॰ नारायण चन्द पराज्ञार : नया पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या राज्य सरकार ने परिस्थितिकी सन्तुलन बनाये रखने के लिए कोई जीवमंडल क्षेत्र (बायोस्फेयर रिजक्षं) तैयार किया है;
- (स) यदि हो, तो राज्य-वार/श्रंघ राज्य क्षत्र-वार तत्संबंधी स्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इनमें से प्रत्येक काज्य/संघ राज्य कोत्र के लिए कितनी अध्यक सहायता प्रवान की है;और
- (ग) क्या इस प्रकार के और खेत्र (रिजन्स) स्थापित करने के लिए किन्हीं और जोनों का भी चयन किया बया है और यदि हो, तो 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार तत्सवंधी राज्यवार व्यौराक्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बारत सरकार ने जीवमण्डल रिजर्व स्थापित करने के लिए देश के विश्वितना हिस्सों में 14 सम्मावित स्थानों को अभिनिर्मादित किया है। उनकी राज्य-वाद स्थिति संलग्न विवरण-1 में दी गई है। इनमें से सात जीव-मण्डस रिजर्व बाद स्थापित किए गए हैं, अर्थांत नीलगिरि, नन्दा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार

मन्नार का साड़ो, मानस बीर सुन्दरनन । इन अविभव्यक्ष रिजवी के सिए राज्य/केन्द्र सासित प्रदेख सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का स्पीरा संसम्न विवरण-2 में वर्षाया गया है।

विवरण-1 देश में जीवमण्डल रिजर्व स्थापित करने के लिए अभिनिर्धारित 14 संगावित स्थलों की स्थिति

	स्चल	राज्य/कन्द्र स्ता⊣त प्रदेश
1.	नामदफा	बरूणाचल प्रदेश
2.	का की रंगा	वसम
3.	मानस	वसम
4.	नोकरेक	ये भालय
5.	सुन्द रवन	पश्चिम बंगास
6.	नन्दा देवी	उत्तर प्रदेश
7.	उत्तराल ण्ड	उत्तर प्रदेश
8.	वार मक्स्बल	रावस्थान
9.	कान्हर	मध्य प्रदेश !
10.	क्वन्न का रत	प्रव रात
11.	नी व गिरि	कर्नाटक, केरस और
•••		तमिननाड्
12.	मन्तार की स्नाड़ी	<u> दिमलगाड</u> ्
13.	उत्तरी अण्ड मान द्वीपसमृह	बण्डमान बौ र निकोबार
		द्वीपसमूह
14.	ग्रेट नि को बार	अध्याल और निकोबार
•		ह्वीय समूह

जीवमण्डल रिजर्व से संबंधित कार्य योजना के लिए राज्य/ केन्द्र शासित प्रवेश सरकारों को वी गई विसीय सहायता

विवरण-2

क्र.सं.	बीवबहत रिवर्व	राज्य/कन्द्र खासित प्रदेश	31-3-1989 तक दी गई
	का नाम		कुंच वित्तीय सहायतः (साम्र दवए ^अ)
1.	नीसगिरि	केरस	34.00
		∉ नटिक	31.60
		तमिलनाडु	50.50

1	2	3	4
	नन्दा देवी	उत्तर प्रदेश	13.20
	वोकरेक	मेष(लय	11,75
•	ब्रेट निकोशर	वण्डमान और निकोबार होप समूह	12.00
	मन्नार की साड़ो	तमिसनाड्	14.50
	मानस	अ सम	श्रुन्य
	सुन्द र व व	विविध संगाल	22.00
		5 स	189.55

"पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षित रसायनों के लिए इस्टर नेशनल फंड की स्थापना

8902. प्रो॰ नारायण चन्द पराक्षर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत सरकार और चीन की सरकार ने बौद्योगिक देशों से "इण्टरनेशनल फण्ड" की स्थापना करने को कहा है ताकि वे ऐसे अधिक कीमती परश्तु पर्यावरण की वृष्टि से अपेक्षित रसा-यनों का प्रयोग कर सर्के जो ओओन परत को नुकसान न पहुंचायें और मान्ट्रियस समझौते पर इस्ता-क्षर करने मना किया है; और
- (स) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कोद्योगिक देशों ने अपनी क्या मतिक्रिया व्यक्त की है?

पर्यावरण और वन मन्त्री (भी जियाउर्रहमान अंसारी): (क) मारत और पीन ने इण्टरनेशनस फण्ड स्वापित करने के लिए अलग-अलग मांग की है ताकि विकासगील देश पर्यावरणीय तौर परं सुरक्षित रसायनों का प्रयोग कर सकें। मोट्रीयस प्रोतोकास पर मारत के निर्णय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(स) बौद्योगिक देश टाम तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि विकासशीस देशों को पर्वावर-णीय तौर पर सुरक्षित प्रौद्योगिकी के अयोग के सिए वित्तीय सहायता देना आवश्यक है परम्तु सब तक कार्यविधियां तैयार नहीं की गई हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्टाफ कारों और मनोरंजन पर व्यय

- 8903. श्री रामाध्यय प्रसाद सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : श्री अनिल बसु
- (क) वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्टाफ कारों मौर मनोरंजन पर भ्यय हेतु कितना बचट रक्षा मया या और इन पर बास्तविक रूप से कितना व्यय किया क्या;
 - े (स) क्या गत दो तीन वर्षों के राष्ट्रीय कपड़ा निगम की हुस स्टाफ कारें बीर ड्राइवर उनके

मंत्रासय के सिये सुरक्षित रसे बाते हैं; और

(ग) यहि हो, तो तस्संबंधी व्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

बस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) स्टाफ कारों के रखरकाव पर वर्ष 1988-89 के दौरान 255 लाख रुपये की अनुमानित राशि व्यय की गई जबकि बजट में 2.5 लाख रुपये का प्रावचाव था। उसी अवधि के दौरान मनोरंजन पर 1.45 लाख रुपये क्या किए वए खबिक इसके लिये बजट में 0.7 लाख रुपये का प्रावचान था।

(स) और (ग) एन.टो.सी. (घारक कम्पनी) की चार स्टाफ कार झूड्वरों सहित बस्त्र मंत्रा-सम में सरकारी इयुटी पर हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण

- \$904. श्री पी॰एम॰ सईव श्री श्रीबल्लम पाणिप्रही : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या देश में अधियोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण की योजना को अक्तिम रूप दियागया है;
 - (स) यदि हां, तो तस्संबंधी व्योश क्या है;
 - (ग) आधुनिकी करण के लिए कितनी धन-राशि अपेकित है; और
 - (म) यह परियोजना कब तक पूरी ही जायेगी ?

अस मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राघा किशन सासवीय): (क) जी, हां। सातवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अंतर्गत पुराने तथा अप्रवस्तित उपकरकों को प्रतिस्थापित करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण की एक योजना आरम्भ की गई है।

- (स) इस योजना के अन्तर्गत विभिन्त राज्यों/संब शासित प्रदेशों द्वारा आदिशोगक प्रशिक्षण संस्थानों में 15 वसं से अधिक पुराने उपकरण प्रतिस्थापित किये जा रहे हैं। प्रतिस्थापित किए आने वाले उपकरण राष्ट्रीय व्यावसाकि प्रशिक्षण परिवद् द्वारा निधौरित उपकरणों की मानक सूची के अनुसार है।
 - (ग) 7वीं योजना प्रावधान में भारत सरकार का बंधवान 17.04 करोड़ रु० है।
- (प) 7वीं योजना के अन्त तक। 8वीं योजनावधि के दौरान इस योजना के चालू रहने की सम्बादना है।

हस्तक्षिल्प कुटीर उद्योग का पंजीकरण

- 8905. डा॰ टी॰ कल्पना देवी : न्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या इस्तिशिल्प कुटीर उद्योग में नई नीति के अन्तर्गत इस उद्योग का पंजीकरण करने के परिणामस्यक्प अनेक कामगार (स्वर्णकार), बेरोबगार नहीं हो अध्येंगे; और
- (स) यदि हो, तो सरकार द्वारा इन कामगारों का पुनर्शस करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

बस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी रफीक आलय): (क) बोर (ख) इस मंत्रालय ने पंजी-इरच से सम्बन्धित ऐसा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। लेकिन उद्योग के यन्त्रीकरच के समाव के प्रकृत पर दिचार किया गया है। यह पता लगा है कि पंजीकरण की केवल निर्मात विश्वमुख वासू- वर्णों के मामले में आवश्यकता है जो काफी वही मात्रा में तथा एक समान आकार में उत्पादन करने पहले हैं। लेकिन इससे परिष्करण, पालिश तथा सेंटिंग अधि में होने वाला हाय का कार्य प्रमावित नहीं होगा। इसके अभावा, हस्तिशहप (हाय के बने) आधूषणों की मांग भी वरेल तथा विदेशी दोखों ही बाजारों में हैं। अत: एक सीमित उद्देश्य के लिए पंजीकरण से स्वर्णकारों में बेरोजगारी खैलने की सम्भावना नहीं है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को पेय जल की आपूर्ति

8906. श्री पी॰एम॰ सईद: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिल्ली में अनिवकृत कालोनियों में सार्वजनिक नलों, हैंड पम्पों तथा नसकूपों के माध्यम से पेय जब की आपूर्ति करने का निर्णय किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो इस यो बना के जन्तगंत ऐसी कितनी कालोनियों को शामिस विधा गया है;
 - (ग) इस समय दिस्ली में अनिविकृत कालोनियों की कुल संख्या कितनी है; बौर
 - (घ) इस योजना को अनुमानत: कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क), (ल) और (घ) बिल्ली अस आपूर्ति सया मल-ब्ययन सम्यान ने सुचित्र किया है कि मानसून शुरू होने से पूर्व 500 गहरे हैंड पम्प तथा 25 गहरे नसकृप लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इन 235 कालोनियों के निवासियों को स्वच्छा पंयजस की आपूर्ति की जर सके, जो विद्युतिकरण के लिए अनुमोदित हैं।

(ग) बर्ष 1978-79 के पश्चात् अनिषिकृत कासीनियों को ऐसी कोई अधातन सूची नहीं बनाई गई है।

सहकारी क्षेत्र के लिए वनस्पति एककों का आरक्षण

- 8907. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या वनस्पति एककों के लिए जारी बाधय-पत्र विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के सिए ही बारिसत ब्ले जाते हैं;
 - (स) क्याइस नीति में हात ही में परिवर्तन किया गया है;
 - (ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ध) अब तक जिन पार्टियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं उनका स्पीरा क्या है और इस सम्बन्ध में स्पीरा क्या है ?

लाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी॰ एल० बैठा) : (क) जी नहीं।

- (ख) बौर (ग) बी, हां। लाइसेंस देने की नई नीति के अनुसार वनस्पति के उत्पादन के लिए नए साइसेंस जारी करने हेतु प्राथमिकता निम्नवत है।—
- (1) तिलहन उत्पादकों की सहकारी समितियां, कृषि उद्योग, भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियां, अनुस्चित अति तथा अनुसूचित जनगाति की सहकारी समितिया।
 - (2) सार्वजनिक क्षेत्र व संयुक्त क्षेत्र तया

(3) निजी के त्र।

कारण में यह सोचा गया है कि संयक्ष्त क्षेत्र भीर सार्वजनिक क्षेत्र एक इसरे के समकक्ष रहें, शाकि राज्य सरकार को इस आवश्यक यस्तु के मूल्यों को उचित स्तरों पर रखने के लिए एक लीवर मिल सके।

(घ) नई वनस्वित लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप विए जाने के बाद कोई आद्यय पत्र वारी नहीं किया गया है।

यंत्रचालित तेल-कोल्हुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाना

[हिन्दी]

- 8908. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया } : क्या साद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की श्री दिनेश गोस्वामी : क्या करेंके कि :
- (क) क्या तिलहनों की मारी फसल को ज्यान में रखते हुए सरकार का विचार देख में यन्त्र-चालित तेल-कोल्ह्रओं की उरपादन क्षणता बढ़ाने का है;
 - (बा) यदि हां, तो तस्सम्बन्धी क्यौरा क्या है;
- (ग) क्या आर्थुनिक और कारगर पिराई सक्नीक के अमाव के कारण खादा तेलों उत्पादन सक्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा है; और
- (च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये खाने का विचार है?

साध और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) और (स) इस वर्ष किलहनों की मारी कसल को देखते हुए भी तिलहन पेराई तथा निटक्षण की मौजूदा क्षमता पहले ही उपलब्ध उत्पादन से काफी अधिक है। अत: विशेषकर निलहनों की पेराई के लिए नई अनताएं स्जित करने हेतु मरकारी अमुमोदन विभिन्न बातों. जैसे को त्रीय असन्तुलन, चिनिर्माण हेतु किसी वस्तु-विशेष की मांग में वृद्धि, कच्ची सामग्री की उपलभ्यता आदि को ज्यान में रक्षते हुए सोच उमझकर दिये जा रहे हैं।

- (ग) क्षमता का पूरी तरह से दोहन न किए जाने के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे तेल विकालने के लिए बड़ी मात्रा में खनी उग्लब्ध न होना, तेल युक्त सामग्री को एकत्र करने में कठि नाई होना, मण्डारण की उपयुक्त सुविधाओं की कभी होना, उपयुक्त संसाधन सुविधाओं की कभी होना अस्ति ।
- (ब) स्थित सुवारने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं. बैसे तिलहनों के बारे में टेक्नॉलॉडी मिश्चन स्थापित करना, उपलब्ध स्रोतों से अधिक उस्पादन को बढ़ाबा क्षेत्रे के लिए विसीय बोस्साहन देना, वनस्पति के लिए तेस आवंटन नीति की समय-समय पर पुनरीक्षा करना आवि।

"उद्योगों में प्रदूषण"

8909. भी पृद्धि चन्त्र जैन : स्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार डारा क्या उपाय किए गए है और वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी अनराखि आवंटित की गई और किय सीखं के अन्तर्गन कितनी घनराशि खर्च की गई;

- (न) इन दो वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी राणि की सङ्घायता दी गई;
- (ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान में पाली. बालोतरा और जोछपुर स्थित रंगाई और छ्याई के ऐसे नद्योगों को, जिल्होंने अध्यक्षिक प्रदूषण खैलाया है और अभी भी फैना रहे हैं, विशेष योजनाओं के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान करके प्रदूषण रोकने हेतु ठोस कदम उठाने का है; बौर

(घ) यदि हां, तो तत्मम्बन्धी क्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और बन मंत्री (श्री जियाउरंहमान अन्सारी) : (७) और (स्र) उद्योगों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नांमखित उपाय किए गए हैं : --

- 1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत प्राथमिकता बाले 26 उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक बीर बहिस्रावों के विसर्जन के खिए सामान्य मानक निर्धा-रित किए गए हैं;
- 2. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और हाल ही में सशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में इनके उपवंचों का उल्लंधन करने पर कठोर दण्ड देने की अयवस्था की गई है।
- राज्यों द्वारा उद्योगों को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने की खतं के साथ सहमित जारी की जाती है।
- 4. प्रदूषण नियन्त्रण उपाय अपनाने के लिए कित्तीय प्रोत्साहमों की व्यवस्था की गई है।
- 5. उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए मार्गवर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं।
- दोषी इकाइयों के खिलाफ संगत अधिनियमों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है।

विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम और पर्यावरणीय नीति तथा कानून शीर्षों के तह्त 1987-88 में 253.66 लाख रुपये और 1988-89 में 207.40 लाख रुपये दिए गए।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोडे को 1987-88 में 322.00 साख रुग्ये और 1988-89 में 431.50 लाख रुग्ये का सहायक अनुवान दिया था। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोडों द्वारा एकत्र किए गए उन्हर की 80 प्रनिशत राखि राज्यों में प्रदूषण नियन्त्रण कार्य- क्रमों के निए उन्हें वापस दे दी जाती है। संगधनों की स्थित और कार्यक्रभों की प्राथमिकता को स्थान में रखकर राज्य सरकारें भी अतिरिक्त निधियां आवंटित करती हैं।

(ग) आरोर (स) प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्थान में रंगाई और खपाई उद्योगों को विशेष स्कीमों के बरिए विलीय सहायता देने का फिलहास कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंखों की खराबी के कारण मस्तिष्क के लिए खतरा

[अनुवाद]

8910. श्री बी० कृष्ण राव: पया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आंखों की खराबी से मस्तिष्क में खराबी होने का खतरा पैदा हो सकता है;
- (स्त) यदि हां. तो तस्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और
- (ग) मस्तिक पर असर होने में बचाव के उद्देश्य से बच्चों की बांखों को खराबी का इलाब करें के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापडें) : (क) जी, हां।

- (स) केन्द्र (मस्तिष्क) बिन्दु के काम न करने के कारण बच्चों में अपवर्तक खराबी के परि-णामस्वरूप कमी-कमी आंशिक दृष्टिहीनता (संद दृष्टिता) हो सकतो है।
- (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात प्रशिक्षण प्राप्त नेत्र चिकित्सा सहायक स्कूलों तथा समुदाय में दृष्टि विकारों तथा दृष्टिहीनता के अन्य कारणों की जांच करते हैं। और उपयुक्त उपचार के लिए रोगियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर के पास में बते हैं।

बांज के पेड़ लगाना

[हिन्दी]

- 891!. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बाज सहित जोड़ी पत्ती वाले पेड़ों को खिक संस्थाः में सगाने की कोई योजना है;
 - (स) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी न्यौरा क्या है; और
 - (ग) यदि नहीं तो यह योजना कब तक तैयार हो जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ल) उत्तर प्रदेश के पर्वनीय क्षेत्रों में उपयुक्त स्वानों म व्यापक स्तर पर वृक्षारीपण किया जा रहा है जिसमें पांगर, बकैन, भीमल, सिरिश, अलरोड, बोक (बांज) बादि चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां शामिल हैं। वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान की प्रांति नगमग :,10,000 हैक्टेबर है। वर्ष 1988-89 के सिए 40,700 हैक्टेबर बनुमानित क्षेत्र है।

(ग) प्रदन नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के नगरों में सीवर साइनों के लिए विश्व वेंक से सहायता

- 8912. श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की क्रपा करेंगे कि :
- (क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में सीवर लाइने बिछाए जाने हेतु विदव बैंक से सहायता प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
 - (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा स्या है;
 - (ग) क्या निफारिशों सिंहन ये सभी प्रस्ताव तिरुव बैंक को भेजे गए हैं। और
 - (व) यदि नहीं, तो विलम्ब के नग कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किववई): (क) जी, हो।

(ম্ব)

योजनाकानाम अनुमानित सागत

1. बस्मोड़ा प्रल निर्यास योजना

9.54 करोड़ रुपये

2. नेनीवाल मल नियांत योजना	4.34 करोड़ रुपये
3. हक्द्वानी मल-निर्यास योजना	१-20 करोड़ द्वये
4. लखनक मल-निर्यास योजना,	454.00 करोड़ रूपये
2 चरणों में	(चरण-1…291.00 करोड ६०)

(ग) ची, नहीं।

(घ) राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त योजना प्रावधानों की अभी पुष्टि करनी है और विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने हैं जो विश्व बेंक सहायता हेतु परियोजना प्रस्तुत करने के लिए पूर्व-शर्ते हैं।

उत्तर प्रदेश में वनरोपण

8913. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- (क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वनरोयण कार्यक्रम में स्वयंसेवी गैर-सरकारी संस्थाओं और स्कूलों को खामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (क) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1989-90 के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली धन-राधि का व्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय को त्रों में बनीकरण कार्य में स्वैच्छिक एजेंसियों तथा स्कूमों को धामिल किया जा रहा है।

(स) वर्ष 1989-90 के दौराव प्रयोगिक प्रायोजनाएं शुरू करने के खिए 20 लाख दपए की धनराशि पहुंबे ही निर्धारित कर दी गई है।

कर्नाटक में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव

[अनुवाद]

8914. श्री श्रीकान्त दत्त नर्रासहराज वाडियर : नश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देख में कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य शेवनाओं का व्योरा क्वा है;
- (स) इनमें से कितनी योजनाएं कर्नाटक में कार्यान्वयनाधीन हैं;
- (ग) क्या देश में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है; और
- (घ) यदि हो, तो विषक्षे रूप छे कर्नाटक में इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्च्य और परिवार कस्थाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरीज सापडें) : (क) विवरण-1 संसम्ब है।

(ख) विवरण-2 संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। पूंकि "स्वास्थ्य" राज्यों का विषय है इसलिए सभी प्रोत्साहक, विवारक और रोगहारक उपाय स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

विवरण-1

वेश में चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

- चिक्सि शिक्षा-पुनरमिविन्यास ।
- 2. राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा।

- 3. बहु-अहंश्यीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ।
- 4. विशेषत्रों बीर अर्घविकिस्सा कर्मवारियों का प्रशिक्षण।
- 5. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- 6. प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ग्रामीण जीवघानयों में प्रयोगशाका सुविधाएं।
- 7. बलेरिया नियन्त्रण ।
- 8. फाइलेरिया नियंत्रण ।
- 9. क्षयरोग नियंत्रण।
- 10. कुष्ठ नियंत्रण।
- 11. दृष्टिहीबता नियंत्रण ।
- 12. निनीक्विम नियत्रण।
- 13. मारतीय चिकित्या पद्धति के स्नातकोत्तर विभागों को बढ़ाने के लिए सहायता ।
- 14. मारतीय चिकिस्ता पद्धति, फःमेंसियों, जड़ी-बूंटी फार्में, औषध-जांच प्रयोगशालाओं इत्यादि के विकास के लिए सहायता।
- 15. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम ।

विवरण-2

कर्नाटक राज्य में चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

- राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा ।
- 2. बहु-उद्देशीय कार्यकर्तामीं का प्रशिक्षण ।
- 3. विशेपतों और अर्घ विकित्सा कर्मवारियों का प्रशिक्षण।
- 4. मलेरिया नियंत्रण ।
- 5. फाइलेरिया नियत्रण ।
- 6. क्षयरोग नियंत्रण।
- 7. कुष्ठ नियंत्रण ।
- 8. वृष्टिहीनता नियन्त्रण ।
- 9. विनीकृति नियम्त्रण ।
- 10. मास्तीय स्नात हात्तर विमागों को बढ़ाने के लिए सहापता ।
- 11. भारतीय विकिश्सा पद्धति की फार्में सियों, जड़ी-बूंटी फार्मों, बीवध जांच प्रयोगशासाओं इत्यादि के विकास के लिए सहायता।
- 12. राष्ट्रीय करिवार कस्याण कार्यक्रम ।

वक्षिणी राज्यों के मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा

पाठ्यकम शुरू करना

- 8915 श्री मुल्लापल्ली रामचन्त्रन : स्था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
- (क) वया दक्षिणी राज्यों के किसी मेडिकल कालेज में शत व्यविशव केन्द्रीय सहायवा से स्वात-कोत्तर विकित्सा पाठ्यक्रम शुक्र किए गए हैं; बोर

(स) यदि हो, तो उन काले जो का व्योरा क्या है और प्रत्येक मेडिकल कालेख को कितनी केन्द्रीय सहायना थी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापडें): (क) बौर (ख) जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान किक्षा एवं बहुसंघान संस्थान, पीडिचेरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय का एक अधीनस्य संगठन है। यह सस्थान एम•बी०बी०एसः के बलावा स्नातकोत्तर चिकिस्सा पाठ्यक्रम भी चलाता है। वर्ष 1989-90 के लिए इसका कुल बजट 10.75 करोड़ कथ्ये हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और प्राइचेट संगठनों हारा संवासित मेडिकल काले बादा चलाए जाने वाले आयुर्निक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वन कड्डीं देती है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

- 8916. श्री मुल्लापल्ली रामचन्त्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कस्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार का केरस में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का विचार है; अरोर
 - (स) यदि हां, तो इष्टे किस स्थान पर स्थापित किया आएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज लापडें) : (क) जो, नहीं।

(स) प्रक्त नहीं उठता।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताब

- 8917. श्रीमती जयन्ती पटनायक } : नया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने श्री श्री चिन्तामणि जेना } : नया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने श्री कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार का किसी राज्य में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;
 - (स) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है बीर इसके क्या कारण हैं;
- (त) क्या सरकार का राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तगंत विभिन्न विभागों में काम करने वाले कमंचारियों को अन्यत्र सपाने का विचार है; बौर
 - (घ) यदि हां, तो तत्सबची व्यीरा क्या है ?

स्वास्म्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज सापडें) : (क) बी, वहीं :

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

विश्व जलवायु का संरक्षण

8918. प्रो॰ नारायण चन्द पराशर । क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह दताने की कृपा करेंगे कि।

- (क) क्या मारत पृथ्वी के सरक्षण इस प्रयोजनार्थ संस्थागत व्यवस्था के सूजन हेतु बातावरण के निर्माण के लिए हेग घोषणा (11 मार्च, 1989) तथा बोजोन परत को बचाने के लिए विध्ना कम्बेन्सन (1985) और वर्ष 1988 में विश्व जलवायु के संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासमा प्रस्ताव संस्था 43/53, जिसमें अलबायु में परिवर्तन को मानवजाति के लिए बाम विषय माना गया है, के प्रति प्रतिबद्ध है;
- (स) यदि हो, तो इन जन्तराँ प्ट्रीय घोषणाओं में किए गए अनुबन्धों को लागू करने के सिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; बौर
- (ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई उपाय नहीं किए गए हैं तो कब तक कोई सकारात्मक कदम उठाये आयेंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) विषय जलवायु की सुरक्षा के सिए 11 मार्च, 1988 को हेग में की गई वावणा पर मारत ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत श्रोबोन परत की सुरक्षा के सम्बन्ध में 1985 में वियाना में हुए करार में श्रीक्षल नहीं है। "मानवजाति की वर्तमान और मान्री पीढ़ियों के लिए विषय जलवायु की सुरक्षा" के बारे में संयुक्त राष्ट्र बाम सभा के संकल्प 43/53 को 6 दिसम्बर, 1988 को बिना किसी मत के बपनाया गया था।

- (स) और (ग) हेग घोषणा और संयुक्त राष्ट्र बाम समा के संस्कृप दोनों में जलवायु में परिवर्तन के बारे में जिल्ला जाहिर की गई है और इस प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध सहयोगात्मक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही करने पर बोर दिया गया है। भारत संभावित परिवर्तनों और उनके प्रभावों का अध्ययन करने तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की नीतियां विकसित करने के लिए विषय मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू०एम०बो०) तथा सयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू०एन०ई०पी०) द्वारा स्वापित असवायु परिवर्दन के अन्तः सरकारिया पैनल (आई०पी०सी०) में सिक्रय रूप से माग ले रहा है।
- 2. जसवाय परिवर्तन करने वाले कारकों में मारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। फिर मी इसकी बहुत सी नीतियां और कार्यकम इस हिस्सेदारी को कम करने की दिशा में कार्यकरते हैं। इनमें निम्नदिश्वत शामिस हैं:—
 - 1. वर्षों को कटाई पर कड़ा नियन्त्रण;
 - 2. बनरोपण कार्यक्रम;
 - 3. ऊर्जाकासंरक्षण;
 - 4. कर्जा के वैकहिपक झोतों का विकास; और
 - 5. प्रदूषण नियन्त्रण ।

यमुना नदी के निकट कूड़ा करकट डालना

- 8919. डा॰ जी॰ विजय रामा राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की इत्या करेंने कि:
- . (क) क्या सरकार को इस बात की बानकारी है कि निवासुद्दीन मकबरे के पीछे और रिंग रोड और यमुना नदी के बीच के स्थान पर काफी कूड़ा करकट काला का रहा है, और यदि हां, तो तक्संबंधी औरा क्या है;

- (अ) क्या इससे नदी के और प्रदूषित होने तथा मृश्यित जल के मी दूषित होने की संमावता है जो कि हैंडपम्पों के जल का उपयोग करने वालों के लिए एक खतरा है; जौर
- (ग) क्या के म्होय जल प्रदूषण बोर्ड. दिल्ली इस समस्या से अवगत है तथा प्रदूषण बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) से (ग) सुचना एकत्र की जा रही है तथा समा पटल पर रख दी जायेगी।

> दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी समूहों के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत अस्पताल और औषधालय

- 8920. श्री डा० ए०के० पटेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) योजना आयोग द्वारा दिल्ली की भूगो झोंपड़ी समूहों के लिए कितने बोवधालय और अस्पनाल स्रीकृत किए गए और अधिधालयों का ब्योरा क्या है और अस्पताल में कितने विस्तर होंगि;
 - (स) इनकी अनुमानित लागत कितनी होगी; और
 - (ग) स्वीकृत किए गए अस्पतालों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज सापडें): (क) से (ग) गोजना आगोग ने दिल्लों को पुनर्वास एवं भूग्गी झोपड़ी कालोनियों में 100 पलगों वाले चार अस्पताल स्वीकृत किए हैं। इन सस्पतालों के सम्बन्ध में स्वीकृत परिव्यय तथा निर्माण की प्रगति संलग्न विवरण में दो गई है।

विवर	ण

क्र.सं.	बस्पताल का नाम	स्वीकृत प रिव्यय सास रुपए	प्रगति
1.	संजय गांधी स्वारक वस्तताल मंगोलपुरी	395.70	निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बहिरंग रोगी विमाग की सेवार्ये जून, 1986 में
2. खि	बड़ोपुर स्थित अस्पताल	535.04	शुरू हो गई। प्रश्रदस्मिक विर्माण कार्ये
3. प ह	मिर पुरो स्थित अस्प ताम	400.00	धुरू कर लियागया। भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।
4. रष्	बीर नगर स्थित बस्पत ाल	155.00	मूमिकाक क्वाले सिया गयाऔर भवन का नवशा वैयार किया जा रहा है।

पुरानी दिल्ली की नन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास

8921. डा॰ ए॰ के॰ पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (का) क्या वर्ष 1982 में यह निर्णय लिया गया था कि पुरानो विहली की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग, जो अब तक माता सुन्दरी रोड और मिन्टो रोड में रह रहे हैं का पु-र्वास किया खाएगा;
- (स्त) यदि हां, तो ऐसे लोगों की कुत्त संख्या क्या है और कितने लोगों का पुनर्वात किया जा चुका है और उन्हें कहां और कैसे बसाया गया; और
- (ग) ऐसे कितने लोगों का अभी पुनर्वास किया जाना शेष है. उनके पुनर्वास के लिए प्रस्तावित स्थान कहां हैं और उन्हें कब तक पुनर्यास सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करा दी खार्येगी?

बहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हो।

- (स्र) सन्दनाक एवं की यंकी यं भवनों से हटाये गये 507 परिवारों में से, 254 परिवारों को मादीपुर, रचुवीर नगर, रणजीत नगर, गड़ी सराय बस्ती, संगम पाक, जहांगी रपुरी तथा बस्ती वारवीस स्थित स्त्रम पुनर्वास परिसरों में पुन: बसाया गया है।
- (ग) 253 परिवारों को अभी बसाया जाना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मिलनबस्ती स्कंघ ने उन्हें सहर के अन्य भागों में पलैटों की पेसकश की लेकिन यह परिवार चंक 4 न्या 5 जहां से उन्हें हटाया गया था, में पलैटों के निर्माण के पश्चात अपने आप की पुनः बसाने पर जोर दे रहे हैं। अन्क 4 तथा 5 में पलैटों के निर्माणार्थ दिन्याश नक्शे की अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा विन्यास नक्शे पास करने के पहचात ही निर्माण कार्य आरम्म किया जायेगा।

"परी मूमि विकास कार्यंकम में महिला संगठनों का शामिल होना"

- 8922. श्रीमती किशोरी सिंह : स्था पर्यावरण और वन मन्त्री यह वताने की कृषा करें है कि:
 - (क) क्या परती मूमि के विकास में महिल। संगठनों को शामिस किया जा रहा है;
 - (स) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी राज्यबार स्थीरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार परती भूमि विकास कार्यक्रम का एक माग महिला संगठनों का सोंपने का है; और
 - (व) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

पर्वावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) से (घ) राज्यों में चलाए ज रहे वनीकरण तथा परती मूर्म विकास कार्यकलापों में महिला मण्डलों सहित महिला संगठनों को सामिल किया चा रहा है। इसके व्यतिरिक्त, राष्ट्रीय परती मूर्मि विकास बोई की अनुदान सहायता परियोजना के अन्तर्गत उपयुक्त महिला संगठनों को पोक्षशासा उगाने तथा वृक्षारोपण पैसे कार्यकलापों के मिए वितीय सहायता बदान की जाती है। इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक विहार, गुचरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में 11 महिला संगठनों की सहायता प्रदान की गई है।

हान हो में सामाजिक वानिकी में महिलाओं की मागीदारी पर एक कार्यवासा आयोजिन की गई यी जिसमें सामाजिक वानिकी में महिलाओं की मागीदारी को बढ़ाने तथा कार्यक्रम के लिए आवष्यक सकनीकी सहायता प्रदान करने के उपायों पर केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभिन्न विभागों महिला विकास निकम तका स्वैच्छिक एचेंसियों ने दो दिन तक विचार विभव्धं किया है।

नशे की लत छुड़ाने के लिए केन्द्र

8293. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

- (क) देश में नशे की लत खुड़ाने सम्बन्धी कितने उपचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं और ऐसे प्रत्येक केन्द्र में नशीलो भीषघ सेवियों का नियमित उपचार करने की क्षमता है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध प्रचार अभियान प्रारम्भ करने और यह पता लगाने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है कि वास्तव में ऐसे किसने केन्द्रों की बावक्यकता है; और
- (ग) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं और संपूर्ण देश में नशीसी ववाओं का सेवव करने वाले और व्यविक सोगों को अतिरिक्त उपचार सुविधाएं उपसब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापडें): (क) इस समय सरकार ने बौषध व्यसिनयों को निर्यामत उपचार प्रदान करन के लिए आंखन माग्तीय झायु-विज्ञान संस्थान के तत्वावधान में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली में और स्नातकोत्तर संस्थान, खण्डोगढ़ में नसीली दबा की झत छुड़ाने वाले 2 तीस तीस पश्चों वाले केन्द्र स्थापित किए हैं। सफदरखंग अस्पताल, नई दिल्लो में ऐसा उपचार ध्वान करने के लिए धनराधि मी मंजूर कर दी गई है।

(क) और (ग) देश में नशीली दवाओं की लत छुड़ाने के लिए मोजूदा सुविधाओं की पुनरीक्षा करने और उपचार सेवाओं में वृद्धि करने हेतु उपाय सुझाने के लिए 1986 में नशीली दवाओं की लत छुड़ाने सम्बन्धी सेवाओं पर एक विशेषक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश की कि उपचार और कार्मिक शक्ति के विकास के लिए 30 पलंगों वाले उपचार केन्द्रों का एक नेटवर्क और एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया जाए। तदनुमार, एक योजना स्कीम तैयार की गई थी और सातकीं पचक्कीय योजना अविक सिए योजना आयोग द्वारा अविक भारतीय आयुविकाल सम्यान के तस्वावधान में 30 पलगों वाले एक माइन केन्द्र और सफदरजंग अस्वताल में एक बाह की स्वीकृति दो गई थी। इसके अविरिक्त था० राम मनोहर मोहिया बस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पनाल, अविक मारतीय आयुविकान संस्थाव, डा० सुचेता कुपलानी अस्पताल, नई दिस्सी और जवाहरलाख स्नात-कोत्तर आयुविकान शिक्षा और अनुसंधान संस्थाव, डा० सुचेता कुपलानी अस्पताल, नई दिस्सी और जवाहरलाख स्नात-कोत्तर आयुविकान शिक्षा और अनुसंधान संस्थाव, स्वात कुपलानी संस्थाव, वी ऐसे केन्द्र क्रमिक कप से सोलने

के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकारों से भी अमुरोध किया गया है कि वे नक्षीली दवाओं की लत छुड़ाने वाले केन्द्र खोलें और बौधध व्यसनियों के उपचार के लिए मोजूदा जस्पतालों में असग से पलंग निर्धारित करें।

"वन क्षेत्र"

8924. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या पर्यावरण और बन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कितने प्रतिशत मूमि में वन क्षेत्र हैं;
- (स) वर्ष 1988-39 के दौरान वृक्षारोपण का क्या लक्ष्य निर्मारित किया गया था और वास्तव में किस सीमा तक लक्ष्य पूर्त हो सकी है; और
- (ग) देश में वन क्षेत्र का विस्तार करने तथा वृक्षों की कटाई रोकने के लिए क्या उपाय किये आबारहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) उपग्रह प्रतिविम्बिकी का उप-योग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 1981-83 में देश में 64.20 प्रिक्षियन हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.52 प्रतिशत है।

- (स) वर्ष 1988-89 के दौरान 2.0 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर बनरोपण का लक्ष्य था। बास्तविक उपलब्धि 2.1 मिलियन हेक्टेयर थी।
- (ग) देश में बन क्षेत्र में बृद्धि करने और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किए गए उपाय संसन्त विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय

- 1. राष्ट्रं य वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर और अधिक वस दिया गया है। इसमें चराई अग्नि और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा के लिए विशेष धावधान हैं।
- 2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में बन (संस्थान) अधिनियम बनाया गया था। 1988 में इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।
- वनों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबन्धों को लागू करने के लिए बाबारभूत डांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु एक किन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।
- 4 घरेलू और वाजिज्यिक को भें में ईंघन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के सिए ऊर्जी के वैकस्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है।
- 5. पैकिंग, रेलवे स्त्रीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।
- 6. दन जुल्पादों 🛡 लिए साथात नीति को उदार बना दिया गया है।

- 7. सकड़ी के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उच्चोगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
- 8. झूम चेती को नियंत्रित करने के प्रयास €ए जा रहे हैं।
- 9. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं:---
 - 1. प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अध्य बागवानी दृष्टिकोणों से, इस प्रकार की कटाई अपरिहाय हो, वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हेक्ट्रेयर और मैदानों में 25 हेक्ट्रेयर से अध्यक नहीं होना चाहिए।
 - 2. पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक क चाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।
 - 3. पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महस्वपूर्व को त्रों का पता लगाना, जिनमें वनों की कटाई से सरक्षा करने और तस्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है।
 - 4. 4 प्रतिशत भौगोधिक क्षेत्र को बन्यजीव अभय।रण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों जीवमंडल रिखवों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में सलग रखना।
 - 5. दावानस से बनों की सुरक्षा के लिए विश्लेष मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।
- 10. राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना देश में लोगों की मागीदारी से व्यापक वनरोपण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के अहं क्य से 1985 में की गई थी। यह विभिन्न वनरोपण स्कीमों के सिए एक नावल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। सातवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कुल 7.14 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बन सगाए गए। वर्ष 1989-90 के दौरान 2.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन सगाने का सक्य है।

लाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशिष्ट

8925. श्री पी०आर० कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद द्वार। किए गए अध्ययन के परिणामों जो दिनांक 30 जनवरी, 1989 के ''न्यूज वीफ'' में प्रकःशित हुए हैं पर गौर किया है, जिसने साद्य पदार्थी में कीटनाशकों के अविधिष्ट होने से उत्पन्न सतरों को स्पष्ट रूप स्व सावित किया है।
- (स) क्या गत 10-15 वर्ष से सरकार द्वारा, कराये गये कई अध्ययनों ने आधाम्नों में कीटनाशकों की सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में पाया जाना स्पट्ट रूप से साबित किया है;
- (ग) क्या यह सीमा सरकार द्वारा पंजीकृत लगमग 121 कीटनाशकों की बजाय केवस 31 कीटनाशकों के लिए ही निर्धारित की गई है और इस प्रकार का विक्लेषण खाद्य पदार्थों में केवल 5-6 कीटनाशकों तक ही सीमित रखा गया है; और
 - (घ) क्या सरकार का विचार अनुसन्धान के इन निष्क्षों को सार्वजनिक तथा इन्हें इस छायं

में सने सी जी ब्राप्त कर्इ o /वी ब्राप्त आई वर्ष के उपमोक्ता स्वास्थ्य दलों से प्राप्त अभ्यावेदनों की एक विशेषज्ञ दल को भेजने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापडें): (क) सरकार ने नंबुग्ल रि-ोर्सेज डिफन कौंसिस, संयुक्त राष्ट्र बमेरिका के अध्ययन की रिपोर्ट को 30 जनवरी, 1989 को म्यूजबीक में प्रकाशित हुई थी, देखी है।

- (स) साद्य पदार्थों में सामान रूप से प्रयुक्त कीटनाशक औषध विश्वमान होने के बारे में पिछले 10-15 वर्षों के दौरान किए गये अध्ययनों से पता चला है कि अधिकांश नमूनों में कीटनाशक कोवर्षे निर्धारित मात्रा में थी।
- (ग) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकृत 121 रसायनों के मुकाबले खाद्यानों में 31 सामान्य रूप से प्रयुक्त कीटनाशक आयेषयों के अविधिष्ट अंशों सह्य सीमा निर्धारित का जा चुकी है।

चूं कि अन्य कीटनाशक भीषधों की तुलना में की उपच की व बी व बी व बी व हो व का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होता है, इमलिए विक्लेषण प्रक्रिया में अधिक वन इन दो कीटनाशकों के अवश्विष्टांश तथा उनके समावयदों और चयापचयों का अनुमान लगाने पर दिया जाता रहा है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

साद्य तेलों की वितरण नीति

8926 डा॰ बी॰एस॰ शैलेश: क्या खाच और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने साध तेल वितरण नीति तैयार कर ली है;
- (स) यदि हो, तो इसकी विशेष बातें क्या हैं;
- (ग) बायातित खाद्य तेलों के मंडार, वेश में इनकी उपलब्यता, चालू तेल वर्ष के दौरान तेल की मांग का क्यौरा क्या है और सांग और उपलब्धता के बीच कसी को कितने आयातित तेल से पूरा करने का विचार है; और
- (घ) क्या सरकार का देश में पहले से ही उपलब्ध तेल मिलों की पर्याप्त क्षमता का प्रयोग करने की दृष्टि से तेलों के स्थान पर तिलहन का आयात करने का विचार है ?

साध और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा): (क) और (ख) बितरण को मौजूदा नीति में राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का बावटन, राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों को अयातित खाद्य तेलों का बावटन, राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों को मांग, खुने बाजार में देशीय खास्य तेलों को उपसम्यता तथा उनके मूस्य, सरकार के पास उपलब्ध तेल के मण्डार, पहले आवंटित किया गए तेलों को उठाने की गति तथा अन्य संबंधित बातों को ज्यान में रखते हुए किया जाता है। आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, उचित मूल्यों पर देशीय खाद्य तेलों की उपलम्यता में वृद्धि करने/अनुपूर्ति करने के लिए किया जाता है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करने के लिए नहीं।

(ग) राज्य व्यापार निगम के पास पहली नवस्वर, 1988 को सरकार की ओर से आयात किए गए खाद्य तेलों की 2.286 लाख मी॰ टन मात्रा उपलब्ध थी। तेल वर्ष 1988-89 के लिए खाद्य तेलों की मांग 55.34 खाख मो. टन बांकी गई है, जिसके मुकाबले वेशीय उपलस्यता 46 साझ मी.

टन से अधिक होने का अनुमान है। साध तेलों की मांग व उनकी आंपूर्ति के बीच अस्तर को पूरा करने के सिए साध तेलों की आयात की जाने वासी मात्रा की निरम्तर पुनरीक्षा की बाती है। यह पुनरीक्षा खुले बाजार में उपलब्ध देशीय साधा तेलों की मात्रा व उनके मूल्य, बन्तर्राष्ट्रीय बाधाद में तेलों के मूल्य तथा आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलम्पता, आदि जैसी बातों के आधार पद की जाती है।

(ष) जी नहीं।

वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण योजना

8927. डा॰ बी॰एल॰ शैलेश : स्था वस्त्र मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि :

- (क) क्या केन्द्र सरकार वस्त्र उद्योग बाबुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत रखी गई विधि को 750 करोड़ २० से बड़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने पर विशास कर रही है;
 - (स) यदि हो, तो योबना की मुख्य बातें दवा हैं;
 - (ग) सक्षम मिलों द्वारा इस राजि का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा;
- (प) क्या सक्षम निलों को भी किसी प्रकार की राशि उपलब्ध कराने का विचार है बौर यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्योरा क्या है; कीर
- (ङ) मारतीय श्रीद्योगिक विकास बैंक को इन योजनाओं के कार्यान्वयन और इन्हें सफल बनाने हेतु क्या काम कींगा गया है?

वश्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम): (क) और (स्र) भारतीय श्रीकोषिक विकास वैंक को सलाह दी गई है कि वह स्कीम की समीखा करे तथा निधि को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करें।

(ग) से (ङ) भारतीय बोद्योगिक विकास बेंक को निधि के ब्रक्तासन का कार्य सौंपा गया है। निधि के लगभग 25% भाग के बारे में आखा थी कि उसका उपयोग स्वस्य यूनिटों को, ऐसे बहुण पर सागू सामान्य वार्तों के अनुसार खाधू निकीकरण सहायता प्रदान करने में उत्योग किया आएगा। विधि के वीव भाग का उपयोग कमजोर लेकिन कार्यक्रम एककों के लिए किया आना था। निधि के एक भाग को (सगभग 100 करोड़ रुपये) ऐसे एक कों को ब्याज की घटी दरों पर ऐसा ऋष बदान करने के लिए निर्धारित किया गया है जाकि प्रवर्तकों के अंग्रदान का 80 प्रतिश्रत पास विधा खा सके।

राजेन्द्र प्लेस में पुल का गिरना

8928. श्री राज कुमार राय : क्या शहरी विकास नंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या हास ही में राजेन्द्र ब्लेस में एक पुल शिए समा है;
- (स) यदि हो, तो इसके कारणों सहित तस्तवंत्री न्योरा क्या है;
- (ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई बिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और
- (ब) यदि हो, तो संबंधित व्यक्तियों के किरु क्या कार्यवाही की गई है अववा किये वाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किरवर्ष) : (क) और (ख) 15 मार्च, 1985 को; एक दुर्घटना घटो थी जिसके फलस्टक्प सामने वाले भवन के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास तका कार्याक्तय परिसर को जोड़ने बाला दूला मार्ग (सेन्टरिंग गेगवे) गिरा दिया वया ।

(ग) और (घ) इस दुघंटना के लिए एक कार्यपालक इन्जीनियर, एक तहायक इन्जीनियर और एक कनिष्ठ इन्जीनियर को उत्तरदायी ठहराया गया वा तथा उन्हें बारोप पत्र जारी किए जा रहे हैं। एक जापराधिक मामला भी दर्ज किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुकंपा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति

8929. भी राजकुमार राय: न्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण सरकार के आदेशों के अनुसार मृत कर्नचारियों के आजितों को अनुकंपा के आवार पर नौकरी देता है;
- (स) यदि हो, तो गत तीन वर्षों के वौरान इस प्रकार कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की वर्ष;
- (ग) क्या मृत कर्मचारियों के आश्रित को हितकारी पेंशन, उपदानन, सामूहिक बीमा धीर हितकारी निधि के मुगतान में विलम्ब किया जाता है; और
- (घ) यदि हाँ तो इसके नया कारण हैं और भविष्य में ऐसे विसम्ब दूर करने के लिए नया कदम उठाए गए हैं ?

झहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) जी, हां।

- (朝) 175
- (ग) जी, नहीं। आमतौर पर इनका समिलम्ब मुगतान किया जा रहा है।
- (घ) उपयुक्त को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता ।

औषिषयों का भायात

8930. श्री राजकुमार राय: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विटामिन बी-1, विटामिन बी-2, बानाजल, टेट्रासाइ-किलन, विकेसटाइन और विन्वलेस्टाइन की किलनी-कितनी मात्रा का खायात किया गया; बौर
- (स) कितनी कर्मों द्वारा उपरोक्त दवाइयों की कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया और प्रत्येक क्षेप के व्यायात पर प्रति किलोग्राम कितना आगत, बीमा माड़ा, मूल्य चुकाना पड़ा तथा यह व्यायात किन-किन देशों से किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कस्याज मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज कापडें): (क) कौर (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना संसम्न विवरण में दी गई है।

				ापपर्य गोषधों का आयात			
क्रमाक	कोववों के माम	361	98-5861	198	1986-87	1987-88	_
		मात्रा किंग्राट में	लागत, बीमा माड़ा मूल्य द्ययों में	मात्रा किंद्यां० में	लायत, बीमा भाड़ा मूल्य रुवयों में	मात्रा कि॰बा० में	सागत, बीमा माड़ा मूल्य हपयों में
	विटामिन वी-1	2,018	5,59,140	2,000	8,75,251	21,255	99,34,433
	र्ष्यतार्थः विटामिन वी-2 डेनाबोस	ब प्राप्त 40	अप्राप्त 7,86,587	15,494. 8 5 84	79,20,396 17,23,954	1,859.9	95,53,79 8 26,39,439
	टेटासाष्ट्रभीन बिन्मेसटीन	5,295 25 भाम	30,24,014 12,71,899	359.5 245 शाम)	1,23 008 2,26,335	44,319.5 75 भाम	1,47,90,47 8 3,15,336
	विन म्मा स्टिस सल्केड	34,000 वर्षावर्ष) 3,100 वर्षेवरी) 10 मि.घा)	1,50,083	15,274 थाखा) 1,668 धोधी) 10 मि.पा)	80,771	भग्न	अग्र ाटक

केंसर रोबी औषवों का आयात

- 8931. श्री राजकुबार राय : स्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) उन कैंनर-रोघी ओवधों के नाम क्या हैं जिनका बल्क में और अपरिष्कृत रूप में आयात किया जा रहा है;
 - (स) यत तीन वयाँ के दोरान प्रतिवयं कितनी मात्रा में ऐसी औषित्र आयात की गई;
- (व) क्याइन जीवधों अथवा परिष्कृत अधिधियों में से किसी भी एक जीवध का देश में निर्माण कियाजारहाहै; और
 - (च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ?
- स्वास्म्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापडें) : (क) और (स) इस मन्त्रासय में उपलब्ध सुचना समन्त्र विवरण में दो गई है।
- (ग) और (घ) श्रोवशों के उत्पादन से सम्बन्धित सुचना उद्योग मन्त्रासय, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा मानोटर को खाती है।

विवरण केंसर रोपी औषवों का आयात

क्रमांक बांषय का नाम	1985-86	98	1986-87	-87	51	1987-88	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	_
1. एकाषिकोप्रिन गोसिया	1,41,400	6,17,845	4,26,650	13,09,278	13,09,278 11,83 900	40,78,991	
	योषियां \times 50 मि.धाः	Ŧ	गोसियां $ imes$ 50 दि.पा.		नोसियां $ imes$ 50 मि.पा.		
2. क्लोरेमबूसिल गोलिया	13,000	1,20,410	1,25000 गोसिया	3,91,489	3,91,489 (1) 57,500 गोषियो 1,53,961	1,53,961	
,	मोबिया 🗙 २ मि.मा.		×2 fम.чт.		×5 fн.т.		
	27.775 गोसियां		97,575 रामित्रयां		(2) 65,000 गोमयां	1,49,024	
	×5 fq.an.		×5 fq.yr.		imes 2 fa.u.		
3. फ्लरोरासिल	50 uru, 13,107		100 प्राम	5,21,644	5,21,644 (1) 16500 सिशियाँ	1,13,898	
	•				×500 मि.प्रा.	_	
					(2) 22410 QFq.	77.004	_
					×250 मि.वा.		
					(3) 30500 विशिष्य	2,04,275	_
					×50 fa.ur.		

_							
_				10 प्राम		×25 ¶14	
		imes 10 बि.पा.	2,88,978	14,274× 2,88,978		विश्विषायां 9600 बनसे	
	1,36,376	58,400 शिषिषी 21,36,376	19,74,387	245 प्राच 19,74,387	12,71,899	34,000	7. बिनिक्स्टीन इम्बेक्शन
_		× 10 ft. st.		×10 मि.पा.		× 50 मि.पा.	
	2,23,809	7	1 80,771	1568 शिक्षियां	60 083	3100 शिषाया,	6. विवेक्सास्ट्रीम मृ ज्नेक्सव
_						10 प्षम•×5 मि. गा .	
		imes 10 fu.ur.		× 5 मि.पा.		4000 बक्छे×	बि योकॉस्केमाहर
	2,37,068	18,040 शिक्षियां 2,37,068	26,187	3000 एम्प.	1,99,118	10,500 बिबियां	5. एम.एन.एनट्रिक्याईन
		गोलियां× 5 मि.प्रा.	गोलिय				
_	1,71,888		_	गोसियां $ imes$ 2 मि.बा.			
		गोलियां × 2 मि.पा.		(2) 45,000			
	233,374	3,48,022 (1) 86,000	3,48,022	गोषियां 🗙 ५ मि०पा o		गोसियां $ imes$ 2 मि.प्रा	
_				(1) 89,600	4,54,742	50,275	4. मलफालान

डपमोक्ता अध्ययन संस्थान

- 8932. भी भी० एस० कृष्ण अध्यर : स्था साध और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार का बंगसीर में एक उपभोक्ता अध्ययन संस्थान स्थापित करने का विचार है;
 - (स) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योश क्या है; और
 - (ग) इस उद्देश्य हेलु कितनी बनराबि मंबूर की गई है ?

कास्त्र और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (भी डी॰ एस॰ बैठा): (क) वी नहीं। (स) बीर (व) प्रदन नहीं उठते।

"नीमहंस", बंगलीर में "एड्स" जांच केन्द्र की आवश्यकता

- 8933. भी बी० एस० कृष्ण अस्पर : नमा स्वास्थ्य और परिवार कस्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या "नीमहंस", बंगसीर में एक अन्य "एड्स" जांच केन्द्र स्थापित करने की आवश्य-कता है; और
 - (स) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया वायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्यान मंत्रालय के राज्य मंत्री (कुमारी सरोज कापडें): (क) और (क) रक्त दाताओं और तंत्रिका-मनोविकार के रोगियों के सिए एक एड्स स्क्रीनिंग परीक्षण स्वापित करने के सिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

कर्नाटक में "एडस" की जांच करने के लिए अतिरिक्त केन्द्र

- 8934. श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अध्यर । न्या स्थास्त्र्य और परिवार कस्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।
- (क) क्या कर्नाटक धरकार ने "एड्स" रोग की रोकवाम के लिए छ: स्रतिरिक्त "एड्स" बांच केन्द्र स्वापित करने हेतु 75 लाख क्यये की 'मीडियम टर्म व्लान" का कोई प्रस्ताव भेवा वा:
 - . (स) क्या केम्ब्रीय सरकार ने इस योवनां की मंजूरी दे दी है; बीर
 - (ग) यदि हो, तस्सम्बन्धी स्पीरा क्या है?

स्वास्त्व और परिवाद कस्थान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज लापडें) : (क) से (ग) जी, हां । कर्नाटक राज्य में निम्निशिक्त विकित्सा कालेज मरपतालो/जिला अस्पताओं में विदिश्त निवारानी केन्द्र कोसने का प्रस्ताव किया गया है :—

- 1. मेंगलीर ।
- 2. मेसूर।
- 3. बेल्बरी।
- 4. हुबली ।
- 5. बैलगांव ।
- 6. गुजबर्ग ।
- वार्कीरंग पंड लेडी क्वंन बस्पतास, वंगसीर ।

राज्यों में कर्मचारी राज्य कीवा निगम के अस्प्रकालों का अधिप्रहण

8935. सी सी०एस० कृष्ण सम्बर : तया अन मन्त्री मह नताने की कृषा करेंचे कि :

- (क) स्या कर्नाटक में कमचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताओं के दोहरे प्रवन्ध के कारण कर्मवारियों को परेक्षानी हो रही है;
- (स) यदि हां, तो स्था केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निवम के नियंत्रवानीन सभी बस्पतालों और ओवधानयों का अधिग्रहण करने का अस्ताव है; और
- (ग) यदि हां, तो तरसम्बन्धी न्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सन्तिब निर्मय कव तक लिए साने की सम्भावना है ?

अस मन्त्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के उपबंकी (की रावाकिकन सासवीय)।
(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार न कुछ समय पूर्व देश में कर्म वारी राज्य डीसा व्यवसात के कार्यकरण का मुस्यांकन करने के लिए 3 तदर्थ समितियां गठित की थीं। इसमें धे दो समितियों ने अपनी रिपोर्ट में यह उत्तल किया है कि कमनारी राज्य बीमा चिकित्सा योजना के प्रशासन में विश्वसाय दोहरा नियन्त्रण सामानुमीगयों को कारगर सेवा उपलब्ध कराने में बाधा उत्तरण कर रहा है। इसिए, इन दो समितियों न सफारिश की है कि कर्मवारी राज्य बीमा चिकित्सा देशरेख की प्रवन्त व्यवस्था को कर्मवारी राज्य बीमा निगम दारा बपने हाथ में ले सिया जाना चाहिए। इस यानने पर नवस्थर, 1988 में हुए अम मन्त्री सम्मेतन के 37वं बिवयेशन में विज्ञार-विमर्श किया गया था। तथापि, इस विवय पर सम्मेतन में मतैन्य नहीं था।

भौषध दुकानों से दूषित रक्त उत्पादों को हटाना

8936. श्री के॰ प्रवानी । श्री स्वास्थ्य और परिवार कल्यान मंत्री यह बताने की कृपा श्री कनकनाय

करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ज्यान 14 सम्भेल, 1989 के ''टाइस्स आफ इण्डिया" में श्वेन्नड असड प्रोडक्ट, स्टिल अवेलेवव" खीवक से प्रकाशित समाधार की बोर साकवित किया गया है;
 - (स) मदि हा, तो क्या मितनिन्यत रक्त उत्पाद बभी तक बाबार में उपसब्द है;
 - (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; बोर
- (घ) सभी दूषित रक्त जत्पादों को बाबार से पूर्व कर है इटाने की सुनिविचत वसाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण वन्त्रसम्भ में साध्यानंत्री :(कुनारी संदेश कार्यें) : (क) वी, हो।
- (स) से (घ) जोषघ जोर प्रसाधन सामग्री विग्रमों के जार गर किसी औ रकत अस्वाद घर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। किन्तु पूरी सावधानी के तौर पर राज्य जोषघ नियन्त्रक प्राधिकारियों को मार्च, 1989 में निदेश दिया गया है कि उस दिन तक मानव रक्त/जपरा से बने सजी जस्यादों को वापस ले लिया जाए जोर नष्ट कर दिया जाए। इन उत्पादों को बाजार के हुताबे के जारे में प्रस तथा दूरदशन से ज्यापक प्रचार किया गया था।

प्राकृतिक कंम्प

8937- श्रीमती जयन्ती पटनायक : स्या पर्यावरण और वन मन्त्री श्रह स्ताने की हपा करेंने कि :

- (क) क्या सरकार द्वारा प्रति वयं प्राकृतिक केन्य बाबोजित । कए बाते हैं;
- (च) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दोरान आयोक्तित प्राकृतिक विश्वी का व्योश क्या है:
- ं(ग) क्या वर्ष 1989 के बोध्म काल के दौराव भी ऐसे कैम्पों का वायोजन करने का विचार है; बोर
 - (च) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी स्थीरा वया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियावर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार समय-समय पर श्राकृतिक कंम्यो का आयोजन करती है नाक प्रांतवर्ष।

- (ख) १९८८-८९ के दौरान कोई प्राकृतिक कैम्प आयोजित नहीं किया गया।
- (ग) जी, हा।
- (ब) सरकार का हिमालय पर्यावरण केन्द्र के सहयोग से मनाली में 10-24 जून, 1989 के दौरान एक प्राकृतिक कैम्प आयोजित किए जाने का प्रस्ताब है।

इसमें भाग सेने वालों को विस्लों से मनास्त्रों और वायल दिल्ली के लिए निशुश्क परिवहून और बावदयक संस्थान कामिक मुहैया कराए जाएगे। कैश्य खर्ना बिसमें टहरना और मोजन सामिल है, माग सेने वालों द्वारा वहन किया जाना है।

उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतास

8938. श्रीमती जयन्ती पटनायक: क्या श्रम मंत्री यह बताने की क्रूपा करेंगे कि:

- (क) उड़ीसा में कर्म वारी राज्य बीमा निगम के बस्पतास कहां-कहां स्थित हैं;
- (स) क्या राज्य में कर्मचारी राज्य कीमा निगम के अतिरिक्त वस्पताल स्रोसने का कोई। प्रस्ताव है;
 - (ग) यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (व) उन स्थानों का न्योरा क्या है जहाँ कर्मवारी राज्य बीमा निगम के नए अस्पतास स्रोसने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्रो तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राघाकिशन मालवीय)। (क) इस समय उड़ीसा में 4 कमवारो राज्य बीमा अस्पताल हैं। ये अस्पताल बराजराजनगर, चौद-चार, जयक्षशुरा बौर कनसामल में स्थित हैं।

(ख) से (घ) यह सुचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम राउरकेला तथा मुबनेक्टर में दो वर्ष क०रा०बी • अस्तिवासों के विनिर्माण के लिए शिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है।

स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पर्लटों का निर्माण

8939. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत मध्य बाय वर्ष (हुडको) और हुड-विद्या पोवित योजना की विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों का कुर्सी क्षेत्रफल और आक्ष्यान्दित क्षेत्रकल कितना-कितना है;
- (स) स्व-विक्त पोषित योजना की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत श्रेणीयार पर्सटों का क्रिय-किन स्थावों पर निर्माण हो रहा है और किन स्थानों पर इनका विर्माण करने का विकार है; और

rł.

(ग) इन पसैटों की मजिल-बार लागत कितनी है ? क्षाहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहितना किववई) : (क)

- (i) मध्यम आय ग्रुप 60 से 75 वर्ग मीटर तक मिन्न-भिन्म
- (ii) स्व वित्त पीचित 75 से 90 वर्ष मीटर तक मिन्य-मिन्न बोजना खेनी-11
- (iii) स्व वित्त पोषित 100 से 125 वर्ग मीटर तक मिन्न-भिन्न योजना अंगी-गा

स्व वित्र वोवित गोजना

(स) उन स्थानों के बारे में, जहां स्व वित्त पोषित योजना की विमिन्न श्रेषियों के तहत क्वैट निर्माणाधीन हैं, सूबना विवरण में बी गई हैं। स्व कित्त पोषित आवास, जिनका निकट विषय में निर्माण किए बाने की सम्मावना है, वह पूर्वी मुखर्जी नगर (घीर पुर) कोंडली घटोली पर होंबे।

(ग) वर्ष 1988 में जो लागत थी वह इस प्रकार है :---

मध्यम खाय वर्षे

••	मन्यम जाव प्र	स्य ।यत पावित याजना			
		श्रेणी-11	श्रेणी-1∐		
1988	1,34,600 रुपये से	1,57,9000 रुवये से	2,53,000 हपये से		
	1,63,000 रुपये	2,85,700 रुपये तक	3,73,100 रुपये तक		
_	तक भिन्न-भिन्न	बिन्न-बिन्न	मिन्न_भिन्न		
		विवरण			
ਙ.ਰੰ .	कासो नी	स्ब विस	पोषित योजना आबास		
		श्रेणीः11	क्ष ब्री-111		
1.	सरिता विहार	717	930		
2.	कामकाची	52	104		
3.	र्मदाकंनी	4	8		
2. 3. 4.	मोतियां चान	16	42		
5.	मारी पुर	356	208		
6.	पश्चिमपुरी	588			
7.	डिशनगढ़	204	220		
8.	पसंत कुंच	414	703		
		2351	2215		

हुष योग: 2315+2215=4566

संस्थागत क्षेत्रों का विकास

[हिन्दी]
8940. भी परसराम मारद्वात: क्या जहरी विकास मन्त्री संस्थागत क्षेत्रों का विकास के बारे

में 12 बार न, 1989 के बातार्शाकत प्रथन संख्या 5901 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) बातुस्चित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन संस्थाओं के नाम नया है; जिन्हें
मुन्न बार्वटित की गयी है और ऐसी प्रत्येक संस्था को कितनी भूमि बार्वटित की नई जोर ने कहाक्यां स्थित हैं:

- (ंख) किन-किन क्षेत्रों का संस्थायत खेत्रों के रूप में विकास किया गया है और ऐडे प्रस्वेक संस्थागत क्षेत्र में कितने भूकण्ड हैं;
- (ग) क्या कहीं किसी आकार के किसी मूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं किया क्या है; यदि हो, तो तक्सम्बन्धी क्योरा क्या है;
- (भ) जामनयपुरी में किन-किन संस्थाओं को भूमि आवंदित की गई है और उन चूखण्डों की संस्था नया है; और
- (ङ) बया सरकार का निकट मविष्य में किसी संस्थायत कोच का विकास करने का विचार है; यदि हां, तो तक्षमन्वन्थी ज्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहिसना किववई) : (क) सूचना संसम्म विवरण-1 में वीं गई है।

- (स) सूचना संलग्ध विवरण-2 में दी गई है।
- (ग) सूचना संलग्ध विवरण-3 में दी गई है।
- (व) सूचना संस्थन विवरण-4 में दी गई है।
- (ङ) खैबर पास और अलीपुर रोड पर सांस्थानिक क्षेत्रों का निकट मविक्य में विकास करने का प्रस्ताव था। क्षेत्रों का इस प्रकार विकास किये जाने के बाद ही अ्थीरों का पता सथ सकेगा।

अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति के कार्यकरण का प्रतिनिधिश्य करने वासी निम्वविधितः संस्थाओं का मृनि आवंटित की गई है।

•					
Ta	व	₹	U	-	ļ

क .स.	संस्थाकानाम	बाबंटित क्षेत्र	स्यान
1.	डा० बी०त्रार० अम्बेडकर अनुसंघान सस्घान	920 वर्गगज	प्लाट गं० 3 सेक्टर-4, बार०के० पुरम
2.	बिस्सी अनुसुचित चाति कस्याण संघ	1.45 电带字	भाराम वाग (न्यू रावी सांसी रोड
3.	बिखल मारतीय अनुसूचित जाति/ जनकाति, पिछड़ा वर्ग तथा बल्प- संस्थक कर्मचारी कल्याण संघ	930 वर्गगज	करोस बाग, नई दिल्बी
4.	अगजीवन राम माश्रम	0.50 एकड़ 625 वर्गगज	झंडेबासान
		विवरण-2	

∓. ₹.	विकसित किए गए सांस्यानिक क्षेत्रों का नाम	प्साटों हा ब्
1.	बाई.पी. एस्टेट सहित हाडिय विव के पास मधुरा रोड	26
2.	राउचे एमेन्यू से व	21

I M a a	447.	10 441 1383
a.	स्रेंबर पास क्षेत्र	34
4.	षोषी एस्टेट	16
5.	सोबी रोड संस्थानिक क्षेत्र	28
6.	ंबाल मारती 🗣 समीप सोबी रोड	1
7.	बार०के∙ पुरम-सेक्टर-12	4
8.	ब ार०के • पु रम-सेक् टर-4	14
9.	बार॰के॰ पुरम-मेब्ट र-9	7
10.	मार्किट रोड सांस्थानिक क्षेत्र (माई वीर सिंह मार्ग)	31
14.	विजनोमेटिक इन्वतेव	9
12.	डिफॅस कालोनी	5
13.	सराय कम्पलेक्स, ही० बाई० जैंड० एरिया	5
	विवरण-3	
क. सं.	विकसित किए गए सांस्थानिक क्षेत्रों का नाम	प्ताटों के नं०
1.	बा॰ हरदक्कर फाड बेशन	प्साट न. 8, सेक्टर-4, बार.के. पुरम
2.	भारतीय समाज कस्याज परिवद्	प्लाट नं. 9, सेक्टर-4, बार-के. पुरम
3.	मिनपुरी फाईन बॉट सेन्टर	प्लाट नं. 6 और सेक्टर-9, बार है.

क्र.सं.	विकसित किए गए सांस्थानिक क्षेत्रों का नाम	प्तार्टो के नं०
1.	डा॰ हरदक्कर फाड डेशन	प्साट न. 8, सेक्टर-4, बार पुरम
2.	मारतीय समाज कस्याज परिवद्	प्लाट नं. 9, सेक्टर-4, बार-के. पुरम
3.	मिनपुरी फाईन बॉट सेन्टर	प्लाट नं 6 बीर सेक्टर-9, बार के. पुरम में प्लाट का पिखवाड़ा
4.	बारतीय कृषि संस्थान	प्लाट नं. 4, सोदी रोड, सौस्वानिक क्षेत्र
5.	बारतीय इस्सामिक सोस्कृतिक चेंद्र	प्लाह नंए, सोबी रोड, सांस्यानिक क्षेत्र
6.	चिनमाया निचन	प्लाट नंबी द शी, सांस्वानिक स्रोत
7.	संवैद्यानिक द या संसदीय अध्ययन संस्थान	प् वाट नं. 3, खार.कें. पुरम
8.	विस्सी चिल्डरन वियटर (उच्चन्यायासय द्वारा रोका देश दिया गया)	विकेंस कासोनी
9.	काउंसिल आफ साई स म्युवियम	सैवर पास सीस्वानिक क्षेत्र

हिंगानी : इसके बबाबा कुछ ऐसे प्लाट है बिनका कब्बा दिया गया है। परन्तु बिन पर निर्माण पूरा करने के लिए दी गई दो वर्ष की वर्ष समाप्त वहीं हुई है। ऐसे मामसे उन्दुंक्त सूची में शामिस नहीं किए गए हैं। 8 9

8.

9.

		विवरण-4
क्र.सं.	प्त 'ट नं ०	संस्थाकानाम
1.	1	भारती सन्म
2.	2	निति अनुसंघान केन्द्र
3.	3	संवैधानिक तथा संस्वीय अध्ययन संस्था
4.	4	केन्द्रीय सिचाई तथा विद्युत बोर्ड
5.	5	युष होस्टन एमोसिएशन
6.	6	इण्डियन कांसिल फार अफ़िका
7.	7	सिचाई तथा जल निका अन्तरीष्ट्रीय आयोज

अनुसूचित बातियों/अनुसूचित जनजातियों की संस्थाओं को मुनिका आवंटित

दिल्ली भ्यं जिक सोमाइटी

इण्डिया एक्स सर्विस सीग

8941. भी गंगाराम : क्या सहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की सस्यागत भूमि बावंटन समिति की संस्थाओं की मूमि के आवटन के संबंध में 6 विसम्बर, 1488 को एक बैठक हुई थी;
- (स) यदि हो, तो क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों की संस्थाओं के आवेदनों पर भी इस बैठक में विचार किया गया था;
- (ग) यदि हो, तो तस्संबंधी स्थीरा क्या है और कझ्याण मन्त्रासय द्वारा इसके निये पुरवीर सिफारिश किये जाने 🗣 बावजूद सिटी इंस्टीट्य्शन छेत्र में भूमि के बावंटन 🗣 संबंध में इन संस्थाओं के बतुरोध स्वीकार न किये जाने 🗣 क्या कारण हैं; और
- (घ) उक्त संस्थाओं को उनकी मांग के अनुसार मूमि का बार्वटन कर तक किया बायेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) बोर (ख) जी, हां।

(य) और (य) सूचना एकत्र की जा रही है तया समा पटल पर रक्ष की जाएगी।

जड़ी बूटियों से आंतों के रोगों का उपचार

[अनुवाद]

- 8942. श्री मेवा सिंह गिल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याम मन्त्री यह बताने की इना **डरें**गे कि ।
- (क) क्या केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिवद ने आंतों के कुछ रोगों और मबुमेह के कारगर क्यांच के लिये जड़ी बूटियों से दवाद तैयार की हैं और इन बोयजियों पायक-प्रन्य (दैव-किरया) में पकरी बनने को भी रोका जा सकेशा, जैसा कि 21 दिसम्बर, 1988 में "स्टेटकमैन" में समाचार बकाखित हवा है;

- (स) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और
- (ণ) जड़ी बूटियों से बनी उक्त आयुर्वेदिक दवाओं/औषवीं के मानकीकरण के सिन्ने क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खावडें): (क) और (क्ष) केन्द्रीय होम्योपैयो बनुसंघान परिषद ने बान्त्र विकारों तथा मधुमेह के उपचार के लिए देवी जड़ी-बूटो मूल को कुछ बौध्यों पर बच्ययन किये हैं। बान्त्र विकारों के लिए जो बौध्यें झाजमाई जा रही हैं वे हैं साइनोडान उन्हाइलान, एटिस्टा इण्डिका और हैसोरेना एन्टो-डाइसेंट्रिका तथा मधुमेह के लिए सेफालेन्ड्रा इंडिका औष्य आजमाई जा रही है। जब तक जो परिणाम मिले हैं वे उरसाइ-जनक हैं। मधुमेह के उरचार के लिए सेफलेन्ड्रा इण्डिका की प्रभावकारिता का नैदानिक दृष्टि से मुख्यांकन करने के लिए अब अध्ययन शुरू किए गए हैं।

(ग) साइनोडाब बोर सेफालेन्द्रा इण्डिका को सानकीकृत खरने के प्रयास किए गए हैं। होम्योवैधिक मेवब-संहिता प्रयोगशाला, नाजियाबाद द्वारा आंकड़े तैयार कर लिए गए हैं और उनका सरवापन कर लिया गया है।

होम्योपैयिक औषधियों का आयात

- 8943. श्री मेवा सिंह गिल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपः करेंगे कि:
- (क) क्या देश में तैयार की जा रही कई होम्योपेषिक और वायोकेमिक बवाओं का संयुक्त राज्य कमेरीका, पश्चिम वर्मनी और स्विटवरलैंड जैसे वैश्वों से वायात की बहुमति दी नई है;
 - (स) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और
- (ग) उक्त आयात पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी विदेशी श्रुद्धा भ्यय हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरीज कापर्डे) : (क) से (ग) अपेक्षित सुबना एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दो जाएगी।

होम्योपैयिक औषियों का आयात

- 8944. श्री मेवा सिंह गिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:
- (क) क्या किसी अन्य देश में निर्मित गैर स्वाभित्य वाले होम्योपैथिक संयोजनों का सुधा साम्बन्ध साध्वेंस के अन्तर्गत अध्यात करने की अनुमति दी वर्द है;
- (स) यदि हां, तौ इन संयोजनों का जायात करते हैं पूर्व मास्त के बीचन निवंत्रक की जनु-मित प्राप्त करना बानस्थक होता है;
 - (न) इन अनुरोशों की जांच करने के सिए क्या समय-सीमा निर्वारित औ वह है;

- (घ) इस समय मारत के नोषव निवंत्रक की स्वीकृति के लिए कितने मनुरोव सैम्बिट पड़े हैं तथा ये बनुरोब किस तारीस को प्राप्त हुए हैं; बोर
 - (ङ) मामले में शी झता हेतु क्या कार्यवाही की वई है ?

स्वास्म्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज लापडें) । (क) तै (ङ) अर्पाक्षत सुवना एकत्र की बारही है और छमा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मजारियों द्वारा होम्योपेथिक चिकित्सा का व्यवसाय

8945. कुमारी कमला कुमारी : न्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बदाने की क्या करेंगे कि:

- (क) क्या होम्योपेथिक वेडिकल प्रेक्टिशनर्स के रूप में पंजीकृत केन्द्रीय सरकार के कर्म-चारियों को फालतु समय में धर्मीय बाधार पर, सरकारी ख्यूटी में विना किसी व्यवधान के, होम्यो-पैथी का व्यवसाय करने की बनुमति है;
- (स) यदि हाँ, तो क्या ऐसे व्यक्ति को बनुमित नहीं दी जाती है जो अपने वर्तमान कार्यालय स्वान से बन्यत्र किसी अन्य राज्य/संघ राज्य को त्र में पंजीकृत हों;
 - (ग) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं; भीर
- (प) इस विसंगित को दूर करने के सिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्त्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज लापडें): (क) मौर (ख) केग्द्रीय सरकार के उन कमंबारियों को जिनके पास होम्योपैधिक विकितना पद्धति में मान्यता प्राप्त जहाँता हो और जो सक्त्रन्थित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संगत नियमों के बन्तगत या तो बहुंता के बाबार पर या अनुभव के बाबार पर चिकित्सक के रूप में प्रजीकृत हों; खाली समय के बौराव होम्योपैधिक विकित्सा पद्धति में घर्मांचं प्र किटस करने की अनुमति की जा सकती है। किन्तु जिन जविकारियों को ऐसी अनुनति दी जाती है, उन्हें एथ०सी०सी० एक्ट, 1973 की घारा 26(2) की जपेकाओं को भी कुस करना होगा।

- (ग) इस प्रकार की कोई विसंयति नहीं है।
- (ष) प्रस्त नहीं एठता।

नागपुर जिले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषघालय

8946. की कनवारी साल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार सस्यास मन्त्री यह क्ताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या नागपुर विले में कार्यरत हैन्द्रीय श्वरकार श्वास्थ्य योजना के जीववानयों की संक्या वहां पर रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मवारियों की सुलना में बहुत कम हैं;
- (स) यदि हो, तो स्था सरकार का विचार निकट मविष्य में नागपुर जिले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य बोजवा के विकित्का श्रीवामालय खोलने का है; बीर
 - .(ग) यदि हां, तो तत्वंबंधी न्यौरा स्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याच मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज सापडें): (क) बी, नहीं।

(स) और (ग) एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैधिक जीवधालय 30 मार्च, 1989 के सोस दिया गया है। वर्ष 1989-90 के दौरान किसी नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जीवधालय को जोखने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में आवास सलाहुकार की नियुक्ति

- 8947. श्रीमती डी० के० मण्डारी : नया शहरी विकास मंत्री यह बताने की कुना करेंचे कि:
- (६) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग का विवार स्लम निवासी पर्यंट योखना, 1985 के बंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता संस्था को जानने में उनकी सहायता के लिए एक सम्म्यूटर लगाने का है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या विक्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग का विचार इसके पंजीकृत व्यक्तियों को एक दिन के भीतर बारण पत्र प्राध्त करने में सहायता हेतु एकल कार्ज टर प्रचाली बारम्य करने का भी है, यदि हां, तो तत्सम्बंधी व्योग क्या है;
- (य) क्या पंजीकृत व्यक्तियों की सहायता के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्त्रम विग का विचार आवास ससाहकार नियुक्त करने का भी है; और यदि हां, तो क्सम्बंधी व्योरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किवबई): (क) विस्ती विकास प्राधिकरण के स्तम विंश ने सुनित किया है कि उन्होंने कम्प्यूटर की सहायता से प्राथमिकता सम्बर पहले ही बाबंटित कर दिये हैं। तथापि, पश्रीकृत व्यक्तियों को सपना प्राथमिकता नम्बर जानने में सहायता करने के सिये वर्ष्ट्रें एक कम्प्यूटर सगाने की व्यवहायेंता का पता स्थाने का परामसं दिया बायेगा।

(स) जी, हो। आवंटियों को मांग पत्र उसी तारीस को दिये सार्येगे जिस तारीस को वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यांसय में बायेंगे अन्यया इन्हें रिवस्टड डाक द्वारा भेष दिया सामेगा।

वें के विवास रसीय प्रस्तुत करने पर रिह्मायकी एकक का कम्बा उसी दिन वे दिया वादेगा।

(व) चुकि स्लम विग के सम्बन्धित अधिकारी पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी सहायतावें बातानी के विच सकते हैं। अतः इत समय पूर्वक आवास कौसंबर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव वहीं है।

विस्ती में अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लामायियों के लिए श्रविधाएं

8948. श्रीयती डी०के० मण्डारी : क्या स्वास्थ्य और वरिवार संशी कश्याण यह क्तावे को क्रम करेंदे कि 1

- (क) क्या दिल्ली में स्थित अस्पतः लों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लामाणियों और उनके बाजितों के स्वास्थ्य की जांच तथा उपचार के लिए हुछ अ्यवस्थाएं उपलब्ध हैं: यदि हो, तो इन अस्पतालों के नाम क्या हैं;
- (स) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाम। वियों तथा उनके वाश्चितों के लिए इन बस्पताओं के प्रश्येक विभाग में कुछ बिस्तर आरक्षित रखने का विचार है; यदि हां, तो तस्सक्याची क्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; बोर
- (ग) क्या विभिन्न राज्यों के कुछ त्रस्पतालों में केन्द्रीय गरकार स्वास्थ्य सेवा के सामाधियों कि "साउट होर" तथा "इन होर" उपचार के लिए कुछ सुविषाएं उपलब्ध हैं, और यदि हां, हो तरसम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापडें): (क) बी, हां । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लामायियों की स्वास्थ्य परशक्षा तथा उपचार के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने केन्द्र/राज्य सरकार के अस्पतालों तथा कुछ धाइवेट अस्पतालों में व्यवस्था कर रखी है। ऐसे अस्पतालों की एक सुवी विवरण के रूप में संसम्ब है।

(स) जी, नहीं । दिल्मी में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्था योजना के लामार्थियों को चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की खा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

दिल्ली में मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची

•
—सभी प्रवोजनों के सिए
त दैव
तदैव
— बच्चों के लिए
—समी प्रयोजनों के लिए
— त दे व
केवल प्रसुतिकायं के लिए
—सभी प्रयोजनों 🕏 सिए
-
केवल प्रसृति कायं के लिए
तदैव
— ग्रमी प्र योजनों के लिए
— तद्देव
तर् वैव

व) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त	राज्य/नगर निगम अग्पताल
1. सोड नायड जयप्रकाष नारायण वस्त्रताल	सभी प्रयोजनों के लिए
 बी॰बी॰ वन्त अस्पताञ्च 	— तदेव
3. दीनदवास बस्पताल	त देव
4. गिरवारीलाम बस्पतास	—केवल प्रसूति कार्य के सिए
5. आर•बी•टी•बी• बस्पताल	श्रय रोग के मामलों के लिय
6. जिला अस्पताल, गुडगांव	—-ष्टमी प्रयोजनों 🕏 लिए
7. वर्ड दिस्ली नगर पालिका के अन्तर्गन सभी केन्द्र 8. दिल्ली नगर निगम के अप्तर्गत सभी केन्द्र	_
9. बादबाहु वा अस्पताल, फरीदाबाद	—समीप्रयोजनों के लिए
(न) प्राइवेट मस्पताल	
1. डा० बी०एस० कपूर मेमोरियस बस्यताल	केवल प्रसृति कार्य के लिए
2. सेंट स्टीफन बस्पतान	—समी प्रयोजनों के लिए
3. शासा राम स्वरूप (टी०वी० त्रस्पतास)	—केवल झयरोग के माम लों केलिए
4. नरेन्द्र मोहन बस्पताल, गात्रियाबाद	समी प्रयोजनों के लिए
(प) रेफरल अस्पताल	
1. बिसल मारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	समी प्रयोजनों 🕏 लिए
2. डा॰ राजेग्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र	
विकास मारतीय बायुविज्ञान संस्यान	—नेत्र रोगों के लिए
3. बत्रा बस्पताल	—वाई पास सजंरी के लिए
4. चैव-रसायन 🕏 लिए सी०एस० त्राई० जार०	
(पटेस चेस्ट)	—केवल दमा के रोगों के लिए
5. राष्ट्रीय हृदय-रोग संस्थान	—वाई पास सर्वरी के लिए
6. डी॰ इन॰ आर॰ संस्थान, नई दिल्ली	—सी०टी० स्वेन

सहकारी प्रप हार्जीसग समितियों का कार्यकरण

8949. जी कमल जीवरी: वया शहरी विकास मंत्री सहकारी ग्रुप हार्जिस समितियों के कार्यकरण के बारे में 24 नवस्वर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या: 3031 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आनन्द लोक को आपरेटिय ग्रंप हार्वीसग सोसाइटी के मामले में प्रशासक को नियुक्ति किस तारील को की गईं यी और उक्त प्रशासक कितनी अविधि तक अपने पद पर रहा;
- (स) विल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 197 / 1973 में इसके बन्तर्गत बनाए गए नियमों का सल्बंबन करके अनियमितताएं बरतने के सम्बन्ध में समिति के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या समिति के पदाधिकारी उक्त अधिनियम का उल्लंबन करके श्रोतीबेंट, वाइस श्रेतीबेंट, सेक्रेटरी तथा ट्रेबरर के पदों पर लगातार दो कार्यकालों से श्री अधिक समय तक कार्य करते रहते हैं; और

(व) य व हां, तो इन सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की नई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किववई): (क) सहकारी समितियों के पंत्रीयक ने कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया है।

- (ल) सहकारी समितियों के पंजीयक ने सहकारी समिति से अधिनियम, 1972 की धारा 55 के बन्तगत एक सांविधिक जांच की थी। प्रबन्ध समिति के नये चुनाव कराने से लिये चारा 30(1) के अन्तगंत समिति को मांग जारी को गई थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण से सी व डी फाम जारी न करने तथा सदस्यों के पक्ष में उप पट्टा विलेख निष्धादित न करने का अनुरोध किया गया था। तथादि, इस समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक 'सविस रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय में एक 'सविस रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने दिनांक 9-1-87 के अपने आदेशों/निर्वेशों परिचालन पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11-9-87 के अपने आदेश के तहत समिति द्वारा निकाली गई लाटरी को नियमित कर दिया था। इसी बीच समिति ने 26-9-87 को चुवाव करा लिये है।
 - (ग) जी, हां।
 - (घ) ब्योरे प्रश्न के भाग (क्ष) के उत्तर में दिये गये हैं।

सहकारी सामूहिक आवास सिनितयों द्वारा "ड्रा' निकाला जाना

8950. कमल चौघरी: ग्या शहरी विकास मन्त्री सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा 'इा' निकाले जाने के बारे में 5 सितम्बर, 1988 के अतारांक्ति प्रश्न संख्या-4929 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सहकारी समितियों के पजीकार द्वारा सहकारी सामूहिक आवास समितियों को जारी 31 मई, 1984 के निदेशों का व्योरा क्या है;
- (ख) क्या जुलाई, 1985 में मानव खोक सहकारी सामूहिक आवास समिति ने उक्त निवेखों का उत्लंघन किया था;
- (ग) क्या उपशेक्त निदेशों के अनुसार इस समिति द्वारा प्रत्येक पर्लंट का 70 प्रतिश्वत निर्माण कार्य पूरा किए बिना ही अर्देघ "द्वा" निकालने के विरुद्ध वर्ष 1985 में सहकारी समितियों के पंजीकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सिकायतें प्राप्त हुई यी; और
 - (व) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की नई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किववई) : (क) दिनांक 3 1-5-84 के निदेश की एक प्रतिनिधि संसम्न विवरण में दी गई है।

- (स) सहकारी समितियों के पंजीयक ने सुचित किया है कि समिति को दिनांक 31-5-84 के निदेशों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
 - (ग) अते हो ।
- (घ) उच्च श्यायालय के स्थाननादेश के कारण सहकारी श्रमितियों के पंजीयक द्वारा आदेशित जांच का निब्क्षं नहीं निकाला जा सका।

नियम 77 के तहत सभी समूह आवास समितियों को सहकारी सामूहिक आवास समितियों के फ्लंट आवंटन के लिए सबस्यता की जांच के लिए निवेश ।

विवरण

- 1. अनेक समितियों ने सूचित किया है कि इन्होंने पसैटों का विर्माण जगमग पूरा कर किये हैं। तथा अनुरोध किया है उन्हें उनके सदस्यों को पसैट आवंटित करने की अनुमित दी जाए। नियतन की प्रिक्रिय को सुक्यवस्थित करने के लिए दिल्ली सहकारी समिति अविनियम, 1973 के नियम 77 के अन्तर्गत एत्ददारा निदेश जारी किया जाता है।
- 2. भूमि के बाबंटन से फ्लैटों का निर्माण होने की अविध के दौरान कुछ सबस्यों ने या तो त्यागपत्र दे दिया अथवा समिति द्वारा निकाल दिये गये अथवा उन्होंने आवंटन उपहार अथवा अन्तरण के माध्यम से सब राज्य क्षेत्र दिल्लो में सम्पति प्राध्त कर ली। इसिलये, यह आवंद्यन है कि सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन करने के पूर्व प्रत्येक समिति की सबस्यता का एक बार पुन: सत्यापन कर दिया बाये। यह निदेश दिया जाता है कि दिल्लो विकास प्राधिकरण द्वारा पहाँटों का आवंटन लाटरो द्वारा क्याये तथा कोई मो समिति अपने आप फ्लैटों का आवंटन नहीं करेगी। सहकारी विभाग द्वारा सदस्यों की सुची समाप्त करने के पर्यवात दिल्ली विकास प्राधिकरण समिति के पदाधिकारियों के परामश्चे से लाटरो की तारीख, समय तथा स्थान निर्धारित करेगा तथा उसकी सूचना समिति तथा पंजीयक को देगा। लाटरी समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की उपस्थित में निकाली आयेगी बौर पंजीयक, सहकारी समिति के प्रतिनिध को भी आमंत्रित किया जाना चाहिये।
- 3. दिश्ली विकास प्राधिकरण ने समितियों को 50/60 सदस्य प्रति एकड़ की दर पर मृमि बावंटित की है। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां पलंटों की संख्या सदस्यों की संख्या से बम हों जिसके जिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मूमि आइंटित की गई थी। यह ठीक नहीं होगा और समिति को सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी।
- 4. इसिलये समितियों से अनुरोध है कि अनुलग्नक 'स्व" पर विये गये निर्धारित प्रपन्न पर अस्येक सदस्य के साथया अनुलग्नक 'क" पर किये गये निर्धारित प्रपन्न में तीन प्रतियों में सदस्यों की सुची, अनुलग्नक "ग" में दिये गये स्यागपन निकासन मामलों की सुची प्रस्तुत करें प्रस्येक अनुलग्नक के अन्त में निम्नलिखित प्रमाणपन निकाई किये जाये तथा अब्ध्व निप्या और सिखव द्वारा हस्ताक्षर किये जाये। इसके अतिरिक्त, सिन्ति वास्तुक से इस आश्रय का एक प्रमाण वन भी अस्तुत करेगी जिनमें पलेटों की संस्था और प्रस्येक पलैट का 70% निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है का उल्लेख हो एवं वित्तीय संस्थान से इस आश्रय का प्रमाण पन भी कि समिति ने ऋण की किस्तों का अव्यात्म सुगतान कर दिया है तथा दोधो नहीं है। दाधी सदस्यों के मामलों में आवंटन के निए साटरी के प्रयोजनार्थ नामों को रोक दिया जायेगा।
 - 5. सहकारिता विमाग द्वारा सदस्यता की जांच निम्वलिखित तरीके से की वाएगी :---
 - (i) 31-5-81 तक अवरोधित सूची के नामों को वन्तिम माना जायेगा तथा धनुमीदित कर दिया जायेगा।
 - (ii) अन्तरण के मामलों पर विचार किया जायेगा केवल प्रथम कियी के खून के रिस्तों में अन्तरण की अनुमति है।

- (iii) \$1-5-81 तक (अवरोधित तारील) सुचीबद्ध सदस्य परन्तु उन्हें अवरोधित सुची में धामिल नहीं किया गया।
- (iv) 31-5-81 के पश्चास सूचीबद्ध किए गए सदस्य।

कलकत्ता स्थित केन्द्रीय रस्त बैंक

- 8951. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि:
- (क) क्या नरकार का ज्यान 5 मार्च, 1989 के "टेनियाफ" में कसकता स्थित केन्द्रीय रक्त बेंक के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और
- (स) यदि हां, तो तस्संबंधी अयौरा क्या है और इस स्थिति को हल करने हेतु क्या मुधाराश्मक उपाय किए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज कापडें): (क) सरकार ने इस समाचार को देखा है।

(स) सूचना एकत्र की बारही है और सभा पटल पर रस दी बाएगी।

कलकत्ता में पटसम मिलों का बन्द होना

- 8952. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :
- (क) क्या कलकत्ता में 6 पटसन मिलों में तालाबन्दी की शोषणा किये जाने की संवादना है, यदि हां, तो तत्सवंघी विवरण क्या है;
 - (म) क्या इन मिलों के प्रबन्ध मंडलों ने कच्चे पटसन की सरीद बन्द कर दी है;
- (ग) क्या आधिक विवशता के अतिरिक्त, मिल मासिकों द्वारा वेतन में कटौती, बड़ा हुआ। कार्यभार तथा उत्पादन से सम्बद्ध वेतन जैसे कारणों की कबहु से यह स्थित क्रपन्त हुई है; जौर
- (घ) यदि हो, तो ताला बन्दी रोकने तथा श्रमिकों को बेरोजगारी होने से बचाने के सिये मरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) बाँर (क) केन्द्रीय सरकार के पास इन विन्दुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

- (ग) पटमन मिलों की बन्दी ने हाल हो में होने वाली वृद्धि मुख्यतः उन वाधिक/वित्तीय बाध्यताओं के कारण है जो पटसन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ती हुई लागत और बलामकारी विक्री वसूली के बीच असमानता के कारण पैदा होतो हैं।
- (च) पटमन मिल एककों के बन्द होने/ताला बन्दी के मामले औक्षीगक विवाद के मामले हैं और सम्बन्धित राज्य सरकार इसकी तालाबन्दी से निपटने के लिये उपयुक्त प्राधिकरण होती है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने अपनी और से पटसन उद्योग के सम्पूणं कार्यचालन में सुधार साने के लिये अभी हास हो में विभिन्न कदम उठाये हैं उनमें द्यामिल हैं:
 - (1) की. जी. एस. एन. की. के जरिये लागत जमा मृत्य पर काद्य अनानों की पैंकिंग के लिये पटसन बारों की नियमित करीदारी;
 - (2) कुछ विक्थित अन्त प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा बटसन मास का कानूनन अन्योग करने की अयवस्था;

- (3) पटसन बाधुनिकीकरण विधि योजना तथा विशेष पटसन विकास विधि बारझ्म करना;
- (4) बांतरिक बाजार सहायता योजना तथा बाह्य बाजार सहायता योजना का कार्यान्वयन;
- (5) विद्वत निविदाओं को प्राप्त करने के लिये शतप्रतिशत बाधार पर नयी एस. टी. सी./ एम. डी. सी. हानि बांट लेने की नीति अपनाना !
- (6) उत्तरी अमरीका को सी. बी. सी. के निर्यात के लिये 50:50 हानि बांट लेने के आधार पर एस. टी. सी./पटसन उद्योग निधि की व्यवस्था तथा विविनांता और व्यापारी वियातकों बोनों को स्वीकार्य 141989 से तीन वर्ष की अविध तथा 31-3-1992 तक पटसन माल की लगभग सभी निर्यात योग्य मदों पर सी. सी. एस. की उदार दर की स्वीकृति;
- (7) कीमतों को नियमित करने के सिथे दस सप्ताह का कच्चा पटसन स्टाक नियंत्रण आदेश तथा अग्निम साइसेंस योजना के अन्तर्गत पटसन मास के विर्यात के बदले कच्चे पटसक के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति ।

साधू वासवानी मिशन को मूनि का आवंटन

- 8953. श्री सनत कुमार मंडल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।
- (क) सरकारी कमंचारी सहकारी भवन-निर्माण समिति सिमिटेड, बसंत विहार, नई दिस्खी की सांति निकेतन कालोनी में साधू वासवानी मिशन को एड हायर सैकेंडरी स्कूल के भवन और डिस्पेंसरी के निर्माण के लिए कुल कितनी भूमि (पृथक विवरण सहित) आवंटित की गई बोर यह भूमि किस रियायती दर पर आवंटित की गई है;
- (ब) क्या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आवंटित किया गया यह मू-लण्ड मूल नक्शे में प्राय-मिक स्कूल के लिए या, परन्तु मिशन ने इसके भूमि तल पर कि जी और नसंरी कक्षाओं का स्वाक बनाया है और कालोनी के बीचों वीक सेप्टिक टेंक बना विया है; और
- (ग) यदि हो. तो उन्हें इसी कालोनी में एक प्राथमिक स्कूस की स्थापना के लिए रियायता हर पर एक बोर भूखंड बावंटित किये काने के क्या कारण हैं।

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किववई): (क) से (ग)ः सूचना एकत्र की जा रही। है तका यथासमय समा पटन पर रख दो जाएगी।

स्व-वित्त पोवित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लंटों का आवंटन

- 8954. श्री सनत कुमार मंडल: क्या शहरी विकास मन्त्री स्व-वित्त पोषित योजना, 1982 के बन्तर्गत पसीटों का जावंटन के बारे में 7 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित धरन संस्था-3854 के कत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।
- (क) 1 बन्नैल, 1989 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्तियों के नाम अभी भी मितीका सूची में हैं;
- (स) फ्लैटों के आबंटन के क्यन में अपनी इन्छा व्यक्त करने हेलु पंजीकृत व्यक्तियों के लिए स्य। ब्राह्मिया निर्वारित की गई है; बोर

(म) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत शेव पंजीकृत व्यक्तियों के लिए यूखवडों के विकास बौर पर्खेटों के निर्माण के मामले में खब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववई) : (क) 6505

- (ख) विभिन्न स्व-ित्त पोषित योजनाक्षों के अन्तर्गत पंत्रीकृत व्यक्ति उन कास्नोनियों, वहाँ स्व-िवत्त पोषित योजना के पसैटों का निर्माण किया गया है/निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है, के वयन में अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। पंजीकृत व्यक्ति एक से अधिक कालोनियों के लिये अपना विकस्प दे सकते हैं जैसा कि नियतन के खिये जारी की गई विवरणिका में दिया गया है। नियतन की स्थिति में, नियतन फार्म में पंबीकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये विकस्प पर ब्यान दिया जाता है।
- (ग) 1-4-89 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न कालोनियों में स्थ-वित्त पोषित योजना के 4566 प्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा इन प्लैटों के मार्च, 1991 तक पूर्ण हो जाने की सम्मायना है। स्व-वित्त पोषित योजना के और मकानों का निर्माण आरम्भ करने के लिये और अधिक भूभि का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ट्यपेस्टों में क्लोराइड तत्वों के कारण दांतों को नुकसान

[हिन्दी]

8955. श्री एस॰ डी॰ सिंह । क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह कताने की कुछ करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ट्रयपेस्टों में फ्लोराइड तस्वों के कारण दांतों को होने वाले नुकसान का खायजा लेने के खिए कोई बब्धयन दल नियुक्त किया था;
 - (स) क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट ब्राप्त हो गई है; और
 - (ग) यदि हां, तो तश्संबंधी व्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज लापडें): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मन्त्रालय ने दूथपेस्ट में पलोराइड के सभी पहलुशों की जांव करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति विश्वक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट बस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के विचार प्राप्त हो गए हैं बौर इस रिपोर्ट पर यंत्रालय हारा सिक्य रूप से विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण

[अनुवाद]

8956. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केरल, तमिलनाडु बीर आंध्र प्रदेश में आज इंडिया बेडिकल लेबोरेटरी तकनी-शियन्स द्वारा प्रदान किया गया चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन विप्लोमा प्रमाण पत्र दिल्ली में रोजवार कार्यालयों में पंजीकरण के शिए मान्य है;
- (स) यदि हो, तो क्या जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकिस्सा प्रयोगचाला प्रोद्योगिकी, एक्स-रे और बी. सी. जी. प्रोद्योगिकी में दिए गए डिप्सोमा को नागावैंड सरकार ने मान्यता प्रदान की है बीर सरकारों अस्पताकों आदि में रोजगार के प्रयोजनावें ये मान्य है;
- (ग) यदि हां, तो क्या ऐसे डिप्सोमाधारियों को दिल्ली में रोजबार कार्यासयों में यंजीकरण करने है मनाकर दिया जाता है; बौर

(च; यदि हां, को इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यदि हां, नी तत्संबधी स्योरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राषा किञ्चन मालवीय)।
(क) जी, हो।

- (स) जी, हां।
- (ग) ची, नहीं।
- (च) विकिन्ट संस्थान से डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र-घारी उम्मीदशरों के पंजीकरण के लिए रोजगार कार्यालयों को कई विधिष्ट मार्गेनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं देश में निवासी सभी मारतीय कार्यारक रोजगार महायता के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताओं तथा खनुमव के खनुसार रोजगार कार्या-सयों में पंजीकरण के खिए पात्र हैं।

वार्मिक स्थानों का अनिषकृत निर्माण

- 8857. श्री सैयद शाहबुद्दीन : ब्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
- (क) क्या दिल्ली में सरकारी भूमि पर घार्मिक स्थानों अध्यवा पूजा-स्थलों का अविधिकृत विर्माण किये जाने के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;
- (स) यदि हो तो 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार ऐसे विद्यमान धनधिकृत निर्माणों के स्थल तथा बन्य क्योरा क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार द्वारा गैर-कानूनी कन्जों को खाली कराने हेतु कोई कार्ववाही की गई है; और
 - (घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शोहसिना किदवई): (क) से (ग) सुवना एकत्र की जा रही है तथा समा पटल पर वी वाएगा।

कच्चे पटसन का आयात और निर्यात

8958. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने वय 1989-90 के दौरान कच्चे पटसन का आयात करने की अनुमति देने का निजय लिया है;
- (क) 1 मार्च, 1989 की स्थिति के बनुसार देश में बनुमानतः कच्चे पटसन का कितना स्टाक या;
- (ग) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भारतीय पटसन निगम के पास कितना स्टाक वा;
- (व) वर्ष 1989-90 के दौरान कच्चे पटसन का कितना उत्पादस और इसकी कितनी मांग होने का बनुमान है; और
 - (ङ) क्या वर्ष 1989-90 के बौरान कच्चे पटसब का निर्यात करने का विचार है ? वस्त्र नंत्रालय में राज्य मंत्री (भी रफीक जालम) : (क) सरकार ने बाँग्रक बाइसेंस स्कीम

के अन्तमत पटसन सामाय के निर्यात के बदले कच्चे पटसन के आयात की अनुमति देने का निर्वय किया है।

- (स) से (व) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी वाएगी।
- (ङ) केवन बोड़ी-सो मात्रा जिसका कि रुपया भुगतान वाले वेसों को न्यापार योजना प्रावधान के श्रन्तगृत निर्यात किया जाना अपेक्षित है।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली बाह्य रोगी लंड चरण-तीन का निर्माण

- 8959. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकः वया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे कि:
- (क) नई दिल्मी स्थित सफदरजंग अस्पताल बाह्य रोग खण्ड, चरम-तीन के विमाण में किछनी प्रगति हुई है;
 - (ख) विलम्ब के क्या कारण है; और
 - (ग) निर्माण कार्य में तेशी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वान्ध्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज लापडें): (क) से (ग) सफदरजंग अन्यताम के बिहरंग रोनी विमाग के ब्लाक, पेव-111 का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विमाग द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विमाग ने सुचित किया है कि इस कार्य के लिए आवश्यक प्रशापनिक अनुमोदन/स्थय की मंजूरी 11.8.1988 को जारी की गई थी। आवश्यक औपचारिकता पूरी करने के बाद निर्माण का ठेका 3.4.1989 को दिया गया है। निर्मा का कार्य बल रहा है।

महाराष्ट्र में कारसाना निरीक्षक

- 8960. श्री बालासाहिब विले पाटिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगों में कामगारों द्वारा खतरे की स्थित में काम करने की समस्या के नियटने के लिए राज्य में कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति करने हेत विसीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना कैन्द्रीय सरकार की प्रस्तुत की है; बौर
- (स) यदि हो, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रवान करने और इस प्रयोजनार्थ प्रावश्यक वित्तीय सहायता मंजुर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

अस मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री राधाकिशन मासवीय)ः
(क) बोर (ब) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दो जाएगी।
माला-डी का विज्ञापन

- 8061. श्री बालासाहिब विखे पादिल : वया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सन्त्री यह बठाने की कृपा करेंगे कि :
 - (क) क्या सरकार "माला-हो" गोलियों के विज्ञापन पर भारी राशि सर्च कर रही है; बौर
- (क) यदि हो, तो इससे नवविवाहित युगर्सों में "मासा-डी" टेबलेट की लोकप्रियता को बढ़ाने में कितनी मदद मिली है;
- (गा क्या इने लोकप्रिय बनाने हेतु विए गए सर्च के बनुपात में यह लोकप्रिय हो पाई है ? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कूमारी सरोज लापडें): (क) जी, नहीं।
 - (स) प्रश्न नहीं उठता।
 - (म) जी, हां।

बांध्र प्रदेश में बन्धुआ समिकों के लिए दी गई सहायता राशि का उपयोग

3962. भी बी॰ तुलसीराम : स्या भम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि !

- (क) सान्धी पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्ष-वार केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्न्य प्रदेश सर-इतर को बंखुबा समिकों के पुनर्वांत हेतु कितनी घनराशि आवंटित की गई तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और
- (स) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान इस प्रयोजनाय और अविक घनराधि देने का विकार है, यदि हां, तो तरसम्बन्धी व्योश क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालबीय):
(क) बंधुवा श्रमिकों के पुनर्वात के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित यो बना के अधीन, राज्य सरकारों से अस्ताव प्राप्त होने पर पहले रिलीज की गई राधि के सम्बन्ध में उपयोग, प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने ख्या पुनर्वांस के लिए कोई विशेष योजना स्त्रीकृत करने बाली राज्य स्तर की स्क्रोनिंग सनिति के कार्यवृत्तों जैसे कितपय दिशानिवें छों को ध्यान में रखते हुए निधिया रिलीज की खाती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के रहते बार वर्षों के दौरान बान्ध्र प्रदेश को रिलीज की गई राधि निम्मान्तुसार है:—

(६० लाखों में)

44	रिली व की गई राखि
1985-86	132.41
1986-87	93.47
1987-88	
1988-89	

बान्छ प्रदेश सरकार है उपलब्ध सुक्ता के बतुसार, राज्य सरकार ने 31.3.1989 हक केन्द्रीय हिस्से की 129.60 साख रुपये की राश्चि के सिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। यह स्थिति वर्ष 1985-86 से बाद की है तथा वर्ष-वार क्योरे उपसब्ध नहीं हैं।

(स) दिशा-निर्देशों के अनुसार निषियों का रिखीच किया चाना राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेवे जाने पर निभंर करेगा।

आन्त्र प्रदेश को प्रामीण परिवार कस्याण सेवाओं हेतु सहायता

- 8963. श्री वी॰ तुलसीराम : क्या स्वास्त्य और परिवार कस्यात्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंने जि:
- (क) क्या आन्छ प्रदेश सरकार ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के सिए प्रामीण परि-कार कश्याण सेवाओं हेतु विसीय सहायवा देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को सेवा है; और

(स) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज शापड़ें): (क) बी, नहीं।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

चबूतरों/दुकानों के आंबंटन में अपनाये गये मानदण्ड

8964. भी विष्णु मोदो : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करें ने कि ।

- (क) सम्पदा निदेशक द्वारा आई. एन. ए. मार्केट, नई दिल्ली में तथा दिल्की विकास प्राधि-करण और सम्पदा कार्यांचय द्वारा अपने अन्य मार्केटों में दुकानों के आवंटन में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;
- (स) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इन चबूतरों/दुकानों के कार्य-हन हेतु कोई कोटा आरक्षित किया गया है; यदि हां, तो कितने प्रतिस्नत;
- (ग) क्या अनुसुचित चार्ति/अनुसुचित जनवाति के व्यक्तियों के लिए चारिक्षत कोटे का पूर्व उपयोग किया गया है; और
 - (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) इस निदेशालय के अधीन प्लेटफार्म/ दुकार्ने मुक्त निविदा आधार पर आवटित की जाती हैं।

- (क) जो, हां। अनुस्चित जाति/अनुसूचित जनजाति के निए 221/% का बारक्षण है।
- (ग) जी, हो। दिसम्बर, 1988 के बन्त तक।
- (घ) उपयुं कत माग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आई॰ एन॰ ए॰ मार्केट, नई दिल्ली में दुकानों के अन्तरण संबंधी लंबित पड़े मामले

8965. श्री विष्णु मोदी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि !

- (क) आई.एन.ए. मार्केट, नई दिस्ती में प्लेटफार्थो/दुकानों के विनियमीकरण/अन्तरक सम्बन्धी कितने मामले सम्बन्त पड़े हुए हैं;
- (स) इनका विनियमीकरण/मूस आबंटितयों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अन्तरण इरने के क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या इन प्लेटफार्यों /दृकालों के विनियमीकरण/बन्तरण में पुत्र/और पुत्री (दोनों विदा-हित) के बीच कुछ मेद-भाव दिया का रह है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किववई) : (क) बारह ।

- मुक्यतः नियमितिकरण की वानी का पार्टियों द्वारा अनुवासन न करने के कारण।
- (त) विश्वमान नीति निर्वेशों के अन्तर्गत, नीचे लिखित नामों के प्रति नियमितिकरण पर विचार किया जा सकता है।—

- (i) विघग/विघ्र
- (॥) पुत्र (गोद लिए पुत्र सिंहत)
 - (iti) अविवाहित पुत्री
 - (iv) आ अत पिता/माता
 - (v) बाश्रित पुत्र-बच्

परती भूमि का सर्वेक्षण

8966. स्त्री अमर्रीसह राठवा: क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की क्रूपा करेंगे

- (क) उपब्रह के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण के खनुसार देशा में परती भूमि का कुल क्षेत्र किस्ता है;
 - (स) इनमें से कितने मुनि क्षेत्र को परती भूमि से कृषि मुनि में बदना जाएगा;
- (ग) क्या सरकार ने ऐसी भूमि के उपयोग और इसे कृषि योग्य बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो व्योरा वया है और अब तक यदि कोई उपक्रवित्र रही, है तो वह क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) 1 (क) सैटेलाइट के माध्यम से समस्त परती मूमि का देश व्यापी सर्वक्षण नहीं किया गया है। तथापि, समाए गए एक अनुमान के अनुसार देश में परती मूमि का कुल क्षेत्र सगभग 130 मिलियन हैक्टेयर है।

- (स) राष्ट्रीण परती भूमि विकास बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य बनीकरण और बृक्षारोपच के बाध्यम छे देश में परती भूमि को उत्पादन योग्य बनाना है न कि परती भूमि को उत्पादन योग्य बनाना है न कि परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना है।
 - (ग) बीर (घ) बच्न नहीं उठते।

में भी "घं" के कर्मचारी

[द्विन्दी]

8967. श्री राम पूजन पटेल: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृता करेंगे कि ऋमगः वर्ष 1981,1985 बौर 1988 के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के श्रोजी 'ध' के कुल कितने कर्मचारी थे?

भम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री(ओ राघाकिशन मासबीय): केन्द्र सरकार के कमंबारियों की वार्षिक जनगणना के बनुसार मार्च, 1981 बौर मार्च, 1983 के बक्त के केन्द्र सरकार के विभिन्न बन्त्राक्यों/विचायों में खेनी ''व" के कमंबारियों की कुछ संख्या (बच्चतन उपसन्ध) क्रमण: 13,83,547 और 13,94,630 थी।

मन्तिष्क ज्वर के लिए टिश्यू कल्वर टीके

[अनुषार]

8968. श्री श्रीबल्लन पाणिप्रही : नया स्वास्थ्य और परिवार कल्यान मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :

- (क) क्या तरकार ने मस्सिष्क ज्वर के लिए टिव्यू कल्वर टीकों का उत्पादन करने के लिए कदम बठाये है;
- (स) क्या यह कार्यक्रव केन्द्रीय अनुसंवान संस्थान, कतीबी में मारत-वापान सहबोग के अन्तर्गत बारम किया गया है;
- (ग) विदि हो, तो वस्तिष्ण क्यर के सिए टीकों के उत्पादन में हुई प्रगति का क्रीरा क्या है; बीर
 - (घ) यह टीका प्रयोग के लिए उपलब्ध कब तक होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापडें)। (क) से (ध) देश में अभी को हूं टिशू कत्वर एन्सेफलाइटिस वैन्सीन विकसित नहीं को गई है। वहरहाल, केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान कसौली ने मारत-खापान सहयोग परियोचना के अन्तर्गत चूहों के निष्क्रियकृत मेजे से जे. ई. वैन्सीन का उत्पादन शुरू किया है। 1988 के दौरान स्नानिकमारी वाले कुछ राज्यों को प्रशिक्षित ध्यक्तियों की देख-रेख में देने के लिए माउस बेने जे. ई. वैन्मीन की 7,29 500 खुराकों मेजी गई की लाकि उसकी प्रभावकारिता का पता नगाना खा सके। बादमाइशी परिणाम मिल जाने के बाद इरशहन समता में वृद्धि की जाएगी।

सामान्य बूटी पुदीने का उपचारी गुण

8969. श्री पौ० जार० कुमार मंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कस्थाच मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि ।

- (क) क्या एक सामान्य बूटी "पुदीना" बनेक रोगों के उपचार के लिए सामकारी है, जैसा कि 4 मार्च, 1989 के "इंग्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ था;
- (ख) क्या इस सामान्य बूटी के रोग नाशक और उपचारी का गुण का वैद्धानिक वरीके से बाध्ययन किया गया है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योगा क्या है;
- (ग) क्या पुदीने की विभिन्न किस्मों आदि के बारे में तुलनात्मक अध्ययनं कियां गया है; और
 - (घ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्योरा वया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज सापडें) : (क)

- (स) थी, हां। जानवरों में किए गए आरम्भिक अध्ययनों से इस पौधें में अप्रजननता, जीकाणु रोधी, पक् दरोधी, तथा कीटनाशी किया का पढ़ा चला है पोदीने का जानवरों पर प्रभोग किए जाने पर विजियों कालेरा (विस जीवाणु से मनुष्य को हैजा होता है) के विकद्ध विजियोंना संक गुण भी विकाद विष् हैं।
- (त) और (व) औ, हां। बहुत सी पोदोना प्रजातियां समा उनकी संकर प्रजातियों की विद्यावस, नेवीस और विश्वित सम्ब वर्षकों के सिए जांच की गई है।

एम. बबेंनिसस पत्तियों के अनेक बकों का अप्रधननता कियाशीनता के लिए मूल्यांकन किया गया है। मादा चूहों को गर्मधारण के 1-7 वें दिन में 100 मि॰ प्रा॰ की खुराक पर बल्कोहनयुक्त तथा बबीय अकं देने के कमशः 80 और 60 प्रतिखत भून किया रोकी जा सकी थी। 500 मि॰ प्रा॰ बल्कोहलयुक्त अकं देने से शतंत्रितिशत प्रमाव दिसाई दिया। पेट्रोनियम ईयर बखं बहुत कम सिक्ष्य पाया गया और इसमें केवल 44 प्रतिशत अप्रधनन प्रभाव पाए गए यद्यपि इसमें कुछ गर्म समापन कियाशीनता देखी यह थी।

हुसरे अध्ययन में एम. अवें सिस के पतियों का अल्कोह्स युक्त अर्क 500 वि.पा. किंग्सा की कृराक 1-3 दिन के गर्माधान पर देने से चूहों में 80 प्रतिशत गर्मसमापन देखा गया 1-4 जीर 5 विन पर देने से विसकुल मी अप्रजनन प्रभाव नहीं दिखाई दिए। अर्क 6 से 7 दिन में देने पर 40 प्रतिशत नर्मसमापन रोधी प्रमाद दिखाई दिए और पौधे से युग्मनज रोधी सम्मादना का पता चला।

12.12 म•प॰

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक-एक करके बोलिए।

श्री बसुवेव आचार्य (वांकुरा) : पंजाब से पांच हजार व्यक्ति विल्ली आए हैं बीर के प्रदर्शन कर रहे हैं तथा गिरफ्तारियां दे रहे हैं। वे पजाब समस्या के शीध्र राजनैतिक समाधान की सांग कर रहे हैं! (व्यवधान)

्भी इन्डजीत गुप्त (बसीरहाट) : हम बाहते हैं कि सरकार इस प्रश्न पर उचित बक्तक्य दे। राज्यपाल का कथन है कि चुनाव होने तक कोई समाधान नहीं होगा । हम जानना बाहते हैं कि सरक कार की क्या स्थिति है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बभी कल हुवा नहीं ?

भी इन्द्रजीत गुप्त : स्या हुआ ?

भी हन्नान मोल्लाह (उल्बेरिया) : अभी गवनंश ने वताया कि 6 महीने वहीं होगा। (अवस्थान)

[अनुवाद]

भी इन्द्रजीत गुप्त : प्रधानमन्त्री जी कोई सबंसम्मत निषंय लेने के लिए सभी राजनैतिक दसौं की बैठक क्यों नहीं बुलाते ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्होंने बैठक की है।

भी इन्द्र जीत गुप्त : नहीं, नहीं, उन्होंने नहीं की । प्रणान मन्त्री प्राय: कहते रहते हैं कि वह सभी विषक्षी दशों की बेटक मुलाएंगे । परन्तु उन्होंने नहीं दुलाई । पांच हजार व्यक्ति यहां आए हुए हैं। वे सभी-अभी पटेल चौक पर गिरफ्तारी वे रहे हैं। यह कब एक चलेगा ? (काच्याच) भी बसुदेव आचार्य: सरकार को एक व्यतव्य देशर खपनी प्रतिक्रिया व्यवस्य करती चाहिए। (व्यवधान)

ं श्री चिरन्जीलाल शर्मा (करनाल) : हरियाणा के मुक्यमन्त्री दिन-शत खण्डव करते रहते हैं और केन्द्रीय सरकार पर धारोप सगाते रहते हैं....(ब्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले इनको मना कर दिया है।

(व्यवचान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं साहब, कोई पासिकों की बात करो तो मैं सुन सूँगा । ऐसे विना परमोधन के नहीं।

(ग्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु वण्डवते (राजापुर) । महोस्य, आज सत्र का अन्तिम दिन है। हमें नहीं बताया गया कि क्या सत्र की अविध बढ़ाई आएगी। (ब्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एस० मगत) : सच की खबिष कम से कम 15 तारीख तक बढ़ाई जा रही है।

भी एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, हम विरोध करने हैं। सत्र की अवधि वक्षाने का यह यसत तरीका है।

प्रो • मधु दण्डवते । जब हम सत्र की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में पूछ रहे हैं तब वे घोषणा कर रहे हैं। (व्यवधान) *** क्या आपने ऐसा गलत तरीका कभी देखा है जिस प्रकार संसदीय कार्य मन्त्री घोषणा कर रहे हैं?

श्री एस० जयशाल रेड्डी। वह समा को सुचित करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में अस-फब रहे। उन्हें स्थानपत्र देना चाहिए। हम उनके स्थानपत्र की मांग करते हैं।

प्रो॰ मधु वण्डवते : हम अपने कार्यं त्रीर सीटों का दिवर्वेशन किस प्रकार करेंगे ? (अववश्वन)

श्री एख० के एस० मगत: मैंने माननीय सदस्यों को संकेत दिया या कि सत्र की सदिवा 15 या 16 तारीख तक बढ़ाये जाने की सम्भावना है। इस बढ़ाई गई अविध में होने दासी बैठकों के लिए हमारे पास कार्य है।

प्रो॰ मचु दण्डवते: महोदय, वे वापको भी सूचित किए विना सत्र को जादी रखते। भी एस॰ जयपाल रेड्डी : हर्में कोई संकेत नहीं दिया गया। बब तक उन्होंने हुमें इस विषय में नहीं बताया।

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिबित नहीं किया गया ।

श्री इन्द्रजीत गुष्तः वह इस बात को लेकर चल रहे हैं कि समा उनकी सस्मेश बात मान सेगी।

श्री एच ० के ० एल ० मगत: जब हमने अब्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में झातबीत की वी तब मैंने कहाथा कि सत्र को अवधि बढ़ाए जाने की सम्भावना है।

भी तम्पन यामस (मवेलिकटा): कब यह बात नहीं बताई गई। कस समा की कार्युं काही सात बजे तक बनी थी।

अध्यक्ष महोवय: मेरे विचार में आपकी बात सही है। सरकार द्वारा इस विषय में हुमें पहले सुचित किया जाना चाहिए या।

(स्यववान)

प्रो० सबु दण्डवते: सत्र की अवधि बढ़ाए जाने के विषय में यह मात्र एक टिप्पणी ही थी। हमारे पूर्व निर्घारत कार्यक्रम के अनुनार, आज सत्र का अन्तिम दिन होना था। इस सण तक भी हमें नहीं मासून कि सभा का सत्र बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको पहले ही सिख चुका हूं कि हमने खनेक मुद्दे चठाए थे जिन पर आपका विनिर्णय अभी आना है।

सर्वप्रथम, हुमने मारत के नियंत्रक महालेखापरी खक के उस प्रतिवेदन को समापटल पर रखे जाने के बारे में एक मुद्दा उठाया या जिसमें बोफोर्स तथा अन्य मुद्दों का जिल्ल है। हुसरा मुद्दा, हमने बोक लेखा समिति के बध्यक्ष के विषय में उठाया या और कक्ष सम्मूखं विषक्ष ने खापको जादवास विया था कि जाग्की इच्छानुसार हम आपसे आपके कक्ष में मिलने को तैयार हैं बहातें यदि कस हमारी चर्चों से कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो हमें उस मुद्दें को सभा में उठाने की बनुमित दी आएमी। कस खापने हमें बनाया कि मैं मामले पर विचार कर रहा हूं और सोक लेखा समिति के बध्यक्ष से संबंधित भामले का हल दू हने का प्रयास कर रहा हूं। ' हम स्वष्टत: जानना चाहते हैं कि हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों के दारे में क्या प्रयास किए गए हैं और क्या निर्णय सिया गया है।

तीसरे, हमने एक संयुक्त पत्र द्वारा आपको बताया या कि समाचार पत्रों में विभिन्ननाडु के राज्यवाल के साथ हुता पत्र व्यवहार छपा है जिसमें कतिपय जानकारी दी गई है। इसमें बापका सी बिक्र किया गया है। यह आवश्यक है कि उन मुद्दों को स्पष्ठ किया जाना चहिए!

बन्तिम मुद्दा यह है कि यह विश्वित्र बात है कि इस समा और इसके सहस्यों को प्रतिवेदन तथा विधे को को 'वध्य वस्तु जानने के लिए अजवारों पर निमंद करना पड़ता है (व्यक्क्क्स):*** 64 वां संवैद्यादिक संघोषन विधेयक हुमें परिचालित नहीं किया गया है। (आवश्यन)

[हिग्बी]

अध्यक्ष महोदय: आप मुम्हे बोलने दीजिए। वब जाप बैठ बाइये। बात हो गई है। ब्रोफेसर साहब, पहले आपन बिविलेज की बात कही। बिविलेज का बाव ही आपको जनाव मेजा है।

[अनुवाद]

बाप इसका बच्ययम कीजिये तब हम बात करेंगे।

भो॰ मधु रम्बते : उत्तर बहुत ही भावक है।

अध्यक्ष महोदय : आप ये बार्जे उढ़ा सकते हैं बीर इन उन पर विचार कर सकते हैं।

[हिंबी]

बारा-151 सी॰ए०जी॰ की है जो कांस्टीच्युरनम रिकवायरमेंट है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु वण्डवते : उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया और श्रीपदा-दिकता पूरी हो गई।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, आप यह मुर्फ पुन: भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

दूसरी डिमाण्ड आयमकी पी॰ ए० सी॰ के बारे में है। मैंने आयकी बात कल सुनी भी। मैंने की शाम को बात की भी और भी बात की थी।

[अनुवाद]

मैं अभी इस विषय में कार्यवाही कर रहा हूं मैं आवसे पुन: मिलूंगा ! श्रो॰ समुदण्डवते ! अतः आप अभी इस पर विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय : हां, मैं अभी इस पर विचार कर रहा हूं। एक माननीय सदस्य : इसमें कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय: इसमें अभी अभय सरोगा।

(स्यवधान)

[हिम्दी]

अध्यक्ष सहोवय: तोसरी बात आपने मेरे बारे में कही । मेरा तो हमेशा के दिस और दिमाग इसी में है कि किसानो की भलाई हो । मैं आपका नौकर हूं, आपका सेवक हूं । जो बात मेरे मुताल्खिक हो, वह "लाजमीतौर पर साफ होनी चाहिए । मैं चाहूंगा कि इसका पूरा विसकशन हाऊस में हो और जो बात हो वह धामने आ जाए । प्रश्न इतना हो है कि मैं स्लस से बंधा हुआ हूं । इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरा जहां तक ताल्लुक है, अगर मैंने कुछ किया है तो वह विसकशन के बाद सामने आ जायेगा । मैं जुवान बन्द करके अध्दर बैठा हूं । मैंने उस दिन मी बताया था कि मैं कल बेच करने के सिए तैयार हूं, मैं समम्बता हूं हाऊस मेरे साथ सहमत होया । इसी सेशन में, इसी वक्त सारा काम आपके सामने आ जाए और जो भी बात हो वह क्लियर हो जाए । मैंने किसी के सिए कोई बीफ नहीं सम्माल रहा है । अगर किसी ने गसत काम किया है तो बदनें मेंट कश्पीटेंट जवा-रिटी है ।

[अनुवाद]

वे इस काम को अपने हाच में लें।

[हिन्दी]

अभार मैंने कुछ किया है तो जाप लोग मेरे मालिक हैं। यो मर्थी जाप मुर्फे कर सकते हैं। मैं एक गरीब किसाव बादमी हूं। मैंने अपने हाय से काम किया है। मैंने नक्सा बदला है और नुस्रे फिक्र है इस बात का कि जो मैंने किया है बौर जो मैंने कमाया है। वह ठीक बंग से घरती माँ से कमाया है। मैंने किमानों के लिए काम किया है, करता रहा हूं और उन्हीं के लिए करू या, करू या, करू या और जो कहा है उससे पीछे नहीं हटूंगा। जो कुछ बाप कहेंगे, मैं वही करू या। एक मिनट भी बात को टालने के लिए तैयार वहीं हूं। जो कुछ है, वह सामने बा जाए। मैं कल ही इस पर बहस कराता हूं, मुखे इस बात की विता नहीं है। जार बाइए और करवाइए। सारा मामला साफ होना चाहिए। जो फेस्ट्स हैं, वे सामने बाने चाहिए। बाप करवाइए, मैं तैयार हूं

(ध्यवधान)

[बनुवाद]

प्रो॰ मधु बच्डवते : विधेयक का क्या हुवा ? (व्यवधान)

भी इन्त्रजीत गुप्त: उस दिन बापने अपने कक्ष में हमसे वर्षों की यो और हमें बापसे पत्र चसा—श्री मगत भी वहां उपस्थित ये कि आपने हमारी उपस्थित में उनसे कहा वा कि कुछ समा-वार पत्रों में इस मामले आपके शामिल होने के बारे में जो भी आरोप छपे हैं उनके सम्बन्ध में आप वाहते ये कि सरकार की बोर से वह जांच करें। तस्परवात् राष्ट्रीय समाचारपत्रों में यह बात छपी वो कि सरकार ने जाँव आरम्भ करने का निर्णय सिया है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थित है? (अयवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मगत जी, पहले आप इस बात को साफ की जिए।

(स्पवधान)

[अनुवाद]

श्री एच॰ के॰ एल॰ मगत: महोदय, मुझें बड़े दुल से कहना पड़ता है कि अध्यक्ष महोदय के किल में जो कुछ हुआ उसके बारे में एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गृष्त ने जिल्क किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रध्यक्ष महोदय के साथ उपस्थित सभी सदस्यों ने — मैं भी उपस्थित या — मेरे सामने कहा था कि आपका कार्य सही या। इसमें कुछ भी गलत नहीं सगता।

कुछ माननीय सबस्य : नहीं ।

श्री एच के एल भगतः कृष्यासुनिए । जो कुछ आपने कहा है यदि आप उससे इनकार करते हैं ··· (व्यवधान) यही तो आपने कहा था।

ू पूसरे अभी इसकी जांच की जानी है और यदि किसी व्यक्ति, कम्पनी या समाच ने कोई शसत कार्य किया है या आपके नाम का दुरुपयोग किया है और कुछ अन्य कार्य किया है तो हम यह कर रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय इस मामले में शामिल नहीं थे। और आप सभी ने यह कहा है कि अध्यक्ष की कारंबाई वास्तांबक लगती है किन्तु अभी भी मामले की खांच की जानी चाहिए।

इस शतंपर कि अध्यक्ष महोदय इसमें खामिल नहीं हैं—मामले कि जांच की जानी चाहिए। जापने यह कहाथा कि ··· (व्यवघान)

भी बसुदेव आचार्य : ऐसा किसने कहा ?

भी एषः के ए एसः भगतः : उस बैठक के बाद मैंने सरकार से कहा था । सरकार पहल ही इसकी जांच करा रहा है। मैंन ईमानदारी न ऐसा कहा था। अकलोस इस बात का है कि हम वहां कुछ और कक्षते हैं; हम कक्षते हैं कि अध्यक्ष ने कार्य वास्त वक हैं; आप सभी ने ऐसा कहा चा.... (अथवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने ऐसा नहीं कहा है। (ब्यवधान)

भी एच॰ के॰ एस॰ मगत: अब आप कहते हैं, नहीं। व्यवधान) कम से कम परिवर्तन के सिए तो व्यवधान न उत्पन्न करें; हम आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न नहां करते हैं।

जहां तक पंचायत राज विधेयक का सम्बन्ध है हम इस विषय पर पहले ही नोटिस दे चुके हैं। नोटिस आपके कार्यालय के पास हैं। दूसरे, क्या मानीनीय सदस्य मुक्ते यह बताने जा रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ··· (अथवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : स्या ?…(ब्यवधान)

भी एच के कि एस कारत: कृपया शान्त रहिए। यह तो प्रोक मधु दण्डवते पर है कि वह स्वयं विधेयक के प्रावधानों को समाचार पत्र में पढ़कर शिमन्दगी महसूस करते हैं या खुश होते हैं। मैं इसका निर्णय उन पर छोड़ता हूं ... (ज्यवधान)

अञ्चलका महोदया : कृपया बैठ जाइए, अपना स्थान प्रहण की जिर्।

भी तम्पन थामस: के बिनेट की गोपनीय बात पता चल गई हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवचान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अपनी गोपनीय बानों पर नियंत्रण नहीं रक्त सकते हैं और दोष हम पर मगते हैं ""(ब्यवधान)

प्रो॰ सम्युदण्डवते : मैं इम बात से लिज्यत हूं कि मैंने विषेयक का मूल-पाठ मोक समा सर्विय वाक्सय या संसदीय काय मन्त्री से नहीं सिया विकि समाचार पत्रों से लिया : (ब्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह किसकी विम्मेवारी है ? यह किसकी बसफलता है ?

प्रो० मचुवण्डवते: उन्होंने इस पर खेद व्यक्त भी नहीं किया है। वे विधेयक को समय पर परिचाधित नहीं कर सके, किन्तु यह समाचार पत्रों में छप गया। यह उनकी असफलता है (व्यवचान)

श्री बसुरेव आचार्य: यह सरकार की असफलता है। (व्यवधान)

स्त्री इन्द्रजीत गुप्त : इन गोपनीय बातों की गोपनीयता न बनाए रखने के लिए उन्हें आपसे स्त्रीर सदन से क्षमा मांग्नी पाहिए। इसके बजाय वह हम पर अपरोप लगा रहे है। (स्वावधान)

भी एच • के • एल • मगत: मैं यह स्वष्ट कर दूं कि मैंने आगप पर कोई अवाशेष नहीं समामा है, जिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मुक्ते तो यह भी नहीं पता है कि समाचार पत्रों में क्या अपा है। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने इस लीकेज के लिए आगप पर कमी भी आशोप नहीं सगाया (आरवान)

प्रो॰ सबु बण्डवते : कम से कम बजट तो बित्त मंत्री पेश करते हैं और सदन में बजट पेख किए जाने से पूर्व हम इसे समाचार पर्जों में नहीं पढ़ तकते हैं... (स्वावधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया में शै बात सुनिए। स्थिति यह है। आपने इस विधेयक अवहरे में मुझे किया। मैं-अपने सोखब लय से यह पता लगाने का प्रयास किया कि हमें विधेयक प्राप्त हुआ है या नहीं। उन्हें अभी नोटिस मिला है; उन्हें विधेयक अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अब तक विधेयक खड़ीं आता है तब तक में यह नहीं कह सकता हूं कि यह लीक हुआ है या नहीं। मुझे इसकी जांच करनी होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं नहीं जानता।

(ब्यावधान)

भी वी० किशोर चंद्र एस० वेष (पार्वतीपुरम): उन्हें इस बाह्य का संडन करने हैं कि विधे-यक का यह स्वरूप नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : वी हां, उन्हें इसका सण्डन करना चाहिए !

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वह इसका सण्डन करें (व्यावधान)

श्रीतभ्यम थामस : बाज इस सत्र का अन्तिम दिन है। (ध्यावघान)

श्री एच॰ के॰ एल॰ मगत: सत्र 15 तारीख तक बढ़ाया जाएगा।

प्रो० सम्बुदण्डवते: कृत्या उनसे यह पूछे कि समाचार पत्रों में छपे 64 वें संशोधन विशेयक का मूल पाठ वार-विक है या इनमें कोई खेर बदल किया गया है।

भी हम्मान मोल्लाह (उल् बेरिया) : बाप सदन से बाहर महीं जा सकते हैं वा ती आप इसका संदन करें या इसे प्रमाणित करें।

श्री सोमानाय घटर्जी : बाप विपक्ष पर बारोब नहीं लगा सक्ते हैं। (ध्यवचान)

की एस॰ जमपास रेड्डी (महबूबमगर) : मन्त्री महोदय ने इसका खन्डन किया है ह

भी सम्बन पामस : सदन की मर्यादा का प्रदन है । मंत्री महोदय को स्वष्ट करना वाहिए ।

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव: इ.स. लीकेन की जिम्मेदारी कीन लेला?

प्रो० मधु दण्डवते: वह समाचार पत्रों में छपे विधेयक के मूल पाठ की पुष्टि करें या इसका सण्डन करें। प्रोसवाले हम्से विधेयक के मूल-पाठ पर हमारी अतिक्रिया और हमारा जवाव मांग रहे हैं। हमने वहा कि हमें यह नहीं पता है कि यह वास्तविक है या नहीं ... (अयवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रक्त है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह केवल इण्डियन एक्सप्रेस में छपा है ?

प्रो॰ मधु बण्डवते : यह तीन समाचार-पत्रों में छपा है। (स्यवधान)

भी एच॰ के॰ एस॰ मगह : इस विभेवक सहित पंचायत राज विभेयक पर विचार किया जा

रहा है और इसे बन्तिम क्य दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। इस सिए, मैं यह कहीं कह सकता कि मह वास्त्रिक है या वहीं।

श्री वी • किश्लेर कन्द्र एस • देव : स्मा यह विषेयक विकासिन है ?

डा॰ क्ला सामंत (बम्बई, विकास मध्य): वह सदन को घोला के भहे हैं। (क्यानवान) अल्बास महोक्य: इस केवल तभी कान सकते हैं वब हमारे पास विशंयक बाएगा।

(व्यवधान)

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बापने यह कहा था कि सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पैश करने को सुचना दी है। परन्तु संशोधन विधेयक का पाठ बापको नहीं विया नया है। बाधने जयप्यापीठ से यह बात कही थी। नम्त्री महोदय ने हमारे बधन के उत्तर में यह स्वीकार किया था कि विधेयक का पाठ सही है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं । उन्होंने केवल यह कहा था कि अपनी इसे अनितम इसर दिया जाना है।

कृषारी मसता बनर्जी (जादवपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा का कि अपनी इसे अधितम कप दिया गया है।

भी एक के ॰ एक ॰ मगत: महोदय, वह गसत बात उद्भृत कर रहे हैं। मैंने स्वयं यह खहा या कि हमें यह महीं पता है कि विशेषक का बन्तिम रूप क्या होगा। मैं यह खैसे कह सकता हूं कि बहु तहीं है या नहीं ?

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: सब यह यह कह कर कि वह ही या नहीं, नहीं कह सकते है, अपनी बात से मुख्यना चाहते हैं। महोदय, इस लीके के लिए किसे जिम्मेशर ठहराया जाना चाहिए हैं क्या यह सरकार की बदनामी नहीं है ? क्या यह हमारी ससद की बदनामी नहीं है ?

अञ्चल सहोदय । चयपाल बी, हम दिकार में देश सकते हैं।

(म्यवधान)

स्री विनेश गोस्वामी: महोबय, ऐसी किसी सामग्री को प्रकाशित करना विशे संनव में रबा खाना हो, विशे या किसा का हवन है। यदि सरकार का यह कहना है कि इन्हिम्स एक्समेस में बो कुछ छा। है वह प्रामाणिक विशेषक नहीं है तो में भी भगत से इण्डियन एक्समेस के विक्र विशेषा- चिकार हनने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का साहस दिखाने के लिए कहूंगा ! क्या आप में ऐसा करते का साहस है ? आप ऐसे ही बच बहीं सकते । बो भी हो सभा को बुद्ध बनाया गया है। यदि वह ऐसा महीं कपते (अयवधान)

कुमारी समता बनर्जी: मन्त्री औं ने कहां है कि इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया नया है। अतः इसका प्रदन ही नहीं उठता। (व्यवसान)

सी दिनेश गोल्यासी ! श्री शगत के अनुसार, यदि इसे अन्तिम रूप नहीं दिया यया है, दो उन्होंने इसे कैसे सकास्तित किया है ? यह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का इनन है (व्यवकान) अध्यक्ष महोदय : उस पर कोर्ट चर्चा नहीं होनी ।

प्रो० मधु वण्डवते : मैं यह जानना चाहता हूं कि नया ठनकर आयोग की रिपोर्ट की खरह इस विधेयक का माग भी खिवाया गया है। क्या इसमें विधेयक का पूरा पाठ है ?

श्री बी॰ किशोर चन्द्र एस॰ वेव: महोदय, बाबरी मस्जिद बीर राम बश्ममूमि मामले कि बारे में सथा को गुमराह करने के लिए मैंने गृह मन्त्री श्री बूटा सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इसे दूरदर्शन पर मी दिखाया गया था। उन्होंने |जानबूसकर सथा को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदयः मैं उग्हें पहले ही लिख चुका हूं।

श्री सी॰ माघव रेड्डी (आदिलाबाद) : मेरे विचार में सत्र की अविध बढ़ाने के बारे में अस्ताद पर मतवान नहीं हुता है।

अध्यक्ष महोवय: इसे अभी किया जा रहा है।

(ब्यवधान)

का० बत्ता सामंत: महोवय विधेयक का पाठ जो समाचार पत्र में ख्रा है, इतना गंभीर मामसा है कि इसमें केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मैंने विशेषाधिकार हमन का नोटिस विया है। सरकार इस पर चुव क्यों है? पंचायतों के सभी अधिकार केन्द्र ने अपने हाथ में ने सिए हैं और आज देख में इसकी चर्चा है। सरकार इसके बारे में चुव क्यों है? उन्हें इसके बारे मना करना चाहिए। यदि नहीं, तो आप मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताद स्वीकार की खए। मैंने सरकार बोर समाचार पत्र के विकट विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

मध्यक्ष महोदय । देख लेंगे । आप बैठ जाइए ।

भी राज कुमार राय (घोसी) : बध्यक्ष जी, मऊ में स्वदेशी कॉटन मिख मैंनेजमेंट की गलती से उसमें साक-आउट हो रहा है । इजारों मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है....

अध्यक्ष महोदय : लिख कर दीजिए, वेश लेंगे।

. श्री राजकुमार राय: मैंने खार्ट नोटिस दिया था। बाठ मैम्बसं ने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : देख मेंगे ।

[अनुवाद]

भी सैफुद्दीन चौचरी (कटवा): मैंने वाणिज्य राज्य मन्त्री, श्री प्रिय रंजन दास मुंसी के विरुद्ध समा को जानवृक्तकर गुमराह करने के लिए विशेषाधिकार हनन का सीटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उस पर कार्यवाही बारम्भ कर दी है ।

सी संफुद्दीन चौघरी: उनका कहना है कि परिचम बंगाल राज्य सरकार ने 1972 से 1977 तक कांग्रेस शासन के अपरार्थों और फ्रष्टाचार की जांच करने के लिए तीन बांच आयोग स्वापित किए ये। उन्हीं के अनुसार राज्य के विधानमण्डल में एक मी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की नई। अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा नहीं कर सकते ।

भी संफुद्दीन चौघरी : 1978 के 1984 तक 13 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यीं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने यहले ही उस पर कार्यवाही झारम्स कर दी है? श्वाप जब इस पर क्यों जोर देरहे हैं?

(व्यवघान)

भी नारायण चौबे (मिवनायुर): महोदय, कई लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मेचारियों को 1 जन वरी, 1989 में बढ़ा हुआ महंगाई मत्ता मिलना है लेकिन उन्हें वह अभी तक नहीं मिखा है। मैं सरकार ये उस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

अन्यक्ष महोदय : बस हो गया ।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, पश्चिम बंगाल अर्थात् मेरे राज्य के लोग पेय जब की गंमीरं समस्या का सामना कर रहे हैं। शोगों को पीने का पानी नहीं मिल पहा है। मेरा सरकार से अतुरोध है कि वह स्थिति का मूल्योकन करने के लिए एक वस वहां मेजे। बहुत से लोग मर गए हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला। हम पेय जल चाहते हैं। राज्य सरकार उनके हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। कृपया मन्त्री वहां मेंबिए (अयवधान)

श्री तम्पन चासमः महोदय, बोल कल्ब के सामने कैरस के सोग रेख सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। नर्मी की छुट्टियों के कारण सोग दके पड़े हैं। महोदय दक्षिण के सिए जीर अधिक रेस-गाड़ियां होती चाहिए (स्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माप क्या पहना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री शांता राम नामक (पणजी) : यह अधिवेशन 15 तारील को समाप्त हो चहा है। मैंने कुदाल आयोग के बारे में नोटिस दिया है जिसे आपने सहयं स्वीकार कर लिया है। कुदाल आयोग पर चर्चा करने से हमें यह पता लग जाएगा कि उन्होंने विदेशी एक सियों से कितनी विदेशी मुद्रा और कितना विदेशी धन सिया है... (अयवधान) *

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप बारोप नहीं लगा सकते । में इसकी बनुमति नहीं देता ।

(ब्यवघान)*

भी शांताराम नायक: महोदय, भापने नोटिस स्वीकार किया है। (अवस्थान)

[&]quot; कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिशित नहीं किया गया।

12.39 म•प●

लोक सभा की बैठकें बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्तक्व

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के॰ एस॰ मगत) : महोदय; मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समा की बैठकें 15 तारीख तक बढ़ाई कार्से।"

अध्यक्ष महोदय : प्रवन यह है :

'कि सभा की बैटकें 15 तारील तक बढ़ाई बायें।"

(व्यवघान)

अध्यक्ष महोदय: बाप मृक्षे लिखित में दोजिए।

श्री शांताराम नागक (पणजी): आपने इसे स्वीकार कर विया है और मुखे बताया है कि इसे स्वीकार कर लिया गवा है और उसके बाद उसे कार्य मन्त्रवा समिति को बेक दिया नया है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुना। (स्यवधान)

प्रो॰ मधु बच्डवते (राजापुर) : उस वायोग को समाप्त कर दिया गया है।

श्री तम्पन यामस (मवेलिकरा) : मैं एक नोटिस देना वाह्यल हूं । केरब के हजारों नोग रेल बुविवासों की मांग कर रहे हैं—(व्यववान)

जम्माक महोक्या : मैं मक्त को फिर से रखता हूं । यह तबन की बैठक बढ़ाने के बारे में है...

(ब्यवधान)

श्री एस॰ जगपाल रेड्डी (महसूब नगर) : यह समा की केठचें बढ़ा के का सह सरसरी तरीका है। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं समझा। हम मत विभावन चाहते है।

त्रो० नमु रण्डवते : हम संबद सदस्य हैं, बैनिक मजहूर नहीं हैं । (स्पत्रप्रातः)

अष्माक महोबय : प्रवन यह है;

"कि समा की बेटकें 15 तारीख तक बढ़ाई जाये।"

लोक समा में मत विमाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या : 6

12.41 平o年o

पक्ष में

ब तारी, भी जिया छर्ड मान अंसारी, भी मन्द्रस इन्दान

मग्रनाम, भी बग प्रकास बक्दं कलराज, भी **एव**०

बब्दूल गफर, श्री बरूणाचलम, श्री एम० बमखाराम श्री. अहमद, श्रीमती बाबिदा बानन्द सिंह, श्री एन्टनी, श्री पी० ए० मोडेयर, श्री चनैया कमला कुमारी, कुमारी क बले, भी अरिवनः तुलसीराम किन्दर लाल, श्री किस्क, श्री पृथ्वी चन्च कुजर,श्री मौरिस कुम्जम्ब, श्री के ० कुमारमगलम, श्रीपी० जार० कुलनदर्श्वेल्, भी पी० केयर भूषण, श्री कोशस. श्री जगन्ताय कृष्ण कुमार, श्री एस• कृष्ण सिंह, श्री लां. श्री असलम धेर चां श्री खुर्शीद अप्रलम सा, श्री मोहम्मद सप्ब (सुन्भुद) सिरहर, श्री राम मेष्ठ गंगा राम, श्री गामित श्री सी • की बुष्त, धी जनकशाज पुहा, दा० फ्सरेम् गोमांगो, श्री किरियर मोडिन, श्री जी बी क

गौंडर, श्री ए० एस• षोपस, भी एस॰ भी० षोष, श्री तरण कान्ति घोषास, श्री देवी चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी श्रीमती विद्यावती चग्द्रशेखर, श्रीमती एवक चन्हाण, श्री बद्योक शंकरराव विषम्बरम, श्री पी॰ चौघरी, श्री बगन्नाय चौघरी. श्री नन्द्रसाल चौषरी, श्री मनफूल सिंह जयमोहन, श्री ए० बाटव, श्री कम्मोदीलाल बिवेन्द्र प्रसाद, श्री जितेग्द्र सिष्ठ, श्री जीवरस्नम, श्रीक्रमर० बुझार सिंह, भी जेना, श्री विम्तामणि चैन, श्री निहास सिह जैन, भी वृद्धि चन्द्र जेनुल बशर, श्री झिकराम, श्री एम० एस० डक्कर, श्रीमती ऊवा डामर, श्री सोमजी माई डिगास. श्री राघाडांत डेविस, श्री एन० डिल्मों, डा॰ बी॰ एस॰ तंगराषु, श्री एस॰ तम्बदुराई, श्री एम॰

कोफ समा की बैठकों बंदायं जाने के बारे में प्रस्ताव

तिरगा. श्री साइमन तिलक्षारी सिंह, श्री तिवारी, प्रो॰ के॰ के॰ होमर, श्रीमती कवा रानी चामस,श्री फै० बी∙ इसवाई, श्री हसैन दामी, श्री अजित सिंह दास मुंधी, श्री प्रिय रंजन बास. श्री सुदर्शन दिघे. श्री शरद दिनेश सिंह, श्री दोक्षित, श्रीमती शीसा देव. भी सन्तोष मोहन देवरा, श्री मुरली बारीबाल, श्री बांति नटवर सिंह, श्री के नवस प्रमाकर, श्रीमती सुन्दरवती दामग्याल, स्रो पी० नायक, श्री शांताराम पंत् भी कृष्ण चन्द्र पटेल भी जी व्याई० पटेल, भी मोहनभाई पटेल, श्री सी०डी० पनिका, श्री राम प्यारे पराधर, प्रो॰ वारायण चन्द पायलट, श्री राजेश पाटिस. श्री उत्तमराव पाटिय, श्री बासासाहिब विश्वे

गटिल, श्री शिवराय थी. पाठक, श्री चन्द्र किश्चीर पारषी, श्री केशवराव पासवान, श्री राम श्रम पुष्पा देवी, कुमारी पैरुमन, डा० पी० बल्लस पोतदुवे, श्री श्रांताराम प्रकास चन्द्र, श्री प्रवाकी, श्रीके० ममु,श्रीबार० बनर्जी, कुमारी ममता बशीर, श्री टी॰ बसबराजेश्वरी, श्रीमती बाजपेयी, डा॰ राजेन्द्र कुमारी बासबराय, श्री जी० एस० बीरबस, श्री बीरेन्द्र सिंह, राष बोरेग्द्र सिंह, श्री बुदानिया, श्री नरेन्द्र बुन्देला. श्री सुवान सिंह वेरवा, श्री बनवारी लाख बैठा, श्री इमर सास बैरागी, श्री बासकवि मगत, श्री एच । के । एल । मगत, श्री बी० आए० मरत सिंह, श्री माटिया, श्री रचुनन्दन मास भारताब, श्री परहराम भूमिय, श्री हरेन मोई, डा॰ इपासिन्धु

पाटिस, श्री वीरेन्द्र

मोतले, श्री प्रतापराव बी० मक्याना, श्री नर्रायह मलिक, श्री पूर्ण बन्द्र मलिब, श्रील इवण महाजन, श्री वाई० एस. महासिंगम, श्री एम ॰ माषुरी सिंह, श्रीमती मासबीय, श्री बापूलाल मार्बण, श्रीमती पटेल रमावेन रामवीमाई मिश्र. श्री राम नगीना मिश्र, श्री श्रीपति मृति, श्री एम० वी • चन्द्रशेखर मेहता, श्री हरूमाई मोतीसास िंह, श्री मोदी, श्री विष्ण यादव, श्री कैलाश यादव, श्री डी॰ पी॰ बादव, श्री रामसिह यादव, श्री श्यामलाल रंगा• हो । एन । जी । रणवीर सिंह, श्री रय, श्री सोमनाय राडत, श्री मोला राज करन सिंह, श्री राजहंस, डा॰ गोरी संकर राजेश्वरन, डा०वी• राठौड, श्री उत्तम राम समझादन, श्री राम सिंह, श्री राममूर्ति, भी कै॰

राष, श्री के एस राव, श्री जे० वेंगस राव, श्री पी० बी० नर्शिष्ट रावणी श्री नवीन रावत, श्री हरीस सच्छी राम, चौधरी लाहा, श्री आशनीव लोवांग, श्री बांगका वन श्री दीप नारायण बनकर, श्री पुनम बन्द मीठा माई वर्मा, श्रीमती ऊषा विजयराधवन, श्री वी • एस • वीर सैन, श्री शंकर साल श्री शक्तावत, बो॰ विमंता कुमारी शर्माश्री चिरंबी साल शर्मी श्री नन्द किशोर शर्मा, श्री प्रताप मानू शास्त्री, श्री हरि कृष्ण शाही, श्री ललिवेश्वर शिवेन्द्र बहादूर सिंह, श्री श्री निवास प्रशाद, श्री वी॰ साही, श्रीमती कृष्णा बिह, श्री एन० टोम्बी सिंह, श्री कमना प्रसाद सिंह, श्री कृष्ण प्रताप विष्ठ, श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्रीमती मनोरमा सिष्ठ, श्री लाल विजय प्रवाप

सिंह देव, श्री के वी वि सिंदनाल, श्री एस वि वी वि सिंदीक, श्री हाफिन मोहुम्मव सुन्दर सिंह, चोचरी सुव्दराज, श्री एन व सुमन, श्री राम प्यारे सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री सुव्दातपूरी, श्री के बी व सेठी, बी बनठ प्रसाद
सेन, श्री मोलानाय
सेनदेन्द्रन, श्री पी०
सोदी, श्री मानकूरामं
सोरन, श्री हरिहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वैन, श्री बी० जी०
वण्मुस, श्री पी०
हरवास सिंह, श्री

विपक्ष में

बाबायं, श्री बसुदेव ककाडे, श्री सांमाबीराव कलानिधि, डा॰ ए॰ कल्पना देवी, डा॰ टी॰ सर्जीव अहमद, श्रीवरी शिल, श्री मेचा जिह गुप्त, श्री इन्द्रजीत बोब गोस्वामी, श्रीमती विवा बटर्जी, श्री सोमनाब चीचरी, श्री सैक्टीन चौवे. श्री सारास्य ताती, श्री मद्रेश्वर बोटा, श्री गोपाल कृष्ण दण्डवते, प्रो॰ मध् देव, श्री बी० किशोर चन्द्र एस० पटेख ॰ डा॰ ए॰ के॰ पटेल, श्री एच० एम० पाटिल, श्री ही वी व

पाठक० श्री बानन्द प्रवान,श्रीके० एन∙ बनातवासा, श्री जी० इस० बमंन, श्री पसास मूपति, श्री जी० मिलक, श्री पूर्ण चन्द्र मसुदल हसैन, श्री सेयद महाता, श्री चित्त मिश्र, श्री विजय कुमार मुखर्की, श्रीमती गीता रंगनाय, श्री के ० एवं ० * रस्वम, श्री एन० वॅकट रभैया, श्री बी॰ बी॰ राज्ञी विजय कुमार राम बहादूर सिंह, श्री रामाध्यय प्रसाद सिहु, श्रो राव, श्री श्रीहरि

[&]quot;यसती से विपक्ष में मतदान किया।

रियान, श्री बाष्ट्रबन रेही, श्री ६० झय्यपू रेही, श्री के० रामचन्द्र

रेड्डी. श्री बी० एष०

रेही, श्री एम० रचुमा

रेही, श्री सी । माषव

रेड्डे, श्री एवः जयवास बानिया, श्री बरनबीत विह

बेंकटेश, डा∙ वी०

चिनिन्दर सिंह, श्री

सम्बु, श्री सी०

सामंत, डा॰ दत्ता

साहा, श्री बजित कुमार

साहा, श्री गदाघर

सोम्, श्री एन० बी० एन०

स्वामी, श्री डी॰ नारायण

हन्नान मोल्लाइ, श्री

हेत राम, श्री

ँमध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यक्षीन, मत-विभाजन का परिवास इस प्रकार रहा:---

पक्तर्में :

199

विषक्त में

053

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अव समा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.48 **म॰प॰**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिमालयन पर्वतारोहण संन्यान, बार्जिलिंग और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विमाग में राज्य मंत्री (श्री विन्तामणी पाणिवहीं): श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की अंश्रिस में निम्निस्थित पत्र समा पटल पर रक्षता हूं:—

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना सतदान किया ।

[ै]पक्ष में : सर्व भी चिन्तामणी पाणिप्रही, के बोरका राव, जगनाय प्रसाद, बीठ के व्यायकर, बुजमोहन महस्ती, खेलव राम जागड़े, प्रमु साल रावत, के एम रहनाय, बाट सीट पी काडूर, सर्वभी गोपेरवर, बास चन्द्र चेंक, कें क गुन्यकी और केंट गुन प्रसान।

- (1) (एक) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जीसिन के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर खेखापरीखा प्रतिवेदन ।
 - (वो) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जीमिंग के वर्ष 1987-88 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेबी संस्करक)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को समापटम पर रक्तने में हुये विक्रम्ब के कारण दशनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेगी संस्करक)।

[प्रंचालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7919/89]

- (3) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1987-88 के दाविक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाली के वर्ष 1987-88 के लेकाओं की सर-कार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपयंक्त (3) में उल्लिकित पत्रों को सभा पटन पर रखने में हुये विसम्ब के कारण इस्ति वाला एक विवास (हिन्दी तथा अधिनी संस्करण)।

[प्रन्यालय में रखे गए देखिए संख्या एल ॰टी॰ 7920/89]

हिन्दुस्तान बनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्षे 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

क्षाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुक्ष राम) : मैं निम्नितिचित पत्र सम्रापटल पर रक्षता हूं:—

- (1) कम्पनो अधिनियम, 1956 की शारा 619क की स्पायारा (1) के अन्तर्गत निम्न-सिक्तित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण)।---
 - (एक) हिन्दुस्तान बनस्यति तेश नियम लिमिटेड, मई दिल्ही के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीका।
 - (वो) हिन्दुस्तान बनस्ति तेल निगम लिमिटेड, नई बिल्बी का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित सेखे तथा उन पर नियंत्रक महोलेखावरीक्षक की टिप्पणिया ।
- (2) उप्युंक्त (1) में उल्बिसित पत्रों को समा पटल पर रखने में हुये विसम्ब के बारक इंग्रीने बाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेकी संस्करण)।

[प्रन्यालय में एके गए । देखिए संस्था एस • ही • 7921/89]

मारत के नियंत्रण—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987 88 के प्रतिबेदन संघ सरकार (अन्य स्वायत्त निकाय) (दिल्ली प्रशासन) (राजस्व प्राप्तियां-अप्रत्यक्ष कर) (रक्षा सेवाएं-वायु सेना तथा नौसेना) आदि

वित्त मंत्रासय में आधिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (भी एडुआर्डो फैसीरो) : मैं निम्ब-निचित पत्र समा-पटल पर रसता हूं :—

- (1) संविधान के अनुष्येद 151 (1) के अन्तर्गत निम्निसिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंभे दो सस्करण) :---
 - (एक) मारत के नियंत्रक-महालेकापरीक्षक का वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन--संव धरकार (अन्य स्वायत्त निकाय)।

[प्रन्यासय में रसा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰7922/89]

(दो) मारत के निधंत्रण-महोनलापरीक्षक का वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (दिल्सी प्रशासन)।

[प्रन्यालय में रक्षा गया : देखिए संख्या एल टी॰ 7923/89]

(तीन) सारत के नियंत्रक-महालेकापरीक्षक को वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन—संव सरकार (राजस्व प्राप्तियां-वप्रत्यक्ष कर)

[प्रम्बालय में रखा गया । वेखिए सख्या एल०टी० 7924/89]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदय-संघ सरकार (रखा सेवायें-वायु सेना तथा नौसेना)।

[ग्रन्यालय में रखा गया । देखिए संख्या एल व्टी ० 7925/89]

(पाच) मारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वय 1987-88 का प्रतिवेदन—संब सरकार (रेवा)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 7926/89]

(2) अर्थ 1987-88 के लिए विनियोग लेखे रेल, साग-1 समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा संग्रेजी संस्करण)।

[प्रन्यालय में रला गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 7927/89]

(3) वर्ष 1987-88 के लिए विनियोग, रेल, माध-2-विस्तृत विनियोग, लेखाओं की एक प्रति (दिन्दी तथा अंडेजी संस्करण)।

[प्रम्यालय में रखा गया । देखिए संस्या एल०टी० 7928/89]

(4) वर्ष 1987-88 के लिए ब्लॉक लेखे (ऋण लेखाओं के पंजी-विवरकों सिंहत) तुसन-पत्र बीर लाव तथा हानि लेखे, रेल की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करक)।

[प्रश्वासय में रसा गया । देखिए संस्था एस॰टी॰ 7929/89]

नेक्सन सेंडर फार सॉफ्टवेयर देवनोलॉबी, बस्बई के वर्ष 1985-86 1986-87 और 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा खादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज लापडें) : श्री के ब्लार क कारायण की स्टेर स में किन्तावासह पत्र स्था पटल पर रखता हूं:---

- (1) (एक) नशस्य संटर फार सः फ्ट्वयर टेन्नालाकी, बस्कई के वर्ष 1985-86 के वाधिक प्रतिवेदन को एक प्रति (शहन्दी तथा अप्रेजी संस्करण) तथा लखापरीक्षित सेखे।
 - (दो) नेसवल सटर फार सोफ्टवेयर टेक्नोसॉओ, वस्वई के वर्ष 1985-86 के कार्य-करण की सरकार द्वारा सभीक्षा के बारे में एक विवरण ('हुन्दी तथा अंग्रेबी सस्करण)।
- (2) उपयुंक्त (1) में उत्सिक्ति वर्षों को समा पटल पर रक्षने में हुए विलम्ब के कारण इशनि बाला एक विवरण (हिन्दों खया बंगे की संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7930/89]
- (3) (एक) नेशानभ सेंटर फार साष्ट्रवेयर टैक्नोलाजी, बस्बई के वर्ष 1986-87 के वाधिक ब्राचिकन की एक प्रति (शिक्षी तथा अंबेजी संस्करण) तथा सेखायरीकित लेखे
 - (बो) नेश्चनस सेंटर फार सोफ्टवेयर टेक्नोसॉजी, बस्वई के वर्ष 1986-87 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) अपर्युंक्त (3) मे उल्लिखित पदों को सभा पटल पर रखने में हुए विसम्ब के कारण दर्जाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंबोजो संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7931/89]
- (5) (एक) नेशनल सेंटर फार सोष्ट्रवेयर टेंबनोलाजी, बम्बई के वर्ष 1987-88 के बार्थिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा व प्रेची संस्करण) तथा लेखापरीखित सेंसे।
- (6) उपयुंक्त (5) में चिस्तिकित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण वर्षाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंधेजी संस्करण)।

[च्रन्यासय में रखे गए । देखिए संख्या एस॰टी॰ 7932/89]

बबाहर लाल नैहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को समा पटल पर रक्षने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण, उक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे आदि

क्षानत संसाधन निकाल मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विसादों में राज्य संत्री (श्री एस॰ वी॰ झाही) : मैं निम्मानिकित पत्र समा पटन पर रखता हूं :----

- (1) (एक) अवाहरसास नेहरू विश्वविश्वालय, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सदकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा वंग्रेजी सस्करण)।
- (2) उपयुंक्त (1) मैं उक्ति क्वित पत्रों को समापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक दिवरण (हिन्दी तथा संबंधी संस्करण)।

[प्रन्यालय में रसे गए। वेलिए संख्या एस०टी० 7933/89]

- (3) बबाहरलाल नहरू विश्वविद्यालय, नई विस्ती के वर्ष 1987-88 के वार्षिक वेसाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा असे जी सस्करण) तथा जन पर संजापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (4) उपयुक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को समा पटल पर रक्षने में हुए विसम्ब के कारण दक्षनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[प्रन्यालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7934/89]

- (5) (एक) राष्ट्रीन विश्वाध सञ्चहालय परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रति-वेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेकी सस्करण)।
 - (दो) राष्ट्रीय विज्ञान संप्रक्षालय परिषद्, कसकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं का का श्रीत (हिन्दी विषाध में बी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा मृतिवेदन ।
 - (तीन) राष्ट्रीय विशान सब्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समोका की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी सन्करण)।
- (6) उपयुंक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को समा पटल पर रक्षते में हुए विसम्ब के कारण क्वानि वाला एक विवरण (हिन्दी नया अग्रेजी सस्करण)

[चन्चालय में रखे गए। देखिए संस्था एस०टी॰ 7935/89]

- (7) विद्य-मारती, शान्तिनिकेतन के यथ 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंभेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (8) उपयुंक्त (7) में उल्झिखित पत्रों को समापटल पर रक्तने में हुए विलम्ब के कारण वर्षाने वालाएक विषयण (हिन्दी तथा खंदों भी सस्करण)।

[प्राचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7936/89]

- (9) (एक) इस्राहाबाद संप्रहालय सोसाइटी के वर्ष 1987-88 के वार्थिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखायरीकित लेखे।
 - (दो) इलाहाबाद संग्रहालय सोसः इटी के वर्ष 1987 88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण)।
- (10) उपयुंक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दक्षति वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[प्रन्यालय में रखे गए। देखिए संख्या एल व्टी व 7937/89]

- (11) राष्ट्रीय संस्कृत सम्यान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक ब्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (12) उपयुक्त (11) में उक्तिखित पत्रों को समा पटझ पर रखने में हुए विसम्ब के कारण ध्वाने बाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[प्रन्यालय में रसे गए। देखिए संख्या एस०टी० 7938/89]

राजस्थान और गुजरात में रूग्ण उद्योगों के बारे में अतारांकित प्रश्न 6850 के 25 अप्रैंस 1989 को विए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विमाग में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अक्रणाचलम) । मैं राजस्थान और गुजरात में रुग्ण उद्यागों से बारे में श्री बृद्ध वन्द्र जैन द्वारा पूछे गए बतार कित प्रवत्त संस्था 6850 के 25 खप्रेल, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण ('हन्दी तथा संदेखी संस्करण) सभा बटल पर रक्षतः हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एस०टी॰ 7939/89]

निर्यात (स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रखन दास मुंशी) में निर्यात (क्वासिटी निर्य-त्रण और निरोक्षण) अधिनियन, 1963 का घारा 17 का उपघारा () के अन्तर्गत निम्निसिस्त अधि-सुन्तानों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा बंगे जी सस्करण समा पटल पर क्लाता हूं:—

> (एक) काजू गिरी का निर्याद (क्वालिटी नियंत्रण कोर निरीक्षण) सशोधन नियम, 1989, जो 18 माज, 1989 के सारत के राजपत्र में अधिसुवना सक्या का. बा. 529 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्यालय में रखा गगा । देखिये संख्या एल०ढी० 7940/89]

(वो) वियाँत निरीक्षण परिषद् अध्यायो मिक्स्य निधि (संशोधन) नियम, 1989 को 1 अप्रेस, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसुबना संख्या का • बा • 592 में प्रकाशित हुए थे।

[म्रन्यालय में रक्षे गये। देखिये संख्या एल०टी० 7941/89]

(2) निर्वात निरोक्षण परिषद् तथा निर्यात निरोक्षण अभिकरण के वर्ष 1987-38 के वार्षिक श्रतिवेदन (सण्ड-2) की एक प्रति (हिंग्दी तथा अंग्रेची सस्करण)

[प्रन्यालय में रसा गया। देखिये संस्था एल०टी० 7942/४9]

मारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता तथा मारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई विस्ली के वर्ष 1987-8% के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

बस्त्रा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (भी रफीक आलम) : मैं निम्नलिखित पत्र समापद्वत पर रखता हं :—

- (1) कम्पनी खिश्तियम, 1956 की घारा 619क की उपधारा (1) के खन्तर्गत जिस्त-सिस्तित वर्जों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण):—
 - (क) (एक) मारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्य-करन की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) मारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कसकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लच्छे तथा उन नियंत्रक-मङ्गलेखापरीक्षक की टिप्पिच्या।

[प्रन्यालय में रसे गए। देखिये संख्या एल०टी॰ 7943/89]

- (ख) (एक) मारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग नियम सिमिटेड, नई दिस्सी के वर्षे 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिश्टिक, नई दिझ्मी का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महासेखापरीक्षक की टिप्पणिया।

प्रिन्यालय में रसे गया। वे^रसये संस्था एस॰टी॰ 7944/89]

(2) उपयुंक्त (1) में उल्लिखित पत्रो को समापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण वर्षोंने वाले दो विवरण (ब्रिस्टी तथा अस्त्रे की संस्करण)।

[ग्रन्यालय में रसे गए। देखिये संख्या एल टी॰ 7943/89 तथा 7944/89]

आद्य अपिमधण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अधिसूचना, राष्ट्रीय होम्योपेथी संस्थान, कलकत्ता तथा केंसर अम्पताल और अनुसंधान गंस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज सापडें) : मैं निम्नक सिसित पत्र समा-पटल पर रसर्ता हूं :—

(1) संख अपिमश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की घारा 23 की उपधारा (2) के अन्त-गृंत साद्य अपिमश्रण निवारण (चौषा संशोधन) नियम, 1987, जो 6 अन्त्वर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संक्या सार कार निरु 840 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रनि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्यालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी॰ 7945/89]

- (2) (एक) राष्ट्रीय होम्योवैद्यी सन्यान कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदक को एक प्रति (हिन्दी तथा अ'डें जी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित सेखे।
 - (दो) शब्दीय होस्योपैयो संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1927-88 के कार्यकरण की सर-कार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (श्विश्वी तथा अ में को संस्करण)।
- (3) उपयुक्त (2) में उहिनकित पत्रों को समापटल पर रक्षने में हुये विसम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संस्था एस॰टी॰ 7946/89]

- (4) (एक) केंग्र अध्यनाच बीर अनुमंत्रान संस्थान, ग्वामियर के वर्ष 1987-88 के बार्विक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा वर्षे जी संस्करच) तथा लेखा-रीक्षित सेसे।
 - (दो) केंसर अस्वनाल और अनुसंघात संस्थात, ग्वाजियर के वर्ष 1987-88 के कार्य-करण की मरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी नथा अप्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखिण पत्रों को समा पटल पर ण्झने में हुये विलम्ब के कारण दशीने वाला एक विवाध (हिन्दी तथा अंग्रेकी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल व्ही • 7947/89]

- (6) (एक) राष्ट्रीय बायुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवैदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (वो) राष्ट्रीय बायुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्षे 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपयुंदन (6) में उल्लिबिल पत्रों को समाण्टल पर रक्तने में हुये विलम्ब के कारण दर्शने वाला एक विवस्त (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रसे गये। देखिये संस्था एस टी॰ 7948/89]

- (8) राष्ट्रीय आपर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1987 88 के लेखापरी क्षत लेखाओं को मेखा वर्ष की समाध्य के पद्यान 9 महीनों की निर्वारत सम्बिक भीतर समा पटल पर न सने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा असे जी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी॰ 7949/89]
- (9) (एक) केन्द्रीय यून'नी औषध अनुस्थान पश्चिद्, नई तिल्ली के वर्ष 1987-88 के वाक्ति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अप्रीजी संस्करण) तथा संस्था-परीक्षित लेखे।
 - (दो) केन्द्रीय यनानी अनोषय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्यंक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को समायटल पर रखने में हुये विजम्ब के कारण दर्शीन वालाएक विवस्था (किन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रते गये। देखिये सख्या एस०टी० 7950/89]

आवश्यक वस्तु अधिनियम :955 और भारतीय मानक ब्यूरों अधि-नियम, :986 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

साद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा) : मैं निम्नलिखित पत्र स्था-पटन पर रखता हूं: —

(1) अवस्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की घारा 3 की उपघारा (6) के अन्तर्गत निम्न-क्तित अधिसुचनाओं को एक-एक मिक्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--- (एक) का • बा • 211 (अ), को 20 मार्च, 1989 के मारत के राजपत्र में प्रका-किन हका या तथा जिसके द्वारा 'हाइड्रोलिक ब्रोक पल्दड' को आवस्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत एक आवस्यक वस्तु घोषित किया गया है।

[प्रन्थालय में रसे गये। देखिये सस्या एल०टी० 7951/89]

(दो) वाल, खाद्य, तिसहन और खाद्य तेल (भडारच नियंत्रण) दूमरा संखोधन बादेश, 1989 को 28 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संस्था का अ अ 230 (अ) के प्रकशित हुवा था।

[ग्रन्थालय में रखा गए । देखिये संख्या एल०टी० 7952/89]

(2) मारतीय मानक श्यूरो अधिनियम 1986 की घारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचना संक्या का॰ बा॰ 251 (अ), जो 31 मार्च 1989 के मारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई बी तथा जो भारतीय मानक ब्यूर्श के सदस्यों की 1 अर्थ स, 1989 से नियुक्त के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्यालय में रखा गया। देखिये संख्या एल व्टी ० 7953/89]

राष्ट्रीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान, मद्रास तथा दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और

कार्यकरण की समीक्षा आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं निम्नीलक्षित पत्र समा-पटल पर रक्षता हूं:—

- (1) (एक) राष्ट्रीय पत्तन प्रश्नेष्ठ सस्यान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक म्रतिवेदन की एक प्रति (हिश्दी तथा अर्थे जी संस्करण) तथा स्रोखापरीक्षित लेखे ।
 - (दो) राष्ट्रीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान, मद्रास चै वर्ष 1987-88 के कार्यकरण ची सर∗ कार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा खंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपयुंक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को समापटन पर रखने में हुए विलम्ब **के कारण** दशीने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[प्रन्यालय में रखे गये। देखिये सहया एल टी॰ 7954/89]

- (3) (एक) सडक परिवहन निगम आधिनियम, 1950 की बारा 35 की उपवारा (3) के अन्तर्गत दिल्मी परिवहन निगम, नई दिल्लो के वर्ष 1987 88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के आर्थ करण की सर-कार द्वारा समीक्षा की एक वित ('इन्दी तथा अंग्रेजा संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उस्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते में हुए विलम्ब 🕏 कारण दर्शन वाला एक विवरण (हिन्दो तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[प्रन्यालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 7955/89]

(5) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में पाष्ट्रविश द्वारा 11 मई, 1987 को आपी की गई उद्-कोषणा के साम्ब (ग) (चार) के साथ पथित सड़क परिवहन निगम आधिनियस, 1950 की चारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखिल पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दीतवाअंग्रेजीसंस्करण):---

- (क) (युक) पेप्सू सड़क पश्चिहन निगम, पटियासा के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (को) पेप्सुसड़क परिवहन निगम, पटियासा के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[प्रन्यालय में रखे गये। वेलिये संख्या एल॰टी॰ 7956/89]

- (स्त) (एक) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1986-87 के बाधिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (दो) पेच्य् सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1986-87 के कार्यं करण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (6) उपयुंक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को समापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रसे गये। देखिये संख्या एल०टी • 7957/89] विदेशों में नौकरी के इच्छुक लोगों को पूर्वदस टिकिट सूचना के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के 22 फरवरी 1989 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण आदि

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तया संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राघा किञ्चन माल-वीय): मैं (एक) 'बदेशों में नौकरा के इच्छुक लोगों को पूर्वटत टिकिट सूचना (प्रो० पेड० टिकिट एडवाइन) के बारे में श्री के० गे० उन्ती इच्छान और प्रो० पी० जे० कुरियन द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रधन सक्या 108 के 22 फरवरी 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विसम्ब के कारण बताने वाला एक विदरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। समा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रले गए। देखिए संख्या एल०टी॰ 7958/89]

12.49 म.प.

राज्य सभा से सन्देश

महासिचवः मुझे राज्य सभा के महासिचव से प्राध्त निम्म संदेश की सूबना सभा को देवी है:—

"राज्य समा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के विषय 186 के उप-नियम (6) के उपन्यों के अनुसरण में मुझे विक्त विश्वेयक, 1989 को, जिसे लोक समा द्वारा अपनी 2 मई 1989 को बैठक में पारित किया गया था और राज्य समा को उसकी सिफारिझों के लिये मेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निवेश हुबा है कि इस समा को इस विश्वेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी हैं।"

12.49 ₹ म.प.

अध्यक्ष के निदेशों में संसोधन

महासचिव : मैं लोक समा के प्रक्रिया तथा कार्य-पचालन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निवेशों में संशोधन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.49 3/4 **प.प**.

सरकारी आश्वासनों संबंधी सनिति 17 वां और 18 वां प्रतिवेदन

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर): मैं सरकारी अध्वासनों संबंधी समिति का सत्रहवां कौर अठारह्वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रश्तुत करता हूं।

12.50 **म.प.**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक

वित्त मंत्रासय में आर्थिक कार्य विकाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मुक्ते श्री एस०बी० चह्नाण की ओर से खघु सैक्टर में उद्योग के सप्रवतंन, विकास के लिए तथा लघु सेक्टर में उद्योग के सप्रवतंन, विकास के लिए तथा लघु सेक्टर में उद्योग के सप्रवतंन, वित्तरोषण या विकास में लगी सस्याओं के कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रधान वित्तीत सस्या के रूप में मारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना करने के लिए और उनसे संसक्त या उनके बानुविंगक विषयों के लिए विषयक पुर: स्थापित करने की अनुमति वी लाये।

अध्यक्ष महोवय : प्रश्नं यह है :

"कि लघु सैक्टर में उद्याग के संप्रवर्तन, वित्तागेषण और विकास के लिए तथा लघु सैक्टर में उद्योग के संप्रवर्तन, वित्ताग्रेण या विकास में लगी सम्याओं के कृश्यों का समन्वय करने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास वैंक की स्थापना करने के लिये और उनसे संसक्त या उनके आनुष्यिक विषयों के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दो जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । श्री एडुआडॉ फैलीरो : मैं विधेयक पुर:स्वापित,करत: हूं**

12.51} म.प.

निगम 377 के अधीन मामले

(एक) उन समी किसानों को, जो 1975 से इन्दिरा नहर से सिंचाई के लिये पानी ले रहे हैं, पानी की नियमित आपूर्ति किए जाने हेतु राजस्थान सरकार को निवेंश दिए जाने की आवश्यकता

^{•ि}दनीक 10.5.89 के भारत के राजनत्र, असाबारण, भाग-2 सड 2 में प्रकाशित । ••राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्वापित !

[हिन्दी]

भी बीरबस (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय इन्दिरा क्षेत्राल एरिया में सन् 1975 के बाद ^{है} जिस्न किसी कःव्तकार ने अपनी जमीन में पानी लगा लिया है, उनकी सिचाई विभाग के कमेचारी पानी की बारी काट रहे हैं जबकि 1975 से लेकर खाज तक काव्यकार खपनी जमीन में बराबर पानी कमाता था रहा है। खब इनकी बारी काट लेना गैरवाजिब है।

12.52 म०प०

[उपाध्यक्ष महोवय पीठासीन हुए]

मैं मारत सरकार के जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि शाजस्थान सरकार को खादेश हैं कि 1975 के बाद से आज तक जिस जमीन में पानी लगा हो उसकी स्थाई रूप से वारी बाधी आय और इसके साथ-साथ यह भी आदेश दें कि गंगानगर जिले की जो जमीन इन्दिरा कैनाल एरिया में आ गई है, उसका दुवारा सर्वे कराकर ज्यादा से ज्यादा कथांच्छ की जाय साकि वहां के कादतकारों की मुखमरी व गरीबी दूर हो सके तथा राष्ट्र की पैदावार बढ़ सके।

(बो) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की, समय पर महंगाई मत्ते की अवायगी, वेतन पुनरीक्षा बोर्ड का गठन और बोनस की अवायगी संबंधी मांगों को पूरा किए जाने की आवश्यकता

भी हरीश रावत (अल्मोड़ा) माननीय उपाध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी लम्बे समय से सरकार से तीन समस्याबों के समाधान की मांग करते आ नहे हैं। पहली समस्या वर्ष में हो बार देय महुगाई मत्ते की किवतों की समय पर अदायगी की है इस वर्ष जनवरी में देय हुई महुंगाई करते की किवत का मुगनान बढ़ी हुई दर पर अमी तक न होने से केन्द्रीय सरकार के कमंचारियों में रोव ब्याप्त है। चतुष वेन्न आयाग व उच्चतम न्यायालय द्वारा महुगाई मत्ते के सामयिक मुगतान के लिए निर्देशक सिकात भी तय किये हैं। बतः केन्द्रीय सरकार तत्काल महुगाई मत्ते की किवत के खुगतान की व्यवस्था करे।

दूसरी मांव केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतवमान व मत्नों के पुनिवारण हेतु एक स्वाद केच रिध्यू बोर्ड की स्थापना तथा तीनरी मांग केन्द्रीय सरकार के उन कर्मबारियों की जिन्हें पृष्ठहाँक बोनन का मुगनाव किया जाता है, उन्हें वर्ष 1988-89 से 30 दिन के वेतन के बरावर बोनस राखि के मुगतान को है।

भेरा केन्द्रीय वित्त मंत्री जी सै निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मवारियों की इत तीवों मोबों को बस्काल पूर्व करने की ध्यवस्था करें।

> (तीन) मारत अर्थ मूर्वसं लिमिटेड का नोदक बारूद कारलाना और इंजन कार्यशाला सागर में स्थापित किए जाने हेतु शोध निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

भी नन्दलाल चौघरी (सागर) : माननीय उप ध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का सामर जिला भारत के कन्द्र में स्थित हान एवं व्योध भौगोलिक मुरक्षा अन्य परिस्थितियों के कारण यहां भारत का अध्य महार रेजीमें कर सैक्टर कई वर्षों पूर्व स्थापित किया गया था।। इस जिले की अनुकूल जनवायु एवं प्राकृतिक सौक्यं चय-वाक्षण का केन्द्र बना हुवा है। यह जिला सौद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछाड़ा जिला है। यहाँ कोई बड़ा कारखाना न होने के कारण लागों को मखबूरन दमघोंटू एवं स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला बीड़ी बनाने का कार्य करना पड़ता है। कई वर्षों से इस जिले में रक्षा मंत्रान्य द्वारा ब्रोपेलैंग्ट फैन्टरी (आयुद्ध कारखाना) एवं रक्षा विभाग की ही मारत अयं मूवर्स निमिटेड कम्पनी द्वारा इंजिन कारखाना स्थापित किये जाने हेतु सबंहो रहा है जो सम्मदतः पूर्व मी हो चुका है किन्तु बसी तक ये कारखाने स्थापित करने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इन कार-खानों को स्थापित किये जाने में अनावदयक कप से विलम्ब किये जाने से जन साधारण में बसंतोष व्याप्त हो रहा है।

अन्तएय निवेदन है कि ये कारलाने सागर जिले में ही स्थापित किये जाने सम्बन्धी अस्तिम निर्णय शीघ्र लिया आस्य ।

(चार) वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का मांडला और मुंगेली होते हुए रांची (बिहार) तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

की एम॰ एल॰ झिकराम (मांडला): उपाब्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मांग कमांक 12, जो जय-पुर से जबलपुर तक आता है उसे बागे बढ़ा कर मंडला, मुगेनी होते हुए बिहार प्रान्त के रावी शहर कि जोड़ा जाए। इंसी इस पहाड़ी एवं कोयला, लोहा एवं बन्ध खानज पदायों वाले क्षेत्र का विकास होगा। बभी वहां आवागमन के कोई सक्षम साधन नहीं है। रेल मार्गभी नहीं है जो सड़कों हैं वे बीजें शीर्ण एवं दयनीय हालत में हैं। इस क्षेत्र के विकास एवं आवागमन की दृष्टि से उपरोक्त मार्गकी प्राथमिकता के आधार पर लेकर कार्य तत्काल प्रारम्म किया कावे। केन्द्र शासन इस पर गम्भीरता से विचार करे और कार्य प्रारम्म कराये।

> (पांच) आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष गोजना के कार्यान्वयन हेतु महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम पोतदुले (चन्द्रपुर): महाराष्ट्र सरकार ने जनजातीय जिले गडिचरोली, चन्द्र पुर और नालदेड जिलो के कुछ भागों में बेहतर संचार, विजली मप्लाई और कल्याण कार्यों के लिए 195 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना बनाई है जिससे इस क्षेत्र में गरीबी को समस्या का समाधान किया जा सके।

मारत सरकार के योजना मंत्रालय को, इस व्याण्क कार्यक्रम में सहायता करकी चाहिए जिसे राज्य सरकार ने आतकवादी बौर विषटनकारी ताकतों जो नहीं चाहते कि कार्नून और व्यवस्था बनी रहे, तथा गरीबी की समस्या से निपटने के लिए हाथ में लिया है।

> (छः) बंकिम चन्त्र चढ्टोपाध्याम का 150 वां जन्मदिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): साहित्य सम्प्राट बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय भारत के एक महान सपूत थे। वह 'बन्दे मातरम' के रिचयता थे जिससे स्वाधीन सम्माम में अप्रेजों के चिरुद्ध संबद्धं करने में स्वाधीनना सेगानियों को प्रेणा प्राप्त हुई थी। इस पवित्र और रहस्यमयी 'बन्दे मातरम' शब्द को बोचकर हजारों नवयुवक, विद्यार्थी और महिलाएं स्वाधीनता संग्राम में सूद पड़े और उन्होंने हं वेत-हसते मृत्यु को अपना निया। आज मी बन्दे मातरम' हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल मंत्र है। बंकिम चन्द्र का जन्म 1839 में हुई थी चवकि

हुमारा देश विदेशी कासन के अधीव या। लेकिन इस वर्ष जून में उनके जन्म के 150 वर्ष पूरे हो जायें वे। अब हमारा देश स्वाधीन है। अतः इस स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते, मैं भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहती हूं कि वह बिकम चन्द्र चट्टोपाच्याय की 150 वीं पुष्यतियि को सारे देश में सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ मनाई जाएं।

इस बात के लिए सरकार विशेष ढाक-टिकट तथा कुछ स्मृति विह्म संकलन केन्द्रों की स्थापना करके तथा लोगों के लिये अपने स्वाधीनता संग्राम के दस्तावजों की प्रदर्शनी इत्यादि लगाकर कर सकती है। उनकी स्मृति को विर स्थायी बनाने के लिये राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया खाता खाड़िए। गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(सात) सिंगरेनी कोयला लानों के प्रबंधकों को श्रमिकों की मांगों का समाधान किए जाने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी॰ भूपति (पेवदापल्ली): ब्राध्य प्रदेश राज्य के सिगरेनी कोइलमरी कम्पनी श्रिमिटेड हारा मारताय खाना के उत्थान के लिये दिया गया योगदान निद्वय ही एक गर्व की बात है। इस कम्पनी द्वारा हासिल परियामों के फलस्वरूप मारत के कीयला उत्पादन क्षेत्र को एक नया जीवन निसा है।

फिर भी, सिगरेनी कीयलाखानों में काम कर रहे श्रमिकों की स्थित बहुत ही असंतोषजन है। दुभंश्यवश, उत्पादकता से गुड़े हुए वेतन, आवास, स्कूल और श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाओं सैसी समस्याओं के समाधान है लिए प्रवंधकों ने कोई रचनात्मक कार्यवाही नहीं की है। इन समस्याओं का समाधान न होने की वजह से श्रमिकों को बार बार हरताल करनी पढ़ती है। श्रमिकों की काफी सम्बे समय से बनिर्भीत पड़ी मांगों का प्रवन्धकों को तत्काल समाधान करना चाहिए जिससे श्रमिक एक शांत तथा सतोषश्र वातावरण में कार्य कर सके; श्रम्यचा इन श्रमिक वर्गों की बढ़ती हुई असंचुष्टि और असंतोष के कारण चाद्र को भारो नुकसान उठाना पड़ सकता है।

(आठ) वर्ष 1950 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन किए जाने हेतु एक व्यापक विषयक प्रस्ततु किए जाने की आवश्यकता

श्री मद्रेश्वर ताती (कलियाबोर) : असम में चाय बागानों में काम करने वाली और अन्यन बनजातियों की जनसंस्या कुल जनसंस्था का 25 प्रतिशत है। ब्रिटिश चाय बागान मालिकों द्वारा ये लोग उड़ीसा बिहार, मध्य प्रदेश बाघ्र घदेश और पिष्यम बगास से 18थीं शतास्थी में असम में लाये कये थे जिससे कि उनसे चाय बागानों में अमिक के रूप में काम लिया जर सके। ये लोगों मुस्यत: जन-जातीय लोग हैं। अपने मूल राज्यों में इनमें से अधिकांश सोगों को बनुसूचित जाति। जनजाति के रूप में मान्यता 1950 के बनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ओर इस प्रक्रिया के तहत उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं अपने-अपने राज्यों में प्राप्त हो रही हैं सेकिन असम में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। असम राज्य में उन्हें 'अन्य विख्रही जातियों के रूप में मान्यता घदान की गई है और इसके बन्तर्गत दी गई सुविधाएं अध्यन्त सीमित है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि आजादी के 40 वर्ष के बाद मी वहां .01 प्रतिशत लोग शिक्तत हैं। वे लोग वर्ष 1958 से अनेक साक्षाजिक संवठनों जैसे असम आदिवासी परिवद, वीट्राइवस यूष एसोसिएशन, पूर्वाचलीय चाय मशहूर

आतंकवादी और विष्यंसक क्रियाकश्राप (निवारण) संशोधन विश्वेयक और चण्डीगढ़ विक्रुब्य क्षेत्र (संशोधन) विश्वेयक

सच, असम, चाय और अन्य जनजातीय युवा छात्र परिषद्, असम, चाय और बन्य जनजातिय विद्यार्थी सथ बीर खनेक संगठन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से इन जातियों को अनुसूचित जाति/बतु-सूचित जनजाति आदेश में शामिल किए जाने के लिए मांग करते रहे हैं। मारत सरकार ने इस सम्बन्ध में लोकूर आयोग और ए० के० चन्द्रा आयोग का गठन किया। इन आयोगों ने यह विचार अ्यक्त किया है कि इन जातियों को अनुसूचिन जातियों के आदेश में शामिल किया जाये।

सभी तब्यों को ब्यान में रखते हुए बसम सरकार ने वर्ष 1978 में बसम के बाय और बाय बागानों का अन्य अनजातियों में से केवन 9 जनजातियों को केन्द्र मरकार के अनुमोदन के निये मेजा जिनका मामला अभी अधर में लटका है। जत: मैं केन्द्रीय सरकार से नम्नता पूर्वक आग्रह करता हूं कि संविधान के अन्तर्गत वर्ष 1950 के अनुमुखित जाति/अनुस्वित जनजाति आदेश का सशोधन करने के लिए एक ब्यापक विधेयक लाया जाए और सभी वास्तविक और सुपाग आतियों तथा समुदायों को अनुस्वित जाति आदेश में शामिल करना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : उपाध्यक्ष महोद्य, में प्रस्त व कार्या हूं कि हम आतक्ष्वाकी और 'वद्यमक क्रिया-कलाव (निवारण) संशोधन विद्ये के और चण्नीगढ़ विशुब्ध केत्र (समोधन) विद्येयक पर मन्त्री महो-इय के उत्तर के पश्चात समा मध्य ह्न मोजनावक श के लिए स्थगित करें?

श्री सी॰ माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हम उत्तर पर, भोजनावकाश के पश्चात् विचार करते हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित: मन्त्री महोदय को दूपरे सदन में बाग है। श्री सी॰ माघव रेड्डी: यदि उत्तर छोटा है तो मुझे कोई बापति नहीं है।

1.03 म. प.

आतंकवादी और विध्वंसक क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक

और

चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र संशोधन) विधेयक

उपाद्यक्त महोदयाः अब सदन में मद संख्या 19 और 20 पर विवार किया जाएगा। श्री पी० चिदम्बरमः।

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी पी० चिदम्बर्घ): वप व्यक्ष महोदय, में उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बालेक। वादी और विव्वसक कियाकसाथ (विवारण) संशोधन अधिनियम के संशोधन पर इस संक्षिप्त बहस में

हिस्सा लिया, जो इस अधिनियम के कार्यकाल को और दो वस की अवधि के लिए बढ़ाए जाने के बारे में हैं। मैं विशेष रूप से श्री अध्यपूरेहुं। श्री तम्पन धामस और श्री अमश्र दत्ता का आभारी हूं जिन्होंने मूल्यवान सुझाव दिए है।

महोदय, दो वर्ष पूर्व 1987 में जब यह विचेयक प्रस्तुत किया गया था तो हमने स्वष्ट रूप से स्वीकार किया था कि हम पंजाब की कठिन विरिस्यितियों तथा शायद कुछ जन्य राज्यों में उठने वाली कठिन विरिस्यितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपबन्ध पुरस्यावित करने जा रहे हैं। हालांकि इस विधेयक के कुछ उपबन्धों की कड़ी आलोचना की गई थी किन्तु मैंने यह स्वष्ट करने का मरसक प्रयत्न किया कि ये उपबन्ध कोई नए या असाधारण नहीं है और इस प्रकार के उपबन्ध कुछ अन्य देशों में कानूनों में भी पए जाते हैं। इसी वकार के उपबन्ध भारतीय कानूनों में भी है और हम तो केवल इन उपबन्धों को सखत बना रहे हैं ताकि आतक्यादियों वर काबू पाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सक्कें। महोदय मैंने सबन को यह आश्वासन भी दिया था कि हम केवल अधिनयम या नियम बना कर ही संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि राज्यों को विस्तृत अनुदेश भी जारी करेंगे कि अधिनियम का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाना है। हजने यह अनुदेश पितम्बर, 1987 को जारी किए इन उपबन्धों का संविध्य विवरण बनाने तथा इनके महत्व और उद्देश्य को स्वष्ट इरने के बाद में इन अनुदेशों मैं केवल दो पैराबों का उद्यत्य करना चाहूंगा।

"इस अधिनियम के उपबन्ध, अन्तंकवादी और विध्वेमक कियाकलाय (निवारण) अधिनियम, 1985 तथा आतंकवादी और विध्वेसक कियाकलाय (निवारण) अध्यादेश 1987 को ही मान्ति आतंकवादियों के उत्यात से नियटने के लिए कानून प्रवृत्त करने वासे अधिकारियों को अयायक शक्तियां प्रदान करते हैं। जबकि आंतकवाद पर काबू पाने के निए नए उपबन्धों का प्रयोग आवश्यक है किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन उपबन्धों का दुश्योग न होने पाए जिसके परिणाम स्वरूप निर्देश लोगों को परिशानी हो।"

"इन उपबन्धों का इस्तेमाल श्यायोजित राजनैतिक और मजदूर संघों की गतिविधियों से निपटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह बात एक बार फिर दोहराई खाती है कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए खिसके अन्तगंत किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस अधि-नियम के अन्तगंत कार्यवाही की जानी हो, के विरुद्ध उपलब्ध जानकारी भी कामी ऊंचे स्तर पर सावधान पूर्वक जांच की जानी चाहिए और उसका वस्तुगरक मूल्यांकन किया जाना चाहिए इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि इस अधि। नयम के अन्तगंत वर्ज मामलों की जांच की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जांबी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवस्था की जांबी चाहिए।"

श्री अध्यपू रेड्डो तथा कुछ अन्य सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में वर्ज मामलों की संस्था के बारे में तथा जिन मामलों में दोच सिद्ध हुवा है के बारे में जानना चाहा। मैं नहीं जानता कि जिस प्रकार से बान्झ प्रदेश में यह व्यविनियम लागू किया जा रहा है उसे देलते हुए श्री बय्यपू रेड्डो का अनुशोध सही है। मुझे हैरानी है कि बो राज्य यह व्यविनिधम चाहते हैं, इसका प्रयोग कर रहे प्रतीत होते हैं, इन्हीं राज्यों के प्रतिनिध इस अधिनियन की अवधि बढ़ाए जाने का बिरोब कर रहे हैं।

जातंकवाधी और विध्वंसक कियाकसाप (निवारण) संबोधन विधेयक बीर चण्डी । विक्षुव्य क्षेत्र (संबोधन) विधेयक

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल): पुलिस तो वही है। वह मारतीय पुलिस सेवा के लोग हैं। छनकी मार्नासकता और प्रवृ'त्त वहा है। इस बान से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि सत्ता छारी दक्ष कोनसा है। इस ओर या उस ओर हमारायही अनुभव रहा है।

श्री पी० चिदम्बरमः मैं तो यह कह रह' हूं कि आध्य प्रदेगसरकार ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। मैं अदाहण्ण दे सकता हूं। हरियाणा सरकार ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। पदिचम बंगाल सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है और इसका इस्तेमाल कर रही है।

श्री ई॰ अय्यपूरेड्डी प्रत्येक राज्य एकेन्सी अपने श्रापको अधिक शाकितयों से स्वैस करना चाहेगी।

श्री पी० चिदम्बरमः यह विश्वास करना अत्यन्त कठिन है आन्ध्र प्रदेश में सत्ताघारी दख इस अधिनियम को नहीं चाहना तो भी आन्ध्र प्रदेश सरकार इस अधिनियम को चाहतों है।

श्री ईं अय्यपूरेड्डी: यह मेरे सत्ताधारी दल का प्रतिनिधित्व करने का प्रध्न नहीं है। मैं यहां एक नागरिक के अधिकारों के बारे में बाल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम केवल सत्ताधारी दल कि विचारों और नीतियों के बारे में ही बोलते हैं।

श्री पी० चिदम्बरमः में इसकी प्रशंका करना हूं। किन्तु में यह करना खाइता हूं कि हम में से प्रश्येक किसी न किसी राजनैतिक दल से सर्वं घत है। राजनैतिक दल को ही नीति सम्बन्धी निर्णय लेना होता है। हम सदन में राजनैतिक दल की नीतियों का हं समर्थन करते हैं। संगद एक राजनैतिक निकाय है। यदि आग्छ प्रदेश में मत्तावारी दल का इस अधिनियम से कोई मगड़ा नहीं है, तो मुझे हैंगानी है कि सत्तावारी दल से सम्बद्ध माननीय सदस्य इस अधिनियम से कोई मगड़ा नहीं है, तो का विरोध क्यो कर रहे हैं। में केवल यही बात कह रह हूं यिव मेरी पार्टी इस आधिनियम में विद्याप नहीं रखनी तो इस पार्टी की सरकार यह अधिनियम नहीं ला सकती। यदि राज्य में मेरी पार्टी इस अधिनियम में विद्याप नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए नामित अदालतो के ही लें। आग्छ प्रदेश में सर्वाधिक अर्थान् 46 नामित अदालतों है। पुंलम द्वारा 840 मामल दर्ज किए गए, 268 मामलों में चासान किए गए, 191 का मुक्ट्स इस रहा है अदालतो द्वारा 19 व्यक्तियों को सजा हुई है और 216 व्यक्ति वरी किए गए है।

श्री ई० अय्यपूरेड्डी मंत्री महोदय को इससे यह पता लगाना चाहिए कि स्या आन्ध्र प्रदेश में कोई आतंकत दी और विष्टतसक किया कलाव है। आपको जानकारी के अनुसार क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं कि अन्ध्र प्रदेश में कोई आतंकतःदी और विष्यंसक गतिविध्य हो रही है ?

श्री पी० चिदम्बरम: इव अधिनियम के अन्तर्गत 19 लोगों को सजा हुई है। मैं यह कैसे कह सकता हूं कि वहां पर कोई आतंकवादी और विष्यसक कियाकलाप नहीं हो रहा है ?

श्री ई॰ अय्यपू रेड्डी: यह सब घारा 5 के कारण है और इसका आतंकवादी और विष्यसङ क्रियाकसापों से कुछ लेना देवा नहीं है।

की पीं० चियम्बरम् : बान्ध्र प्रदेश में सत्ताधारी दल में मतभेद है।

क्षातंकवादी और विष्कंसक क्रियाकलाय (निवारण) संशोधन विवेयक और चण्डीगढ़ विक्षुट्य होत्र (संशोधन) विवेयक

बह बांक हें चाहते हैं। में केवन प्रमुख राज्यों के बांक हे ही पढ़कर सुनाळ या। गुजरात, जिसके बारे में बानोचना हुई हैं बहुं 18 नामिन बदासते हैं। पुलिस ने 693 मामले दर्ज किए हैं. 412 मामलों में बानान किया गया है, 297 मामलों में मुक्दमा चल रहा है और 15 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। हिंग्याणा में चार नामित न्यायालय है। पुलिस ने 127 मामले दर्ज किए हैं, 96 मामलों में चालान किया गया है, 76 मामलों में मुकदमा चल रहा है, और 14 व्यक्तियों को दोषी बाया गया है। पंजाब में चार नामित न्यायालय हैं—प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक —पुलिस ने 6,659 मामले दर्ज किये हैं, 2,443 का चालान हुआ है। 1,930 पर मुकदमा चल रहा है और इक्तालस व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। यह अल्योचना की नई थी कि गुजरात इस अधिनयम का दुरुग्योग कर रहा है। वर्ष, 1987 में मुझे इस मामले की सभीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने भी यह महसूस किया है कि गुजरात ने इस अधिनयम को लागू करने में कुछ खिक उत्साह दर्शाया है। में बहुमबाबाद गया। हमारी गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके अधिकादियों के साथ लम्बी बातचीत हुई थी। इस चर्चा के बाद गुजरात ने 84 मामलों की सभीक्षा को और 59 मामलों को छोड़ने पर सहमती जताई जिनमें 593 व्यक्ति शामिल थे। मेरे विचार में, — मैं गलत भी हो सकता हूं — वर्ष 1987 में इस समोक्षा के बाद इस बात की कोई आलोचना नहीं हुई है कि गुजरात सरकार इस अधिनयम के प्राव्यानों का दुव्ययोग कर रही है।

यह ठीक है कि बवील केवल उच्चतम न्यायालय में ही की वा सकती है। घारा 19 में ऐसा प्रावधान रवा गया है। यह मी ठीक है कि पुलिस अधिकारियों के सामने कुछ पिन्धितियों में अपराध क्वोकार करना प्राष्ट्र है। घारा 15 में ऐसा प्रावधान है। यह मी ठीक है कि कुछ पिन्धितियों में सह-पिन्धित्यों का होगा। घारा 21, की उपधारा (1), खण्ड (ग) में ऐसा प्रावधान है। किन्तु इन प्रावधानों को में दो वर्ष पूर्व ही स्पष्ट कर चुका हूं। इस विधव पर हमने काफी वहस की थी। मैंने कानून की अन्य व्यवस्थाओं का भी हवाला दिया था, मैंने साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधान भी दिलाये थे और मुझे यह स्पष्ट करते हुए बहुत दुख हुआ था कि कठोर लगने वाखें ये प्रावधान नए या असाधारण नहीं हैं बल्कि ये आतंकवाद के विघट हगरी कड़ाई के लिए अति आवश्यक हैं। महोदय, मैं जो कुछ कह चुका हूं वह काफी है। ये प्रावधान है। यह किसी प्रावधान के दुक्पयोग का कोई विघोष मामला है तो हम इसकी जांच करेंगे। हमने व्यापक अनुदेश दिए हैं और हमारे अनुदेशों का उद्देश्य यह सुनिहिक्त करना है कि अधिनियम का दुक्पयोग न किया आए "" (व्यवधान)

भी के॰ रामचन्त्र रेडडी (हिन्दुपुर): महोदय, जब पिछली बार मंत्री जी ने विशेषक पेश किया था तब उन्होंने यह आद्वासन दिया था कि इस विधेयक के प्रावधान केवल दो बर्च के लिए लागू होंगे। अब फिर से उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि इसे अपले दो वर्षों तक लागू किया जाना चाहिए। जब उन्होंने वायदा किया था तो वह अपने उस वायदे से क्यों मुकर रहे हैं?

भी पी॰ विवस्तरन : महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरा भावण पढ़ा होता। यह ठीक है कि हमने यह कहा था कि हमें उम्मीद है कि इस विवेयक की व्यवधि दो वर्ष से वाधिक

बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी और हम दो वर्ष में आतंकवार पर नियंत्रक रखने में समयं होंगे। यह एक उम्मीद की और मैं अब भी यही उम्मीद करता हूं कि इस विषेशक की दीवंकान तक कारी रखने की अवक्यकता नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए, विशेषकर पत्राव के लिए बनाई गयी राख्टीय सरका बिधनियम की बारा 14क को ही लीजिए। 8 जून को इसकी अविध समाप्त होने से पूर्व ही हमने सदन में कह दिया वा कि घारा 14 इ को जारी रखने का हमारा विवार महीं है। जहा-हरण के लिए, सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम को देखें । यह पूरे पंजाब पर खागु हाता है। किन्तु हमने स्वेच्या से यह कहा कि अब यह केवल पंजाब के तीन जिलो पर ही लागू होगा; यह भी जिलों पर लागू नहीं होगा । उदाहरण के लिए, विदेशी अधिनियम को ले जिसके अस्तर्गत विदेशियों पर प्रतिबंध लगाया गया था । हमने प्रतिबंध लगाया था । किन्तु आज मुक्ते विश्वास है कि हम सबन के समक्ष यह कह सकते हैं कि विदेशियों पर लगाये गए सभी प्रतिबन्ध हटा लिए गए है। हमे लगातार स्थिति की समीक्षा करनी पहती है। यदि हुम यह महसूस करें कि ये कानून आवश्यक नहीं हैं तो निश्चित रूप से हम इन कानुनों को वापिस ले लेंगे । हम कई कानुन, प्रतिबन्ध वापिस ले चुके है जो केवल पंचाब पर लाग होते थे। आतंककवादी और विष्वसक क्रियाकलाप अधिनियम ऐसा अधिनियम नहीं है को केवल पजाब पर मागु होता है बल्कि यह अधिनियम सारे देश पर लागू होता है। राज्यों ने हमें बताया है कि उप्रवाद। हिसा को रोकने के लिए उन्हें यह प्रभावी उपहरण लगा है। किसी राज्य ने हमे यह वहीं कहा है कि बातकवादी और विष्वंसक कियाकलान अधिनियम बावक्यक नहीं है किसी राज्य ने इसे यह नहीं कहा है कि आतंकवादी और विष्वसक क्रियाकलाप अधिनियम समाप्त किया जाना चाहिए। इसके विपात, जो बांकड़े मैंने पढ़े हैं, यह दर्शाते हैं कि यदि बातंकवादी और विव्वंसक क्रियाकसाप अधिनियम का उचित प्रयाग किया जाए तो यह राज्यों के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण सिक द्वोगा । इसलिए जब राज्य स्नातंकवादी और विष्वंसक ऋषाकनाप अधिनियम का स्वागत करते हैं तो ससद में हमारे बिए यह कहना ठी क नहीं होगा कि चाहे राज्य बातंकवादी और विध्वसक क्रियाकलाप अधिनियम का स्वागत करते रहें किन्तु हुम इसे वापिस ले रहे हैं। इसलिए, अब हम उस स्यिति में पहुंच जाएं बहां अधिक से अधिक राज्यों को यह विश्वास हो जाए कि वे आतकवादी और विव्यंत्रक क्रियाकलाप अधिनियम के बिना उपवादी हिंसा या बातंकवाद पर नियंत्रण रख सकते है तो हम निश्चित रूप से आलंकवादी और विश्वंसक ऋियाकलाप अधिनियम की वापिस ले लेंगे जब हमें यह विश्वास ही जाए कि पंजाब में हुन सामान्य कातूनों से बातकवाद या बातकबाद की क्षेत्र बची छाया को नियतित कर सकते है ता हम निश्चित रूप से उन विशेष प्रावधानों को वापिस से लेंगे जो केवल बंधान्त घोषिक किए गर्सेत्र पर सागूहो सकते हैं।…(ब्यावधान)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी । पंजाब में इस अधिनियम की सफलता की वर्तमान स्थिति क्या है। आपने दो वथ तक इसका प्रयोग किया है। क्या आप आतंक्डवाद को नियंत्रित करने में समर्थ हुए हैं?

श्री यी॰ चिदम्बरम: मैंने अभी आपको बताया है कि पंत्राव में 41 व्यक्ति दोषी पाए नय् हैं। यदि आप यह जानते हों कि पंजाव में आपराधिक न्याय व्यवस्था किस प्रकार काम करती है तो भेरे विचार में 41 व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपसे केवल वहाँ की स्थिति को देखने के लिए ही कह सकता हूं। मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सप्ताह में खबमग 25 या 30 बत्यधिक गमीर व्यातकवादियों के मामलों की जीन करता हूं गह हृदय विदानक अनुमव है। किसीन किसी कारण से मुकटमे मे देरी की जाती है। मैं इसके कारणों का उल्लेख करनान्दी चाहता हुंक्योकि इससे इन कार्यों में सगे लोगों को किठनाई का सामना करना पड़ेगा। आज पंजाब में मुकद्वा चनाना और अपपराध सिद्ध फरना अत्याधिक कठिन समस्या है। हाल ही मे यहाँ जायर= संबद्ध का एक प्रतिनिधि मण्डन आया था। मैं अयग्लैण्ड के सांसदों से बात कर रहा था। हम बात ≢वन्द को रोकने के बारे में अपने अनुभवों की बात कर रहे थे। उनके यहाँ भी अन्त कबाद की समस्या है। उन्होंने कहा कि अध्यरलैण्ड में हर भामने पर मुक्ट्मा चलाया गया और दोवसिद्धि पायो गयी । आयरलैंण्ड में ऐसा कानून है। आयरलेण्ड के मांसदों ने ये तब्य दिए। यदि पुलिस अविक्षक न्यायालय जाता है और यह गाही देता है कि उसे यह सूचना मिली है कि फला-फलांब्य क्ति क्वातकवादी है, फलां-फलां व्यक्तिका आर्तकवादी गिरोह से सबंघ है तो उस अधिनियम के अधीन मानले पर मुक्क हमा चलाया जाएगाओं गइसके लिए वहीं कड़े पि बम्र हैं तथा आरायरलैंग्ड मे वे इन अपराधों के लिए पुलिस अधीक्षक के मौखिक बणन वर ही मुकद्मा चल ते हैं। तमारे यहाँ ऐसे प्राव-भान नहीं है। इ≁िलए, न्या'यक प्रकिया के तहत आतंकवाद पर नियंत्रण रखना बहुत हो कठिन कार्य है। किन्तु हम इस सिझांत पर प्रतिबद्ध है कि पकड़े गए प्रत्येक आतंकवादी पर मुकद्या चलाया जाएगा। 41 व्यक्तियं को रुजा हुई है। बास्तव में अपको पंजाब मे प्रशासन की, अधिक से आधक लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के मीतर लाने और न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दावसिद्धि के लिए बघाई देनी मिं अपिको बता हुं कि यदि आतंकवादियों को सजा विनाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाएं उपलब्ध वहीं है तो पजाब या देश में अन्य कही भी केवल न्याय-भिन्न तरीकों का ही प्रयाग हागा। यह किसी भी राज्य में हो सकता है। एक समय ऐसा बंगाल में हुआ। कुछ सीमा तक यह कुछ अन्य राज्यों में भी हा रहा है। इसलिए, हमें न्यायिक प्रक्रिया में विश्वःस होना चाहिए और आयक से अधिक अपराधो का निपटान न्यायिक प्रक्रिया द्वारा करान का प्रयत्न करना चाहिए । इस अधिनियम को पास किए जाने के पश्चात 41 व्यक्तियों का दोष-सिद्ध हुआ है और मेरे विचार से जिन कठिन परिस्थितियों में स्थायालय पंजाब में काम कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। महादय, मैं प्रधान मत्री द्वारा इत उपायों की घोषणा करते समय किए गए एक वायदे की अपेर सदन का घ्यान आकि दित करके बपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि हम विस्तृत अनुदेश जारी करेंगे कि टो० ए० डी० ए० का बहुत कम इस्तेमाल हो । इस प्रकार के विस्तृत दिशा निर्देश दिए जारहे है। वे शोध्र ही जारी कर दिए जाएगे। मैं इन मार्ग 'नरेक्षों के केवल एक या दो यह पुत्रों के बारे में बताना चाहता हुं। अब हम पत्राव म पुलिस को यह हिदायत दे यहे हैं कि आरम्भ में कोई भी मायला टो०ए० डो०ए० के अन्तर्गत दर्जनहीं किया जाएगा। प्रथम सुचना रिपोर्टण्हले, भारताय दण्ड सहिता अहित अभ्य साबारण कानूनों के अन्तर्गत दंजंकी जाएगी। यदि मामले के तक्ष्यों से टी० ए० की० ए० की जरूरत पड़ती है, तो जांच अधिकारी द्वारा, सर्वाघत पुलिस अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों के लिए एक ब्रस्ताव तैयार किया जाएमा और एस०एस•पी• की निखित अनुमति के पश्चात ही टी०ए०डी०ए० उपबन्ध एफ अई अंदि भार में को हेजा सकते हैं। हम यह स्यवस्था भी कर रह है कि रेंज के उप-महानिदेशक का यह विशेष दायिश्व होगा कि वह टी ०ए० हो ०ए० के अन्तर्गत मामलों की तीन माह में एक बार समीक्षा करेगा जीर यदि वह इस बात से समुद्ध है कि मामले की जांच टी.ए.डी.ए.

आतंकवादी और विष्यंसक क्रियाकलाप (निवारण) संसोधन विषयक श्रीर चण्डीगढ़ विस्तृत्व क्षेत्र (संशोदन) विषयक

के अन्तर्गत नहीं होनी चाहिए या इस मामले को टी.ए.डी.ए. के अन्तर्गत आरी रखने का कोई आधार नहीं है तो बह यह निदेश देगा कि टी.ए.डी.ए. के उपबन्ध हटा दिए जाएं और मामले की जांच साधा-रण कानूनों के अन्तर्गत की जाए। हम इस बन्त की अयवस्था मी कर रहे हैं कि यदि जिला मिजिस्ट्रेट को शिकायत भिलती है तो वह भी यह मामला गृह संचित्र को भेज सकता है। हम राज्य स्तर पर भी टी०००डी०ए० के अन्तर्गत दक्षं मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए अयवस्था कर रहे हैं। महोदय, मूझे आजा है कि मामलों को दर्ज करने की प्रांक्ष्या में इस परिवर्तन से पंजाब में टी. ए. डी. ए. डी. ए. डि. ए. डी. ए. वंजाब में आतं-कथाई जो योही सी शिकायतें हैं वह भी दूर हो जाएंगी और टी. ए. डी. ए. पंजाब में आतं-कथाई. जिसने अभी तक इसे जकड रखा है, को काब में साने का एक प्रभावो हथियार बन जाएगा। जब एक पंगब में आतंकव द है, जब तक देश के कुछ मागों में उग्रवादी हिंमा है, मुफे खेद है, तब तक हमें कुछ समय तक और इस अधिनयम को बनाए रखना होगा। इन्ही शब्दों के साथ में माननीय सदस्थों से यह विधेयक प्राप्त करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, जहां तक चण्डीगढ़ विक्षुक्य क्षेत्र संशोधन विषेधक का संबंध है, यह एक बत्यन्त साधा-रण संगोधन है जिसमें यह उपविश्वत है कि अर्थ-सैनिक बलों के विरुद्ध कानूनों कार्यवाही की मंजूरी लेकर की जानों चाहिए। अधिनियम में प्रशासक की मजूरों की व्यवस्था है। हमारे विचार से मंजूरी की शिवत केन्द्रीय सरकार की होनी चाहिए। इससे चविशाग़ विक्षुक्य क्षेत्र अधिनियम तथा सशस्त्र बल (पजाद और चवडीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम समकक्ष हां जाएगे जहां मंजूरी भी शक्ति केन्द्रीय सरकार को दो गई है। हमारे विचार से यह शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास होनी चाहिए न कि प्रशासक को यह कानून कमोबेश रूप से एक दूसरे के समान होने चाहिए। इसलिए, मैं माननीय सदस्तों से अनुरोध करता हूं कि वह इस छोटे से सशोधन को मा पारित करें जो हम चवडीगढ़ विश्वुब्ध क्षेत्र (संशोधन) 'ववंयक माध्यम से ला रहे हैं। इसलिए इन्ही शब्दों के साथ मैं दोनों विधे-यको की सिफारिश करता हूं।

उपाघ्यक्ष महोदय : प्रवन यह है;

''िक आतंकवादी और विव्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोक्षन करने वाले विषेयक पर विचार किया आए''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1. पुष्क 1, पश्चित 7-

'**बार वर्ष,"** के स्थान पर

"दो वर्ष और 6 महीने" प्रति स्थापित किमे जार्ये।

उपाध्यक्ष महोदय । सैयद शाहबुद्दीन-उपस्थित नहीं हैं।

श्री ई० अव्यप् रेड्डी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी वास्तविक आंकड़े दिए हैं। यह अधिनियम, दो वर्ष पूर्व पारित किया गया था। इसकी अवधि 24 मई, 1989 को समाप्त होनी दो। कस मैंने जब इस विषेयक पर बहुस जारम्म की तब मेरे पास आवश्यक जानकारी नहीं थी। वास्तद में उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी यह जानकारी नहीं थी। किन्तु मोटे तौर पर आम भारणा यही थी कि इस अधिनियम का दुरुषयोग किया जा रहा है बिल सावाण्ण मामलों के निपटने के लिए भी इसका अनुचित प्रयोग किया जा रहा है। कल मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं थे। यह बात गुजरात से आने वाले मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च श्यायालय के निषय से उजागर होती है, जिसमें विदान न्यायालय के समझ है कि केश्ल इसलिए कि यह मामला टो०ए०डी०ए० के अन्त्रांत इजं है और नामित न्यायालय के समझ है, इसलिए टी०ए०डी०ए० के कड़ उपवन्ध लागू नहीं करने चाहिए और जमानत से इन्कार नहीं करना चाहिए, किन्तु उन्हें यह देखना चाहिए कि टी०ए०डी०ए० अधिनयम के उपदन्तों की अरूरत है भी या नहीं तत्पश्चात मामला वापस मिजवा दिया जाये। सौमायवक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात बहुत से साधारण नागरिकों, जिन पर आयुष्ट अधिनियम के साधारण उपवन्धों के अन्तर्गत मुकद्दमा बलाया जाना था, को जमानत मिल नई। खन्यवा दूसरे राज्यों में अधिकाश लोग बेलों में सड़ते रहते।

महोदय, दिए गए अक्क हों से पता चलता है कि आन्छ प्रदेश में सर्वाधिक अर्थात 49 नामित खदालतें हैं जबकि पंजाब में चार ऐसे न्यायालय हैं। माननीय मंत्री जी की यह दलील है कि मैरी राज्य सरकार ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम का स्वागत कर रही है तो मैं इस अधिवियम की अविधि बढ़ाए जाने पर आपिल क्यों करूं। सविधान के अलावा प्रत्येक राज्य सरकार खोर मुकह्मा चलाने वाली प्रत्येक एजेन्सी अधिकाधिक शक्तियों से सैस होने का स्वागत ही करेगी।

इसीलिए, हमारे संविधान निर्मानाओं ने मागा। में कुछ मौलिक विधिकार बनाएं हैं। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रत्येक राज्य सरकार की प्रवृत्ति नागिकों के इन मौलिक विधिकारों को कुचलन की है। जब कमी भी आप किसी राज्य सरकार का इन शक्तियों से भैस करते हैं तो वह निश्चत रूप से इसका प्रधोग करेंगा। वौर यही कारण है बिसकी वजह से वे राज्य सरकार मी, जिनके यहां कोई बातकवादी या विध्वसक कियाकलाप नहीं हैं, इस अधिनियम का उपयोग कर रही है। मानकीय मश्त्री महोदय कृपया इस विधेयक की घारा 3,4 और 6 में उपबन्धों को देखें। घारा 3,4 और 6 बातंकवादी और विध्वंसक क्रिया कलापों स सीधं सर्वंधित हैं किन्तु हुर्माग्यवश घारा 5 बातंकवाद कोर विध्वंसक किया कलापों से सर्वधित नहीं है। अधिसूचित क्षेत्र में निसिद्ध हथियाच रखना ही, बातकवादी तथा विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम के अधीन अपराध होगा। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा अन्य राज्यों ने भी घारा-5 का सहारा लिया है। घारा 5 लायू होने पर, दंगा, गम्भीर चोट, हन्या का प्रयास, हत्या, गैर-कानूनी तौर पर एकत्र होना और आग्नेय शक्तों का इस्तेमाल जैस साधारण अपराध भी आतंकवादी तथा विध्वसकारी क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम के बन्तगंत आ जाते है। पुलिस अधिकारी घारा 5 को लागू करके ऐसे मामलों को उन्त बिधानयम के अधीव दवं करते हैं जिनमें गड़बड़ी फैनाना या आतंकवादी चटनाएं होना जिनवामं नहीं

हैं। वे केवल यही कह वेते हैं कि इस मामले में घारा 5 के साथ पठित अन्य घाराएं लागू होती हैं। इसमें केवल यही कहा गया है कि अधिसु वित क्षेत्र में हथियार रखना घारा 5 के अधीन अपराध वन जाना है। परिणामत इन विशेष न्याया मयों में ऐसे अनेक मामले दर्ज कर अभियोग चलाया जा रहा है। इसमे स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का कैसे दुरुपयोग हुआ है। पुलिस अधिकारी स्वय कहते हैं कि चारा 5 उपलब्ध है हालांकि इसका विष्वंसकारी क्रियाकलायों से कीई सरोकार नहीं है। प्रस्तावना में कहा गया है कि आतंकवादी तथा विष्वंसकारी क्रियाकलायों के खतरे का सामना करने के लिए यह एक विशेष उपवन्ध है। घारा 5 में इसका जिक्र नहीं है। निसन्देह, घारा 5 को घारा 3,4 और 6 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसकी समग्र दृष्टि से तद्क्प निवंचन किया जाना चाहिए। वास्तव में न्यायाधीश कहेंगे कि इस मामले का आतंकवादी अथवा विष्वंसकारी क्रियाकलायों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए घारा 5 लागू नहीं होती। इस अधार पर कुछ न्यायाधीश अभियुक्तों को कमानत पर खोड़ देते हैं यह स्थित है।

यदि आप ये शिक्तियां पुलिस अधिकारियों को देंगे, चाहे के किसी भी राज्य में हों वे उन सिक्यों का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन्हें अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और इण्ड प्रक्रिया सिहना में उपबंधित तीन माह की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर न करने के भारी अधिकार मिल जाएंगे जिससे वह व्यक्ति अपनी जमानत नहीं करा पाएंगे। एदि एक बार ये विशेष व्यायालय किनी अभियुक्त की जमानत नामंजुर कर देते हैं तो अमागे अभियुक्त के लिए केवल सर्वोच्च व्यायालय का दरवाजा ही खटकटाना पड़ेगा। वह वच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं करा सकता। यह बस्तु स्थिति है। मेरे तकों स यह 'सद्ध होता है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग ही अधिक होगा।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, यह प्रमावकारी नहीं रहा है। निसन्देह, हो सकता है कि कुछ कि कि नाइयों हो, जैसा कि माननीय, मत्री जो ने बताया है। परन्तु बढ़ां, यह अधिनयम आतंकवादी कि जिल्ला के रोकने में सक्ष्म नहीं का है। आतंकवादी ऐसे अधिनयम की परवाह नहीं करते। आतंकवादियों को विशेष न्यायालय में अभियोग चलाये जाने पर मी भय नहीं है जहां तक पजाब का सम्बन्ध है, इसका लाम मामूली ही रहा है। बहरहाल, जैसा कि माननीय मत्री जी ने कहा है कि प्रधान मंत्रा जी ने निदेश दिया है कि इस अधिनियम को बहुत कम स्थितियों में ही लागू किया जाए कोर यदि यही मंत्रा और मात्रना है तो, मेरे सशोधन को स्वीकार किया जाए क्योंकि इसकी अविध केवल 6 महीने हो बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, में श्री अय्यपू रेही के संशोधन पर उनके निवेदन में निहित भावना का स्वीकार करता हूं तथा मैं दो काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि वे उनके संतुष्ट हो जाएगे। मवंप्रथम, मैं राज्य सरकारों मे उन क्षत्रों के बारे मे जानकारी मंगाने के लिए तैयार हूं जो घारा 5 के प्रयोजनार्थ अध्मित्ति किए गए हैं। यदि हम देखेंगे कि उन्होंने राज्य में ऐसे आनेकानेक क्षेत्रों को अविश्ववित कर दिया है जहां आउ श्वादी या विष्य सकारों गतिविषयों नहीं हैं, तो मैं राज्य सरकार को सलाह दूंगा कि वे उन अधिस्वनाओं को वापस ले खें। मैं प्रजाव के विषय में भी ऐसा करू गा। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि घारा 2 (1) (व) के साथ पठित घारा 5 के अधीन अधिस्वित खेत्र को परिमाषा निम्नवत् है:

आतंकवादी और विश्वंसक कियाकलाप (निवारण) सँगोधन विवेयक और चण्डोगढ़ विसुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विषेयक

> "अविसूचित क्षेत्र से अमिम्रेत वे क्षत्र हैं जो राज्य सरकार द्वारा सरकाी राजपत्र में अविसूचना द्वारा विकिदिष्ट किए जाएं।"

शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं । परन्तु मैं जानकारी भागना के लिए तैयार हूं। मैं राज्यबार क्योरा की जांच के लिए तैयार हूं। यदि मैं देखू गा कि किसी र'ज्य ने पूरे राज्य को ही अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर विया है तो मैं निश्चित तौर पर इस मामित को राज्य सरकार के साथ नठ कंगा क्यों कि इसे केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रखा जाना चाहिए जो वास्तव में आतंकवाद से प्रमावित है।

दूमरा काम मैं यह करने को तैयार हूं कि पंजाब के लिए जो भी नए बनुदेश जारी किए जाने वाले हैं उनमे यह स्पष्ट किया जाएगा कि शुरू में कोई भी स्थानला ब्यातकवादी तथा विष्वसकारी क्रियाकमाप (निवारक) अधिनियम के अधीन दवं नहीं किया जाना चाहिए तथा ऐसे मामले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमनि से ही दर्ज होने चाहिए तथा उप महानिदेशक द्वारा उनकी पुनशिक्षा की जानी चाहिए। मैं ये बनुदेश सभी राज्य सरकारों को भेजने के लिए तैयार हूं और उनसे अनुशोध करता हूं कि वे इन अनुदेशों को अपने राज्यों में लागू करें।

मेरे विवार में श्री अध्यपूरेही के मन में घारा 5 के बारे में जो मय है वह इस दो बातों से दूर हो जाएगा। मैं अध्या करता हूं कि अब वह अपने सदाधनों के लिए आग्रह नहीं नरेंगे।

मैं संबोधन का विरोध करता हूं।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : दिए गए आश्वातन के देखते हुए, मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा श्री ६० अध्यपूरेही द्वारा रखेगए संघोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

माननीय सदस्य : जी, हां ।

संज्ञोधन संख्या ।, सभा की अनुमित से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :---

"कि खण्ड 2, विषेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्त यह है;

"कि खण्डा, अधिनियम सुत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अर्क बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ हिए गए।

भी पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं;

मातंकवादी स्रोर विश्वसंक क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विश्वेयक स्रोर वण्डीयद विस्कृष्य क्षेत्र संशोधन विश्वेयक

"कि विषेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवन यह है :

"कि चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विश्रेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : बब सभा विश्वेयक पर सण्ड-वार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सण्ड 2 विधेयक का स्रंग करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, विषेयक में जोड़ विया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"क सण्ड 1. अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग वर्ने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विषेयक का पूरा नाम विषेयक में जोड़ विए गए ।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विध्यक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विषेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.32 म.प.

तत्पश्चात् लोक समा मध्याह्न मोजन के लिए 2.35 म प. तक के लिए स्थागित हुई।

2.38 म.प.

मध्याङ्क मोजन के पश्चास् लोक समा 2.38 म.प. पर पुनः समवेत हुई। [उपाध्यक्ष महोदय पौठसीन हुए]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें सामान्य 1986-87

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1986-87 के लिए अतिरिक्त अनुवानों की मौगों (सामान्य) से सम्बन्धित मद संस्था 21 पर चर्चा और मतदान करेंगे।

पस्ताव पस्तुत हुवा :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्निखित मौगों के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित छनुवानों से अतिरिक्त राशि की कभी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में विखाई गई रासियों से अनिधिक संबंधित अतिरिक्त राशियों मारत की संचिन निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संस्था 11, 18, 19, 20, 21, 22, 54, 56, 56क, 74, 83, 93 बीर 97"

लोक समा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)।

		सदन को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
भौग मौग5ानाम संस्था		
1	2	3
		रुपए/
 राजस्व खाते से पूरा किया गया व्यय 		
18 रक्ता पेंशनें		1,35,94,989
19 रक्षा सेवाए-चल सेना		100,35,85,223
20 रक्षा सेवाए-नो सेना		37,74,07,521
21 रक्षा सेवाए-वायु सेवा		44,69,04,894
54 अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह		10,33,13,925
56 लक्षद्वीय		6,26,116
93 लोक निर्माण कार्य		10,92,69,099
97 जल संसाधन मत्रासय		45,60,517
II पूंजी लाते से पूरा किया गया व्यय		
11 विदेश व्यापार और निर्मात उत्पाद	ल	19,43,16,551
22 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		14,66,51,282
56-क चंडोगढ़		2,80,186
74 पर्यटन विभाग		2,15,984
83 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंघा	च विश्वाय	2,10,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : बब श्री रामचन्द्र रेड्डी अपना माचल शुक्र करेंहे ।

भी के रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1986-87 के लिए 260 करोड़ क्पए का अनुवान दिया है जिसमें में करोब 195 करोड़ क्पए रक्षा के लिए हैं। यह कहा गया है कि सरकार रक्षा ब्यय को कम करने का प्रयास कर रही है। वर्ष 1986-87 के लिए दे राबक्व लेखे पर 195 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। राजक्व लेखे पर हम अकरत से ज्यादा चन खर्च कर रहे हैं। इसकी कड़ी आलोचना हुई है कि रक्षा ब्यय की जानकारी ससव को नहीं दी जा रही है। संसद को वास्तविक ब्यय की जानकारी नहीं है। वर्ष 1986-87 के लिए, रक्षा के खिए 195 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमें इसकी अकरत की पूरी जानकारी नहीं है।

एक मद है रखा पेंशन। में नहीं समझता कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी अपेक्षा वहीं की चा सकती। मैं नहीं जानता कि ऐसा मामला क्यों सामने रखा जाना चाहिए।

मद संख्या 19, 20, 21 रक्षा खेवायें — धन्न-धेना, रक्षा सेवाएं — कोछेना, कीर रक्षा सेवाएं — बायु सेना से संबंद हैं। हमें इसकी आनकारी नहीं है कि इतनी अधिक घनराधि क्यों मांगी जा रही है। सका को इस बारे में पूर्णत: अन्यकार में रक्षा गया है।

जहां तक हमारी रक्षा तैयारियों का संबंध है, देश में चारों तरक तनाव है हम पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाले अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव को कम नहीं कर पाए हैं हम गंभीरता के इसके लिए प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि पाकिस्तान से आतककादी और तस्कर नियमित रूप से हमारे देश में घुस रहे हैं। तथा पाकिस्तान के नियासी दिना पासपोट हमारे देश में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत अधिक घुनपैठ हो रही है। इस आतंकवादियों, तस्करों तथा इन अना-धिकृत लोगों को इस देश में घुसने से रोकने के लिए कई कदम उठाए जाने के सुझाव दिये गये थे। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समा इस बात पर उत्तंत्रना अपन्त करती रही है कि पाकिस्तान के साथ सगने वाली हमारी सीमा को सीस कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस बारे में विचार वयों नहीं कर रही है और अब भी उन्होंने 182 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग रखी है।

सीन सीमा पर भी बहुत तनाव है। नेपास ही एकमात्र हिन्दू देश है। अन्य ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ हिन्दू धर्म को माना जाता है। इस देश के साथ भी इमारी लड़ाई चल रही है। हमारे खापसी कुछ मतमेद हैं। कुछ मतमेद तो वास्तविक हो सकते हैं और इनमें से कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहे गए भी हो सकते हैं। किन्तु फिर भी इस देश के साथ हमारी अनवन हो गई है। हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। इसका अनवन का नेपाल पर इतना अधिक असर पड़ा है कि उन्होंने चीन के साथ मित्रधा करने तक का प्रयास किया है। यदि चीन और नेपाल मित्र बन जाते हैं, तो जहां तक इस पहलू का सबंध है, हमारे देश के खिए और एक और खतरा हो जाएगा। यह मामला ऐसा है जो खापस में बातचीत करके सुलझाना होगा। हमें नेपाल को चीन के साथ सबंध थोड़न से बचाना होगा। यह हमारे देश के लिए बड़ा सतरनाक सिद्ध होगा।

इस बारे में काफी कुछ कहा गया है कि सरूणाचल प्रदेश के कुछ माग चीन के हैं। यब हमने अरूणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्बा दिया तो चीन में अरूणाचल प्रदेश को राज्य मानने छे ही इन्कार कर दिया। यह मामला काफी समय से लिन्बत पड़ा है। जहां तक इस पहलू या सम्बन्ध है, देश तथा इस सभा को भी अन्धकार में रला पया है। सरकार को सपनी विदेश नीति में इतने व्यवहार कीशत से काम सेना चाहिए कि चीन सोर पाकिस्तान दोवों पड़ोसियों के साथ तनाय कम हो सके।

बाद में पू जी ससे पर व्यय के बारे में क्हूंया। चढीगढ़ पर करीब 30-40 करोड़ इपए अच किए गए हैं। चढीगढ़ समस्या इस्त राज्यों में से एक हैं। लोगोबाल राजीव गांधी समझोते में चंडीगढ़ का दिया जाना एक बहुत ही महत्वपूण बात थी। चढीगढ़ पंजाब को दिया जाना था और चडीगढ़ के बदले कुछ क्षेत्र हरियाचा को दिए जाने थे। लेकिन यह सममीता सम्बत पड़ा है। इसके लिए कोई बयास नहीं किया गया है। दो आयोगों का गठन किया गया है किन्तु आज भी सरकार यह विणंय लेने में समयं नहीं है कि चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को कीन से क्षंत्र दिए जाएंगे। यदि आप प्रवाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ के सम्बिंधत इस विवाद का हम नहीं निकाल सकते तो आप यह बपेसा कैस कर पाएंगे कि आप प्रवाबियों के मन में कुछ हद तक यह विश्वास कैसे खमा पाएंगे कि यह सरकार राखीब लोगोवास समझौते को लागू करेगी।

सियाचिन क्लेखियर में स्थित बहुत गम्भीर और विस्फोटक है। हमें प्रेस से मिलने वाली चानकारी के असावा बोर किन्हीं तथ्यों की जानकारी नहीं है। मेरा रक्षा मंत्री के अनुरोध है कि वह इस सबा को विश्वास में लें तथा हुने बताए कि मामसा क्या है, इस समक्रीते को लम्बित क्यों रखा गया है बौर क्या इसके हमारी सुरक्षा को कोई गंभीर सतरा है।

बेरा बबला मुहा प्यटन विश्वाग के बारे में है। इस विभाग के लिए बहुत अस्प राशि खर्च की गई है। इस क्यामीर के मेरे कुछ मित्र यह शिकायत कर रहे ये कि प्याब की निरन्तर समस्या तथा प्याब समस्या के समाधान में सरकार की असफलता के काण्ण वहां प्यंटन पर प्रभाव पड़ा है। क्यामीर एक ऐसा राज्य है जिसकी अर्थन्य क्या का बाधार केवल वहां प्यटकों का बाममन है। पंयाब समस्या के कारण प्यंटक पंजाब तथा पंजाब से कदमीर जाने की स्थिति में नहीं है। वे भयभीत हैं। बब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, कसमीर में प्यंटन की स्थित और उससे उसे मिलने वासे धन पर प्रभाव पढ़ने की सभावना है।

सेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन मामलों पर विचार करे तथा इस दिशा में कुछ कहम उद्घाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारीलाल भ्यास (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड इन एक्सेस का समयेन करता हूं।

वैसा माननीय सबस्य बोल रहे थे, राजस्थान में भी टूरिज्य का बहुत बड़ा स्कोप है। राजस्थान की पुरानी बिवनी भी स्टेट हैं. बाद्दे नटवर सिंह जी का इलाका हो, बादे कोई दूसरा इलाका हो, उनमें टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है लेकिन टूरिज्म के लिए पैसा बिल्कुल नवारव है। साजस्थान स्टेट के बन्दर जोधपुर, जैसलमेर जयपुर, उदयपुर, बन्दी और कोटा के सारे एरियाज को बबलप करने की बहुत बड़ी वादाव में पैसा मिलेगा, फारेन एक्सचेंज मिलेगी और आपकी बामबनी बड़ेगी और टूरिज्म का स्कोप बहुत बड़ा हो जायेगा इसिमए बाप मेहरवानी करके उन ट्रिस्ट सैण्टसं को बवलप करने की कोशिस कीशिस, वहां पर अच्छे ट्रिस्ट सेण्टसं बनाइए, बहां पर ठहरने की बच्छी व्यवस्था कीजिए, सस्ते तरीके की कीजिए, और विदेशियों के सिए महगे तरीके की कीबिए लाकि जयादा से ज्यादा सोब हमारे यहां बा सकें। राजस्थान में टूरिज्म का स्कोप बहुत है; इसमें बाप बामबनी करना चाहे तो बाब को 2000 करोड़ इपये की बामबनी हो रही है उसकी बाब

10 000 करोड़ क्यये सानाना कर सकते हैं लेकिन इसका इवन विषेण्य हो नहीं हो है इसलिए इस क्यवस्था को माकूल बनाने की व्यववस्था की जिए ताकि हमारी स्टेट इवलप हा । जैसे कदमीर टूरिक्स पर इपेण्ड करता है वैस हो राजस्थान में भी इसकी जच्छी सम्मावनाएँ हैं। आप जानते हैं कि आपकी ससुराल में रेगिस्तान है और एक तिहाई पहाड़ी को है बोर बाकी एक तिहाई मैदानी को हे ऐसा है जिसमें बरसात नहीं होती है, वह भी डेजट जैसा है। नटकर सिंह जी के इलाके में घना पक्षी बिहार में पानी नहीं बरसन से उसकी स्थित भी खराव हूं। गई है इसीलए इन सारा व्यवस्थाओं को सुधारने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए और व्यादा से ज्यादा घन देना चाहिए। जैन कुवेर घन बाटता है उसके हम आपके बहुत खाभारी हैं। राजाव गांधी जो के बहुत खाभारी हैं और आपके भी बहुत खाभारी हैं कि आपन राजस्थान का जनता का बचा लिया। हमारे यहां चार-राच खार गांवो में बहुत खाभारी हैं कि आपन राजस्थान का जनता का बचा लिया। हमारे यहां चार-राच खार गांवो में बहुत बाकरी है। यदि खाप इस काम को निहचत वरोक से करेंग ता जनता खापका दुआ देग। और अप फलेंगे-फूबेंगे तथा आपका राज सजबूत बनगा और आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत मिलगा।

मैं एक दो बातें बपना कान्स्टीयू येसी के बारे में कहुना चाहता हूं। वित्त मन्त्री महोदय मेरे निर्याचन क्षत्र में माइका पेपर का कारलाना लुनना बहुत ही जरूरों है हिंदुस्तान में तीन जगह माइका मिलती है, एक बिहार में, दूसरे ब्रान्ध्र प्रदेश में और तीन रे मेरे मीलवाड़ा जिले में। बिहार बीर बान्ध्र प्रदेश में तो बापने माइका पेपर का कारलाना स्थापत कर दिया, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र म नहीं किया है। इस उद्याग में तीस करोड़ कि की लागत बाकी है बीर इस पेपर एक्सपोट से 50-60 करोड़ क्पये की सालान फॉरन एक्सचेंज मिलती है। इस साल यदि आप 30 करोड़ करोड़ क्पया लगा दें तो आपको 50-60 करोड़ कपए की फॉरन एक्सचेंज मिल जाएगी। यह कोई घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन इस तरफ बाप को तवज्जह नहीं जाती है आप देखते नहीं है। आपका कामसं हिपार्टमैंट नहीं देखता है बीर बाप के बन्य अधिकारी लोग भी नहीं देखते हैं। जो फायदे की चीज है, उसका कोई नहीं देखता है बीर बराबर घाटा चल रहा है।

इयके अलावा मैंने आपसे बराबर निवेदन किया है कि एक जिंक स्मेलटर प्लान्ट लगा दीजिए। आपने लगाया है, लेकिन वह इतनो दूर ले जाकर लगा बिया है। माननीय सदस्या यहाँ पर बैठी हुई हैं, वे नाराज हो आयेंगो, मेरा निवेदन है कि एक प्लान्ट सपूर्ति नहीं हागी, आपको एक प्लान्ट और लगावा पड़ेगा। मीलवाड़ा से कृष्णागढ़ तक बहुत बड़ी यह दो सो किलोमीटर की जिंक बैल्ट है। आपने एक सुरा बिक स्मैल्टर प्लान्ट बिलीड़गढ़ में लगा दिया है। प्रधान मन्त्रों जी जब दहां शिलान्यास करने के लिये आए ये, तो उस वहत मैंने कहा या कि माननीय प्रधान मन्त्रों जी जब दहां शिलान्यास करने के लिये आए ये, तो उस वहत मैंने कहा या कि माननीय प्रधान मन्त्रों एक सुरा जिंक स्मैल्टर से काम वहीं खलेगा, आपको एक और लगाना पड़ेगा। मीलवाड़ा में या रामपुर में लगाइए, जहां पर इसके मंडार है, वहां पर लगा दीजिए। इससे आपकी बस्ता और सीसे की आवश्यकता की पूर्ति होगी और हम फौरन एक बेंज प्राप्त कर सकेंगे एक सपोर्ट करके। इस इस प्रकार की व्यवस्थायें करना निवान्त खावश्यक है।

मानवीय वित्त मन्त्री महोदय, खापने एक रेस साइन डाली है, उसके लिए हम आपके बहुत बाबारी हैं। आपने कोटा, चित्तौड़गड़ और नीमछ तक की यह चाइन क्यों बनाई है, इसका सी बापको ज्यान होना चाहिए यह सारा सीमेंट का क्षेत्र है। इस सीमेंट क्षेत्र में आपको कन से कम पांच सीमेंट के बढ़े-बड़े प्लान्ट लगाने चाहिए। इस लाइन पर बापने 110 करोड़ चपए लवं किए हैं, उसका उपयोग तभी पूरा हो पाएना जब बाप सीमेंट प्लान्ट और लायेंगे। पांच सीमेंट प्लान्ट मील-वाड़ा, कोडा, विमक्ष और बूंदी बादि स्वानों पर बड़े-बड़े सीमेंट के प्लांट लगायें, चाहे ये प्वांट पब्लिक संक्टर में लगायें, ज्याइंट सैक्टर में लगायें या प्राइवेट सैक्टर में लगायें, इब जाकर बापको इस रेस साइन से कमाई होगी और हिन्दुस्तान की आवश्यकता पूरी होगी और सीमेंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस के तर के अन्वर बहुत बड़ी गुंजाइस है। इसके जरिए राजस्थान का सी डव-बपबेंट होगा और हम हिन्दुस्तान के लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकेंथे।

मश्चनीय विल मन्त्री ये दो-तीन चीजें बहुत साववयक हैं, जिनका मैंने जिक्न किया है। दूरिजम के सहस्व में जानकारी करें कि किस तरीके से राजस्थान को बढ़ावा वे सकते हैं। हमारे यहां पाइका पैपर कारखाना स्वापित करें। इसका आप पता सगायें कि क्यों देरी हो रही है किस वजह से देरी हो रही है, क्यों नहीं यह स्थापित हो रहा है, जिस वजह में हमारी सावव्यकता की मी पूर्ति हो और हम कौरन एक्सचेंज भी कमा सकें। इसी प्रकार जिक्क स्मैलटर प्लोट भी बाल है। इसके लिए बाप. क्षाब ही कोशिश की बिए। इसको सगाने में पांच-छः साल सग वायेंगे। पहले को सगाने में पांच-छ साल सगेंगे। इन अवस्थाओं का करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय का ज्यान आकर्षित किया है। बापसे स्नेह है और इस वजह से मेरा आपसे विनम्न निवेदन है कि बाप बल्दों से जल्दी इन अयबस्थाओं को करें बौर राजस्थान की जनता को कपर उठाने में आप अथना योगहान दी जिए।

इत शब्दों 🗣 साथ में इन डिमाइस का समर्थन करता हूं।

[बनुबाद]

भी अमल बत्ता (डायमंड हार्बर) : महोदय, समा को बड उस बनराशि को मंजूरी देनी है को करकार ने वर्ष 1986-87 में सभा द्वारा मंजूर की गई राशि से अधिक सर्च की । सरकार द्वारा बयय की गई अधिक राश्चिक कुछ माग की मंजूरी पहले ही दी चुढी है क्योंकि यह राश्चि रेल के के विनियोव लेखे की थी, और जिस भाग को बभी मजुरी दी जानी है, उसके दो भाग है---रक्षा सेवाएं 197 हरोड़ रु:ए बौर खिविल विभाग बतुमानतः 45 करोड़ रुपए । यह व्यय मार्च, बर्जल 1986 में पारित बजट के अमुसार, 1986-87 भूमत: स्वीकृत अमुदानों से अधिक या। उसके बाद, सरकार में बनुपूरक बनुदानों के द्वारा बागे किए जाने वाले भीर व्यय का व्योरा समा के समझ रखा है और सवा से मंत्री सी है। यह घनराशि कुन 2207 करोड़ वण्ए है। अनुपूरक बनुदानों की जन्तिम किस्त 31 मार्च 1987 को समाप्त होने अर्थ में 15 मार्च को को क्यांत वर्ष समाप्ति से करीब 15-16 दिन पहले ही सरकार को अनुपूरक अनुदानों की अन्तिम किवत मिली और तदापि उन्होंने रक्षा सेवाओं के लिए 200 करोड़ इपए और सिविस विभागों के लिए 45 करोड़ उपए दिए जाने की मांग रखें है औ कि बहुत अधिक राश्चि है। महोदय, इससे केवल उनके गैर-जिम्मेदारात आचरण तथा साथ ही क्लि तवा संबंधित दिभागों में नियत्रण न होने और सरकार 🕏 कामकाज पर तथा उचित रिकाडों और बिंदत बबटोय प्रक्रियाओं की कभी का पता चलता है। यह कैंग्रे हुआ है कि बन्तिम अनुपूरक बनुदानों का क्योरा बनाते हुए वे इतना भी नहीं जान पाए कि कितवी बनराशि खर्च की गई है ? उनके पास वे लेखे जी नहीं हैं कि कितनी धनराशि खर्च की गई है और सरकारी रूप से जब वह अनुपूरक मांगें हैयार कर रहे हैं तो खुरू से ले कर महीने-डेड़ महोने में कितनी घनराशि की और जरूरत होयी। यह बजटीय प्रक्रिया, वित्तीय नियंत्रण की बहुत ही सराव स्थिति है, और इससे पता चसता है कि सरकार कितने ग्रंर-जिम्मेदाराना ढंग से कार्य कर रही है।

महोदय, इस बितिरिक्त व्यय पर सभा की मंबूरी से बहुले, प्रति वर्ष पी • ए० सी ० की मंबूरी सी जाती है जो इस पर विस्तार में विचार करती है तवा देखती है कि बितिरिक्त खब कैसे हुए तथा वह वर्ष बर वर्ष इस बारे में सिफारिशें करती है कि सरकार को यह देखने के लिए कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिएं कि बितिरिक्त व्यय न हो और चाहे बचत न भी हो किन्तु सरकार कम से कम इस संबंध में इस समिति की इच्छाओं की बोर कर्ता क्यान नहीं देती।

इस तब्य के अलावा कि संरकार इस बात का पता नहीं सगा सकती कि कितना खर्च किया जाएगा, दूसरो कमजोरी विल प्राप्तियों और मुगतान के बीच समय का अधिक बन्तर होने के बारे में है, क्यों कि इसी कारण से रिकार्ट पूरे नहीं होते और महीने के अन्त में न्यय बोड़ने के काफी मामले होते हैं।

3.00 **म.प.**

बद समिति ने उन बनुदानों के संबंध में अही प्रतिरिक्त व्यय किया गद्या है वर्ष प्रति वर्ष जांच करने और अवय का विश्लेषण करने पर पाया है कि कम सै कम एक खीयाई व्यय वर्ष के अन्तिम माछ के दौर'न किया नया है। यह एक बहुत ही गमीर त्रुटि है, वहां पर कोई व्यवस्थित नियंत्रण नहीं है कोर न ही ब्यवस्थित तरीके से ब्यय किया गया है और रिकार्ड भी उचित तरीके में नहीं रखे गए हैं। यह कैसी बात है कि बित्त मंत्रालय और सरकार दोनों मिल कर नियत्रण का इस प्रकार का छोई तरीका क्यों नहीं तैयार करते जोकि पूर्ण रूप से अथवश्यक है। मैं यहां पर किसी राजनीति की बाल नहीं कर रहा हुंबल्कि यह प्रकरी है कि सरकार विभिन्न विभागों के लिए व्यय के लिए प्राप्त क्वाट अनुदान के अनुमार उचित नियंत्रण रक्षे और यह नियंत्रण अन्ततः वित्त विभाग से होना चाहिए। लेकिन हम यहां क्या देखते हैं ? जब एक अनुदान विशेष में , विभिन्न लग्नु शीर्षों के अन्तर्गत, व्यव 🖫 लिए संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है, तो यह सरकार का काम है कि विभिन्न अनुदानों के संबंध में पुनिवियोग करे। ऐसा क्यों होता है ? इसकी अनुमति कैसे दी जाती है ? वित्त मत्रालय का इसके -कपर नियंत्रण नहीं है। अन्ततः जिस तरीके से यह व्यय किया जाता है उसका संसद द्वारा स्वीकृत क्यम के साम कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे पूर्ण ढाचा बदल सकता है और वित्त का उस पर कोई निय-त्रण नहीं है जहां तक अनुदान उतना ही रहता है। सरकार द्वारा व्यय को पूरी तरह से बदना जा सकता है क्यों कि उसमें नियत्रण की कमी है। लोक लेखा समिति ने बार-कार यही कहा है कि आपको जिंदत बजटीय नियत्रण रस्नना चाहिए और किसी एक मुक्य शीर्ष में इस प्रकार के सम्बास्थम पून-वियोग को अमुनित न दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

वाब कोई इसके विस्तार में जाता है नो एक बात जो सामने आती है यह यह है कि सिक्सि विभागों में सगभग 45 करोड़ क्वए के ज्यय में से, 10 करोड़ क्वए एक छोटे स्थान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह पर ज्यय किये गये हैं। अतिरिक्त ज्यय का लगभग एक चौचाई माग जिसके सिए बाज सरकार ने संसद की अनुमति मांगी है अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थय हुआ है और यह स्वष्ट कप से सरकार के जपने मामले के कारण हुआ है क्योंकि अचानक ही वर्ष 1988 के जन्स में जन छोटे द्वीपसमूहों में विकास कार्यों को शुक्त किये जाने के कारण यह मारी क्यय हुआ है।

प्रचान मंत्री की बव्यक्षता में द्वीपसमूह विकास प्राविकरण बनाया नवा और इसीविए विकास

श्यय पूरे जारशोर से शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यह 10 कराड़ रुपए का आंतरिक्त काम हुआ था। हालांकि जिम तरोके से बजट शीयं रखे गए हैं उनसे यह पता लगाना संसव नहीं है कि बास्त-विक रूप से यह अयथ किन मदों के लिए किया गया है, समिति को यह आशंका है कि यह अयथ अवश्य ही इस तरीके से किया गया है कि जिस पर पहले से विचार नहीं किया गया था। इसका प्रधान मत्री के दोरे से कियो न किसी तरह का अवश्य ही सम्बन्ध होगा। समिति ने यह बात नहीं कही है बिल्क बह मेरा निष्क्ष है। और ऐसे मामके में यह आवश्यक है कि उन कारणों की उचित जांच की जानी चाहिए कि यह अतिरिक्त व्यय क्यों हुबा है और यह सिफारिश की गई है कि व्यय की विस्तृत मदों की वियंत्रण और महा-लेखा परीक्षक द्वारा जांच की जानी चाहिए जिसके कारण यह अतिरिक्त धन व्यय हुआ है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री समा को यह आवश्यसन देंगे कि ऐसा किया जाएगा।

अस्य मद जिसके ऊपर अतिरिक्त व्यय हुआ है यह रक्षा है, मैंने पहले ही कहा है कि यह सगमग 200 करोड रुपए की राशि है। इसमें से नौसेना पर अधिक व्यय हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में भी सेना, जहां तक वेनन और मलों का सम्बन्ध है अपने खाते ठीक तरह से नहीं रखती। वे हर तीन महीने का हिसाब रखते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे हर महीने का हिसाब नहीं कर सकते । उनके पास कम्पयटरीकृत लेख प्रणाली है अथवा होनी चाहिए ताकि लेखों का इस तरह खमा होना तीन महीने के लेखे एक महीने में करने की व्यवस्था समाप्त हो सके और इस बात को देखते हुए भी कि उनके पास उचित रिकाइ व्यवस्था नहीं है भीमेना व्यय लगमग 45 करोड़ ६५ए हो गया है। इन समा बातों से यह पता चलना है कि सरकार को इसकी बहुत ही कम जानकारी है। मैं चाहना हं कि व्यय के प्रमारी माननीय मंत्री इसकी ओर कुछ ध्यान देंगे और स्रोक लेखा समिति की रिपाट पढ़ने के लिए कुछ समय निक लेंगे, और वह केंद्रन रिपोर्ट की ही नहीं पढ़ेंने बल्कि उस पर आवद्यक कार्यवाही भी करेंगे। ऐसा करने के पोछे विचार यह है कि बजट बनाने के क्षेत्र में, बजट हायं करने में और कुछ नियत्रण करने में सरकार के कार्य में सुघार किया जा सके जोकि मेरे विकार में माननीय मंत्री स्वय इससे सहमत होगे कि उनका इस समय नियत्रण नहीं है। उन्हें वह नियंत्रण अवदय रखना चाहिन, यह नियत्रण फिर से प्राप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि नियंत्रण करना चाहिए, क्यों कि मेरा विद्वास है कि यह नियत्रण पहले कभी नहीं या। लेकिन अब कुछ व्यय इत्ता अधिक हो चका है कि यदि उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रचा गया तो यह देश के लिए बहुत ही खतर-नाक सिद्ध होगा। ओर इसीलिए मैं फिर से अनुगोध करता हूं कि सरकार को इन बातों को गम्मीरता से लेना चाहिए। यह ऐसी बात नहीं है जोकि बहुर ही थोड़े से समय में की जा सकती है। यह दीर्घाविष मामला हैं, लेकिन जब तक वे बमी प्रारम्भिक कदम नहीं उठाते, मैं नहीं समऋता कि यह इस वर्ष या यहां तक कि अगले वर्ष में पारित हो काएगा।

मेरे विचार में, संसद को यह पारित करना होगा नयों कि यह खर्च हो चुका है। लेकिन सोक लेका समिति द्वारा अनुमोदन कराए जाने का कारण यह है कि इसकी एक संस्था और संसदीय समिति द्वारा वास्तिवक रूप से जांच करानी होगी और देखना होगा कि इसमें किस प्रकार की क्षामियों थी विनक्ष कारण यह अतिरिक्त व्यय हुआ है। लोक लेखा समिति ने यह सिफारिश की है। बास्तव में यह हर वर्ष इस तरह की सिफारिश करती है लेकिन सरकार ने उन सिफारिशों का पासन नहीं किया है। में केवल इनना चाहता हूं कि सरकार उन पर कार्यवाही करना शुरू करे। फिर अतिरिक्त अनुवान के लिए इस प्रकार की स्वोइति हेतु उन्हें बार-बार समिति के पास आने की आवश्यकता नहीं है।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोवय, मैं अनुवानों को अविरिक्त मांगों का समर्थन करने के

लिए सडी हुई हूं। महोदय. सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए घनराक्ति आवंटित की है। इसमें पहले भी मैंने कई बार यह सुझाव दिया है। मैं एक बार फिर यह सुझाव देती हूं कि हमें योजना आयोग में एक सैल स्थापित करना चाहिए और सभी मंत्रालयों को विकास स्ववन्धी कार्य तथा मित्व- साओं के लिए कार्यंक्र-ों के बारे में अपनी रिपोर्टे इस सैल को भेजनी चाहिए। योजना आयोग को इसके आबार पर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। केवल तभी देश मित्वलाओं के लिए प्रगीत और विकास कार्यंक्रमों के बारे में जान सकेगा।

महोदय, हमारे देश में हमारी बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हमारी सरकार संग्राहालयों का हौं कि क संस्थाओं के रूप में उपयोग क्यों कर रही है? संग्रहालओं, विशेषकर निजी संग्रहालयों के रक्ष-रक्षाव में बहुत ही कठिनाई हो रही है। सरकार को आगे ज्ञाना चाहिए और अपनी समृद्ध संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उन सग्रहालयों की सहायता करनी चाहिए।

द्वमारे देश में, शिशु तों और छोटे बच्चों के लिए के चेज कोले गए हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। सारे देश में बढ़ी सख्या में के चेज खोले जाने चाहिए। इन के चेज में, इच्चों को इस नरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि ननमें परस्पर सद्मावना, अनुशासन की मावना और सभी धर्मों और मावाओं के प्रति प्यार जागत हो सके। जन्यापकों को भी सही तरीसे से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों को सही दिशा में प्रशिक्षण दे सकें। यदि हम वास्तव में अपने बच्चों को को ने के चे के से ही सही दिशा में शिशा दे शकें तो हमें साम्प्रदायिक दंगों जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पढ़ेगा जोकि हम अब कर रहे हैं। अभी भी बहुत से बच्चे स्कूनों में पढ़ ई अधूरो छोड़ कर चले जाते हैं। स्कूनों से चढ़ाई अधूरो छोड़ कर चले जाने वाले बच्चों में लड़ कियों की सस्या तो बहुत ही बिक है। मेरे विचार में इमकी बोर बिक घ्यान दिया जाना चाहिए। मुझे यह स्वोकार करते हुए बहुत ही खेब हो रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में हमारी महिलाए बहुत पीछे हैं। महिलाओं की शिक्षा बोर प्रौढ़ शिक्षा के लिए धनराश आवर्टित की जाती है। सरकार को शिक्षा के माध्यम से स्व-रोजगाच पर जोर देना चाहिए हमारे अधिकांण लोग अभी भी शिक्षा का मतल्य कार्यालय की नौकरी मानते हैं। शिक्षा का स्तर का जाता होगा।

में यहां आपको बताना चाहती हूं कि देश में 'जागूनि अभिमान' शुरू कर दिया गया हैं। लेकिन में सरकार का ध्यान आर्कावत करना चाहती हूं कि केवल से मिनार इनके लिए पर्याप्त नहीं होंगे बल्कि गांव से गांव में कार्य करने की बहुत अधिक सावश्यकता है। गांवों में. यदि प्रक्षितिक कार्य-कर्ता वहां पर आएं और विभिन्न स्थानों पर विशेषकर महिलाओं के साथ समस्याओं पर क्यों करें। तो वे स्थिति को समझ पाएंगे और वे बता ण्एंगे कि इसमें क्या किंगाइयां है। उस क्यों के द्वारा, हम बहुत सी समस्याओं को इल कर सकते हैं।

सभी तक जन शिक्षा को माग्त की प्रगति के लिए अनिवार्य नहीं समझा जा रहा है। जन खिक्षा की प्रगति बहुत ही घीमी है बयों कि लोगों की ओर सै इसकी मांग नहीं की गई है। अधिकतर राजनीतिक दलों ने अभी तक अपनी कार्य सूची में जन शिक्षा की मांग नहीं की है। मैं सभी राजनीतिक दलों से यह अनुरोध करती हूं कि उन्हें अपनी कार्य सूचि में, अपनी राजनैतिक चर्चों में सामान्य जनता के सिए जिल्ला को सम्बित्तिन करना चाहिए।

यूबेस्को द्वारा वर्ष 1990 को अन्तर इंद्रीय साक्षरता विश्व सोधित किया गया है। एक राष्ट्र के तौर पर हुमें अपने देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए यूनेस्को के साह्वान का उत्तर देवा चाहिए। हमें मारी पैमाने पर इसका उत्तर देना चाहिए। देश में एक साम्प्रदायिक उपद्रव पर हुम करोड़ों रुप्ये खर्च करते हैं ऐसा सगता है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में साम्प्रदायिक खिक्तयां शक्ति- हाली बनती जा रही हैं। स्वत-त्रता संग्राम के दौरान हम सभी सोगों ने मारतीय होने के नाते एक- चुट होकर कार्य किया। उस समय हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अथवा अन्य जातियों का कोई प्रदन नहीं या। राजनीति और घर्म खलग-अलग हैं। उन्हें मिलाया नहीं जाता चाहिए। परन्तु इस उद्देश के लिए लोगों को बचपन से ही प्रशिक्षण देना चाहिए। शिशुगृहों से ही ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साम्प्रदायिक समस्या के समाधान के लिए धर्मनिरपेक्ष गैर-साम्प्रदायिक और सभी लौक-तान्त्रिक शिन्दयों को एकजुट होकर लड़नो चाहिए। यदि वास्तव में इसके समाधान के लिए लड़ाई नहीं की जातो है नो हम इस समस्या से उबर नहीं पायेंगे। मुझे यह जानकारी नहीं है कि हम इस बारे में किस प्रकार प्रगति करने आ रहे हैं।

यदि कोई भावनात्मक लगाव नहीं है तो राष्ट्रीय एकी करण सफल नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में भावनात्मक एकी करण के विकास के लिए हर प्रकार से प्रयास किये जाने चाहिए। मीजिया को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बदा करनी चाहिए।

मेरे पास अधिक समय नहीं है अन्यथा में कुछ और मुद्दों का भी जिक्र करती। इस बारे में एक पाठ्य पुस्तक लिखी जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप चंटी वचाने जा रहे है परन्तु आपके ऐसा करने से पहले ही मैं अपने भाषण को समान्त कर दूंगी। मुझे बहुत सी बार्ते कहनी हैं परन्तु अब मैं अपने भाषण को समान्त करती हूं।

इन शब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री तम्पन यामस (मवेलिकरा): महोदय, मुर्के आशंका है कि क्या सरकार की इस प्रणाली का कोई मूल्य है। ऐसा लगता है कि सभी प्रणामियों को नष्ट किया जा रहा है और उन्हें खतरे में डाला जा रहा है।

हमारी वजट प्रणाली कही है ? हमारे यहां वजट प्रणाली की व्यवस्था है। केवल कुछ सप्ताह पहने भी मैंने अनुदानों की अतिरिक्त मांगों के लिए इसी प्रकार मावण दिया था और मैंने इस प्रवासी और श्री गढ़वी के उत्तर देने के तरीके की आलोचना की थी।

बापको बहुपूरक मांगों बनुपूरक विनियोग अहि को पूरा करना चाहिए। बतः हम जो कार्य-वाही यहां करते हैं वह व्ययं हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा होता है कि यह संसद केवल कुछ दिन पहले ही बजट परित करती है। अनानक प्रधान मंत्री की घोषणा के कारण 2,000 करोड़ रुपये की मांग और की जाती है। बतः हम इन संस्थान का क्या सम्मान करते हैं? संसद द्वारा बजट परित करने के बाद यदि प्रधान मंत्री द्वारा 2000 करोड़ रुपये के ध्यय की घोषणा की जाती है तो चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, परन्तु तब इस संस्थान का महत्व क्या रह जाता है।

इसी प्रकार आज अवानक यह घोषणा की गई है कि सत्र की सर्वाच बढ़ा दो गई है। (अ्यवधान) इसे संस्था का रूप दे दिया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि सरकार का कोई मत नहीं है। इसका वृष्टिकोण और कार्यकरण तदयं आधार पर है। यह तदयंता इस देश के खिए बहुत खराब है।

हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इस तहबंता के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इस तहबंदा के फलस्वरूप श्रव्टाचार उत्पन्न होता है सीर इस देश के सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है इस संस्था पर समग्र रूप से विचार करने और हमारे पूर्वकों और राष्ट्र के नेताओं के पूर्व- यजटों के दौरान की गई चर्चाकों की यांच करने पर हमें यह पता लगता है कि उस समय इस बारे में गम्मीरता पूर्वक विचार किया वादा था। सरकार निविच्य रूप से उस बातों तक सीमित रहती थी और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायों थी। परन्तु अब हम क्या देखते हैं? अब बजट आने से पहले ही निर्धारित मूह्य सामने जाते हैं। बजट के बाद लोगों के साथ छल करके अर्थात् इस तदयंता की घोषणा कर दो जाती है। इसके बाद विनियोग अनुदानों की अतिरिक्त मांगें और पूरक बजट प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। इन बातों के कारण ही मुद्रा स्फीत में बहुत अधिक वृद्धि हो बाती है बजट में यि बाप 5,000 करोड़ रुपये के घाटे की योधणा करते हैं तो अन्त में गणना करने पर यह घाटा 12,000 करोड़ रुपये के घाटे की योधणा करते हैं तो अन्त में गणना करने पर यह घाटा 12,000 करोड़ रुपये हो साता है। इसका सक्पूर्ण प्रमाद क्या होगा ?

मैं कई बार यह कह चुका हूं कि इसका प्रभाव यह हुआ है कि रुपये की कीमत वर्ष 1960 की तुलना में, वर्ष 1984 में घट कर 12 पैसे अथवा 11 पेसे रह गई है। आखिर इससे किसको नुक-सान हो रहा है। हम इन कार्यों को तदर्यता के आधार पर नयों करते हैं ? हमारे सविधान हमारे बजट और हमारी प्रणालियों में एक प्रकार की पिंत्रता थी। इस बात की उपेक्षा क्यों की गई हैं ? हुन मिलाकर इस अपरिपन्डता से ह्यारे राष्ट्र पर बहुत अधिक प्रमाय पड़ता है। इस प्रकार के धन्दाचार के कारण राष्ट्र की अयंध्यवस्था अध्यक्ष हिया गई है। आपक द्वारा सब किये गये इन विनियोगों से यह मसी मांति जाहिर होता है, क्योंकि वे विविवाद तथ्य हैं इसलिए उनको स्वोक्षति बेने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वे विविवाद तथ्य हैं इसलिए हमें उन्हें मजूरी देशी पड़ती है। उन्हें किस कार्य के लिए खर्च किया गया है ?

श्री समल दत्ता ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही कहा है। यह हैरानी की बात है कि एक विशेष उद्देश्य के लिए लक्षद्वीप अथवा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 45 करोड़ रुपये की सारी वनराख खर्च की गई है। निश्चित रूप से आपका हमें यह स्व्योकरण देना चाहिए कि क्या उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक है अथवा नहीं। हमने समाचार पत्रों में यह पढ़ा था कि जब को अथवा तीन व्यक्तियों ने अण्डमान निकोबार द्वीप-समूह का दौरा किया हो एक बड़ा लड़ाकू बहाज आसपास घूम रहा था, जिससे प्रतिदिन करोड़ों रुपये खर्च हुए। सम्मवत इसे प्रधान मन्त्री के व्यक्तिगत खाते में नहीं कासा नया। यित प्रधान मन्त्री किसी ऐसे विशेष हुंप का बौरा करते हैं जो रक्षा बलों से विशेष हुंबा है। यदि अत्वा बलों से विशा हुआ है को यदि बन्तत: इस व्यय को रक्षा व्यय में सम्मिलत कर दिया जाता है वो यह लोगों के साथ एक घोखा है। इस बारे में क्या सन्देह हो सकता है? यदि इस व्यय को प्रस्थक रूप से प्रधान मन्त्री के बौरे पर हुए व्यय के कप में दिखाया जाता है तो यह बात मेरी समझ में बाती है परन्तु यदि इस व्यय को रक्षा के लिए विकियोग के रूप में बिखाया गया है तो में इसे बोझा कहूंगा। इस बारे में कोई सन्देह खहीं है। सौभाग्य से श्री अमल बत्ता लोक लेखा समिति के समापति रहे है और उन्होंने इन बातों का पता खगाया है। यदि यह सब है तो राष्ट्र को वास्तव में मंत्री महोदय से एक स्वष्टीकरण लेना चाहिए। यदि यह सब है तो इसके लिए हमें एक स्वष्टीकरण की आवश्यकता है। इस मुद्दे के बारे में राष्ट्र को एक स्पष्टीकरण हिया जाना चाहिए।

मैं इस बात पर ज्यान देता हूं कि अब रक्षा सेवाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। यह मांग किस कार्य के लिए की आ रही है?

मुक्ते याद है कि पिछली बार चर्चा का उत्तर देवें समय श्री गढ़वी ने यह कहा या कि ऐसा स्वतन्त्रता सैनानियों की देखन इत्यादि के खिए किया यया या। तब मैंने यह कहा या कि यदि ऐसा स्रीलका के कार्यों के लिए किया गवा है तो मैं इनसे सहमत नहीं हूं क्यों कि ऐसा राष्ट्र की कीमत पर किया चा रहा है। यदि ऐनी बात है तो यह वपरिपन्तता अथवा तदर्यता है और आप खोगों के जीवन के साथ विसन्दाङ कर रहे हैं। इसे कभी न कभी तो समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

डा॰ गौरी शंकर राजहंस (झझारपुर): डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं अपने विपक्ष के दोस्तों की बात बड़े गौर है सुन रहा था रेड्डो साइव की मी बात, अमल दत्ता जी की मी बात और तस्पन बामस जी की मी बात मैंने बड़े ध्यान है सुनी। अमल दत्ता जी की बात सुन कर मुझे आइवर्ष होता है कि पी॰ ग॰ सी॰ का चेयरमैन होने के बाद वह ऐसी बातें करते हैं जो जिम्मेदारी बाली बातें नहीं है। बच्चेमान और निकोबार दीप समूह में ऐक्सेस खर्च 10 करोड़ 33 लाख रुपबा हुआ है। इसमें एक्सप्लनेटरी नोट दिशा गया है—

[अनुवाद]

"अधिक व्यय मुख्यत: (i) मवनों के रक्षरकाव के लिए स्टोर्स की खरीब (ii) जहाजगानी सेवाओं के लिए मारतीय जहाजरानी निगम के बाबों, (iii) मेबिकस स्टोर डियों की कुछ बकाया राजि को निपटाने और (iv) चतुषं वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हुआ।" [हिंदी]

यह कहां लिखा है कि बाइम मिनिस्टर गये ये अपने टूर में और उसके कारण अर्थ हुआ है। यह सोगों को गुमराह करने की बातें होती है इस सदन में रह्कर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या इनजस्टिस हो सकता है।

आर्थ कहते हैं कि यह दिक्तेंय में चल गया है। कहां डिक्तेंस पर गया है। अर्थ लोगों को कृमराहु करना चाहते हैं जिससे अखबारों में थिकले कि प्राइम मिनिस्टर अण्डमान-निकोबार गये थे।

भी अमल दत्ताः प्रधान मध्त्री गयेथे तो सर्चानहीं हुआ। बंल दीजिए कि सर्चानहीं हुआ।

का॰ गौरी शंकर राजहंस : खर्ना नहीं हुआ है। आप बताने कि कहां सर्ची हुआ है। [अनुवाद]

श्री अमल बत्ता। आप इसे किस मद के अन्तर्गत दिखा रहे हैं? आप इस बाह को स्वोकार कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री के दौरे पर खर्था हुआ है।

डा॰ गौरी शंकर राजहंस : नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं · (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता: क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कोई खर्चा किया गया हैं ? वहां सम्पूर्ण नौसना गई थीं ।

उपाप्यक्ष महोदय : मैं यह वहीं चाइता कि सदस्य बापस में बातचीत करें ।

(व्यवधान)

डा॰ गौरी बांकर राजहंस: प्रत्येक बात स्पष्ट है मोगों को गुमराहकरने की कोश्चिश मत जीजिए। इत प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। (क्यावधान)

[हिन्दी]

मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप जो भी कहें ईमानदारी की बात कहें। केवल इसलिए समालोचना करनी है---(ब्यावधान)

इसमें वे सब चीजे दी हुई हैं बिन पर यह सर्जा किया गया है और सब में एक्सप्लनेटरी नोट है — जैसे बिफ्डेंस पेंशन में है —

[अनुवाद]

"स्वीकृत अनुदान से अधिक अथय मुख्यतः (i) कुछ संवालनात्मक आवश्यकताओं के लिए स्टोसं तथा पी० ओ० एन० की खरीद (ii) रखरखाव सम्बंधी निर्माण कार्यों पर हुये अधिक खर्च के कारण हुआ।"

[हिन्दी]

इसमें क्या कुराई है ? यह एस्सेस वहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

बिफेंस सर्विस आर्मी में है :---

[अनुवाद]

"स्वीकृत अनुदान से अधिक अपय मुख्यतः कुछ संचालनात्मक जानस्यकताओं के लिए स्टोधं तथा पी०ओ०एन० की सरीद तथा रश्वरखान कार्यों के कारण हुआ।"

[हिन्दी]

यह फोरसी नहीं किया गया, इसमें क्या बुराई है। डिफॉस सर्विस नेवी में है:-

[अनुवाद]

स्वीकृत प्रनुदान से बिषक व्यय मुक्यतः नीमेना स्टोसँ, विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वायुयानों पर हुए अधिक व्यय तथा संचानना मक आवश्यकताओं को पूरा करने के विष पी अो । एक की खरीद तथा रखरखाद कार्यों के कारण हुआ। "

[हिन्दी]

हिफेंस सर्विस एयरफोसं में है :--

[अनुवाद]

"स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय मृश्यत: उहुय्यन स्टोसं और नये वायुयानों की सुरू इसने के फलस्वरूप गैव्जीव्यान रखाया कार्यों और चतुर्य वेतन आयोग की सिफारिधों के कार्यान्वयन पर अधिक खर्च के कारण हुआ। ।"

[हिन्दी]

डिसने इसको फोरसी किया वा। छीपटल बाउटने डिफेंस सर्विस में है:-

[अनुवाद]

"अविक व्यय मुख्यतः विमाँच की अगिव में तेजी लाने में हुए व्यविक व्यय के कारणी हुआ।"

[हिम्बी]

यह कियने फोरसी किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक्सेस प्राध्ट्स की को बात आई है, सरकार ने जो एक्सेस ग्राष्ट्य इसमें दिलाई हैं, एक्सेस एक्पपेंडीचर, वह बिल्कुल जिस्टिफाइड है, इसमें कहीं कोई दो राथ नहीं हैं। रेड्डी साइब चंले गये, मैं उनसे एक दो बातें कहना चाहता था। उन्होंने बात की यो कि दिखेंस पर बहुत अधिक कवं हो रहा है और उन्होंने बहुत कोर देकर कहा कि नेपाल से हम लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम नेपाल से नहीं लड़ रहे है, नेपाल को चीन बौर बमेरिका उकसा रहे हैं, हमधे क्षमड़ा करने के सिए। वह शायद नेपाल गये हों या नहीं गये हों। मैं नेपाल के साथ रहता हुं मेरा धर, मेरा एरिया इल्डो नेपाल बोईर पर है, मैं हजारों बार नेपाल गया हूं। आज की तारील में सारे तराई के लोग, इण्डियन ओरिजिन के लोग भारत सरकार की बधाई दे रहे हैं कि पहली बार मारत सरकार ने फमं एटोट्युड लिया है, एक स्ट्रांग एडीट्युक लिया है बीर उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम दूसरे-इसरे तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन के बहकाचे में बाकर नेपाल, जो हुमारा माई है, वह बहुत ही गलत बातें कर रहा है। चीन से एण्टी ए 4रका फुट गन और हजारों ट्रक एम्युनिशन तराई एरिया में, हमारे घर 🖣 पास में, दो तीन किलो मीटर की दूरी पर माकर रस दिया है, नेपाम के पास इसका क्या जस्टिफिकशन है, कोई जस्टिफिकेशक है? सी०पी०एमः के लोग जो चीन की इतनी वफादारी करते हैं, वह कह सकते हैं कि इसका क्या जस्टि-फिकेशन है ? (अवक्थान) जापको नयों तकलीफ होती है। यह नेशनल इण्टरेस्ट में है, इसको सुनिये तो । हजारों ट्रक एम्यूनिश्चन लाकर चीन से, तराई एरिया में रखने का क्या परपज है, मै यह कहता हुं कि जो इण्डियन अमेरिजिन के लोग नेपाल में पिछले 600-700 साम से रह रहे हैं, उनको आराप विकास रहे हैं। नेपाल निकास पहा है कहता है कि सिटोजनशिप सर्टिफिकेट दीजिए, आपने सिटोजनशिप का सर्टिफिकेट कभी उन्हें दिया ही नहीं और आज उनसे वह सर्टिफिकेट मांगता है। जो लोग वहां पर 50 साल से नौकरी रहे कर हैं, उनको कहते हैं कि वर्क परिमट दिखाइये, आपने बन्ने परिमट उनको दिया ही नहीं जौर अब कहते हैं कि वर्क पर!मट दिलाइये, सीघी बात है कि बाप पीपुल आर्फ इण्डियन स्रोरिजिन को, जो करोड़ो हैं वहां, कहते हैं कि वहां से निकल बाइये। शर्म की बात है कि हुमारे लोग मेपाल का पक्ष ले रहे हैं भीर जब नेपाल ऐसी बातें कर रहा है तो उससी मर्स्सना वहीं कर रहे हैं, खार्खों लोग तराई के एरिया में हैं, इण्डो नेपाल बोर्डर पर हैं जिन्होंने गवर्नमैंट आँफ इण्डिया के एक्छन को बहुत सपोर्ट किया है कि आप फर्म एटोट्युड लीजिए। कोई बात है, हम बिहार के एक एरिया से षुसरे एरिया में बाज इजारों वर्षों से जाते रहे हैं बौर…सैंकड़ों बच्चों से जाते रहे हैं नेपास की टैरेटर को कास करके, पहले कभी हमारी वाड़ी पर टैक्स नहीं सगता था। अश्य एक बार एक मोटर साइ-किल बाती है, तो उसे सी वपए हैक्स देना पड़ता है। इसका बापके पास क्या अस्टिफ्किशन है ? एक दिन में बीस बार नेपाल की टैरेटरी की फोल करते हैं, तो क्या बीम बार सौ-सौ क्पए दे सकते हैं, इसिलए नेपाल की साइड लेने के लिए बापके पास क्या जस्टिफिकेशन है। मैं कहता हूं कि नेपास के जामने में सरकार ने बहुत ही फर्म एटिवृड लिया है। मैं नेपाल के बोडेर पर रहने वाले सोगों की तरफ से सरकार को बधाई देता हूं कि यह फर्म एटिन्ड रहे, जिससे कि नेपास खाज जी हमारे दुश्मन 🛡 बहकादे में था गया है जीर उसके बहकादे में न जाए, कीआइए के बहुकादे में न खादे हया वह कूछ सोचे बौर समझे।

अब मैं बापते एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। आपने एक्सैस प्रान्ट्स में आहिट के बारे मैं सिचा है कि 2 लास 20 हजार रुपप स्थादा खर्च हुए।

[अनुवाद]

"अधिक व्यय मुक्यतः श्रेणी के अधिकारियों से सम्बन्धित चतुर्ष वेतन आयोग की सिफा-रिशों के कार्यान्वयन के कारण हुआ, जिनके बारे में पूरा अनुमान नहीं लगाया का सका।"
[हिन्दी]

यह बात ठीक है कि पै-कमीशन ने ग्रुप-ए के आफिससे को बहुत ज्यादा तनक्वाह दी है, जिसके कारण आपको इतना खर्च बढ़ा । मेरा एक निवेदन है कि ग्रुप-ए के आफिससे को तनस्वाह ज्यादा बढ़ा दी है, तो उनसे काम मी ता लीजिए । जितनी तनस्वाह आपने बढ़ाई है, उतनी तनक्वाह देख में किन्हीं लोगों की नहीं है। बपूरोक़ेट्स आज सचमुच में मोनाकं बन दर रह गए हैं, वे पब्लिक सर्वेन्ट्स नहीं हैं, पब्लिक मास्टर्स हो गए हैं। वे लोग राज करते हैं, डवेलपमेंट का काम नहीं होता है। यह स्थित केवस एक राज्य में नहीं है, बिलक समी राज्यों में हो रही है। यदि हिन्दुस्तान को सही अयौं में बैलक्वेयर स्टेट बनावा चाहते हैं तो आप ग्रुप-ए के आफिसरों से कहें कि वे लोग सही अयौं में सेवा करें।

टूरिजम पर दो लाख पन्द्रह हवार रुपय' खर्च हुआ है। में यह कहना चाहता हूं, इसका अयं यह है कि टूरिजम पर व्यान नहीं दिया गया है। टूरिजम का इस देश में बहुत ज्यादा स्कोप है यदि सही अयों में टूरिजम का विकास किया जगए, तो इस देश में बहुत ज्यादा फारन एक्पचेंत आ सकता है। इसलिए टूरिजम पर पूरा ब्यान देने की जरूरत है। पिल्लिश वन्से में आपने दस करोड़ 92 खाल क्याया लाखें किया है। इसमें कई ब्राइटम्स आपने लिए हैं यह लाखें कुछ ज्यादा सगता है, इसलिए इस पर मी अया के व्यान देना वाहिए। एक्सपोर्ट छोमोशन और एक्पपोर्ट प्रोडक्शन के लिए आपने एक्सी बिल दिखाया है। यह ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इसमें अभी भी बहुत गुंब इश है। बड़े बीजनेस हा स्वैस जिनने भी हैं, एक्पपोर्ट प्रोमोशन में दिल कम्पी नहीं लेते हैं। हुमें कुछ न कुछ ऐसा रबैया अपनाना होगा जिससे बड़े बीजनेसमेंन इस देश में एक्पपोर्ट प्रोमोशन में दिल कस्वी लें, क्योंकि हमारे फारन एक्सवेंज की पोजोशन और बैलेंस आफ पेमेंट सही नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ में आपको घन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री राममगत पासवान (रोसड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुना हूं। हानात ऐने होते जाते हैं कि सरकार को अतिरिक्त सर्व करना पड़ता है। वीये वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरा करने के लिए मरकार को अतिरिक्त सर्व करना पड़ा। लेकिन में नायका क्यान उत्तर निहार की कुन्न ऐनी योजनाएं हैं, जो कि निसीय सहायता के कारण निलम्बत हैं, कार्याम्बत नहीं हो रही है, की ओर आयका व्यान आकिंवत करना पाहना हूं। ये योजनायें ज्यादा से ज्यादा 10-15 अरव क्यए की योजनायें हैं। यदि इनको पूरा कर दिया जाता है सो उत्तम काफी का या हो सकता है ये स्वीकृत योजनायें हैं । यदि इनको पूरा कर दिया जाता है सो उत्तम काफी का या हो सकता है ये स्वीकृत योजनायें हैं गैर इन पर काम प्रारंग हो चुका या लेकिन वित्तीय संकट के कारण उनको स्थिति करना पड़ा। जन मी उनको च लू करने की नात कहते हैं, तो यह कहा जाता है कि वित्तीय संकट है, इसलिए यह काम पूरा होना सम्मन नहीं है। इसिवए मैं मन्त्री महोदय के आयह करना कि उत्तर विहार में वो को योजनाएं लिखत पड़ी हैं, उनको चाकू किया जाए वर्गों के ने प्रोड हिटा वाली योजनाएं हैं और उनके पूरा होने से सरकार को भी साम

होगा और गरोबी भी दूर हो सकती है और अनएम्पलायमेंट भी दूर हो सकता है। इससिए इन योज नाओं के लिए बाप वित्तीय सहायता दीजिये ताकि वे पूरी हो सकों।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर बिहार में हुए साल बाढ़ आती है इसका पर्मानेन्ट सोल्यूशन यह है कि वहाँ पर जो तीन निष्यां है उन पर बांच बनाइए, जैसे कोसी पर बराब क्षेत्र में केम नहीं है, कमला बागान पर सीसा पानो के नजदीक बांच नहीं है और बागमती पर नूनचर पर हेम नहीं है, तो इन पर हम बनाए जाए। इन पर बांघ बनने से उत्तर बिहार में बिबली की कमी नहीं रहेगी बल्कि सारे हिन्दुस्तान की बिजली की जरूरत वह पूरी कर सकता है और घर घर को बिजली दे सकता है। इसलिए इनके लिए विशेष वित्तीय सहायता दे कर आप इनकी पूरा कीजिए। उत्तर बिहार में कोई छैन्द्री नहीं है। आप सर्वे करा लीबए। वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है और प्रकृति का प्रकोप बहुत ज्यादा है। कहीं पर बाढ़ आती है, तो कहीं पर मुखाड़ है, कहीं पर अतिबृध्ट है तो कहीं पर अनावृध्ट है और इनमें जो नुकसान होता है, उसके लिए लोगों को रिलीफ देने पर बाप का अरबों राया खर्च हो जाता है। अभी डा॰ राजहंस ने कहा कि बाप अधि कारियों के वेतन बढ़ाते जा रहे हैं नेकिन बाप यह देखिये कि 80 परसेन्ट जो डेवलपमेंट का पैसा है, बहु व्योरोक सी के हाथ में चना जाना है, उनकी पाकेट में चला जाता है। गांव में सड़क बनती है, तो बहु न बन कर इन के महल खड़े हो जाते हैं। अधिकारियों को बाप फैसेलिटीज दीजिए, उनकी पैंसन बढ़नी चाहिए, उनके वेतन जो चाहिए सेकिन बार कि अध्टाचार इनमें व्याप्त है, उसको भी कम करना चाहिए ताकि हमारी जो विकास कार्यसा है, उसका मिसयूज न हो सके।

एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तर बिहार में जो अशोक पेपर मिल है, उसके 4 हजार लोग अनएश्पलायड हैं। आज वह बन्द पड़ी हुई है। उसको लोलने की जब बात कही जाती है, तो कहा चाता है कि वित्तीय संकट है। उसको लोलने के लिये हुआरों रेप्ने जेन्टेशन दिये गये, कितने ही घरने दिये गये और हंगर-स्टाइक पर लोग बैठे, लेकिन उसको यह कह कर नहीं लोला जा रहा है कि चित्तीय संकट है। हजारों एकड़ उप मिल के पास अमीन है और वहाँ पर मकान बने हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है और सारी बालें हैं लेकिन बित्तीय संकट कह कर उसको चालू नहीं किया जा रहा है। इसको लोलने के लिये आप व्यवया की जिये।

आप यह पता लगा लीजिये कि क्षेत्रीय विषमता कितनी है। उत्तर बिहार में बाद पर नियंत्रण हुआ है, न बावागमन का कोई माधन है. न फैक्टरी खोली गई है और इस प्रकार से विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। वहां पर विकास का कार्य हो इसके लिये जरूरी है कि सकड़ी-हसनपुर रेल बाइन बने। इस पर 60-65 करोड रुपये खर्च आयेगा। इमी तरह से वरमंगा से समस्तीपुर बोडगेज लाइन बने। इसके बनने से नेपान कनेवट हो जायेगा और हिन्दुस्तान के बहुत मारे शहर कनेक्ट हो जायेंगे। इस पर 40 करोड से ज्यादा रुपया खर्च नहीं बायेगा। ये सब स्वीकृत योजनाये हैं बीर इनके न बनने मे उत्तरी बिहार जिलकुल अन्वकार में पड़ा हुआ है। जब रेल मन्त्री जी से इनको बनाने के लिये कहते हैं, तो वे जवाब देते हैं कि वित्तीय संकट है, हमें ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिये इनको नहीं बना पा रहे हैं। में बायके माध्यन से मन्त्री महोत्रय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंग कि इनके लिये वे अतिरिक्त धन की व्यवस्था करें और इनको पूरा कराएं, जिससे उत्तरी बिहार के लोगों की गरीबो मिटे और यहां पर जो बिबसो बनेगी और फैक्टरियों में मास तैयार होगा, तो यह दूवरी जनहों पर पहुंचाया जा सकता है।

एक और आग्रह मैं करना चाहूंगा । जाप ने देखा कि विहार में बहुन बहा मूकम्प आया या, जिममें हुजारों मकान व्यस्त हो गए, विद्यालय व्यस्त हो गए और मदाविद्यालय व्यस्त हो गये । गरीबों के को हजारों मकान व्यस्त हो गए थे, उनको वे अभी तक नहीं बना पाए हैं । हमें पहले यह पुचना मिली यी कि कच्चे मकान के लिये 7,8 हजार रुपए मिलोंगे और पक्ते मकान के लिए 26 हजार रुप्ये मिलोंगे लेकिन वे अभी तक नहीं मिले हैं और कहा यह जाता है कि वित्तीय संकट है । भूकम्प से वहाँ पर मारी हानि हुई है और इमके लिए आप विहार को स्पेशल ग्रान्ट दें ताकि गरीबों के जो घर गिर गये हैं, उनको बनाया जा सके । इसलिए गयनं मेंट इन पीड़ित लोगों के लिए स्पेशल ग्रांट दे जिससे कि वह उन पर अर्च की जा सके ।

शिक्षित रोजगार युव को की समस्या मयंकर रूप घारण कर रही है। इस महंगाई में आप 25 हजार रुपए उन्हें छंघा चलाने के लिए देने हैं और उसके लिए मी उन्हें बहुत माग-दौड़ करनी पडती हैं। बहुत से ऐसे नियम हैं जिसमें वे फंम जाते हैं। आर इस 25 हजार रुपए को राशि को 1 साल रुपए कर दोषिए और इसके लिए जो मी आवेदक हो उस आवेदक को वह राशि आसानी से मिल जाएं यह बहुत अरूरी है। इससे शिक्षित वेरोजगार युवकों को काम शुरू करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ-साथ में यह भी कहूंगा कि आराने शहरों में खावास बेड बनाए हैं। देहातों में भी ऐसे बोर्ड बनने अरूरी हैं। शहरों मे तो लोगों को सरकारी मकान भी उपलब्ध हैं लेकिन देहाओं में यह स्थित नहीं है। देहातों में बावास बेन्डों की बहुत बावब्यकता है । बाप देहातों में बावास बोडं के लिए घन र सिये। इसके साथ देहानों में ऐसे मकान बनें जो कि बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक बापदाबों में गिरे नहीं। बमी जो इन्दिरा बावास के नाम से मकान बन रहे हैं. हरिबन कालोनियों में मकान बन रहे हैं, उनको जाकर के देख लीजिए कि उनकी क्या हालन है। एक तरफ वे बनते हैं हुसरी तरफ से ढह जाते हैं। उन मकानों को बनाने के लिए आपने 5-6 हजार रुपय की राशि रही है जो कि पूरी राश उन पर खर्च नहीं होती है। उनका ननीजा यह होता है कि वे मकान प्राकृतिक प्रकोष को नहीं सह पाते। वे मकान जल्दी गिर जाते हैं और उनमें लोग मर भी जाते हैं। आप इन्द्रिंग अप्वास योजना के अप्तर्गत जो सकान बन रहे हैं उनके लिए कम से कम आप 50 हजार हुपया रखिए। एक मकान के लिए इननी राशि बहुत जरूरी है। बेशक बाप योड़े सकान बनाइए लेकिन मजबूत सकान बाइए। इन सकानों में आयाबी रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं। असी जो सकान बन को हैं उनसे ऐसा लगता है कि वे जानवरों के लिए बनाए जा कहे हैं। आप जा करके हुनको जनकारी करा लीजिए इसलिए मैं वित्त सत्री महोदय से अध्यह करूं या कि इन्दिरा बादास योजना के अन्तर्गत आराप एक सकान के लिए 50 हजार रुग्ए की राशि दीजिए। जिससे कि अबच्छे मकान बन मकें आरेर उन में लोग रह सकें। आयय थोड़े ही मकान बनाएं। इस प्रकार की डाइरेक्शन आप दीजिए।

जहां बाद आतो है वहाँ मलेरिया वसैरहा बीमारियों का प्रकोप बहुत हो जाना है। वैसे भी देहातों में ये बीमारियाँ चलती रहनी हैं। इसके अलावा बाय जो पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं वह बहुत ही अपर्याप्त है। देहातों में पीने के पाना की व्यवस्था अनिवायं कप से की जानी चाहिए, विशेषकर हरिजन बस्सियों में तो यह और भी आवश्यक है। पीने के पानी के लिए आप ज्यादा धन दीजिए जिससे कि सोगों को स्वष्स्व पानी मिस सके।

इन शन्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुक्ते बोलने का समय दिया।

की रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986-87 के निए अनिरिक्त अनुदान मौगों की जर्बा जल रही है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि दे बितिरिक्त मोगें मदन में साई जाती हैं और बार-बार लायी जाती हैं इससे मुखे सबता है कि सरकार सदन की अनुशंसा पर ध्यान नहीं देती और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से सरकार को यह काम कर रही है उससे देश को बहुत ही नुक्सान हो रहा है। सरकार की गलत आधिक नीतियों के कारण बाप मोग बहुत प्रमाबित हो रहे हैं। इसके साय-साय राज्यों का तीवगित से बाधिक विकास मी ठप्प पड़ गया है। यदि सरकार ने मुद्रास्फीति पर नियंशण पाने के लिए ठोस उपाय नहीं किए तो वेश का आधिक ढांचा चरमरा जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण इस समय आवश्यक बस्तुओं की कीनतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार का विदेशी मुद्रा मंडार भी कम हो रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत घटतो जा रही है। इसिलए सरकार से निवेदन है कि गैर योजना मद पर खर्च पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो आगे चलकर देख को बचाना मृश्किल हो खाएगा। अभी जो बजट पेश किया गया, उसमें बहुत से विमागों पर इस लोगों ने चचौ नहीं की और यह कह कर छोड़ दिया गया कि समय की कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी चीज थी, हर विषय पर चर्च की जाती और सरकार को उससे मदद मिसती, लेकिन सरकार ने इव बादों को नजरअवाज कर दिया।

देश में सबसे अधिक महत्व शिक्षा का है। 42 वर्षों से सरकार सिक्षा के बारे में कोई सास नीति नहीं बना पर्ध है, जिसके कारण किसान, मजदूर, गरीब का बेटा बाज भी गांव में अपद है। सरकार कई तरह की शिक्षा चलाती है नि:गुल्क शिक्षा भी है और 10000 चपए प्रति माहवार वासी शिक्षा भी है। गांव में प्राइभरी विद्यालय में नि:शुरूक शिक्षा दी जाती है, लेकिन बहां पर पढाई नहीं होती है। उसमें गरीब मजदूर और किसान का बेटा दाखिस होता है। उसकी स्थिति का आज सर्वे कराकर देखिए कि शिक्षा में कितनी प्रगति वहां पर हुई है। इस संबंध में एक बात बीर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पंजाब में गुरदासपुर अबि संवेदनशील इकाके हैं, इसी तरह से किहार में मेरा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद संवेदनशील हो रहा है। इस इलाके में 500 से 1000 जाबादी दाले गांवों में बच्बों के पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है और यही कारण हैं कि ये गांव वक्सलियों के अड़े बनते जा रहे हैं। मैं बार-बार सरकार के नोटिस में यह बात साला रहा हूं कि वहां के नीजवास तेजी से लिबरेशन संगठन में जा रहे हैं। अगर आप उस इलाके की संवेदनशीमता सरम करना चाहते हैं तो उन गरीबों से जो आपने वादा किया या कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 200 की बाबादी अनुस्चित जन जाति, 300 की बाबादी अनुस्चित वाति और 500 की बाबादी के सामान्य जाति वाले गांवों में प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की खाएगी इस वादे को पूरा करना होगा। बेकिन आज सन्तर्वी पंचवर्षीय योजना पूरी होने जा रही है लेकिन सभी तक वहाँ पर शिक्षा का इन्तजाम नहीं हुवा है। इनकी सूची सदन में मैं बार-बार देता रहा हूं, सेकिन कोई क्यान नहीं दिया चारहा है।

उपाध्यक्ष महोदण, में और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सभी हमारे यहां पीने के पानी की बहुत कभी हो रही है। नतीजा यह है कि सोगों को हुर-दूर पानी सेने के लिए साना पहला है। सोग पकके स्थान बनाकर समा किया हुआ पानी पीते हैं। ऐसी स्थिति सहानावाद के कई इसाकों में है। हीतरी चीच यह है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो 9-10 साल से सरकार के पास पड़ी हुई हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसी ही एक योजना पुनवुन इरवा योजना है जिसका योजना ते समय जो एस्डोमेट या जाज बहुत बढ़ गया है। अगर हमको सचमुच में विकास की बात करनी है तो जितनो योजनाएं वेख में पड़ी हैं, उनको पूचा करना होगा। अगर पैसे की कमी की बात की जाती रहेगी तो कैसे इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। इस तरह से ये योजनाएं कभी पूरी वहीं होंगी। मेरा कहना है कि इन योजनाओं को अजरअंवाज नहीं करना चाहिए। पुनवुन दरवा परियोजना को कस्दी से जत्दी स्वीकृत कर बिहार सरकार के सुपूर्व किया जार, उनके लिए खसन से वनराशि की व्यवस्था की बाए ताकि वहां पर सिचाई का प्रवन्न हो सके और वहां की संवेदनशीलता को समाप्त किया जा सके।

एक बात बीर कहना चाहता हूं, अभी एक बहुत भयानक चीव हमारे सामने बाई है। ऐसी चीव जिस पर बहुत आस्या बीर विश्वास था, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 1988 में हुई, उसमें बड़े पैमाने पर घाँधली हुई है। यहां तक कि बाहर बलाकर कापी लिखाई गई। उसके बाद उस सरके को वास किया नया। बिस पर देस को चलाने की जिम्मेदारी बाली जा रही है, वहां पर इस तरह का कार्य हो तो यह ठीक नहीं है। बिहार कोर उत्तर प्रदेश में खासकर इस तरह की गड़कड़ी हुई है। बाप इसकी बांच कराइए। बगर जांच नहीं करायेंगे तो बौर भी देश के हालात विगड़ते चले कार्येंगे और नौजवानों में आकोश पैदा होगा। नौजवानों में आकोश पैदा होने से किसनी परेशानी होती है और कितना क्यम बापको सर्च करना पड़ता है। उसके बाद भी बाकाश कम नहीं होता है। इस मामले की सी० बी • आई० से आंच होनी चाहिए। जांच कराने में जरा मी फिझक नहीं होनी चाहिए जिससे भागे माने वालों को यह महसूस हो कि गलत काम करने वालों को इन तरह की सजा मिनती है। बहानाबाद को नो इंडस्ट्री बिला बनाया हुआ है। लेकिन संवेदनशील इलाका को पंजाब का है वहां जाप बड़े-बड़े कारलाने स्रोल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि बिहार के जहानाबाद में कारसाने बोले जाने पाहिए जिससे नौजवान जो इघर-उधर घूमते हैं वे देश की राष्ट्रीय घारा के साथ वास सकें। प्रधानमंत्री जी बार-बार जहानाबाद का नाम ले हे हैं लेकिन फिर भी बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां रोज ही हरवाएं होती हैं, फिर भी ध्यान नहीं देते। वहां पर कुछ सरकारी जमीन है जो बरीबों में बोटी जानी चाहिए। जापने भूमि हदबन्दी कानून बनाया है और इस बात का प्रचार किया है कि नरीबों और हरिज़नों को जमीन वेंगे। हमारे यहां घोसी प्रखंड में डुमरी गाँव है जहां पर गरीबों के नाम से अमीन के पर्चे बन गए हैं। लेकिन बिहार के विल कमीइनर के पास फाइस जाता है कि इस अभीत का सैटलमेंट उचित मूल्य पर हो रहा है या नहीं। बिहार के वित्त कमीवनर ने यह तिसकर संचिका भौटा दी कि सगर हरियनों है साथ जमीन बन्दोबस्त किया जायेगा तो खुनसरावा होगा मीर हंगामा होगा। इस तरह कमीवनर ने लिखा है। फाइल मंगाकर आप देख सकते हैं। कमीवनर को इस तरह लिखने का अधिकार है या नहीं, यह भी देखें कि उसकी क्या अधिकार मिले हुए हैं। क्या यह बीस सूत्री प्रोग्नाम की सफलता का चोठक है। इसलिए, हरिजनों के नाम से पर्वे बने हुए हैं, उनमें आप बनीन नितरीत कराएं और राज्य सरकार पर इस काम के सिए दवाव दें : इन्हों शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता है।

भी हरीश रावत (अस्मोड़ा) : उपाध्यक्ष भी, यों तो एक जीपवारिकता है और इस जीपवारिकता का मैं भी समर्वन करना वाहूंगा। मैं दो मुद्दों की तरक सरकार का ध्यात आकर्षित करवा वाहता है। पहली बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में एक्सेस एक्सपेंडीवर होना जपने जाप में बहुत

अक्की बात नहीं है। फाइमें शयस कट्सर को हर विभाग को देखना चाहिए कि सरकार बीच-बीच में सप्तीमेंटरी प्राट्न लेकर सदन के सम्मुख बाती हैं तो उस समय ये एडजस्टमेट किए बा सकते थे। लेकिन उस समय ये एडजस्टमेट न करना और भदन के सम्पूल एवसेस ग्रांट नाकर वास करवाना, यह काई स्वस्य सक्षण नहीं है। इनमें से कई मद ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं सदन का ब्यान आ कुष्ट करना चाहुंगा । इस बिस 🎙 पेत्र 15 पर मद सक्या 83 में 40 प्रतिशत एवसेस हुता है, मद संब्या 74 में भी वहीं स्थिति है, मद संस्था 56 में बिसमे 54 है अध्डमान-निकोबार द्वीप समूह के विषय में कहा गया है। उसमे ऐसी चांजों के लिए एक्सेस हुआ जिस एवसेस के लिए जस्टिफिकेशन खुटाना, जिसको सरकार पहले कोर्सो कर सकती थी, विमाग बहले से अनुवान लगा सकते थे, उनके अनुमान नहीं लगाने से एवसस का होना अच्छी बात नहीं है। इस बोर सम्बन्धित विमागों का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। जिस तरीके से मद नंद्या 24 में एक्सेन हैं. विदेश विभाग से सम्बन्धित वह समझ में बाता है, क्योंकि दो सी रुपये मामली सी एक्सेस एडबेंस्टमेंट का सवास हो बकता है, लेकिन 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत एक्सेम वास्तव में चिन्ता का विषय है। रक्षा सेवाओं पर जो एक्सेस हुई है उसके विषा में मैं कुछ नहीं कहना काहंगा। विदेश विमाग में भी जो हुई है उसका जस्टिफिकेश (जुटाया जा सकता है जैमे रक्षा मंत्रालय में कुछ हद तक पेंशन के नियमों में संशोधन करने से और चतुर्य देनन आयोग की सिफान्शों को लागू करने स भुगतान की स्थिति में परिवर्तन आया। 3.55 Ho To

(श्री एन० वॅकट रत्नम पीठासीन हुए)

विदेश व्यापार के मामले में भी जिस्टिफिन शत है, क्यांक जितने विदृत्वल कस बीर चेकास्लोबाकिया ने किये उस हिसाब से भार बढ़ गया। लेकिन कुछ मामलों में मैं ..वित्त मंत्रो जी से विवेदन करना चाहंगा कि सरकार को अपने मत्रालयो और विभागों को बागाह करना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है इस सदन की कमेटी पी • ए० सी० ने भी इस विषय पर संकार से बार-बार अः बह किया है कि इन परिस्थितियों का पहले से आकलन किया जाना पाहिए। ऐसी परिस्थितियां मा सकती हैं उनके विषय में पहले से अनुमान लगाकर चेष्टा की जानी चाहिए और चेष्टा नहीं किये जाने पर बाद में सदन के सम्मुन इस ती के ये पोट्स के सम्बन्ध में अ ना स्वस्य लक्षण नहीं है। मैं बाप्रह करना चाहुंगा कि इस निषा में भविष्य में जितनी सावधानी बरती जानी चाहिए वह बरती जाये में विलयत्रों जी से वह भी आग्रह करना चाहुंगा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार की सी निर्णय लेना चा हुए एक ज्वलन्त मुद्दा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का है, महगाई मत्ते की किरत के भुवतान का । बजट में प्रावधान है, नियम बिलक्टुय साफ है, सुप्रीमकोर्ट न और चतुर्य वेतन आयोग ने भी साफ शब्दों में कहा है कि समय पर इसका मुग्रनान किया जाना चाहिए। जनवरी से किस्त इस् हो चुकी है, आज भी भगतान नहीं हाने से केन्द्र'य कमंचारियों में बेचनी है । इससिए इसका खल्द से जस्द म्गतान किया जाना चाहिए। केन्द्रीय कमचारी लक्ष्वे समय में मांग करते का रहे हैं कि एक वेजेब रिभ्य बोर्ड बिस तरह से पब्लिक बण्डरटे िन्स और सेस्टर में हैं और हर चार साल में वेजेब नैगोशिएसस होते है वह होना चाहिए, उन वेतन मानों में काफी परिवतन आ जाता है वेजेज नैगाशिण्श 4, से लेकिन केन्द्र मरकार के कमचारियों के लिए ऐसा नहीं होता है। उनको बेतन आयोग 🗣 गढन और उसकी निकारिशों पर निर्मर रहना पड़ना 🏿 । जो कि काफी समय लेते हैं। मैं बाग्रह करना च'हुंगा बिस तरह से वेज नैगोखिएशन की प्रक्रिया परिवक अन्हरटेकिंग्स में है. केन्द्र सरकार के क्रमंबारियों के विषय में भी एक स्वाई वेजेज रिम्यू बोड बनाना चाहिए जो समय-समय पर परिस्थितियों का ब्रांकलन करके वेजेब के सम्बन्ध में निर्णय करे। इससे वेन्द्र सरकार के कमंचारियों मे सन्तोष पैवा होगा। यह अपने ब्राप में एक ऐतिहासिक कदम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिमांड कौर एक्सेस का समर्थन करता हूं।

4.00 **म.प.**

[अनुवाद]

भी एन टोम्बी सिंह (आतंरिक मणिपुर): महोदय. मैं वर्ष 1986-87 के लए अतिरिक्त अनुदान मांगों का समयंन करता हूं मैं इस में काई असामान्य बात नहीं देख रहा हूं । हमने विशेष कर आजादी के बाद से जो वित्तीय प्रक्रिया अपनाई है उसमें इस प्रकार के कार्य प्रणंतया सामान्य हैं। जब इम एक-एक करके मदों की जांच करेंगे तो पाएगे कि ये मार्गे उचित हैं। नि:सन्देह आसोचनाश्मक वृद्धि से जो मुद्दा है वह यह है कि हमने कुछ मांगों की परिकल्पना नहीं की भी लेकिन हमारे जैसी सरकार के बजट कार्यों का यह एक भाग है। नौ मंत्राखयों की 15 पृषक मांगें हैं। मैं टिब्पणियां केवल कुछ मांगों तक ही सीमित रखुंगा।

मैं सरकार का ध्यान २ क्षा की उस मांग की जोर आ कवित कत्नाचाहूंगाजिसमें वायूसेना के रक्षरसाव के बारे में उल्लंख किया गया है। लाज 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' दीनक में श्री के बीठ पड़ा द्वारा सिखित । व्हाई अ।ई०ए०एफ० हैज एवसीडेंट्स ? घोषंक के बन्तंगत एक अस्यन्त महस्वपूर्ण लेख बकासित हुआ है। इस लेख में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा यह है कि हमें मारतीय वायुसेना में दुर्बट नाओं से बचना चाहिए जहां कि इनसे अपना जा सकता है ; इसका असिप्राय यह है कि हमें रखरकाव प्रकिक्षण और जहाजों को समय पर और उड़ान न करने देने आदि जैसी पूर्वसाय-घानियां बरतनी चाहियें। यह भी सकेत दिया गया है कि ऐसी संभावना है कि हिन्दूस्तान एयरान्।-टिक्स चिमिटेड द्वारा रक्षण्काव के स्तर में ढील दी अपाती है। मुखे इस बारे मे तथ्यों का पता नहीं है। लेकिन यह बहुत महस्वपूण सकेत है। इसका यह अभिप्राय है कि रक्षा जैसे बत्यन्त महस्वपूर्ण मंत्रालय के लिए यह आक्षेप है क्यों कि हमारी रक्षा धेनाए न केवल संस्थात्मक रूप से बल्कि मानवीय पहलू में कूशलता में गुणारमक रूप से भी बत्यन्त देजी से प्रगति करनी बाहिए। इस लेख के यह संकेत मिला है कि हमारे पास जांच करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पहला रखरखाव है। इसरा मुद्दा पक्षियों के अप्तरे से संबंधत पर्यावरण का है। इस पर अनेक एबें स्यों द्वारा नियत्रण किया जाना है। हमें पिक्षयों के खतरे पर अवस्य ही नियंत्रण करना है साकि हम नागरिक तथा रक्षा दोनों के लिए निर्वाध उड़ाने सुनिध्चित कर सकें हमने इस संबंध में एक कानून पारित किया था। मैं नहीं जानता कि इस समय उस कानून को कार्योन्वित करने की स्थिति क्या है।

में आपके माध्यम से वित्त मंत्री का ध्यान प्यंटन के मुद्दे की ओर आकृषित करना चाहूंगा। प्रांटन मत्रालय के अन्त्रंगत एक मांग आई है। मेरे राज्य मांगपुर को ही लेते हैं। प्रांटन के विशेषज्ञ सथा प्रकृषि के प्रोमी कहते हैं कि मांगपुर पूर्व का कश्मीर है। लेकिन यह प्रमाणपत्र ही काफी नहीं है। इस क्षेत्र में विदेशियों के अने पर रोक होने के कारण पूरे पूर्वोत्तर को विशेष कप से प्यंटन के क्षेत्र में किलगई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने बुद्धिमत्ता विकाल हुए पंजाब जाने वाले विदेशियों पर रोक हटाकर अच्छा किया। यदि सरकार आतंरिक रेखा के परमिट से संविधित कानून में संशोधन करके पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशियों के जाने पर लगी रोक को हटाने की समावना पर विद्यार करे तो यह पूर्वोत्तर में प्रांटन के विकास के लिए अस्थिषक प्रोत्साहन होगा। इसी प्रकार

हॉस्टन बावासों के विकास पर उचित व्यान तथा प्राथमिकता ही बाए। इस समय बसम को छोड़ दें स्पोंकि यह एक बढ़ा और संगठित राज्य है, मेचासय की राजधानी शिसींग को भी छोड़ हैं, सेकिन बन्य छोटे राज्यों, उनकी राजधानियों और बहरों में पर्यटन के लिए निक्नतम सुविधाएं भी नहीं है। इसलिए इसे देखते हुए प्यंटन विभाग को बधिक निवेश के साथ और बधिक होटल कोलने चाहिएं। यह संगवतः एक नियमित और वाधिक निवेश नहीं होगा बल्कि सब्बे समय तक के लिए एक बार ही निवेश होगा। इस कार्यक्रम के अन्तंगत विशेष रूप से मणिपुर, नागसेंड और साथ खनते छोटे राज्यों वे होटल सुविधाओं का विकास किया जाना है।

में दूसरा मुद्दा जल संमायन के बारे में उठाना चाहुंगा। आयातित रिगों का उरुलेख किया गया है। आयातित रिग पहाड़ी और पट्टानों वाले केत्रों के निए अस्यन्त सामकारी सिद्ध हुए हैं यहाँ पर पानी तेजी से लेकिन काय: बाता है। यहां वर्षा की मात्रा बस्यविक है। परन्तु अस बितना शीझ बाता है उतमा शंघ पला भी जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हमें बल के भूमिगत शातों जैवे बन्य सावन विकसित करने हैं। लेकिन बामतौर पर भूमिगत नलक्प कार्य नहीं करते। इसिक्ए जैसा कि मेरी बाटी मे होता है, मूमिगत जल प्राप्त करने के लिए हमें जमीन में हजारों मीटर गहराई तक कदाई करनी पढ़ती है। लेकिन इसके बाद मी हमें पेपजल नहीं मिलता। हमें केवल महैला पावी मिसता है। लेकिन मैं यह कहना चहना हं कि चट्टानी, पहाड़ी बीर तसहटी क्षेत्रों में रिन बहुत संतोष-खनक कार्य कर रहे हैं। यह ऐसे स्तेत्रा के लिए अत्यक्त उपयोगी है। इसिलए, हमें इस चट्टानी और पहाडी क्षेत्रों में और रिग सगाने चाहिए इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक आयावित रिग ही ब्राप्त करना उचित है, इससे भूमिगत जल के स्रोत वैसे अन्य स्रोत इन क्षेत्रों को उपलब्ध करवाह वा सकते हैं। यहां पेय वस की कभी है। कलकत्ता और अन्य चाटियों तथा पहाड़ी संत्रों से भी वैय वस की कमी के बारे में बनेक शिकायतें मिली हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में यह समस्या अलग प्रकार की है। खब हम बपने पहाडी क्षेत्रों की कठिनाईयों तथा पश्चिम बगाल, कलकत्ता तथा अध्य स्थानों की सम-स्वाक्षों की तुलना करते हैं तो यह पर्णतया मिन्न हैं। नि:सन्देह वहां पेय जल की कमी है। से किन पहाडी क्षेत्र में इस समस्या का स्वरूप पर्णतया मिन्न है। पहाडी क्षेत्रों में व्याप्त जल की कभी दूर करने के लिए मुमिगत जल प्राप्त करने के लिए आयातित रिगों को प्रोश्साहन दिया जाना चाहिए। बायातित रन सतही मिट्टी तथा बट्टानी मिट्टी बाले क्षेत्र, बोनों में कार्य कर सकते हैं। मैं समकता हं कि चुमिगन जल का उरयोग किया जाए और इसे मोस्साहन दिया चाए । हमें इस उद्देश के लिए बौर रिग बाप्त करने चाहिएं।

में एक बात कीर कहना चाहूंगा। ऊर्जी मंत्रालय के अन्तंवत अन्तंराज्यीय वारेषण साइनों का उल्लेख किया गया है। सारत सरकार ने इन लाइनों की स्थापना के लिए सजूरी दे दी है। हमारे यहां लोक्ता पन बिजली परियोजना नामक केन्द्रीय परियोजना है। इस परियोजना से हमें नावालंड, असम तथा त्रिपुरा के मार्गों को भी बिजली की सप्लाई करनो है। जब केन्द्र इन चाइनों की मंजूरी देता है तो यह व्यवस्था भी होवी चाहिए कि यह सुनिविचत करने के लिए यथा व्यान रखा चाये कि कोई तब्यं व्यवस्थाएं न की जाएं। जब पारेषण साइनों के विफल हो चाने, अन्तंराज्यीय पारेषण साइनों में बार-बार ककावट पड़ने से हमारे पास काफी बिजली होती है तब भी सप्लाई में काफी ककावट जाती हैं। इस संबंध में एक संभावना और है। क्योंकि पारेषण साइनें कठिन पहाड़ी क्षेत्रों और बंगलों से गुजरती हैं इसलिए ककावट होने, विजली की चोरी होने की संभावना पहती है और इसके लिए किसी को बदायमी नहीं करनी पड़ती है। इसिंबह ऐसे कार्य करने की बदायमी नहीं करनी पड़ती है। इसिंबह ऐसे कार्य करने की बदायमी नहीं करनी पड़ती है। इसिंबह ऐसे कार्य करने की बदायमी नहीं करनी पड़ती है। इसिंबह ऐसे कार्य करने की बदायमी नहीं करनी पड़ती है। इसिंबह ऐसे कार्य करने की बदायमी स्वांत्र संवांत्र स्वांत्र स्वांत्र स्वांत्र की बदायमी नहीं करनी पड़ती है। इसिंबह ऐसे कार्य करने की बदायमी स्वांत्र संवांत्र स्वांत्र स्वांत्र स्वांत्र स्वांत्र स्वांत्र की बदायमी नहीं करनी पड़ती है। इसिंबह ऐसे कार्य करने की बदायमी स्वांत्र संवांत्र स्वांत्र स्वां

है। इन समस्याओं से उबरने के लिए बन्तराज्यीय पारेषण लाइनों के लिए ऋण. बनुशन या सक्षायता आप्त कर रहे राज्यों को सक्त चेतावनी दी आए कि ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उचित उपाय किए आएं।

बन्त में, में बोधोगिक और वैज्ञानिक अनुमन्धान के बारे में कहना चाहंगा। सेंट्रल इलेक्ट्रा-निक्स को बी वई बार्तिरक्त राशि के बारे में मागों में उल्लेख किया गया है। हमारे पर्वोत्तर राज्यों में परिवहन की समस्याओं और बन्य कठिवाईयो के कारण हमें निकट मनिक्य में भी वहां कहे उद्योग सगने की संबादना नजर नहीं आशी। ऐमें इसेन्ट्रानिक तथा अन्य उद्यागों, जहां मानव संसाधन का पर्याप्त उपयोग हो सके, बारे में स्यावहः रिक रूप में स्था सीचा का सकता है ? इस संबंध में मैंने अपने मावणों में अनेक बार कहा है तथा प्रवन भी किए गए हैं कि मणिपूर जैसे राज्य में ऐसे उद्योग नहीं सग के हैं। हमारी मांग के बावजद ये स्थापित नहीं हो वहां देलों का प्रावधान हीं है। विज्ञान और कालेज की शिक्षा के बाद यूवा सड़कों और लड़कियों को रोजगार देने के लिए उपाय तया संसाधन कहां हैं ? वे सब स्नातक तथा स्नातकोत्तर बिग्निया लेने के बाद हतोश्साहित हो रहे हैं। इनमें, हजारों हतोश्साहित हो गए हैं और वे अन्य रान्ते जैसे बान्दोलन, भूमिगत गतिविधियां, विद्रोह इत्यादि अपना रहे हैं। यदि हम रोजगार के कोई सामन उपलब्ध करा दें तो उन्हें रोक सकते हैं। ये साधन छोटे उद्योव हैं। एक उदाहरण तो इलैक्ट्रानिक उद्योग है। मैंने बपनी टिप्पालयों तथा कुछ बन्य बदसरों पर कहा या कि मणिपूर बच्छे मानद संसाधन तथा प्रौद्यागिक प्रतिमा उपलब्ध करा सकता है। सोग उच्चोग को आसानी से अपना सकते हैं। यहां पर एच-एम०टी०, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा ऐसे उपक्रमों को यह देखना चाहिए कि वे युवा लोगों को रोजगार देने के जिए अपनी अधिक इकाईयां वहां सार्से । इसमे एक तरफ तो आर्थिक राहत मिलेगी बौर दूसरी तरफ इससे सर-कार को रावनैतिक राइत भी मिलेगो क्यों कि वहां पर रोजगार के कोई साधन न होने से बेरोबगार युवा लोग हतोत्साहित हो रहे हैं।

मैं नागरिक पूर्ति पर मी कुछ कहना चाहूंगा। मिलपुर जैसे इरफराज के राज्यों को कुछ वस्तुएं वितरित करने की संजावना है। ऐसी रिपेट हैं कि रेपसीब तेस और अन्य वस्तुओं का आवटन कराने के बाद इन बस्तुओं को कुछ एजेंट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कुछ वितरक उठा लेते हैं। सरकार की जानकारी या बिना आनकारी के इन वस्तुओं को चोरी होती है जिसके परिणाम स्वरूप बस्तुत गतब्य स्थानों तक नहीं पहुंचती हैं। इसिसए यदि रास्ते में चोरी हो जाती है तो आवटनों का कोई साम नहीं है। मैं यह चाहुना हूं कि सरकार को राज्य सरकारों को सलाह से राज्य के उपभीग की आवटित बस्तुओं के चोरी रोकने के लिये कदम उठाने चाहिए। मैंने इस बारे में प्रश्न उठाया था कि क्या रेपसीड तेस जैसी वस्तुएं अपने गंतब्य स्थान तक पहुंचने से पहले वितरकों द्वारा अन्यत्र पहुंचाई जाती है? सरकार ने कहा कि उन्हें इसकी कोई आनकारी नहीं है। सम्मवतः राज्य सरकार के कोई आनकारी नहीं है। से नहीं जानता कि क्या ऐसे मामसे में राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के बीध कारी भी शामिस हैं तथा ऐसी स्थित में जानकारी मिलना असंभव है। मुझे किसी विशेष बिधकारी को जानकारी नहीं है। परन्तु यह सच है कि वथीं से ऐसी चोरी हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का क्यान आकिवित करना चाहुना हूं ताकि इसकी तरफ क्यान दिया छा सके।

इन बन्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

भी बाँ॰ एम॰ बबातवाला (योम्नानी): प्रहोदय, सभा से 242.24 करोड़ क्यये के अतिरिक्त अयस को नियमित करने का अनुरोध किया है। मैं मानता हूं कि कमी-कमी अतिरिक्त अयस की बाद- इयकता होती है। इसलिये मैं यह बेबुनियादो बाराप नहीं लगाऊ ना कि सरकार प्रत्येक प्रणाली तथा प्रत्येक संस्था बादि को नव्ट करना चाहुती है। हम जानते हैं कि ऐसे भी अवसर बाहे हैं जब बित रिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी, इस समय को बितिरक्त व्यय दिसाया नया है, वह गम्भीर चिता का विषय है। इसलिये सरकार से मेरा अनुगोध है कि वह यह सुनिव्चित करे कि बज्र पर नियंत्रण सकत कर दिया जाए।

वर्तमान अनिरिक्त अनुदानों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में इस बात पर बल दिया है कि किनियय अनिरिक्त व्यय इस स्वरूप के हैं कि यदि उनका पूर्वानुमान मूल बजट बनाते समय नहीं भी लगाया जा सकता था तो कम से कम अनुपूरक मांगों का हिस व लगाते समय उसका सही अनुमान लगाया जा सकता था। लोक लेखा समिति की इस टिप्पणी पर गम्भी-रता से ब्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिये हर सम्मव प्रयास किया जाना चाहिए कि मविष्य में ऐसे अवसर पैदा न हों। ऐसी अनुपूरक मांगों और अनिरिक्त क्यय से सभी बजट सम्बन्धी कार्यों पर वास्तव में विपरीत प्रभाव ण्डता है इसलिये इससे बच्चना चाहिए।

वर्तमान अतिरिक्त व्यय से बजट-नियण्य की कमी अववा असफलता परिनक्षित होती है। यह ऐसी बात है जिस पर सरकार को गम्भीरत। से विचार करना चाहिए लोक लेखा समिति ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। आक्ष्य ये इस बात का है कि लोक लेखा समिति को न जान और किसनी बार अपनी टिप्पणियों को बोहराना पड़ेगा।

लोक लेखा समिति ने इस बात के बारे में भी टिप्पणी की है कि सरकार को वर्ष की समाप्ति पर अत्यिकि व्यय से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह बजट नियंत्रण का निष्प्रमावी बनाता है। तीसरी टिप्पण। यह गयां है कि व्यय और इसकी बुकिंग के बीच के अन्तराल को कम करने का प्रयःस किया जाना चाहिए। मैं बीक लेखा समिति की इन सभी सिफारिशों पर विशेष बस देने के सिए कह रहा हूं।

आज सरकार इस समा से इस अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिये कह रही है। सरकार को इस ममा को बताना चाहिए कि लोक लेखा समिति की इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यानिवत करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है। सरकार की इस ममा को यह बताना चाहिये कि बन्ट
नियंत्रक को संक्त बनाने उन क्षेत्रों का पना लगाने, जहाँ बिलों की प्राप्त और उनके भुगतान के लिये
समय सीमा निर्धारित की जा सके, तथा व्यय और उसकी बुक्ति के बीच के अन्तराल को कम करने
हे लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। हमें बताया जाना चाहिए कि मरकार का इस संबंध में क्या
बिचार है। इस समा को, इस अतिरिक्त व्यय को नियमित करने से पहले, इन महत्वपूर्ण मामलों में
की गयी कार्यवाही के बारे में बताया जाना चाहिए। सरकार को इस समा को गमीर आश्वासन देना
चाहिए कि यह सुनिध्चत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी खायेगी कि अतिरिक्त व्यय को, यदि इससे
बचा व भी जा सके, तो कम से कम इसे उचित सीमा तक अवश्य रक्षा जाएगा।

यह महत्यपूर्ण बात नोट की जानी चाहिये कि अनेक मंत्रालय ऐसे हैं जो अपने विनियोजन-अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करते हैं जिससे मूल बजट अनुमानों में पर्याप्त रूप से संशोधन करना पड़ता है। इसलिये विभिन्न मंत्रालयों के विनियोग अधिकारों की समीक्षा की जानी चाहिए। क्या हम सरकार से जान सकते हैं कि विभिन्न मत्रालयों के जो हमारे नियंत्रण तंत्र को अध्ययस्थित कर रहे हैं, विनियोग अधिकारों की समाक्षा करने के लिये क्या कथम उठाने का विचार है? एक इसरी गम्भीर बात है जिस की तरफ मैं सरकार और इस सभा का भ्यान बान वित करना चाहता हूं। मुझे यह पढ़ कर बड़ा आक्वयं हुआ कि पर्याप्त मात्रा में गलत बुकिंग की गयी हैं। इतनी बिक संस्था एवं मात्रा में त्रुटिपूर्ण बुकिंग से बापका क्या मतलब है। मांग सक्या 22 के संबंध में भी, जो 'रक्षा पर पूंचीगत परिकाय' के बारे में है, गलत बुकिंग की गयी है।

यह स्थित हमारे रक्षा मंत्रालय के मामले में है। भेरी हमेशा यह धारण रही है कि बन्ध मंत्रालगें की अपेक्षा रक्षा मृत्रालय अधिक अनुशासित है। परन्तु यह देखकर मुझे बाश्चयं हुना कि रक्षा पर पूंजीगत परिक्यय के मामले में 7.67 करोड़ रुग्ये का अतिरिक्त क्यय हुना है तथा 6.99 कोरड रुपये की गलत बृक्ति हुई, जिममें संशोधन करना पड़ा जिसे बही-खातों में दर्ज करना पड़ा। अतिरिक्त अनुदानों बड़ा माग रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, अर्थात् 242.24 करोड़ रुपये में से रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय 190.48 करोड रुपये तक का है। में उनके अतिरिक्त व्यय कि सम्बन्ध में अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, परन्तु में यह नहीं अन्तता कि इनके पीछे क्या काश्च ये। यह गलत बृक्ति बड़ी खेद-जनक बात है। हमारे खातों में इननी अधिक गलत बृक्ति हमारे बजट नियंण तंत्र को निरयंक बना देती है। अनुपूरक मांगो के समय हमें इस गलत बृक्ति के बारे में नहीं बताया गया बल्क अतिरिक्त व्यय के समय गलत बृक्ति य और खातों में उनके सलोधन के बारे में बताया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी गलत बृक्ति के लिये कीन बिक्सिदार है? गलत बृक्ति करने वाले कर्मचारियों को जिन्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है? क्या उन्हें सजा दो गयी है? यह स्विश्वत करने के लिए क्या कथा उठाये गये हैं कि ऐसी मलत बृक्ति दुवारा न हो जिससे, बैसा कि मैंन कहा, हमारा बजट ियत्रण तंत्र निरम्ब हो जाए?

समापति महोदय, मैंने अभी एक माननीय सदस्य को मांग सख्या 11 अर्थात विदेशी ध्यापार और निर्धात उत्पाद के बारे में कहते हुए सुना। उन्हें यह कहकर गुमराह किया गया, को हां, इसें अपने निर्धात बढ़ाने हैं।" क्या इसका मनलब है कि बाप जो कुछ करें, वह इस समा को मानना चाहिए ? परन्तु ब्रितिरक्त व्यय के बारे में अलग प्रदन है नियान में वृद्धि करने के बारे में हम आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं और सरकार के प्रति हमारी सहानुभूति है। वरन्तु मांग संस्था 11 के मामले में इताया गया है कि भारत से लरीददारी करने के लिय तकनीकी ऋण सुविधा के अतिरिक्त सोवियत संघ और चैकोस्लोवाकिया द्वारा वन निकालने के परिणाम ग्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। यह मामलों की आइचर्यजनक स्थिति है। लेखा-परीक्षण के प्रार'म्मक सिद्धांतों को जानने बाला अतिरिक्त स्थय की ऐसी sयाक्या मुक्किल से स्वीकार करेगा । सीम ग्य की बात है यह मेरा विषय था । सोवियत संच और चैकोस्लोबाकिया द्वारा घन निकालाअवब्य गयाहोगापरन्तुयह अधिक व्यय वर्षकी अविधि कै दौरान हुआ होगा। क्या आप इस अविश्कि स्यय पर निगरानी नहीं रहा रहे थे? ये वर्ष के दौरान होते हैं। आप कूछ बजर नियंत्रण रसते हैं नथा सोवियत संघ और चैक स्लोबाकिया द्वारा धन निका-लने पर निगरानी भी रखते हैं और उपयुक्त समय पर इस बारे में कहते हैं जब समा के समक बतु-परक मांगें रखी हुई होती हैं। इस तक से स्पष्ट है कि जहां तक हमारे बजट नियंत्रण का मध्वन्य है, इसमें कमी है। इसलिये में बजट नियत्रण को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। इन देशों द्वारा घन निकासने पर निगरानी रखने का कार्य किसका या ? कीन यह निगरानी रखने में अस-फस रहा ? यह सुनिध्यत करने के सिये क्या ज्याय किये गये हैं कि इस कार्य को न कर पाने वाले को इंडित किया जाए और यह सुनिश्वित करने के लिये कदम उठाये जायें कि इस प्रकार की वसफलता दुवारान हो।

करेक दूसरे अनुदान हैं जिनका मूल बजट या खितिरिक्त अनुदानों के समय आसानों से पूर्वीनुमान सगाया जा सकता था। हमारी मांग संख्या 22—रक्षा मेवाओं पर पूंची बतव्यय के बारे में
है। इसमें यहां अतिरिक्त ब्यय क्यों हुआ। यह अतिरिक्त ब्यय लगमग 7.67 करोड़ रुपये के बराबर
है और हमें बताया गया है कि अतिरिक्त ब्यय मुख्यत: निर्माण कार्य में छजी से प्रगति के कारण हुआ।
मैं आपको निर्माण कार्य में तेजी के सिए बधाई देता हूं किन्तु निर्माण कार्य में तेजी के कारण संमवत:
आपने लागन में वृद्धि को टाल दिया है और ऐसा करते हुए आपने काम को तेज करने के लिए अधिक
सर्च किया है। इन प्रकार हम विभिन्न दुरुचकों में फसे हुए हैं।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी॰ के. गढ़वी) : अन्यया यह अगले वर्ष मे चना जाता:

श्री जी एम॰ बनातवाला ंयह अगले वर्ष में नहीं जाना चाहिए। जाप की योजनाएं समय पर पूरी को नहीं को जा मकीं? मैं इस मृद्दंपर जोर दे रहा हूं। जपने काम को तेज की जिए किन्तु काम को सामान्य समय में तेज किया जाता और पूरा किया जाना चाहिए।

सत: मैं कहना हूं कि जहां तक इन अतिरिक्त अनुदानों का संबंध है ऐसे विभिन्न पण्ण है जहां अधिक सतक्तां की आवश्यकता है। निश्चय ही कुछ मृह्दे ऐसे हैं जिन का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था। मैं कोई बेबुनियाद अल्रोप नहीं लगा रहा हूं कि सरकार संस्था को नश्ट करने पर तुनी है। मुझे विश्वास है कि सरकार का भी अतिरिक्त खर्च की इतनी ही चिन्ता है जितनी कि सदन चै अन्य सदस्यों अयवा अन्य किसी व्यक्ति को है।

मुक्ते विषया व है कि भरकार भी बजट का अध्दर करती है यद्यपि आदर किसी अन्य प्रकार का है। किर भी कोई गंभीर जारोप लगाए बिना मैं यह कहते हुए अपना मायच समाध्त करता हूं कि वर्तमान अविक सर्चे में पूजीचनीय द्रग में बजट नियत्रण की स्थिति प्रकट हो रही है, जिसको इस प्रचाली के हित में मजबूर करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादबपुर): ममापित जी, डिमाण्ड्स फार एक्सेस ग्रान्ट्न जो यहाँ रर पेश की गई, उसका समयन करती हूं। डिमाण्ड्स जब चल रही यो तो केवन तीन मन्त्रालयों के बारे में ही विचार हुआ था: एज़केशन और डिफंग के बारे में डिसकशन करने का मौका नहीं मिला था। डिफंग हमारे देश का एक बहुत हो महत्वपूर्ण मन्त्रासय है बीर हमारे देश का गौड़ है। इसमें ज्यादा एक्सपेंडीचर हो सकता है। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के लिए सप्त्रीमेंटरी डिमाण्ड्म फार ग्रांटन पर बहुस करना कस्टमरी है। अभी बनातवाला जी ने ठीक कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि एक्सेम ग्रांटन ज्यादा नहीं हो सके इससे पब्लिक क्रिटिसीजम बहुत होना है। यह भी देखने में आता है कि सरकारों दफारों में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ नया है। बगर किमी जेतुहन काम के लिए अधिकारी बाहर की कट़ी में आते हैं तो ठीक है, लेकिक फड़स का मिस-पूत्र नहीं होना चाहिए। कई दार ट्रिंग के लिये भी बाहर में जना पहता है, लेकिक फिल-प्रमुत्र नहीं होना चाहिए। कई दार ट्रंगि के लिये भी बाहर में जना पहता है, लेकिक मिस-पुत्र नहीं होना चाहिए। में पहले भी बोल चुकी हूं शौर अब किर बोलना चाहती हूं कि हमारे पश्चिम बंगाल में पीने के पानी की बहुत बड़ी प्रावलम किएट हो गई है। हमारे विरोध पक्ष के दोस्त बोफोर्स, ठक्कर कभीशन और फेयरफैक्स की बात करते हैं और इंटरनेशनल पोलिटिक्स की बात करते हैं लेकिन पोने के पानी की समस्या की और किसी का व्यान नहीं जाता। में लोग बहुत ग्रोग्नेसिव बात करते हैं बे

लेकिन हवारे राज्य में इस रुपए देकर एक बकेट पानी का मिलता है। इसका बहुत अफसोस है। अध्यान निकीबार, अक्षद्वीय भीर अन्य स्थानों की बात करते हैं लेकिन अपने घर में जो बाबलम है जन है बारे में कोई नहीं बोलता। ः (श्यवधान) हमारे राज्य में गांव-गाव में ट्यूबवेल खराब हो गए हैं, जिससे पानी की समस्याबहुत ज्यादा बढ़ गई है। कूछ रोज पहले मैंने म्युनिसिपेलिटो के सामने पीने के पानी के लिए डिमान्स्ट्रेशन किया था में यह निवेदन करना चाहनी हूं कि स्पेशल असिसटेंस वीजिये जिससे पोने के पानी की समस्या हुल हो सके। ऐसी ही समस्या त्रिपुरा, बिहार, राजस्थाव बोडिसा और बन्य जगहों पर भी है। इस लए, सरकार को स्थान देना बहुत जरूरी है.... (अधवधान) मैं पावर काइसेज के बारे में भी कहना चाहुंगी । यह हमारे देश में बहुत से राज्यों में है। लोकन मेरे राज्य में बहुत है। वहां पर चौबीस घटें में से 20 घटे पःवर नहीं मिलती है। इससे पानी की प्राञ्चम होती है, कोई उद्योगपति वहां उद्योग नहां लगाना चाहता, प्रीस में काई काम नहीं हो पाता है, जिल्ह्रन एज्डेशन में बाधा पहती है। इतिलए मैं मत्रीजी को कहना चाहती हूं कि पावर स्टेशन के बिए हमारे राज्य में कुछ व्यवस्था करें तो में अपकी अति आभारी रहेंगी। आपके विका के बबट में तीन करोड़ रुपये कम कर दिये हैं, जबकि इसमें तो बजट एक्सेस होना काहिये था क्योंकि हवारे देश में निरक्षरता की काफी प्राब्दम है, हालांकि सरकार ने इस विषय पर काभा व्यान दिया है। ब्रीर सीगों को साक्षर बनाने के लिये प्रयास किये हैं। लेकिन बहुन से इटीरीयर गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाओं और बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है इनके िये आरकी ज्यादा ध्यान देना पाहिये। इसके वास्तै आप शिक्षा के बजट में अधिक पैसा वें। अगर हम शिक्षा का प्रसार नहीं कर पार्येग, लोगों में लिट्रेमी नहीं लापायेंगे तो एजुकेशन की क्या वैत्यु होगी। आग गहः पर अच्छे-अच्छे कानुन पास करते हैं, लेकिन उन्हें समझे गाकीन । आज केन्द्र सरकार अच्छे-श्रच्छे लॉज पान करता है, सेकिन गांवों के लोगों का इन पर व्यान कैसे बायेगा और इलाट्रेनी होने से आम आदनी उसे समझ नहीं पाता इससे कानून का कोई फायदा नहीं है। इसलिए शिक्षा की तरफ आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

श्री अजीज कुरेशी (सतना): समापित जी में वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रम्तुत अिरिक्त अनुदास मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि समय कर है, इनिल ए में कुछ खास-खास मांगों पर ही अपने बिचार प्रकट करू गा। सबसे पहने मांग नम्बर 18, 19, 20, 21, 22 हमारे रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित है। बमी यहां यह बात कही गई कि रक्षः में नती के कुछ जहाज जो गण्डमान निकोबार गये और बहुत सा रुपया प्रधान मन्त्री के कपर उनके द्वारा खद्म किया गया। में पूछना चाहूंगा अपने विरोधी माइयों से कि खाली बालोचना करने के लिए ही आलोबना करें और रखा मन्त्रालय को उसका शिकार बनना पड़ें यो यह बहुत ही दुर्भाय की बात है। नेवो के जहाज बगर पानी में नहीं रहेंगे तो नया वह कलकत्ता की सड़कों पर चलेंगे। यह खेद की बात है यरे विचार में इन बातों से परहेब करना चाहिए। योड़े दिन पहले की बात है, मुक्ते सीमाय्य मिला और मेरे साथ बहुत से माननीय सदस्य इस पालियामेंट के थे जिन्हें बम्बई में नेवो के जहाजो पर जाने का अवसर मिला या जब राष्ट्रपति जी ने उनका निरीक्षण किया था। हमने देखा, एक भारतीय होने के नाठे, एक सांसद होने के नाठे हमें गर्व है कि जो तरक्की नेवी ने की है और जिस बीरता से नेवी के लोग अपने कत्तंव्य का पालन कर रहे हैं वह हम सबके लिए सिर क चा करने की बात है. जब मेरी उनके वर्ष हिंद तो नेवो के कुछ जिम्मेदार बाफिसरों मैं मुझ यह बात सुनने को पिली कि अपनी नेवी एक्सरसाइज के लिये उन्हें जितनी घनराधि की खरूरत है, जितनी पैसे की आवश्यकता है, वह धन

उन्हें नहीं मिल पाता। यहां तक कि पैसे के अभाव में वे लोग पर्याप्त मात्रा में द्रिल मी नहीं कर पाते, जिस तरह पहले द्रिल किया करते थे। पैसे के अभाव में अब वे द्रिल भा नी कर पाते। जहां मैं नेवी के उन बहादुरों की सराहना करता हूं. वहीं माननीय विश्त मत्रा जी से चाहता हूं कि वे नेवो के दन बहु दुर सिपाहियों और सूरमाओं को पूरा-पूरा सरकाण दें और नेवी की एक्सरसाहजेब के सिये उन्हें बितनी घनराशि की अकरत हो, उसका आवटन करने की कृपा करें।

ऐसे ही, कुछ दिन पहले, दिल्लो में एअर फास उपर हमें मारत की एयर-फोर्स के बीरतापूर्ण कारनामे देखने को मिले कि कैसे वे बहुदूर अपन देश की सीमाओं को रक्ष करते हैं, किस कीरता के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हैं, मैं उनकी भी इस सदन में सराहना करना चाहता हूं और दिल मन्त्री जी संचाहूंगा कि उनके कल्याण और मलाई 6 लिये भी अधिक से अधिक घन-राशि दी जाये।

सब में माननीय किल मन्त्री जी आपका घ्यान इन मांगों की ओर दिलाना चाहूं गा, जिनमें कहीं भी एक्स-पिंसमैन के बारे में दोई बात नहीं कड़ी गयी है, काई प्रावधान नहीं किया गया है। आपन पेंचन के लिये इसमें व्यवस्था की है परंन्तु एक्स-सिंबसमैन को तरफ शायद आपका घ्यान नहीं गया है। में बाहूंगा कि देश के तमाम एक्स-पिंसममैन के कल्याल के लिये, इनको मलाई के लिय, समय-समय पर इस सदन में और सदन के बाहर जो कुछ कहा गया है, सरकार उस ओर घ्यान दे। एक्स-सिंबसमैन, इस देश के लिये अपना सारा जीवन समियित कर, आज इस स्थिति में पहुंचा कि सरकार उनके कल्याण, ःनको मलाई और बहुनूदा के लिए अधिक से अधिक कदम उठाये।

बद में, सभापित की बापका क्यान टूरिजन से सम्बन्धित मांग न० 74 को बोर दिलाना चहूंगा। मेंने बनेको बार इस सदन में और बाहर मी चर्चा की है कि मेरे निर्वाचन खेत्र सतना में चित्रकृट बोर मेंहर दो ऐसे स्थान हैं, जिनका पर्यटन की दृष्ट से विकास बहुत जरूरी है परन्तु बाहचर्य है कि न ता बाज नक के द्व सरकार की ओर से और न मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई कदम उठाये गये। चित्रकृट बहु स्थान है जहां भगवान राम ने अपने बनवास के 14 वर्ष बिताये ये और बहीं रहते हुये उन्होंने रावण से युद्ध की तथारी की थी। वहां केवल भारन से ही नहीं, विदेशों से भी हकारों की सक्या में पर्यटक यात्रा करने के लिये आते हैं। चित्रकृट का महत्व केवल धार्मिक क्य में ही नहीं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक और बन्य कई दृष्टियों में भी है, लेकिन उत्तरप्रदेश बौर मध्य-प्रदेश के बीच झगड़ा चन रहा है। मेंन इस सदन में सुकत्व दिया था कि केन्द्र सरकार चित्रकृट के लिये एक देवलपमेंट भीधारिटी गठित करे और उनके विकास के लिये स्थय फण्ड उपलब्ध कराये, धनशांचि वे और बपनी निगरानी में पूरे क्षेत्र का विकास करे तब जाकर वह इलाका टूरिस्ट स्पाट बन सकता है, पर्यटकों के लिये अपकर्षण का केन्द्र बन सकता है। वहां इननी सुन्दर पहां इया है, निवाब है, बमन है, शान्ति है पुकृन है, परन्तु अभी नक उपका विकास नहीं हो पा रहा है। टूरिस्टस को वहां बनेक किवाइयों का सामना करना पहता है। में च हूं गा कि सरकार इस बौर व्यान दे।

समापित जी, मैंहर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दूसरा स्थान है जिसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की जरूरन है। वह सारदा माता का स्थान है। इतना ही नहीं, मैहर कला की दृष्टि से मो महत्वपूर्ण है। वह उस्ताद बनाउद्दोन स्वां की सरजभी है जन्ममूचि है। इस दृष्टि से वहा हबारों की संस्था में लोग बाते हैं और हर साल वहां कल्वरल फैस्टियन बायोजिन किया जाता है। मैं बाहूंगा कि सरकार गेहर की तरफ मो ध्यान दे, मेहर का विकास करें मेरा सुझाव है कि नेहर बोर चित्रक्ष्ट्र दोनों स्वानों के लिये सरकार पायलट प्रोजेक्ट बनाये बोर उसके बाबार पर दोनों स्थानों का विकास करें।

सभागीत जा, यहां पर पावर के स्ववन्य में काफा चला का गया। यहां जितनों वाले कही गयीं, उनसे यह सामने आया कि हमें नीन कन्वेन्शनस एनर्जी के रिधोर्सेंग का उपयोग करके अधिक से अधिक पावर हासिल करनी चाहिए लेकिन मैं शासन से पूछना चाहूंगा कि स्माल विंड जनरेटसें जो यूरोप और अमरीका में बहुत पापुलर हैं और इन स्माल विंड जनरेटसें के द्वारा काफी पाँवर का उत्पादन होता है। सरकार ने आज तक मारत में इस इ बस्ट्री का सरकाण देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या कदन उठाए हैं। मैं च हूंगा कि सरकार स्माल विंड ज रेटर्स की इंडस्ट्रीज को पूरा-पूरा समयन दे और जो लोग इन इंडस्ट्री में है, उनको अधिक से अधिक इमदाब दे।

इसी प्रकार से महोदय, वाटर रिनासेंस की बात यहां पर शाई है। इसके सम्बन्ध में मांग संख्या 97 के ऊपर में कहना काहूंगा और सतना क्षेत्र को बाद सागर पियाजना का जिक्र करना बाहूंगा। सैंकड़ों करोड़ रुपथा बापने वहां पर खन किया और वहां के उन्हें हुए खोगों का आबाद-कारी पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कई साल गुजरने के बाद, 8-10 साल के बाद भी न तो आब सक बहु बांब बच सका है और न हो वे लोग पूरी तरह से बहा आबाद हो पाए है और इस बांध से सम्बन्धित वहां पर एक पाँवर डैम है, बिजलों को याजना है निहंपुर, यह मेरं चुनाव संघ में है यह बी केन्द्रीय सरकार की आपिलियों के कारण अधूरी पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि अगर मध्यप्रदेख सरकार ने कुछ शर्ते पूरी नहीं की है, तो केन्द्रीय सरकार इसका बहुत हो कड़ी निगाह से देखे और इसको तुरन्त सुकम्मक कराया जाए ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ बहा के लोगों को मिल सके।

मांग संस्था 93 में पांस्लक बयसं हिपाटंमेट के बारे में बात की गई है। मैं इस सम्बन्ध में सिखं यह कहना चाहूंगा कि बिल्तक बयसं डिगाटमेट को सरकार जित श चाहे, रुग्या दे दे, लेकिन कम से कम जो मैंन्बर आफ पालियामेंट जिन घरों में रहते हैं, उनको सरकार का कोई बिम्मेदार मंत्री जाकर देखं कि उन घरों की क्या दबा हो रही है। चार-चार साल से व्हाइट वादा नहीं हो पाया है। बायस्म के मामूली से काम, नलके, टेर के, खाटे खाटे काम पूरे नहीं हो पाते हैं। इतनी अच्छी मंत्री के होत हुए, मी यह हालत है। जब हम मंत्री जी के पास जाते हैं मत्री जी बहुत व्यान से हर बात को सुनता हैं पूरी सहायता करती हैं, लेकिन निचल स्तर पर जो इन घरों को हालक है, उस को देशा जाए। मैं चाहूंगा सरकार मैं बर आफ पालियामेट को कम से कम अच्छा घर रहने के लिए दें। उनकी सुनिया का अच्छा इन्तजाम किया जाए।

समापित जो, इसी प्रकार से मैं अंबमान निकोबार और ललढीय के बारे में जो 54 और 56 में मांन की भई है, इस बारे में कहना चाहूंगा। बहुत दिनों से हम सुनते आए है कि अंडमान निकोबार बाइलैंड की हम डबसप करेंग और उसको मारत में हांगकांग को तरह बनाएंगे। लेकिन इस बारे में अब तक कोई निश्चित योजना हमारे नहीं आई है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि अगर हमारी रक्ष डिकेंग की द्विट से वहां कोई खतरा नहीं हो, और डिकेंग के लोग इस योजना को स्बोकार करें, तो अंडमान निकोबार की योजना को फो पोट की तरह से हांगकांद की योजना पर बागे बढ़ाया जाए और इस तरह से वहां तुरुष्त कार्यवाही की जाए।

समापति जो, इसी ठरह से मैं सतना को गरीबी, मुखमरी, बेरोजगारी और दुख की तरफ हयान दिनाना चाहूंगा। हो आज तक पब्लिक सैक्टर के कोई कारखाने की स्थापना नहीं हुई है। मैं बाहूंगा कि डिक्टन मिनिस्ट्रों के कारखाने जो वहां आसपास फैले हुए है, सतना के अन्दर भी नगाए जाए। ताकि वहां के लोगों की गरीबो हुर हो सके।

इतना कहते हुए मैं इन मोगों का समबंन करता हूं।

جناب عزیز قرلیتی (سننا) : سبحابتی جی ! بیس ویت سنتری جی دُوارا پرستوت اتی دکت انودان مانگو^ل کاسر تھن کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ سے کم ہے اس لئے میں کچھ خاص خاص ما نگول برہی ا پیے وچار پرکٹ کروں گا۔ سب سے پہلے مانگ تغیر ۱۸ر ۱۹ر۲۰ ر ۲۲ ۲۲، جارے رکشاسترا لیہ مصسمبند مست ہیں۔ ابھی بہاں یہ بات کہی گئ کر رکشا میں نیوی کے بھی جہاز جو انڈومان نکو بارگئے اوربہت ساردبیے پردسان منتری کے اوربران کے دوارہ خرج کیا گیا۔ میں لوقینا چا موں کا اسب ورودهی بھایکوں سے کرخالی آلوجنا کرنے مے ہی آلوجنا کریں اور رکشامنتر الیہ کواس کا شکار بنا بڑے نویر بہت ہی دو بھاگیدی بات ہے ۔ نیوی کے جاز اگر پانی میں بہیں رہیں گے تو کیا وہ کلکتے کی طرکوں پرچلیں کے ؟ بر کھیدی بات ہے ۔ میرے وجاریس ان بالوں سے پرمبر کرنا چاہیے . محورے می دن پہلے کی بات سے مجھے سونجھا گئے طلا اور میرے ساتھ بہت سے اسنے سدستے اس یارلمینٹ کے تفے جنہیں بدبین میں نیوی کے جہازوں برجانے کا اوسر طا تھاجب وانتطریتی جی نے ان کانرکشن کیا تھا ۔ ہم نے دیکھا ایک بھارتیہ ہونے کے ناملے ایک سنسد ہونے کے نا طے بیس گروہے کرو ترتی نبوی نے کی ہے اورجس ویرتاسے نبوی کے لوگ اپنے كر توتي كايان كررم إب وه ممسب كے لئ مراد نجاكرنے كى بات سے جب ميرى ان سے چرچاموں توینوی کے کھ دیتے دار آ فیسروں سے مجھے یہ بات سننے کوئل کہ اپنی نیول ایکرساکز کے لئے انہیں جتنی دھن راشی کی صرورت کے جتنے بیدے کی خرورت ہے ، وہ دھن انہیں نہیں مل باتاريهان كك كريسيك آبهاؤين ده لوك بريابت ماترايس دول بي نهين كريات. جس طرح بہد ورل کیا کرتے تھے ۔ بیسے کے آ بھاؤیں اب وہ ورل بھی نہیں کریائے ۔ جِاں میں نیوی کے ان بہاوروں کی سراہنا کرتا ہوں وہیں ملنے وت منتری می سے جاہتا ہوں که ده نیوی کے ان بہا درسیا ہیوں اورسور ماؤں کو لیورا پورا سنرکشن دیں اور نیوی کی ایکسر سائزز کے لئے انہیں جتی وصن راشی کی ضرورت جو اس کا آ بنٹن کرنے کا کریا کریں .

ایسے ہی کچدن بیلے دِ تی میں ایر نورس ڈے بریس بھارت کی ابسیر نورس کے ،
ویرتا پورن کارنامے دیکھنے کو ملے کہ کیسے دہ بہا دراینے دلتیں کی سماون کی دکتا کرتے ہیں ،
کس ویرتا کے ساتھ دیش کی سرکت ووستھا میں جٹے ہیں ۔ میں ان کی بھی سدن میں سراہنا
کرنا چاہتا ہوں اور وت منتری جی سے چاہوں گاکہ اُن کے کلیان اور بھلائی کے لئے بھی ادھک
سے ادھک دھن راشی دی جائے ۔

اب میں مانے وق منتری جی آب کا دھیان ان مانگوں کی اور دلانا جا ہوں گاجن میں کہیں بھی ایس سروس مین کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے ۔کوئی براو دھان منہیں کیا گیا ہے ۔ آب نے بیشن کے لئے اس میں دیوستما کی ہے برنتوایس سروس مین کی طرف آب کا دھیاں نہیں گیا ہے ۔ میں جا موں کا کہ دلتیں کے تام ایس سروس مین کے کمیان کے لئے ،ان کی بھلائی کے لئے سے سمے براس سدن میں اورسدن کے بامر ہو کھے کہا

گیاہے۔سرکار اِس اور دھیان دے۔ ایکس سروس مین اس دیش کے لئے ساراجیون سمریت کرآج اس استنی میں بہنچاہے۔ میں چا ہوں گاکسرکاران کے کلیان ان کی بھلائی اور بہبود می کے لئے ادھک سے ادھک قدم انھائے۔

اب میں سبھابتی جی آپ کا دھیان ٹورزم سے سمیندھت مانگ تنرس کی اوردلانا چاہوں گا میں نے انیکو بار اس سدن میں اور با ہر بھی چرچا کی ہے کہ میرے نرواجن تھیترستنا میں چتر کوٹ ادر مہر دو ایسے استھان ہیں جن کا پریٹن کی درشٹی سے دکاس بہت ضروری ہے۔ پرنتو آ شچریہ ہے کہ نہ تو آج تک بعدریہ سرکار کی اور سے اور نہ مصبہ پردیش سرکاری اور سے اس بارے میں کوئی قدم اعظائے گئے۔

چتر کوٹ وہ استفان ہے جہاں بھگوان رام نے اپنے بنواس کے جودہ برس بتائے اور دہیں رہتے ہوئے انہوں نے را دن سے یودھ کی تیاری کی بھی ۔ دہاں کیول بھات ہے ہی نہیں و دلنےوں سے بھی ہزار وں کی سکھیا ہیں پریٹک یا تراکرنے کے لئے آتے ہیں۔ چتر کوٹ کا مہتوہ کیول دھار کہ روب ہیں ہی نہیں سائسکرت انہاسک اور اننے کو کے در تشیوں سے ہے۔ لیکن وہاں اتر پردلین اور مرصیہ پردلین کے بیج جھگڑ اہمل رہا ہے۔ ہیں نے اس سدن میں جھاؤ دیا تھا کہ کیندر بیسرکار چتر کوٹ کے لئے ایک ڈبولیمینٹ میں نے اس سدن میں جھاؤ دیا تھا کہ کیندر بیسرکار چتر کوٹ کے لئے ایک ڈبولیمینٹ آدھاروٹن گھٹت کرے اور اس کے دکاس کے لئے سویم فنڈ ابلیدھ کرائے۔ دھن را شی رافنی دے اور اس کے دکاس کے لئے سویم فنڈ ابلیدھ کرائے۔ دھن را شی رافنی دے اور اپنی نگر ان ہیں ہویار ہے۔ بن سکتا ہے۔ بریکون کے لئے آکرشن کا کیندر بن سکتا ہے۔ دہاں اتنی سندر پہاڑیاں ہیں، ندیاں ہیں۔ امن ہے شانتی ہے ، سکون ہے پرنتوا بھی تک اس کا وکاس نہیں ہویار ہے۔ نورسٹ کو وہاں انیک کھنائیوں کا سامنا کر ناپڑتا ہے۔ میں چا ہوں گاکسرکار اس اور دھیان دے۔

سیحابی جی مهر میرے سرواجن چیتر میں ود سرا استفان ہے جے بریٹن کی درشی استحابی جی مهر میرے سرواجن چیتر میں ود سرا استحان ہے۔ اتنابی نہیں مهر کلا کی درشی سے بھی مہتو پورن ہے۔ وہ استاد علاء الدین خاں کی سرزین ہے جیم بھوی ہے۔ اس درشی سے دیاں ہزاروں کی سنکھنا میں لوگ آنے ہیں اور ہرسال وہاں کلجل فیسٹول آ پوجت کیا جاتا ہے۔ میں چاموں گاکہ سرکارم ہم کی طرف بھی دھیان دے۔ مہر کاوکاس کرے میال میں کہ مہرا ورچیز کوف دونوں استحانوں کے لئے سرکاریا کدھیر وجیکٹ بنائے اور اس کے آدھاد پر وجیکٹ بنائے اور اس کے آدھاد پر وجونوں استحانوں کا کاس کرے۔

سبھابتی جی ایہاں پر یا ور کے سمبندھ میں کا فی چرجا ک گئی ریہاں جتنی باتی کہی گئیں ان سے یہ ساسے آیا کہ بیس نان کوفیشنل اینرجی کے ریسورسز کا ابیوک کرکے اوصک سے دوهک پا در صاصل کرتی جاہئے ۔ لیکن میں شاسن سے بوچھنا جا ہوں گاکہ اسمال ونڈ جینیر بطرس جو بورپ اور امریکد میں بہت پاپولر ہیں ۔ اور ان اسمال ونڈ جینیر بطرس کے دوار اکافی پاور کا اتباد ن ہوتا ہے ۔ سرکار نے آج تک بھارت میں اس اندسٹری کوسنرکشن دینے کے لئے آگے بڑھانے کے لئے کیا تدم انظائے ہیں ۔ ہیں جا ہوں گاکہ سرکا راسمال ونڈ جینسر بطرس کی انڈسٹر ہز کو پورا پوراسم محتن دے اور جو لوگ اس انڈسٹری میں ہیں ان کو اوصک سے اوسک امداد دے ۔

اس پرکارے مہودے واٹررنیورسز کی بات یہاں پرآئی ہے۔اس کے سمبندھ میں مانگ سنکھیا ہے کہ اوپر میں کہنا چا ہوں گا اورسننا چھیز کو باندھ ساگر پر ایوجنا کا ذکر کر نا چا ہوں گا اورسننا چھیز کو باندھ ساگر پر ایوجنا کا ذکر کر نا چا ہوں کا روز روپیہ آپ نے وہاں پرخرچ کیا اور وہاں کے اجرائے ہوئے لوگوں کی آباد کاری پر دور بھاگیہ کی بات یہ ہے کہ کئی سال گذرنے کے بعد آبھ دس سال کے بعد بھی ندھ سال ہے اور نہی وہ لوگ بوری طرح سے آباد ہوبائے ہیں اور اس باندھ سے سمبندھت وہاں پرایک پاوڑی ہے ، بجلی کی او جنا ہے سنگھ بور سے مری جنا و جھیز میں ہے۔ یہ بھی گیندریہ سرکار کی کمینیوں کے کارن اوھوری بڑی ہیں ۔ بیں چا ہوں گاکہ اگر مصید پردلیش سرکار اس کو مہن ہی کری نا وہ سرکار اس کو مہت ہی کری نگاہ سے ویکھے اور اس کو ترنت کمل کرایا جائے تاکہ اس کا دھک سے اوھک سا ہو وہاں کے لوگوں کو مل سے یہ کوگوں کو مل سے ۔

مانگ سکھیا سو بیں پبلک وکس ڈیپار منے سے بارے میں بات ک گئے ہے۔ میں اس سمبندہ ہب صرف یہ کہنا جا ہوں گاکہ پبلک ورکس ڈ یپارٹمنٹ کوسرکا رحبّنا چاہے ر دبیر دے دے . لیکن کم سے کم جو ممبر آف پارلیمنٹ جن گھروں میں رہتے ہیں ان کوسرکار کا کوئی ذمته دارمنتری جاکر دلیمے که ان گھروں کی کیا دشا ہور ہی ہے ۔ جار چارسال سے دہائث واش نہیں مویایا ہے۔ بائقردم عصمولی سے کام ملکے ٹیپ کے چوے جھوٹے کام اول نہیں جو یاتے ہیں ۔ اتنی اچی منتری کے ہوتے ہوئے تھی بدعالت ہے دجب ہم منتری می کے پاس جاتے ہیں متری جی بہت دھیاں سے ہربات کوسنتی ہیں۔ پوری سہایتا کرتی ہیں سبکن نچلے استر برجوان گھروں کی حالت ہے اس کودیکھا جائے بیں جا ہوں گاسرکار ممبر آ م پارلینٹ کو کم سے کم انچھا گھررسنے کے لئے دے۔ اِن کی سودھا کا اچھا انتظام کیا جائے۔ سمعابتی جی اس برکار سے میں انڈو مان نکو بار اور لکنندیب کے بارے میں جوم ہ اور ۷۹ میں مانگ کی گئی ہے اس بارے میں کہنا جا جوں گا۔ بہت و نوں سے ہم سنتے آیے ہیں کہ انٹرومان بیکو بار، آئرلینڈکوم ڈیولپ کریں گے اوراس کو بھارت میں ہالگانگ كى طرح بناكير كے ليكن اس ارك بين اب يك كوئى نتجت يوجنا ہمارے پاس نهيين آتی ہے۔اس سے یں سرکار سے مانگ کرنا جا ہوں گاکہ اگر ہماری دکشا ڈیفینس ک در تشقی کون سے د باں کوئی خطرہ نہیں ہوا در ویفینس کے لوگ اس یوجنا کوسو کیکار کریں توا نڈو مان مکوباری یوجناکونری پورٹ ک طرح سے بانگ کا نگ کی یوجنا پرآ کے بڑممایا جات

اوراس طرح سے دہاں نرنت کارروائی کی جائے۔

سبھابتی جی! اس طرح سے ہیں ستنائ فریبی ، مجکمری ، بے روز گاری اور دکھ کی طرف د معیان دلانا چا ہوں گا۔ بال آج کک پبلک سیکٹرے کوئی کا رفانے کی استحابنا نہیں ہوئی ہے۔ ہیں چا ہوں گاکہ ڈیفینٹ منسٹری کے کارفانے جو د بال آس پاس پھیلے ہوئے ہیں ستنا کے اندر مجی لگائے جائیں تاکہ و بال کے لوگوں کی غریبی دور مہوسکے۔ اتنا کہتے ہوئے میں اِن مانگوں کا سم کھن کرتا ہوں ۔

[अनुवाद]

*श्री आर. जीवरत्नम (आर्कोनम) : समापति महोदय, मैं श्रतिरिक्त अनुदावों की मांगों के समयन मे दा शब्द कहुना चंहता हूं।

भेरे चुनाय क्षेत्र आर्को शम में. रानीपेट में बहुत से लघु तथा बड़े उद्योग हैं। इन उद्योगों में सहस्रों कर्मकार कार्यरत हैं। बिजली की कभी के कारण मालिक प्राय: कामबन्दी की घोषणा करते हैं और इस बकार औद्यागिक कर्मकारों को बेगेजगार बनाते हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बिजनी की बावक्यकता प्री करने के लिए रानीपेट में एक ताप विद्युत सयंत्र स्थापित करें। बिजली की इस कमी के कारण प्रति वर्ष काफी मात्रा में बौद्योगिक कर्मकार बेकार हो जाते हैं।

राज्य में खाद्य उत्पादन में तन्जावूर जिले के बाद 'नायं आकर्ट' जिला आता है। चूंकि वहां पर्योग्त विवर्ण को सप्लाई नहीं है, इस कारण कृषि (उत्पादन) पर मी प्रमाद पड़ता है। साद्य नों के मूल्य भी बढ़ गए हैं। स्थिति से निपटने के लिए एक के बाद एक सत्ता में आई द्रविड़ सरकारें बाद-स्यक कदम उठाने में आसफल हुई हैं। अतः में एक बार मन्त्री महंदय से निवेदन करता हूं कि रानी-पेट में ताप बिद्युन केन्द्र स्थापित करने के लिए राधि निर्धारित करें।

वहां चमं शोधन शालाएं और ऐसे कारखाने हैं जहां चमड़े की चीजें बनती हैं। इन चमं शोधन शालाओं और चमड़े की चीजें बनाने वाले कारखानों में सहसों महिला और पुरुष कमंकार नियुक्त किए गए हैं। इन स्थापार के द्वारा बहुत सी विदेशों मुद्रा कमाई जा रहा है। सरकार को इन चमं शोधन शाबाओं द्वारा निकले हुए बिहःसाव को नदी के पानी के साथ मिलने से पूब इसको शुद्ध करने की व्यवहायेता पर विचार करना चाहिए जिससे प्रदूषण न हो। इस प्रकार शुद्ध किए गए जन को सिचाई के काम में प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संमावना का पता सगाने के लिए रानीपेट में एक बनुसंदान केन्द्र खोला खाना चाहिए।

इस समय विक्रो कर की दरें एक राज्य और हुमरे राज्य में अलग-अलग हैं। एक समान तथा युक्तिसंगत विक्री कर दाचा तैयार किया चाना चाहिए। मैं यह निवेदन भी करता हूं कि सरकारी कर्म-चारियों के न्यायिक हित में कर-योग्य आज की सीमा 25 हजार रुपये तक बढ़ा दी जाए। सरकारी इमंचारियों की यह मांग्र-वीकार की जानो चाहिए।

समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ज्यान के मुगतान के निए संसद सदस्यों की अविक शक्ति वी जानी चाहिए। जिला समाकर्ता को अध्यक्षता में संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों दाया जनाई गई अखग-जलग समितिया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ऋण देने के लिए

मुचतः तमिल में दिये गए सावण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी कपान्तर।

गठित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रशासनिक निवेश दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार संभद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को ऐसी समितियों के सवस्य बनाया जाना चाहिए जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण कृतिहीन रोजगार सार्टी कार्य-क्रम के अन्तर्गत ऋण बांटने का काम सौंपा गया हो।

उद्योग चालू करने के लिए ऋण पर ली जाने वाली क्यांव की दर कम कर दी जानी चाहिए। आविषक क्यां पर क्यांज की दर को बढ़ाया जाना चाहिए। एक व्यापक बीमा योजना तैयार की जानी चाहिए जिस के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब जनता लाई जाए इस समय मारतीब जीवन बीमा निवस तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं में कमंचारियों का अभाव है जिसके कारण इन संस्थाओं में काम चीरे से हो रहा है। इस स्थित का सामना करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को नियुक्त किया खाना चाहिए। ग्रामों में पुरुषों बीर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुए जाने चाहिए। ग्राम तथा जिला स्नरों पर भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाएं खोली जानी चाहिए। प्रत्येक जिला मुक्या-लय में अवश्य ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक शाखा होनी चाहिए। बायात-निर्यात प्रिवन्थों को उदार बनाया जाना चाहिए। मकानों के निर्माण के लिए 50 हजार स्पर्यों की लाग्य तक कोई बाय-कर नहीं नगया जाना चाहिए। आयकर 50 हजार स्पर्ये कोई बड़ी रक्त नहीं है। जावान योजनाओं को प्रोस्थाहन देने के लिए गैरसरकारो व्यक्तियों को 50 हजार स्पर्ये हक मकान बनाने के पूंजीनिवेश तक आयकर देने मे मुक्त रखा जाना चाहिए।

डा॰ दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : बतिरिक्त अनुवानों की मोबों के संबंध में कहते हुए, पांच या छ: मुद्दे नीसेना, सशस्त्र मनाओं आदि के लिए हैं। पिकले दो वयं के दौराब रक्षा पर सर्व इतना बढ़ गया है कि अब ग्झा का यह खर्च 13,000 से 14,000 करोड़ रुपये सक है बोर रक्षा के नाम पर ओ भी प्रश्न हम पूछते हैं उनका उत्तर कभी नहीं दिया वाला है।

विछले एक वर्ष या इममे अधिक समय में केवल श्रीलंका के कारण सगमग 1500 करोड़ रुपये खर्च किए गए और हमारी सक्षरत्र सेना मेजने के संबंध में समझीते के खारण अगमग एक लाख सक्षरत्र सैनिक स्टीमर अथवा नीमेना के जहाजों द्वारा मेज विए यए। सभी तक सबमन 800 मारतीय सैनिक मारे गए हैं। मैं समझ रा हूं कि चीनी हमने बयवा मारत-पाक्तियान कुद्ध के दौरान इकने खोग नहीं मारे गए। मैं नहीं जानना कि क्या बात है। खहां छक हमारी रक्ता का संबंध है यह एक पूर्वातापूर्ण कदम है। आप उनके लिए लड़ रहे हैं। जब, श्री प्रेमवास्म "निह्दे" के साथ कालचीव कर रहे हैं और इनकी एक क्षर्त यह है कि मारतीय सेना निकास दी जाए और मारत सरकार का इस के साथ कीई सरोकार नहीं है। पिछले दो महीने के दौरान ही 20 से अधिक सैनिक नारे यह हैं और अधिकार अपने राष्ट्रपति पय का आनव्य ले रही है।

मैं समझना हूं कि आप जो कुछ श्रीलंका में कर रहे हैं वह वैस के लिए उक्ति नहीं है। हमारे मारत के प्रवान मन्त्री की प्रतिष्ठा के लिए वहां मारतीय सैनिकों की हस्या हो रही है। बत: यही उचित समय है कि हम वहां से भारत के 50,000 सैनिकों को वापस कुसाएं। इस से अकारण ही अधिक सर्च करना पड़ा है और राजनीतिक तौर पर भी आपने कुछ नहीं सामा है। केवस इतना है कि तिमस नाडु के चुनाव में बावाएं पड़ी।

भूरी प्रक्षा नीति हो गलत है। नेवास ने भी हम से दुशमती आरंग की है। प्राक्तितान के

`.____

साय जी, यद्यपि सेंत्र के संबंध में बातचीत ही रही है परन्तु वे भी हमारे लिए कुशिकले खड़ी कर रही हैं। पूरी रक्षा नीति एक मारी बसकलता है।

बगले मह् यानी निर्यात, उत्पादन बौर इन सब बातों के संन्य में, मैं नहीं जानता कि आप इस देश के बड़े बौद्योगिक बरानों को सभी प्रकार की रियय। ते दे रहे हैं। पिछल चार वय से यह ऐसे ही बस रहा है। मैं नहीं बानता कि क्या सरकार उनको घेप राधि भी देगी। बदल में बाप का कुछ बी नहीं मिस रहा है। इस समय 1,60,000 उद्योग करण हैं। फिर भी बाप उन्हें छूट दे रहे हैं और के इसे बा रहें हैं। बौद्योगिक क्षेत्र में प्रमावद्याली व्याक्तियों से 1500 करोड़ रुपये बाकों हैं इसके बितिश्वत आप उन्हें बाबु निकीकरण राधि के रूप में 600 करोड़ रुपये या 750 कराड़ रुपये दे रहे हैं जैसा कि पिछले चार वर्षों में हुआ है। आप उन्हें बायकर में मां बहुत सार। छूट दे रहे हैं। सदन में कम बितिश्वत छूट संबंधी कुछ पेपर भी देखते हैं। बोद्योगिक घरानों को किस। मी प्रकार की छूट दी बाए, पर बदले में इस सरकार को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं इस सश्कार से एक स्पष्ट बहन कर रहा हूं। बड़े बौद्योगिक घरानों को दी बा रही रियायतों के बदले में बाप क्या पा रहे हैं। 1986-87 में बिर्यातक की बस्तु में भी कुछ 20,000 कराड़ रुपये के कुछ निर्यात में से बड़े घरानों ने केवल 900 करोड़ रुपये की बस्तु में भी कुछ 20,000 कराड़ रुपये के कुछ निर्यात में से बड़े बरानों ने इस राधि का दुगुना भी निर्यात नहीं किया है। वे तो रियायतों को हबम कर रहे हैं और सरकार को इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है।

विवृत्ता पराने ने भी 300 या 400 करोड़ रुपये की बस्तुओं का निर्धात नहीं किया है। यारे-बास, किलोंस्कर क्षीर ऐसे ही बन्य बड़े घरानों का भी यही हु।ल है। वे केवल रियामतें लते हैं, उनसे बवले में कुछ नहीं निकाता। मैं सरकार से बनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में सांकड़े इस समा में अस्तुत करें। सभी तरह के ऋण और रियायतें देने के बाव बूद निगमित क्षेत्र के लोग करों की अदायगी बही कर रहे हैं बोर जनसे बदले में देश को क्या मिल रहा है ? देश के ममा बड़े औदांगिक घर ने बाम कमा रहे हैं और वे पूरी बदंव्यवस्था का घोषण कर रह हैं। बड़े श्रीदांगिक घराना से आय शून्य होने के साथ साथ इसके द्वारा रोजगार क्षमता मी केवल दो प्रतिशत बड़ी है। उन्हें ये सब रियायतें क्यों दी जाएं? मैं तो एक ट्रेड मृनियन नेता हूं और उनक विरुद्ध हो सकता हूं।

5.00 म॰प॰

सेकिन राष्ट्रीय विकास, रोजगार, निर्यात, संसाधन और बाय-कर के रूप में उनका क्या योग-बास है ? वे आपको रियायतों का लास उठाकर काला घन बना हो हैं। आप किर भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। जहां तक निर्यात का सबंध है तो क्यिति यही है।

बाद मैं वैज्ञानिक और बोद्योगिक बनुसन्धान विभाग पर आता हूं। सरकार प्या औद्योगिक बनुसन्धान कर रही है? बौद्योगिक बनुसन्धान के क्षेत्र में आपने जो विशास किया है। उसके बारे में हमें बताइए। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में सरकार विफल रही है।

अब मैं फल प्रसंस्करण उद्योग को लेता हूं। फलों को पैकिंग और प्रसंस्करण के लिए आपको पैप्सी कोना, कोकाकोला इत्यादि कपिनयों की अकरत पड़ती है। देश में ऐसा कार्य करने के लिए तेरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बायात साइसेंस दिए थए। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम राष्ट्रीय कीटि के पिष्ट हैं। पर्यटन क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य अत्यिष्ठिक विशेषित है। मैंने एक बहुत अञ्चा सुझाव दिया था कि पहिचमी तट पर सिन्धु दुर्ग बन्दरगाह को देश का एक पर्यटन केन्द्र बनाया जाए। यह बन्दरगाह समुन्द्र में है। इसमें शिवाबी का योगदान था। मैं समझता हूं कि इस बन्दरगाह को देश का एक पर्यटन केन्द्र बनाया जाए।

ब्रब में मरकार की कपड़ा नीति पर बाता हूं। गुजरात में हजारों श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया पर तुपता नहीं सरकार इस बारे मे क्या कर रही है। बार रिलायन्स, सेंचुरी, मफनलार्स, मोरारको, स्टेंडड जैमी बड़ी मिलों को ही रियायतें दे रहे हैं। केवल दस-पन्द्रह बड़ी मिलों को समृद्ध होने दिया जा रहा है जबकि नए करघों में छटनी हुई है। पिछले वर्ष पौलिएस्टर, फाइबर झौर फिला मेन्ट पर सात सौ करोड रुपये की रियायतें दी गई थी। क्या इन्हें उपभोक्ताओं को दिया गया ? इन्हें उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच या गया। रिलायन्स ने वे रियायतें हुजम कर सीं।

महोदय, देश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की खगमग 125 मिलें हैं। कपड़ा नीति के मुताबिक संकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को पिछले चार वधों में परद्वह से बीस करोड़ रुपये मो नहीं दिए हैं। इन मिलों के मालिकों ने इन्हें रुग्ण बना दिया और इन मिलों पर काफी ऋण बकाया है। खग्प इनका आधुनिकीकरण नहीं चाहते आपने सरकारी मिलों को अन्तिम अदाभयनी के लिए इस वर्ष खगमग 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैं। अतः इस सरकार की यह नीति है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को बन्द कर दिया आए और कपड़ा मिलों के केवल दम से परद्वह बड़े घरानों को समृद्ध होने दिया आए। जिस प्रकार यह सरकार कार्य कर रही है उसे देवकर गहरा अधात नगता है और दया आती है। अब समय आ गया है जबकि आपको कबड़ा नीति में खाधारमूत परिवर्तन करने होंगे। अन्यया इससे देश में अशान्ति उत्पन्न होगी।

महाराष्ट्र सरकार विदेश, मराठवाड़ा और कोकण में विकास बोर्ड गठित करने से संबंधित एक प्रस्ताव पहले ही भेज चुकी है। सरकार ने बहा है कि वह इसके लिए तैयार है। कुछ दिन पूषं, उन्होंने कहा था कि मामला राज्यपाल को भेज दिया गया है। मैं नहीं जानता कि इसे अनुमादन कब मिलेगा। इसके लिए कोई बित्तीय देयना नहीं है। मैं पुन: सरकार से अपील करता हूं कि वह महा-राष्ट्र के पिछड़े कोत्रों को प्रोत्माहित करे। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार पहले ही एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर चुकी है। तहनुमार, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तत्काल अपनी मंजुरी ह।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़बी): समापित महोदय, इस वर्षों में माग लने वान चौदह सदस्यों में से बारह ने बत्यन्त अपम्बद्ध विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं और दो ने अतिरिक्त अनुदान मांगों के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए हैं। मुझे आशा ची कि बुदि-मान वकील श्री तम्यन यामस कुछ तकैसंगत बोलेंगे लेकिन मुझे उनसे अश्यिक निराशा ही मिली।

महोदय, यह सब है और अतिरिक्त अनुवान मांगों के रूप में अतिरिक्त व्यय को नियमित करवाने के लिए यदि हमें यहां कभी न आना पड़ता तो वह एक आदशं स्थिति होती। लेकिन ऐसा करना पड़ता है। इसलिए इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि लोक लेका समिति हारा पूरे अति-रिक्त व्यय की जांच की जाती है और तभी सभा से यह लिफारिश की गई है कि इस नियामत किया जाए और अनुमोदित किया जाए।

5.05 **म.प.**

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।]

में की बनातवाला द्वारा उठाए गए इस मुद्दे की प्रशास करता हूं कि बजट को नियंबिक करने

.. की व्यवस्था का अनुपासन किया जाए और यह आधक प्रभावों रूप में कयं करे ताकि अर्थाधिक सर्थे पर नियंत्रण रखा जा सके बौर वर्ष के अन्त में व्यय करने में तेशी को नियंत्रत किया जा सके । इस उद्देश्य के अन्तर्गत सरकार नोकलेखा समिनि की सिफारिशों के प्रति सजग है। इनकी जांच की जा रही है और कार्यांन्वयन के लिए कार्यवाही चन रही है। सरकार ने इस सबंघ में कुछ कार्यवाही घुरु की है और व्यय पर नियंत्रण हेतु चालू वर्ष में कुछ उपय मी किए हैं। इस त्रैमासिक बौर मासिक बजट तथा व्यय की नियमित विगरानी की प्रणाली अपना रहे हैं यह बपेक्षा की जाती है कि इन उपायों से व्यय पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और साल के बौरान व्यय की गति पर मी नियंत्रण होगा।

में सभा को सुबित करना चाहूंगा कि मंत्रासयों को स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि बजट तथा पूरक अनुवान मांगों के माध्य से व्ययं अधिकारी स्वयं उत्तरदायों होगा यदि बजट में तथा अनुवानों की पूरक मांगों में आवटित राशि से अधिक राशि व्यय की जाती है। कुछ मामलों में अधिक रिक्त क्यय के बोचित्यपूण कारण हो सकते हैं, जिन्हें बाद में वियमित कर दिया बाता है। मैं यह भानता हूं कि सुवार की सदेव गुजाइ श रहती है।

यह कहना करने की बजाय बासान है कि बजट अथवा पूरक मांगों की बनाते समय कुछ स्वय का अनुमान लगाया जा सका था। मैं श्री बनातवाला की इस आलोचना के उत्तर में, कि सोविकात संघ और चैकोस्सोवाकिया द्वारा ऋण सुविघाओं मे से अधिक राक्षियां निकालो गई, यह कड्ना चाहुंगा कि इस उद्देश्य के लिए प्रारम्भिक प्रावधान 60 करोड़ में 235 करोड़ श्वयं का पुरक बनुदान लेकर वृद्धि की गई और जुल राखि 295 करोड़ रुपये हो गई। फिर मी, अन्ततः वास्तविक निकासी वई राशि 319 करोड रुपये थी। इसलिए इस मद के बन्तगत 24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि निकाली गई। इसिनए ऐसा नहीं है कि इस विशेष मद के बन्तगंत एक विशेष व्यय के बारे में सोचा नहीं गया था। लेकन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बोड़ा अधिक व्यय हो बाता है। उदाहरण के लिए उन्होने यह असोचना की कि रक्षा मंत्रालय ने कुछ परियोजनाओं को पूर्ण करने से तेश्री की। लागत में बुद्धि तथा जी झ पूर्ण होने के वृष्टिकीय से ऐसा करना अच्छा था। इसी कमी ऐसा होता है कि एक परिणोजना दो या तीन वर्षों में पूर्ण करनी होती है। इसालए, हर वर्ष आवंटिस राधि उस परियोजना के लिए कुम प्रावधान का एक माग होती है। यदि परियोजना,पहले पूर्ण हो जाती है तो बनराजि भी थोड़ा पहले ही व्यय हो जाती है। तब यह बावंटित राधि से अधिक हो बाती है। ऐसे ब्यय को इस प्रकार नहीं लेना चाहिए जैसे कि श्री बनातवाला ने कहा है। लेकिन मैं उनके कवन में दोष नहीं निकाल वहा हूं। आलोचना करने वाले अनेक सबस्यों ने तो संस्वत: उस पुस्तक का अध्ययन ही नहीं किया है जिसे हमने प्रत्येक मद के अन्तर्गत हुए अतिशिक्त व्यय 🕏 कारण देते हुए परिचालित कियाया।

स्री तंत्रपन यामस ने अण्डमान और निकोबार तया नौसेना पर व्यय के बारे में सभी तरह के निक्क्ष निकास हैं। उन्हें यह जानते के लिए कम से कम योड़ा समय तो सगाना चाहिए कि नोसेना ने इस बारे में कितना सर्च किया है।

एक माननीय सदस्य : यह केवल राजनीति का रम बढ़ाना है।

सी बी॰ है॰ गढ़ बी: इस प्रकार राजनीति का रंग पढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है। यह राज नीति का रंग उठाना नहीं अधितु कीचड़ उछालना है। महोदय, 'स्वीकृत सनुदानों से अधिक स्थव पुष्पतः नीतेना स्टार्स के मारी व्यव, काबुवान, विनिमव दर्शे में परिवर्तन वी०शेक्ए का व्यक्ति वैद्रोविवय, बावन तथा सृत्तिकेन्टस, संकासनाश्मक वायक्यताओं को प्रा करने और रखरखाय सम्बन्धी कार्यों के कारण हुआ है। प्रधान मण्त्री द्वारा द्वीप का दौरा करने और उस पर क्षणें करने का प्रवन ही कहां उठता है? मंत्री परिवद के व्यय के लिए एक अलग कोवं है और उसी कीवं से सारा लग्नं पूरा किया जाता है। बतः इस तरीके से बोसना बाजकस यह एक रिकाज बन गया है कि एक मामूनी वस्त को बहुत बड़ा चड़ा कर प्रदक्तित करने की प्रयास किया जाये—यह अच्छी बात वहीं है। एक वरिष्ठ खचस्य होने के नाते बापसे यह आशा की जाती है कि आपको कम से कम वर्षशास्त्र, क्षेत्र में तो बिषक खानकारी होथी, आप अधिक अध्ययनशीस होगे और संगत बार्ले करेंगे। केवस बारीप हो सनाते रह्ना एक विच्छ बात्त्र वृद्धिकोण वहीं है।

की अवस दता ने भी आसोचना की है....मैं जनता हूं कि जब वे सदन में आ चुके हैं। वे उस लोक सेला समिति के नमापति वे जिसने इस नियमन की सिफारिश की है। उनके फायदे के जिए मैं पुन. इस जात को दोहराऊंगा कि सरकार लोक लेला समिति की सिफारिशों पर बहुत ब्यान देती है जोर चैसा कि मैंने पहने कहा है हमने व्यय की अधिकता पर अर्थात व्यय पर निगरानी रक्तने के लिए इस बांखवा विकसित की हैं, इस मासिक वजट और विमासिक वजट प्रजालों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसने सभी मंत्रालयों को भी यह कह दिया है कि यदि के ई अविकारी निर्वारित करराश के अधिक व्यय करता है तो वह उसका स्पट्टोकरण देने के लिए व्यक्तिगत क्य से उत्तरवायी होगा। इसके यह प्रवानी इस वर्ष ग्रुक की है और आपको इस बात की प्रश्रसा करनी चाहिए कि सरकार ने इस प्रवान बापकों सिफारिशों पर उचित व्यान दिया है। सरकार का व्यान बाद वित करता अखित करता है तो लेखाओं की मां चाच करती है, वे तथ्यों तथा जीवरव का पता लगाते हैं, और इसके बाद वे निवमित करते हैं। इस प्रकान में सबी मंत्रालय कोक लेखा सामित को सहयोग देते हैं। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक भी क्यों मत्रालय कोक लेखा सामित को सहयोग देते हैं। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक भी क्यों मत्रालयों को सच्योग देता है और इसलिए वे सम्पूर्ण सामले को घोड लेखा स्विति के सामने रखते हैं। फिर लोक लेखा स्विति के सामने रखते हैं। फिर लोक लेखा स्विति के सिकारिशों के बाद सदब के सामने यह बात बाती है...... (आववान)

सी अमल क्ला: श्री गढ़वी क्या बाप मुक्ते एक बात स्वष्ट करेंचे। पुनर्विनियोग की खक्ति खोकि आवकन असीमित दिखाई देती है, के बारे में क्या आपका अंत्रासय कोई कायंबाही कर रहा है?

श्री बी० के॰ गढ़वी: मैं यह कहना चाहूंगा कि एक मुक्य शीर्ष है और कई उप शीर्ष है। वहां तक पुविवित्योग का सम्बन्ध है इस इस पर नजर रक्तने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस बात पर वी क्यान देने का प्रयास कर रहे हैं कि वे किसी क्यावित्र के कारण को सम्य कार्यों में न ननावे और काराश्व का उपवोग उन्हीं कार्यों के सिए करें जिनके लिए मूलत: वह बनराश्व वो गई है। पशन्तु बाप उन्हें विस्कुल अवन नहीं कर सकते। कभी-कभी आकस्मिकता हो सकती है जयवा कोई मांग उच्चित हो सकती है बचवा कुछ मामकों में बचत हो सकती है। तब संजवत पूरक नामों को क्षेत्रित रक्तने बौर मंत्राजय के कार्य को सुविधावनक बनाने की दृष्टि से इस उन्हें इसके खिए पुनक्तियोजन के खिए कह बच्चे हैं।

श्री अमल बला: यह बात आप तक नहीं आयेगो । हमने इस बात पर आपित की है कि वे वित्त मंत्रालय में नहीं बाते हैं, मंत्राक्षय स्वयं ऐना करते हैं।

सी बी०के॰ गढ़वी: इसिनए मैं यह कहता हूं कि अब हमने इस पहलू पर नजर रखनी बी बारकम कर दी है। हम मासिक बीर जिमासिक वजट प्रकालियों को अपनाने का प्रवास कर रहे हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न शीषों के अन्तर्गत विभिन्न मंत्राक्षयों के व्यय बीर सम्पूर्ण कार्य जिल्लाइन कर नजर रखेंगे। बत: हम ऐसा कर रहे हैं।

महोदय, यखिष बाकड़ों से यह राम्य बहुत अधिक समतो है परन्तु वर्ष 1986-87 के बारख सरकार के कुल बजट में, कुल अपय की तुलना में यह केवल 0.1 प्रतिखत ही है। अत: यह कह्वा उचित नहीं है कि कुल बतिरिक्त अपय बहुत अधिक है।

महोदय, माननीय सबस्यों ने कुछ जन्य मुद्दे भी उठाए हैं। श्री बमल दत्ता ने वस्त्र दीति बौर बौद्योगिक दग्यता के बारे में मुद्दा सठाया है। एक मुद्दा यह भी उठाया दया था कि निर्यात की दिशा में बड़े परानों का कार्य-निष्पादन सही नहीं रहा। उत्तर विहार बौर बन्य बहुत दी दस्तों को भी सदस्यों ने उठाया है।

में नहीं समझा कि उन सब बातों का इस सबन में मेरे द्वारा प्रस्तुत इस विधेवण से बहुव बिध सम्बन्ध है। परन्तु फिर भी मैं यह आक्वामन दूंगा कि मैं म ननीम सबस्यों हाडा उठावे गये मुद्दों की कार्क्याही बृतान्त से खांट कर विभिन्न मंत्रालयों को उन पर स्थान देने के किए मेज दूंगा। इन सब्यों के साथ मैं वह सिफारिस करता हूं कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर सदन में मतदान किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब नवन में वर्ष 1986-87 के बिए अविरिक्त अनुदानों की मार्गे (सामान्य) मतकान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रक्त यह है:

"कि कार्य सुची के स्तम्म 2 में दिलाई गयी निम्निलिलत मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित जनुदानों से अनिक्लित साँक की कमी को पूरा करने के निए क'यं-मूची के स्तम्म 3 में दिलाई गयी राजियों से अनिवक संबंधित विद-रिक्त राधियां मारत की सचित निर्धि में से राष्ट्रपति को दी आये :—

मांग संस्था 11, 18, 19, 20, 21, 22, 54, 56 56 ब, 74, 83, 93, और 97" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.16 म.प.

विनियोग (संस्थांक 3) विधेवक 1989=

उपाध्यक्ष महोदय : अब इम विविद्योग (सक्योक 3) विश्वेषक को बारम्म करेंगे ।

वित्त मंत्रालय में व्यय विमाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के॰ गढ़वी) : में प्रस्ताव करता हूं कि 31 माच 1987 का समान्त हुए वित्तीय वय के बीरान कतिएय सेवाओं पर वर्ष की गई उच वर्षी राशियों के धुनतान के लिए, जो उन सेवाबों पर तथा सस वर्ष के निए क्यूबल का कि विवेश हैं। मारत की संचित निधि में से थय का विनियोग प्राधिकृत करने का क्यबल्य करने वाले विवेश की पुर: स्वापित करने की खनुमति दी वाबे।

^{•ि}दनोक 10.5.89 के मारत के राजपत्र बनाबारन माग 2, संह, में प्रकाशित ।

ंडपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान व्यविषय प्रेमार्चे पर क्रूर्च की गई उब सभी राशियों के भुगतान के लिये, जो उन सेवाओं पर तथा उस वर्ष के निये बनुदच्च राजियों से अधिक है, भारत की सब्बत निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी॰ के॰ गढ़वी: मैं बिंघेयक पुर: स्थापित करता हूं। ** श्री बी॰ के॰ गढ़वी: मैं प्रस्ताव करता हुं *

'कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के बौरान कितप्य सेवाओं पर सर्व की गई उन सभी राशियों के भूगनान के लिए, जो उन सेवाओं पर तया उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक है, मारत की संवित्त निधि में से घन का विनियोग प्राधिकृत करने उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रदन यह है :

'कि 31 मार्च. 1987 को समाप्त हुये वित्तीयवर्ष के दौरान कितपय सेक्ष'ओं पर खर्च की गई उन उन सभी राशि में के सुग गन के नियं, जो उन सेवाओं पर तथा उस वर्ष के नियं अनुक्त राशियों से अधिक है, मारत की संविन निधि में से धन का विनियोग ब्राधि-कृत करने का उपवन्ध करने वाले विधेयक पर विवार किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाच्यक्ष महोदयः अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है, "कि खण्ड 2 और 3 तथा बहुसूची विधेयक का अपंग बने।" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विषेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रवन यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विघेयक का पूरा नाम विघेयक **का अंग** बर्ने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम

विषयक में जोड़ दिए गए।

्र प्राप्तिकी की० के० गढ़ती : में प्रस्ताव करता हूं : कि प्रार्थित अर्थिक विषयक पारित किया जाये ।"

**राष्ट्रपति की सिफारिश से

•राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

è

धंष उत्पाव शुन्क (बितरण) संशोधन विधेयक कौर अतिरिक्त उत्पाद शुन्क (विशेष सहस्य का मान) संशोधन विधंयक

उपाष्यक्ष महोवय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.18 म॰प॰

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विघेयक और

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक उपाच्यक महोदय: अब ममा मद संबग 24 और 25 पर एक साथ विचार करेगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विमाग राज्य मंत्री (श्री बी॰ के॰ गढ़वी): में प्रस्ताव करता हूं*

"कि संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विकार किया जाये ।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महस्य का माल) अधिवियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जिन दो विषयकों को मैंने आब प्रध्तुत किया है वे 1989-90 के सिए नवें वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन की सिफारिशों का प्रतिफल हैं। संविधान के अनुस्थेद 260 (3) के सन्दर्भ में आयोग को निम्नलिखित मुद्दों के बारे में सिफारिश करनी काहिए:

- (क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगर्थों के जो इस अवस्थाय के अवीन उनमें विभाजित किए जाते हैं या किये जाये, जिनरण के बारे में और राज्यों के सीच ऐसे अग्रमों के अपने-अपने भाग के आ अटन के बारे में;
- (स) मारत की संवित निधि में से राज्यों के राजस्वों में सहायक्षा अनुदान को सासित करने वाले सिद्धानों के बारे में;
- [ग) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सींपे गये किसी अन्य विषय के बारे में।

संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ग) के अन्तर्गत, आयोग से अन्य बातों के साथ-साथ किसी वित्तीय वर्ष में निवल प्राप्तियों के विनरण यम्बन्धी सिद्धान्तों में परिवर्तन करने यदि कोई हों। तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महस्व का मात्त) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अन्तर्गत अतिविधन उत्पाद शुल्क लगाने के सुझाव देने की अपेक्षा की जाती है।

सब मैं दो विद्धेयकों, जो मैंने बाज प्रस्तुत किए हैं, का संक्षिप्त विवरण देना वाहता हूं। पहुले विद्येयक में मूस उदशब शुरुकों की प्राप्तियों के विमाजन और विवरण की व्यवस्था है। जैसा

^{*}राब्द्रपति की विफारिख से प्रस्तुत ।

संघ उत्पाद सुल्क (वितरण) संशोधन विषेयक और सर्विरिक्त उत्पाद सुल्क (विशेष महरव का मास) संशोधन विषेयक

कि पहले कहा गया है, नवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 1988-90 के दीश्म राज्यों को विमाजन योग्य उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों का 45 प्रतिशत दिया जाए। इसमें से 40 प्रतिशत समी 25 राज्यों में वितरित कर दिया जाए तथा शेय 5 प्रतिशत विशेषतः 13 घाटे वाले राज्यों में उनके चाटों के अनुगत में वितरित करने के लिए नियत किया जाए। इसी वजह से 1989 90 के दौरान राज्यों को 7,476.46 करोड़ रुपये की अनुमानित घनराशि बन्तरित करनी पड़ेगी।

दूसरे विषेषक के माध्या से चीनो, तम्बाकू और वस्त्रों पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद शुरूकों को निवल प्रार्टायों के वितरण के बारे में अबें वित्त आसोग की सिफारिशों को कार्याध्वत करने का प्रयास किया गया है। जैना कि समा जानती है, पर राज्य सरकारों की सलाह से 1987 से इन वस्तु में पर राज्य विक्री कर की एवज में ये शुरूक लगाये जा रहे हैं। सब राज्य क्षेत्रों के हिस्से के अतिरिक्त निवन एकतित राजस्व को नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुमार राज्यों में वितरित काने की वावस्था है, प्रायोग ने निफारिश की यो कि अध्य में से राज्य का हिस्सा राज्य के सकल आन्तरिक उत्पाद और अनसस्था को समान महत्व देते हुये उनमें वितरित कर दी जाये। इसके कारण 1989-90 के दौरान 1,4449,04 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराश का अन्तरण करना पड़ेगा।

मूच उत्पाद शुलकों और अतिरिक्त उत्पाद शुलकों के राज्यों में वितरण हेतु प्रस्तुत किये गये दो विधेयकों के अतिरिक्त राज्यों को सिद्धात के अनुच्छेद 270 के अन्वर्गत आय कर की निवल अधित्यों का 85 प्रतिश्च अश्र मी मिनेगा। अनुमान लगावा है कि 1989-90 के दौरान राज्यों को 3,128.15 करोड़ हावे मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, 1989-90 के दौरान राज्यों को 1,877.12 करोड़ हथये का सहायतानुदान मी मिलेगा।

अन्त में क्या में सरकार की बजनबद्धता को दोहरा सकता हूं कि संब भीर राज्यों के बीक्ष सह अौर सामजस्यपूर्ण वित्तोय सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे तथा समूचे राष्ट्रीय विकास के अभिन्न अंग के रूप में सन्तुनित के बोय विकास को प्रोत्साहित करने के लिये आपस में ताल-मेल रखा जायेगा ! वित्त आयोग की सिकारिशों के बारे में हमारे निर्णयों से लामप्रद संघीय वित्तीय सम्बन्धों सन्तुलित विकास के लिये अत्यावश्यक के उदेश्यों के प्रति हमारो बचनाबद्धता स्पष्ट होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

'कि अनिरिक्त उत्भाद श्रुत्क (विद्येष महत्व का माल) अधिवियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विद्येक पर विचार किया आये।"

श्री सी० माध्य रेड्डी बंलें।

भी सी॰ माघव रेडडी (आदिलाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इम दो विक्यकों वर्षात् 'अठि-दिस्त उत्पाद सुरूक ('वरोव महत्व का माख) और संब उत्पाद सुल्ड (विस्तरक) संसोधको पर चचि का रहे हैं।... महोदयः जैसा कि जमी संत्री महोदय ने हुपँ बनाया है, मैं वियक, नीवें वित्त आयोग के पहले प्रतिवेदन, जो विगत वर्ष प्रस्तुत किया गया था कि सिफारिशों को कार्यन्विन करने के लिए साए गए हैं। यह केवल अन्तरिम प्रतिवेदन है और राज्यों को घन के अन्तरण तथा कर के अन्तरण के बारे में की गयी सिफारिशों मी अन्तरिम स्वक्य की हैं क्योंकि आयोग ने सिफारिशों मी अन्तरिम स्वक्य की हैं क्योंकि आयोग ने सिफारिशों की है कि इस वर्ष अर्थीत् चासू वित्त वर्ष, 1989-५0 के लिए वही प्रक्रिया तथा वही कार्मू ला अपनाया जाए को आर्थे वित्त आयोग ने अपनाया था।

महोदय, राज्य के संसाधनों बौर उनके उत्तरदायित्यों के बीच अन्तर बरावर बढ़ रहा है। राज्यों के उत्तरदायित्य बढ़ रहे हैं। अब मारत सरकार राज्य सरकारों से कुछ धनराशि प्रभावती राब संस्थाओं को वेने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इसिलर, अब ऐसी स्थित है तो उत्पाद- शुल्कों बयबा अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों को सभी राज्यों को 40 भीतशत तथा घाटे वाले राज्यों को 5 प्रतिश्चत विदरित करने सम्बन्धी वर्तमान कार्मुल से राज्यों को ज्यारा सहायता नहीं मिलगी।

राज्यों को बाधा है कि नौवें बित्त बायोग द्वारा संब उत्पाद शुक्कों के माध्यम से सब सरकार द्वारा एकतित राजस्व में से उन्हें कम से कम 50 प्रांतशत मिलेगा तथा में मी आशा करता हूं कि अस्तिम रिफारिशों में इसे और बढ़ाया जाएगा तथा राज्यों को 50 प्रतिशत राजस्व मिलेगा। बहुर तक 1957 से लगाए जा रहे बिकी कद के बदले में अविश्वत उत्शद शुक्क वा संबंध है, राज्य यह मांग करते रहे हैं कि चीनो आदि अन्य विशिद्ध वस्तुओं पर जिनके बदले उत्थाद शुक्क एकत्रित किए जा रहे हैं, बिकी कर के बाद में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। परन्तु सरकार सोचती रही है कि इसे संबीय उत्पाद शुक्क के साथ मिला दिया आए तथा बित्त आयोग को बिए गए निर्देशों में से एक है कि उन्हें प्रतिश्वत उत्थाद शुक्कों को संघ उत्पाद शुक्क में मिलाने पर विचार करना चाहिए। मुक्ते लुशों है कि आयोग ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और अभी तक ऐसो कोई सिफा-रिश नहीं को है।

में मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कि अनेक राज्यों ने इसका विरोध किया है! इसके विषरीत, वे उन सभी विनिद्धित वस्तुओं पर विकी कर लगाना चाहते हैं। जिसकी अनुमति दो बानी चाहिए। भारत सरकार विशेष रूप से ऐसे कर लगा रही है जिन्हें राज्यों के साथ बांटा नहीं बा सकता। इस वर्ष के बजट में भी बागने सभी वस्तुओं के उत्पाद शुल्क पर 8 प्रतिशत अधि-भार लगाकर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। परन्तु इसे राज्यों को बांटा नहीं बा सकता। मेरा अनुमान है कि इसे अवाहर रोजगार योजना के लिए नियत किया गया है। हमारा दिशा या कि 500 करोड़ रुपए इसके माध्यम से एकतित किए बायेंगे। उत्पाद शुल्क पर अविभार का हिस्सा राज्यों को भी विया जाना चाहिए। राज्य इसकी मांग कर रहे हैं और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय इसे ध्यान में रसे।

जहां तक वित्त आयोग की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, इसमें पहले ही विलम्ब हो चुका है तथा मुझे बाबा है कि बन्तिम रिपोर्ट बहुत अल्बी प्रस्तुत की जावेगी तथा अगले बजट में बन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्याम्बिट किया जा सकेगा और नीवें वित्त आयोग की सिफान्शों के फलस्वकप राज्यों को बाबक बनराशि मिलेगी। ये ऐसे विषयक हैं जिनका राज्यों को समर्थन करना चाहिए क्योंकि यदि ये विषेयक इस वर्ष पारित नहीं होंगे तो राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए इन शर्तों के साथ मैं इन विषयकों का समर्थन करता हूं।

श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा) : उराष्ट्रयक्ष महोदय, मैं माननीय बित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संघ अरवाद शुल्क संशोधन विषेयक, 1989 और अतिरिक्त उत्पन्दन शुल्क संशोधन विषयक, 1989 का समयंन करता हूं। यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है 1957 में आंतरिक्त उत्पाद शुक्क विशव महुरव को सामित्रियों के लिए यह बना या उसमें तीमरे खण्ड में संशोधन के लिए यह बिल लाया गया है। इस दिस का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है स्नीर नीवें वित्त सायोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने जो कदम काया है यह बहुत ही प्रशसनीय है। इपमें इस बात का क्यास रखा गया है कि राज्यों का जो हिस्सा है और वो राज्यों में उत्पादित बस्तुए है जैसे चोनी तम्बाक्, सूती फोबक इत्यादि चीजों के माध्यम से बाब होती है एक्साइज से उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, बनसर राज्यों की तरफ से यह शिकायत सुनने में बाती थी कि उनके यहां जो चीजें उत्पादित होती है, उनसे होने वासी आय का उचित हिस्सा उन्हें नहीं मिल पारहा है। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में इस विवाद को ब्यान में रक्षते हुए बहुत ही ब्यावहारिक कदम अक्षाये है और सरकार का यह कदम भी बहुत व्यवहारिक है कि कुल जामदनी का 45 परसेंट हिस्सा केन्द्र का और 40 परसेंट हिस्सा राज्यों को देने की ब्यवस्था की गयी है जो घाटे में चल रहे हैं।यह बहुत प्रशसनीय करम है। यहाँ रेड्डी साहब ने जिन राज्यों की चर्चा की और मांग की कि उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिंग, मैं इस मत का हूं कि केन्द्रीय मरकार द्वारा सभी राज्यों की बराबर और समान रूप से देखा जाना चाहिए, उचित रूप से सभी की न्याय मिलना चाहिए। इसिलए कन्द्र का जो दोयर निविचत किया गया है, वह बहुत सही और उचित है। दूसरी बात यह 🕻 कि जो घाट वाले राज्य है, उनकी ओर विशेष ध्यान देने की अरूरत है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फाइनेन्स्यन हिमिष्मिन को न माने या फाइनेम्स्यन हिसिष्मिन को नजर-अन्दाज कर हैं। उसे नजर में रखते हुए ही निवरिण किया जाना चाहिये। यह अच्छी बात है कि 1989-90 में राज्यों का दा जाने दाली राशि 1449.04 करोड़ रुपये होगी : यह काफी बड़ी राशि है और इसके लिए 1971 का जनगणना को बाबार बनाया गया है, वह भी मैं उचित मानता हुं क्यों के कई राज्यों की जाबादी आवश्यकता से बहुत अधिक है और इस वजह मे उनके ऊपर अिरिक्त भार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उन राज्यों का हमें अवदय ही विशेष स्थान रखना बाहिए परन्तु में आपके माध्यम से मत्री जी का ध्यान इन बोर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ राज्य बहुत गरीब हैं परन्तु उन स चीनी, तम्बाक् या फीब्रक्स आदि पर एक्साइज इयुटी के रूप में काफी बढ़ी राशि केन्द्रीय सरकार का आप्त होनी है। इसलिये ऐसे राज्यों को विशेष सुविधायें दिए जाने की जावश्यकता है। बिहार ऐसा ही एक राज्य है, जो राष्ट्रीय पेमाने पर बहुत ही गरीब है विखड़ा शाज्य है वरन्तु बहां से तस्बाक, चीनी बादि का व्यसाइज ड्यूटी के रूप में हमें क फी बड़ी राशि प्राप्त होती है। फेन्द्रीय सरकार को उससे काफी आय होती है। मैं आपके नाव्यम से माननीय मत्री जो का ब्यान इस खोर आकर्षित करना चाहुंगा कि बिहार राज्य को मिलने वाने दोयर में कुछ वृद्धि होनी चाहिये। मैं केवस विहार सम्बन्ध में नहीं कहता, बल्फ ऐसे सभी राज्यों को मिलने बासा शेयर बढ़ाया जाना चाहिए जड़ी से केन्द्र को काश्को थाय होती है। उस सबझा विशेष स्थाल रखा जाये। हमारे सामने जो सांकड़े

संब उत्पाद शुरूक (वितरण) संशोधन विश्वेषक बौर श्राविरिक्त उत्पाद शुरूक (विश्लेष महत्व का मास) संशोधन विश्लेषक

आये हैं, उनमें महाराष्ट्र से केन्द्र का सबसे ज्याद। हिस्सा मिलता है और बिहार का स्थाव तीसरा आता है। इसलिए मेरी अनुश्चंशा है कि केन्द्र सरकार गरीब राज्यों के प्रति ऐसा ,दृष्टिकीण अपनाये जिससे कि उनकी वितीय स्थिति में सुघार आ सके।

[अनुवाद]

श्रीमती विमा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : क्या आज समा का समय बढ़ाया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं। हम आज समा के समक्ष लम्बित कार्य समाप्त करना चाहते हैं। मंत्री महोदय इमे समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि केवल दो या तीन वक्ता हैं। अब श्री अमल बत्ता बोर्से। जैसे हो विषयक पर विचार समाप्त हो जायेगा, वैसे ही समा स्थागत कर दी जायेगी।

श्री तम्पन यामस (मवेलिकरा) : आच दूसरा विषेयण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जपाध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता । स्थिति यह है कि यदि यह 5.45 म०प० पर समाध्य हो आयेगा तो वह आज हः प्रस्तुत कर दिया अथिगा। यदि इस पर चर्चा 6 बजे के बाद तक होगी तो उसे प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। बस।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : 6 बजे के बाद तो दूसरे मामलों पर चर्चा नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा साचता हूं।

श्री अमल दत्ताः नाप ससदीय कायं मन्त्री से परामशंकर लें। अन्यया वे कल की तरह फिर हमें देर तक बैठने के लिये बाद में सुचित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय । मन्त्री महोदय, आप क्या कहते हैं ?

जल भू-तल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मत्रालय में उप मंबी (बी पी॰ नामग्याल) : हम 6 वजे समा स्पित कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री तम्पन थामस : केवल इत विधेयक पर चर्च होगी । अपना बहुत अध्यदाद ।

श्री अमल दत्ता: चर्यां धीन विधेयकों में से एक विधेयक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विधेय महस्व का माल) सशाधन विधेयक है। संशोधन केवस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के इस अनुपात के सम्बन्ध में है जो वितरित किया जाना है, अनुपात जिसके अनुसार राज्यों को 9 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वितरित किया जायेगा। परन्तु यह उस्लेखनीय है कि यद्यप अतिरिक्त उत्पाद शुल्क संबधी यह विशेष अधिनयम और इस अधिनयम के अन्तर्गत आने वाले सभी अनुच्छेदों की राज्य को पूर्वतया वितरण के उद्देष हेतु केन्द्रीय पूल में 1957 में साया गया था, और उसमें वितरण के विष् छतं राज्यों में माल की खपत की रखी गई थी। उस अनुपात में वितरण होवा है। राष्ट्रीय विकास परिवद द्वारा विसम्बर 1956 में ऐसा किवा गया था। मैं ठीक वहीं शब्द पढ़ कर सुनाऊंगा ताकि संत्री जी जान सकें। में 9 वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में से पढ़ कर सुना रहा हूं। इसमें कहा गया है:

"राष्ट्रीय विकास परिषद ने सर्वसम्माते हैं सहमित प्रकट की कि शाज्यों में मिल के बने बक्तों, विनिमित तम्बाकू साहेत तम्बाकू और वीकी पर को विकी कर लवाया वाता है, उसके स्यान पर इन बस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद-शुरुकों पर एक अधिकार सगा दिया आए, और उस अधिकार से प्राप्त होने वाली अग्य को राज्यों के दीच इस बात की सुनिश्चित अग्यस्था करते हुये, कि राज्यों को बर्तमान आय निध्यत रूप से प्राप्त होती रहे, उपयोग के माद्यार पर संवितरित कर दिया जाये। हिस्सों के बंटवारे और सवितरण की पद्धति का निश्चयन वित्त आयोग को सौंपा आए।"

इस प्रकार बित्त आयोग को क्षेत्राधिकार मिला है। अन्यका यह एक धनग मामसा है। बात बहु कि यह विशेष कृत से कहा गया है कि राज्यों के बीच बटवारा सपत के आधार पर होना चाहिए। किस बीच की सपत ? इस्का नयं है उन्हीं बस्तुओं की सपत । परम्तु किया क्या जा रहा है ? वित्त आयोग ने स्वयं ही यह स्पष्ट किया है कि दूधरे वित्त आयोग ने क्या किया अगले वित्त आयोग ने कहा वा कि उसे क्यान में रस्त कर उसने किया । मैं उद्धृत करता हूं:

इसके अलावा, चूं कि इन वस्तुओं के राज्यवार उपयोग के प्रश्यक्ष और विश्वसनीय बांकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए स्थानापण्नतियों का उपयोग किया गया है।"

मैं यह समझ सकता हूं कि दूसरे वित्त आयोग को स्थानापन्नतियों का प्रयोग करना पड़ा खा जो इस समझोते के बीझ बाद बैठा या। परन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि 1988 में उन्हीं स्थाना-पम्नतियों को कुछ परिवतनों के साथ क्यों उपयोग किया गया। राज्यों में इन वस्तु शों की अपत के आंक के उपलब्ध नहीं है। 1958 में ये आंक इं उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 1988 में भी ये आंक इं उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 1988 में भी ये आंक इं उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 1988 में भी ये आंक इं उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 1988 में भी ये आंक इं उपलब्ध नहीं है। 30 वर्ष बीत चुके हैं। आप देश में प्रशासन इन इंग से चला रहे हैं कि इन बस्तु शों, जो बितरण के लिए आवश्यक हैं तथा जो समझोते के कार्यन्वयन के लिए आवश्यक हैं जिसके द्वारा आपने इन बस्तु जों पर कर की चधुलों की है, के आंक इं अभी तक भी तैयार नहीं किये गये हैं। वे यह कह रहे हैं कि उन्हें खपत के आंक इं प्राय्त क्यों नहीं हुए हैं। नौंव वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के बुक्ट 37 पर पर रा 7.13 में कहा गया है:

''अपने पूर्वकर्ती आयोग की तरह हमने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन से आवश्यक जान कारी प्राप्त करने की कोशिश की। हमें यह बताया गया कि 38 वें सर्वेक्षण से (जनवरी से विसम्बर, 1983 तक) सम्बद्ध आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं और जब सम्बद्ध आंकड़े उपलब्ध ही आर्थी, तब अनमें वे सभी कमियां रह ज'येंगी जो कि 32 वें सर्वेक्षण से प्राप्त बांकड़ों में वीं।"

इमी स्था थी ? इसमें आने कहा गया है :

'वस्तुत: 38 वें सर्वेक्षण में मधें का वर्णन उसी प्रकार का है जैसा कि 32 वें सर्वेक्षण में है, जिसका अर्थ यह है कि बिन वस्तुओं पर बतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाया वा सकता है और बिन वस्तुओं को सर्वेक्षण में सम्मिनित किया गया है उनके वर्णनाश्मक विवरण में यही विशेष बराबर बना रहेगा।"

यह बारचूर्यं जनक बात है। उन्हें 43 वें दौर के पूरे होने तक इन्तवार करने के लिए स्पष्ट जब है कह दिया नया वा वो हो वर्ष बाव होगा । मैं नहीं जानता कि उन्हें उसे स्वीकार करने के लिए संघ उत्पाद सुन्क (वितरण) संसोधन विदेयक सीर वितरिक्त उत्पाद सुन्क (विशेष महस्य का मान मंशोधन विधेयक

कैसे कहा जा सकता है क्यों कि जो सर्वेकण 1983 में किया गया था उस सर्वेक्षण का परिणाम 1988 में भी प्राप्त नहीं हुआ। अत: जो सर्वेक्षण 1988 में कराया जा रहा था, दो वय की अवधि में उसके आंकड़े अस्तिम रूप से कैसे प्राप्त हो सकते हैं? यह बात मेरी करपना से बरे है। इसलिए अब हुए अवसर पर यह कहना उचित है कि सरकार शुल्क बसुली द्वारा भी अपना कर्ताव्य पूरा नहीं कर रही है जो सवितरण के समझौत के अधीन कुछ अनुपात में शुल्क वसूलों के रूप में इसका अनिवायं कर्ताव्य है। बया मानतीय मंत्री इस बात की ओर घ्यान देंगे और देखेंगे कि मविद्य में बिल बायोग को संबिन्तरण के मानवण्ड तय करने हेतु स्थानायन्तियों का सहारा न लेना पड़े और इस प्रकार कम से कुम उस समझौते का सम्मान किया जा सके जो स्वयं केन्द्र सरकार ने 1956 या 1957 में राज्यों के साम किया था।

खहां तक संघ उत्पाद-शुल्क (बितरण) सघोधन विधेयक का सम्बग्ध है, सबंप्रयम हम संघी ने यह बाशा की यो, जैसा कि मुक्त से पहले श्री माघव रेड्डी कह चुने हैं, कि उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिम्सा उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा तथा समस्त उत्पाद शुल्क को उत्पाद शुल्क के विभाग पूस में साया जायेगा। असी तक ऐसा नहीं किया गया है बहुग्हाल यह 9वें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट है को हमें मिली है और हम अब भी यह अशा करते हैं कि हमारी आशाये पूरी कर वी आयोगी यानि वस्कों इत्यादि पर अधिकर साहित, अतिरिक्त शुल्क सहित समन्त उत्पाद शुल्क के साथ यह 45% से बहु का 50% हो आयेगा और इमे विभाष्य पूल में लाया जायेगा। केन्द्र सरकार को इम्से सहमत होना होगा। बौर हमें आशा है कि राज्यों की आवश्यकक्षाओं का सम्मान करते हुये केन्द्र सरकार इतसे सहमत होना श्री हमते हो आशा है कि राज्यों की आवश्यकक्षाओं का सम्मान करते हुये केन्द्र सरकार इतसे सहमत हो आयेगी।

में अधिक समय नहीं लंगा । मुझे एक या दो संगत बातें और कहनी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क बसूनी के तरीके में बहुत सुधार की आवश्यक्ता है। सोक लेखा समिति के एक प्रतिवेदन में यह कहा गण है भारत की एक मशहूर करपनी यानि रिलायन्स व बस्ट्रीज लिमिटेड हारा बमा करा गई 1.17 करोड़ रुव की एक अफ़ठ प्रविब्टिका चार वर्षी तक पता नहीं लग पाया। 1.17 करोड़ रुपये की राशिंक म नहीं होती है। और इस भठी प्रविधिट द्वारा कम्पनी चार वर्षों तक इस राश्चि का लाम उठाती रही है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है; यदापि प्रविध्टि करने के बाद को अवह उसकी जींच होती है फिर भी चार वर्षों तक इस प्रविष्ट के बारे में कुछ पता नहीं चला। बौर फिर बाहर के विरोधी बिवकारियों ने इसका पता लगाया । किथी असःतुब्द कर्मचारी द्वारा बानकारी देने पर यह सम्मव हो मका । बन्यथा इसका पता कमी भी नहीं लगाया जा सकना था । यह ऐसी सापरवाड़ी है जिसे कमी सहन नहीं किया जा सकता। क्योंकि, जब केन्द्र सरकार को काफी बढ़ा माग देना पड़ता ⊱ यहां तक कि अब भी राक्ष्यों को मूल उत्पाद शहरक का 45% देना पहता है-एड तरह से यह इस करों की बसूली में राज्यों के न्यामी का कार्य करती है। इसलिए इसे अवने वर्त्तंक्य बहुत ब्राविक गम्मीरतापूर्वक निमाने हैं। बहरहाल, ऐसी सापरबाही क्यों की जाये जबकि मामला सोक राजस्य का है ? यह अनिगणत उदाहरणों में से एक है। यदि आए राजस्य तथा अप्रत्यक्ष करों पर महा सेखा नियत्रक की किसी भी रिपोर्ट को देखें तो आप पार्धेंगे कि प्रति वर्ष ऐसी कई गसतियां पकड़ी जाती है। परन्तु में नहीं सोबता कि सरकार ऐसे कबम बठा रही है जो उन्हें ऐसी कमियों की हुर करने है सिए उठाने चाहियें। उत्पाद-गुल्क की मारी मात्रा में कोरी की जा रही है। यदि इस कमियों को दूर

करने के लिए उचित और गहन प्रयास किये जायें तो एकत्र किये गये शुल्क को 50% या 100% तक भी बढ़ाया जा सकता है।

सरकार समय-पमय पर बिना बिचार किये, राज्य सरकारों से बिना परामर्श किये उत्पाद-शुल्क में रियायनें बेनी है। ऐसा हर बार, हर वर्ष हो रहा है। अधिसुचना द्वारा अरकार कुछ निजी हितों वाले बनों आदि द्वारा दिये गए आवेदनों के आधार पर शुल्क बरों में कमी कर देती है। उन सभी का कुल मूल्य लगमग 1000 करोड़ रुपये है। परन्तु सरकार यह नहीं सोचती कि उन्हें राज्यों से परामर्श करना है मौर इन रियायतों के प्रमाव के बारे में संसद को सुचत करना है। हम संबद में बचट को स्त्रीकृति कैसे और क्यों देते हैं? लोगों की स्वीकृति पर ही सरकार धन एकत्र कर रही है उस समय लोगों की स्वीकृति कहीं होती है जब वे मात्र अधिसुचनाओं द्वारा छुट तथा रियायतें देते हैं? अधिसुचनायें हमारे समझ रखी जा सकती हैं। परन्तु हम यह नहीं जान पाते कि उस अधिसूचना का वित्तीय प्रमाव क्या है, उद्योग विशेष को कितनी धनराधि दी गई है। हमें यह कमी भी मालूप नहीं होता।

एक ऐसा ही उदाहरण 1988 में बजट मायण के बोरान सामने आया था, तित्त मंत्रों ने कहा कि वह कृतिय रेंशा उद्याग को कुछ रियायतें दे रहे हैं। 15%, 25% तथा 10% शुन्क छूट ऋषश। पोलिस्तर, एकेलिक तथा नाईलोन इत्यादि को दो गई थी। उसका कुल बनुमानित मूल्य उस समय सचमग 249 करोड़ रुपये था। बित्त मन्त्रों ने अपने भाषण के दौरान कहा कि वह बाशा करते हैं कि ये रियायलें उपमोक्त औं तक पहुंचेंगो।

वे ब्यान रखेंगे की क्या वह किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया तो वे अनुवान को समाप्त कर सकते हैं।

स्रोक लेखा समिति ने इस पहेसू पर गौर करने के बाद यह पाया कि रियायतें देने से पहले वर्ष, सर्यात् वर्ष 1987-88 के लिए, 241 करोड रुपये की रियायतें दी गई होती। लेकिन वर्ष 1988-89 के झांकड़ें, जब बास्तव में रियायतें दी गई, जो सहज हो ज्यादा होनी चाहिएं थी, मंत्रालय द्वारा खांकड़ें प्रस्तुत नहीं किये गए। दूसरे शब्दों में, मंत्रालय इस बात का ज्यान नहीं रखता कि कितनी रियायतें वी गयी और उसका कितना भाग बड़े उद्योगों के हिस्से में जाता है जो कि 'कुतिम फाइबर' उद्योगों में शामिल हैं।

यह सुनिदिवन करने के लिए किये रियायतें उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए एक अधिदेश कारी कर क्या एक निगरानी सिमित गठित नी गयी जो कि प्रत्येक महिने अपनी बैठक करेगी। लेकिन इसकी बैठक मान्न दो बार हुई और एक बार फिर जब लोक लेखा सिमित ने स्वतः इसका बोड़ा उठाया। सिमित के इतरा जो पाया गया वह भी महस्त्रपूण था। उद्योगों के द्वारा उन्हें कभी कोई कर रिवायतें नहीं दो गई थीं। शुरू में कीमतों में कुछ गिरावट बायी थी; लेकिन सिमित के अनुसार यह निरावट साजार में अधिकय के कारण हुई थी, क्योंकि पूर्ति मांग से ज्यादा थी न कि उद्योगपतियों द्वारा दी गयी रियायत के कारण।

अगर ऐसी बात है, तो उल्पाद शुरूक कहाँ है, हम उल्पाद शुरूक को कैसे वसून कर सकते हैं,

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

द्रम उत्पाद शुरूक कैसे संप्रष्ठ कर सकते हैं जो कि सरकार द्वारा वास्तविक रूप से संप्रष्ठ विधा जाना है ? उन्होंने अप्रयावेदन के आधार पर अनेक तरह की छट और रियायतें, विना इस वात की जांव किए, प्रदान की हैं कि अपने कहने के अनुसार क्या वह इन रियायतों को सोगों तक पहुंचा सी रहे हैं या नहीं।

भी गढ़वी में भोक लेका समिति के एक दूमरे प्रतिवेदन का जिक्र कर रहा या जो 1988 के बजट में कृत्रिम फाइवर उद्योगों को प्रवान की गयी छटों और रियायतें के बारे में है।

श्री गै॰ के गढ़वी : उपमोक्ताओं तक बहुंचाने के लिए ?

भी अमल बत्ता : लेकिन उसे अपमोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया गया । उन स्वार्थी लोगों है सिमाफ कोई जांच-पडताम, निगरानी इस्यादि नहीं की गई जो इससे लामान्वित हो रहे थे ।

जैमा मुक्ते कहा गया है कि इपमें कुछ यहन बड़े उद्योग सम्मिलत हैं और एक उद्योग को रिलायम उद्योग है, नया कृतिन फाइबर के मम्पूर्ण बाजार में उसका उत्पादन 33 प्रतिशत से 35 प्रतिशत है। जगर ऐसा है तो इन 250 करोड़ हायों में से 33 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक का लाभ उन्हें मिलेगा। वह किननी घनराशो है ? क्या यह 90 करोड़ दपए के लगमग है ? जत इसरे शक्तों में आप इन उद्योगपतियों की जेब मजबून कर रहे हैं। इसमें क्या हम जनुभान लगा सकते हैं कि वे अपकी किसी तरह से सहायता नहीं कर रहे हैं ? इसमें कुछ, अध्यान-प्रवान हानी चाहिए और यह राजों की कीवन पर किया जा रहा है। इसमें राज्यों को 45 प्रतिशत तक का चाटा हो रहा है। आप उनको जेब भर रहे हैं और वे आपकी। यह हैरानी की बात है। लेकिन इससे राज्य और लोगों को क्या मिल रहा है ? यहां एक माननीय सदस्य इस बात का जिक कर रहे थे कि उन्हें पानी भी नहीं जिल पा रहा है तो, जल के लिए आवटित घन कहा जा रहा है ? क्या यह चन रिलायांस उद्योगों और अन्य ऐसे उद्योगों की जेब में जा रहा है ? इसे समफना चाहिए और इसका पर्दाफ स किया जाना चाहिए। वाप कृपया उस रिपोटं का अध्ययन करें जिसको में चर्च कर रहा हूं। मेरे विवार से मत्री महोदय को इन खामियों को दूर करना चाहिए और यह व्यान रखना चाहिए कि मिलक्य में यह रियायतें राज्यों की कीमत पर नहीं दी जानो चाहिए।

श्री श्रीबल्लम पाणिप्रही (देवगढ़) : उपाडण्डा महोदय, मैं इन दोनों विधेयक का समयंन करता हूं जिनम अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व की बस्तुएं। अधिनियस 1957, और सघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनिय 1979 में संशोधन की माग की गयी हैं।

महोश्य, वास्तव में नवें बित्त आयोग के सुझाव के पश्यात इतकी महत्ता महत्ता महसूम होने सगी है। जो भी सुझाव इनके पहले प्रतिवेदन में हैं. सरकार निविचय ही इसके ऊरर बल देना चाहनी है। ये मभी सुझाव विगत वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही किए गये हैं, अर्थात् आठवें बित्त आयोग के आधार पर। अतः इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है लेकिन मैं इस के आधार के बारे में कुछ सुझाब करना बाहता हूं। जहां तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और उसके वितरण इत्यादि का सम्बन्ध है तो राज्य घरेसू उत्पाद और इसकी जनसंख्या पर सामान महत्व विया जाना चाहिए। आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के लिए 1971 की चनगणना की आधार बनाया बया था।

संघ उत्पाद घुल्क (वितरण) संघोषन विषेयक और स्रतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संजोधन विधेयक

यह कैसे सम्भद है कि वही 1971 की जनगणना का बाधार बाज मी कायम रहे ? हमारे पास 1981 की जनगणना का बाधार तैयार है। मेरे विचार से यदि 1971 की जनगणना के बजाए 1981 की जनगणना को अधार बनाया जाता — नदीनतम जनगणना रिपोर्ट की बाधार बनाया जाता की वेहतर होता।

दूसरी बात महोदय वर्ष की है। बिगत बित्त कायोग के अनुसार वर्ष 1976-77; 1978-79 के लिए सकस घरेलू उत्पाद अब स्वाभाविक ही इसका आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने वर्ष वर्ष 1982-83, 1984-85 को आधार बनाने के लिए सुझाव दिया है। अतः मैं एक बात का सुमाव देना चाहूंगा। सरकार का यह प्रस्ताव है कि हर समय इस तरह के संशोधन करने के बदले, बित्त आयोग के सुझावों के अनुसार, राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, मूख्यांकन के लिए, परिकलन के लिए तथा जनसंख्या के लिए मी नवीनतम जनगणना अपनाई धानी चाहिए, जिसके कि इस तरह के संशोधन की कोई आवश्यकता भविष्य में न उत्पान हो। यह सुझाव सरकार के समक जीव के लिये है।

जहाँ तक जनसंख्या का सम्बन्ध है, तो इसके लिये संरचना का व्यान रखा जाना चाहिए।

दूसरे विषेयक के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि संघ उत्पाद शुल्क की कुल खास का 45 प्रतिशन माग राज्यों में बांटा जाना चाहिए और उसमें से 5 प्रतिशत घाटे वाले राज्यों में बित-रित किया जाना चाहिए। घाटे वाले राज्यों में वितरण के लिए यह 5 प्रतिशत की घनराशि अपर्याध्य है। इससे गरीब लोगो के बीच तथा पिछड़े राज्यों के बीच असन्तोष की मावना में वृद्धि हुई है। अतः जब हमारा उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता लाना है तो यह स्वाभाविक है कि इमें गरीबी से जूझना होगा उन्नत राज्यों और पिछड़े राज्यों के बीच की खाई को कम करना होगा।

जहां तक जनसंख्या का सम्बन्ध है, तो हमें जनसंख्या की रखना का व्यान रखना होगा। बनुसुचित जाित और अनुसूचित जनजाित तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले सोगों की संख्या के प्रांतशत का भी व्यान रखना होगा अन्यया केवल जनसंख्या के बृष्टिकोण से उन्नत राज्य को ही इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि महानगरों का विकास पड़ोसी राज्यों की कीमत पर हुआ है। उच्छोम तो उन राज्यों में समाये गये हैं बविक उनका मुख्यालय महानगरों में रखा गया। इस तरह, राज्यों को अपनी समुचित आय से बंचित रखा गया है। इन चीजों का ब्यान मी रखा जाना चाहिए।

महोदय, नवें वित्त आयोग की निर्पोर्ट गरीब राज्यों के सिये असन्तोषजनक है। उड़ीसा और बिहार जैसे राज्य। अपनो आधिक स्थिति को सुधारने के लिये कहा सबवें कर रहे हैं। फिर भी प्रतिक्यिकत आय के आधार पर उनकी स्थिति नहीं सुधार रही है। असम अपनी स्थिति में सुधार इसलिए ला सका है क्यों कि उस राज्य को एक विशेष राज्य के दर्बे के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों को बराबर प्राकृतिक विषयाओं जैसे बाद, तुकान, सुखा इरयादि का सामना करना पड़ाा है और इस कारणवश्, वे अपनी स्थिति में तब तक सुधार नहीं सा सकते जब तक की उन राज्यों के प्रति विशेष सुविधा नहीं हो आये।

बत: मरे विचार से ज़ड़ीसा ज़ैसे राज्य को विद्येष दश्वें वाले राज्य में रखा खाना पाहिए।

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का मान) संशोधन विधेयक

अगर यह सम्मव नहीं हैं तो उसे ज्यादा अनुदान और कम ऋण उपलब्ध कराये जाने चाहिएं और प्राकृतिक विपदाओं से जुझने के लिए जो भी धनराशी ज्यय की जाती है वह शत-प्रतिशत अनुदान चाहिये ताकि कीई ऋण जिसे मविष्य के किसी योजना के अन्तर्गत समायोजन किया जाए। इसी तरह वह राज्य जो कि आय के मामले में राबट्टीय स्तर से नीचे हैं, उन्हें विभिन्न केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत आवंदित की जाने वाली धनराशि में केन्द्र का योगदान शन-प्रतिशत होना चाहिए न कि 50:50 के आधार पर। सरकार के विचार के लिए यह मेरे मुझाव है जिससे कि हमारा गरीबी से जूझने और बिभिन्न राज्यों को एक स्तर पर लाने, और क्षेत्रीय असमानता को दूर कर विभिन्न क्षेत्र और राज्यों के बीच समानता स्वापित करने का उद्देश्य हीसिस किया जा सके।

श्री तम्पन यामस (मवेलिकरा): महोदय, इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि नवें वित अध्योग के सुमावों के आधार पर राज्य धन की प्राप्ति के लिए इश्तबार कर रहे हैं, अत: यह विषेयक पारित होना चाहिए।

परन्तु में कीवें वित्त बायोग की सिफारिशों को पुन: बताना काहूंगा और मैं पृष्ठ 37 पैरा 7.16 के उद्युत करता हूं:

"हम दो बन्य समस्याओं के बारे में भी चिन्तित हैं जिनके सम्बन्ध में राज्यों ने मारी आशंका व्यक्त की हैं। पहली समस्या ऐसी वस्तुओं की है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने बहुन सी छूटें प्रदान की हैं जिन पर अन्यया अतिरिक्त उद्यादन शुल्क लगाया जा सकता था। इस शुल्क से कुल राजद्व पर इनका प्रतिकृत प्रमाय पड़ा है। दुसरी समस्या यह है कि अतिरिक्त उद्याद-शुल्कों की व्याप्ति के क्षेत्र को अनुनित रूप से विस्तृत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उन मदों की सूची. जिन पर राज्य दिकी कर लगा सकते हैं, बहुत ही सीमित होती जा रही है। आम तौर पर राज्य यही महसूप करते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, जिनसे राज्यों को विन्ता होती है, हार्दिक प्रयास करने की कोई कारवाई नहीं की है। हमारी सिफारिश है कि स्थायी पुनरोक्षा समिति इन मुद्दों को तरकाल इन करने के जिए बैठक बुलायें।"

6 म॰ प॰

एक बात जिस पर राज्य सरकारें बहुत चिन्तित हैं यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा थोड़ी छूट दिए जाने के कारण उनके राजस्व के भाग में कभी हो गयी है। आगे अतिरिक्त करों के विस्तार में बढ़ोतरी के कारण, राज्य सरकारों द्वारा बिक्री करके शुल्क में भी प्रमाव पड़ा है और उनका राजस्व स्वामाविक रूप से कम हो गया है।

में इस महान् समा का घ्यान इस रिपोर्ट के पैरा 6.17 पर भी दिलाना चाहूंगा।

"तदनुसार, हमारी सिफारिश है कि वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यों के बीच 40 प्रतिशत भाग का वितरण निम्नलिखित ढंग से किया जाना चाहिए :

- (क) उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों का जो 40 प्रतिशत माग विमाज्य है, उसे सभी राज्यों के बीच निम्नानुसार वितरित किया जाना चाहिए।
 - (i) 25 प्रतिशत माग राज्यों के बीच 1971 की जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए।

संब उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

(ii) 12.5 माग राज्यों के बीच आय समायोजित कुल जनसंख्या (आई. ए. टी. पी.) के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए .. ।" और फिर यह चलता रहता है।

पहले एक माननीय सदस्य ने क्षेत्रीय असंतुत्तन के बारे में उल्लेख किया था और यह कि यह विभिन्न तथ्यों की वजह से बढ़ रहा है। यदि हम विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को देखें तो हमें पता चलता है कि यह दिम्ली में 370 रुपये प्रति माह है। हरियाणा में 360 रुपये प्रति माह है और पजाब में लगमग 40 रुपये प्रति माह है और यह लगमग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के निकट है। इसके विपरीत यदि आप केरल जायें तो यह 136 रुपये प्रति माह है, उड़ीसा में यह और भी कम हो सकती हैं। विभिन्न राज्यों में वांछित विकास नहीं हुआ हैं इस बात का कारण यह है कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है।

मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। उदाहरण के लिए केरल सरकार ने राज्य का विकास के लिए घन के अंशदान की मांग की है। वे शिक्षा और कल्याण गतिविधियों के लिए अधिक घन खर्च कर रहे हैं लेकिन उनके संसाघन सीमित हैं। कई अन्य कारण भी हैं। वहां अधिक उद्योग नहीं हैं। उनकी आय मुख्यतः वेतन भागी सरकारी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों पर निमंद करता है। फिर दूसरी आय वह घन है जो विदेश से आता है। जबिक आप निर्यातकों या व्यापारियों को सभा रियायतें आयात-नियात विकल्प आदि के रूप में दे रहें हैं लेकिन राज्य को ओर उस व्यक्ति को जो मुद्रा कमाता है उसे आप क्या प्रोत्साहन देते हैं? वह घन केन्द्रीय राशि में चला जाता है उसका कोई साझा नहीं होता है। राज्य सरकारों का मांग थी कि आप उन्हें कम से कम निर्यातकों और व्यापारिक घरानों के समान समझें और उन्हें उत्पाद खुल्क में रियासत तथा अन्य सुविघायें दें तािक वे अपने राज्य के विकास पर गौर कर सकें।

यह मांग केरल के मुख्यमंत्री ने की थी और यह केन्द्र के पास लिम्बत पड़ी है।

चूं कि ज्यादा समय नहीं है मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, विभिन्न तथ्यों की वजह से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है और राज्यों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। यदि हम उस अंशदान पर गौर करें जो राज्यों को दिया जाता है, तो हमें पता चलता है कि इसमें बहुत विसगति और मेदभाव है। राज्य सरकार और कितपय लोगों के प्रति पक्षपात किया गया है तथा जनता की कीनत पर निर्या घरों और अन्य को अधिक छूट दी जाती है। ये वे प्रश्न हैं जिन पर बहुत गमीरता से गौर किया जाना चाहिए। 40 प्रतिशत का साझा होना चाहिए और 5 प्रतिशत अलग रहा जाये.—मैं नहीं जानता कि यह कैसे होगा।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन मामलों पर गौर करेंगे और भविष्य में आवश्यक आबंटन करेंगे।

श्री बी॰ के॰ गढ़की: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का अमारी हूं। जिन्होंने इस वाद-विवाद में माग लिया। श्री माधव रेड्डी ने ठीक ही कहा था कि इन दो विद्ययकों पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो नौवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसार हैं और राज्य इन उपायों से फायदा उठा रहे हैं। संघ उत्पाद शुरूक (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुरूक (विजेष महत्व का मास) संशोधन विधेयक

महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। एक मुद्दा जनसंख्या के बारे में है। अब, हम सब जानते हैं कि हमने इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति अपनाई है कि राज्यों को जनसंख्या बृद्धि रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। अतः यदि धन के आवंदन तथा अन्तरण के लिए केवल जनसंख्या ही मापदंड है तो फिर तो हम उलटा चल रहे हैं। उदाहरण के लिए हम केरल राज्य को लें। जहां तक परिवार कस्याण उपाय तथा अनसंख्या नियंत्रण की बात है केरल ने सराहनीय कार्य किया है। यदि हम केवल जनसंख्या का मापदंड रखते हैं तो केरल नुकसान में रहेगा। अब श्री तम्पन-धामस ने नौवें वित्त आयोग की पहली रिणेट के पृष्ठ 33 पर दी गई सिफारिशों का जिक्र किया है। जिसमें कहा गया है कि राज्यों के कुल बंशदायी उत्पादक शुल्क के 40 प्रतिशत पर आधारित 25 प्रतिशत बंशदान को राज्यों में 1971 की जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए।

हमने 1971 की जनसंख्या की आधार क्यों लिया है? जून 1977 में हमने संसद में एक प्रस्ताव पारित किया था कि सन् 2001 तक 1971 की जनसंख्या को राज्यों में घन राशियों के अन्तरण के प्रयोजन में से आधार के रूप में निया जायेगा। यह स्वयं संसद का प्रस्ताव है। अतः वित्त आयोग मी इसी पर निर्मर है।

दूसरे 12.5 प्रतिशत को राज्यों को आय समायोजित कुल जनसंख्या के आधार पर वितरिष्ठ किया जाना चाहिए आय समायोजित जनसंख्या की गणना करने के लिए राज्यों की 1971 की जनसंख्या को 1982-83 से 1984-85 के वर्षत्रय के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय के व्यक्तिम में लेना चाहिए। राज्य के अशदान को समायोजित कुल जनसंख्या तथा सभी राज्यों की आय समायोजित कुल जनसंख्या तथा सभी राज्यों की आय समायोजित कुल जनसंख्या के पूर्ण योग को प्रतिशत के द्वारा निकालना चाहिए।

तीसरे, 12.5 प्रतिशत को गरीबी के अनुपात के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए अर्थात् एक राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की संख्या जैसे कि योजना आयोग द्वारा 1983-84 के लिए परिकलित की गयी है, का तथा सभी राज्यों में ऐसी कुल जनसंख्या का अनुपात । अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि गरीबी को नहीं लिया गया है।

शेष 50 प्रतिशत को किसी राज्य में 1982-83 से 1984-85 के त्रय वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति आय तथा उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के अन्तर के आद्यार पर वितरित की जानी चाहिए अर्थात् पंजाब में जैसा कि हमने निर्णय लिया है 1971 की जनसंख्या से इसका गुणन । पंजाब और गोवा के अंशदान अगले राज्य की दूरी के आघार पर अर्थात् महाराष्ट्र से पंजाब निकाले जाने चाहिए।

अतः इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।
यदि हम केवल जनसंख्या को ही लेते हैं और हम कहते हैं कि बढ़ती गरीबी बढ़ती विषमता जैसे कारकों
के आधार पर कोई विशेष वितरण नहीं किया जाये तो शायद हम समूचे राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास का
नुकसान करते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए दूसरी
तरफ हम कहते हैं कि अधिक जनसंख्या की वजह से अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। अन्ततः हो
सकता है कि यह जनसंख्या के विकास के लिए प्रोत्साहन सिद्ध हो।

श्री माध्य रेड्डी (अदिलाबाद): आप वित्त आयोग को जो कि वन्तिम सिफारिश करने जा रहा है गलत संकेत दे रहे हैं।

भी बी॰ के॰ गढ़वी: नहीं. नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं।

सी सी॰ माघवी रेड्ड: आठवें वित्त आयोग ने 1971 की जनसंख्या को आघार माना है एक अन्तरिम उपाय के रूप में नौवें वित्त आयोग ने भी कहा था कि वे उस 1971 की जनसंख्या वाले मापदंड को अपनायेंगे जैसे कि आंठवें वित्त आयोग द्वारा किया गया था। यही एकमात्र कारण है। कैंकिन अब आप असंगत कारणों को ला रहें हैं।

श्री बी॰ के॰ यदवी: मैं आपको पुन: बताना चाहूंगा कि 1977 में संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि सन् 2001 तक राज्यों को धन राशियों के अन्तरण के लिए 1971 की जनसंख्या की आधार माना जायेगा। यह स्वयं संसद का प्रस्ताव है। यह कदम इस विचार से लिया गया कि हुमारी जनसंख्या नियंत्रण की एक व्यापक नीति है। इसके पीछे विचार यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या अधिकाधिक धन राशि मांगने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में सिद्ध न हो जाये। यही कारण है कि संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया था।

भी सी॰ भाषव रेड्डी: जनसंख्या के स्थानान्तरण के बारे में क्या किया जाता है ?

भी बी॰ के॰ गढ़वी: इसी वजह से मैं कहता हूं कि गरीबी के अनुपात पर भी विचार करना चाहिए। श्री अमलदत्ता ने कहा है—कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लिए खपत को भी लिया जाना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है प्रत्येक इसकी मांग कर रहा है। परन्तु हमारे पास आंकड़ों का अभाव है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा दिये गए आंकड़े स्वीकार्य नहीं हैं। यह प्रायः चहुत सही नहीं हैं इसमें वास्तविक और सही स्थित नहीं दी गई है। यही वजह है कि जनसंख्या, रहन-सहन का स्तर और ऐसे अन्न कारणों पर परोक्ष रूप से विचार किया रहा है। यदि हमारे पास बहुत ही विश्वसनीय आंकड़े होते, तो बात दूसरी थी। यदि हम इन अपूर्ण आंकड़ों पर मरोसा करें तो राज्य भी और यही कहेंगे कि हम आंकड़ों के आचार पर जिन पर शत-प्रतिश्वत मरोसा नहीं किया चा सकता, वितरण कर रहे हैं।

हालांकि खपत बहुत ही सही दृष्टिकोण है, लेकिन इन व्यवहारिक कठिनाइयों की वजह से इसके स्थान पर अन्य कारकों को लिया जा रहा है। इन में जनसंख्या राज्यों के घरेलू उत्पाद आदि आते हैं।

इसके अलावा, मैं तम्बाकू के बारे में कहता हूं। जो भी हो हमें मिवष्य के लिए गितशील होना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि घूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आदि आदि। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक अभियान चलाया गया है कि जहां तक संभव हो सके तम्बाकू, सिगरेटों, बीड़ियों की अपत को कम किया जाना चाहिए। अतः इन सभी प्रासंगिक कारणों पर विचार करना होगा। यहां तक कि नवें वित्त खायोग के निर्देश-पर्दों में 1971 की जनसंख्या को अपनाने के लिए कहा गया है।

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विवेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महस्य का मास) संशोधन विशेयक

श्री राम सिंह यादव (असवर): आनंतरिक उत्पादन के बारे में, आप राजस्थान को लीजिए। जब ऊन का उत्पादन होता है वे केवल तैयार माल पर ही विचार करते हैं। अतः यह देखने के लिए कि राजस्थान का प्रतिशत केवल शून्य है। कच्चे माल पर भी विचार किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बी के • गढ़वी मैंने आपका मुद्दा नोट कर लिया है। लेकिन यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सिले-सिलाए कपड़ों पर है। यह ऊन पर नहीं है। इस तरह ऊन के उत्पादन पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है।

श्री रामसिंह यादव : उत्पादों के कच्चे माल के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बी॰ के॰ गढ़वी: इसमें कोई कच्चा माल नहीं है। इसके कोई वस्त्र नहीं है। यह केवच वहीं हैं जो हम एकत्र करते हैं उसे हम दे रहे हैं। श्री अमला दत्ता ने उत्पाद शुल्क में रियायतों के बारे में कहा था। जो रियायतों वहां दी गई हैं वे किसी उद्योग विशेष के निवास को प्रोत्साहन देने के लिए दी जा रही है और हमें विश्वास है कि वे रियायत आगे उपमोक्ताओं को भी दी जाए गी। विचौलिये अथवा निर्माता अथवा कपड़े के धनी-मानी व्यक्ति उन्हें स्वयं हड़प न करें। दुर्भाग्यवश यही हो रहा है

श्री अमल दत्ताः वया आपके पास कोई तन्त्र नहीं हैं? यदि आपके पास तंत्र नहीं है, तो वे इसे हड़प कर ही जाएंगे।

श्री बी० के० गढ़वी : इसके लिए छंत्र तो है। लेकिन इसे सुचारु ढंग से काम करदा होगा । (स्थवधान)

बजट माषण में मी हमने बताया है कि हम यह देखेंगे कि क्या ये जो रियायतें दी गई हैं उन्हें उपभोक्ताओं को भी दिया जा रहा है। या नहीं। यदि उपमोक्ताओं को नहीं दी जा रही है, तो या तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा अखवा ऐसी ही किसी बात पर विचार किया, जाएगा। लेकिन यदि वे रियाक्तें नहीं दी जा रही है, तो यह सुखद स्थिति नहीं है। लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी है। सरकार लगातार इस पर नजर रस रही है। लेकिन यह कहना कि इन रियायतों को देने से हम राज्यों को उनकी आय से विचन्न कर रहे हैं उचित दृष्टिकोण नहीं क्योंकि ये रियायतों इस दृष्टि से नहीं दी जाती है कि राज्यों को उससे वंचित रखा जाए। लेकिन वे किसी उद्योग विश्वेष, जो कि संकट में है, उनको प्रोस्साहन देने अथवा उसकी सहायना करने की दृष्टि से वे रियायतें दी गई हैं। यह आवश्यकताओं पर निर्मर करता है। आवश्यकताओं को देखते हुए, कई बार रियायतें दी जाती हैं। वे उस्पाद खुल्क में हो सकती है अथवा वे आय कर तक लिए मी हो सकती है। आय-कर के बारे में जैसाकि हुर कोई यह कह रहा है कि इसकी सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई है। से किता है हम ऐसा करतें हैं तो आय कर का 85 प्रतिशत जो कि राज्यों को जाता है— शायद ऐसा हो सकती है कि राज्यों को जो कुल धन राशि उपसम्ब होती है यह कम हो जाए ये सभी व्यवहारिक हो सकता है कि राज्यों को जो कुल धन राशि उपसम्ब होती है वह कम हो जाए ये सभी व्यवहारिक

संच उत्पाद शुल्क (वितरण) संकोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) खंशोधन विधेयक

पहलू हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। लेकिन यह नवें वित्त आयोग की केवल प्रथम रिपोर्ट है। यह केवल एक वर्ष के लिए ही दी गई है। इस योजना को केवल एक वर्ष के लिए ही प्रभावी बनाया बा रहा है।

राज्य सरकारों केन्द्रीय सरकार, संसद सदस्यों और विभिन्न अन्य संगठनों ने जो ये सभी सुझाव दिए हैं मुझे विश्वास है कि वित्त आयोग इन पर विचार करेगा और स्वतंत्र रूप से निष्कर्षे पर बहुंचेगा और सिफारिशों करेगा।

स्रो तम्पन पामस : विदेशो मुद्रा आय के बारे क्या कहना है ?

श्री बी॰ के॰ गढ़वी: जब कमी वे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं हम उनकी मुबारकवाद देते हैं। जब राज्य, विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं तो हम राज्यों को मी मुबारकवाद देत हैं। (अथवधान)

जब मैं प्राक्कलन समिति में था, तो मुझे बताया नया था कि शायद, केरल राशियन पेन्ट्स का सबसे अधिक उपयोग करता है व्योंकि हर वर्ष लोग वहां अपने घरों को पेन्ट करत हैं और वह भी एक रंग में नहीं बल्कि अन्य रंगों जैसे लान, पीला, गहरे हल्के आदि रंगों में पेन्ट करत हैं।

उपाध्यक्ष महोवय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष म्होदय: अब समा विघेयक पर खंडवार विचार करेंगे प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बर्ने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सम्ब 2 और 3 विवेयक में जोड़ बिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड], अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सण्ड 1. अधिनियमन सूत्र तथा विषेयक का पूरा नाम विषेयक में जोड़ विये गये । श्री बी॰ के॰ गढ़वी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाच्यक्ष महोदयः प्रवन यह है :

्रीक विधेयक पारित किया जाये।"

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

िक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

प्रस्ताव स्वी हत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब समा विधेयक पर खड-बार विचार करेगी । प्रश्न यह है।

कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विषेय रु में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बर्ने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विषेषक कापूरा नाम विशेषक में जोड़ दिए गए। श्री बी॰ के॰ गढ़वी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

6.16 **म**०प॰

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 11 मई 1989/21 वैशाख, 1911 (शक) के भ्यारह बजे म० पू॰ तक के लिए स्यगित हुई।